खण्ड-471, अंक-3
मंगलवार, 13 श्रावण, शक संवत् 1931
(4 अगस्त, 2009 ई0)

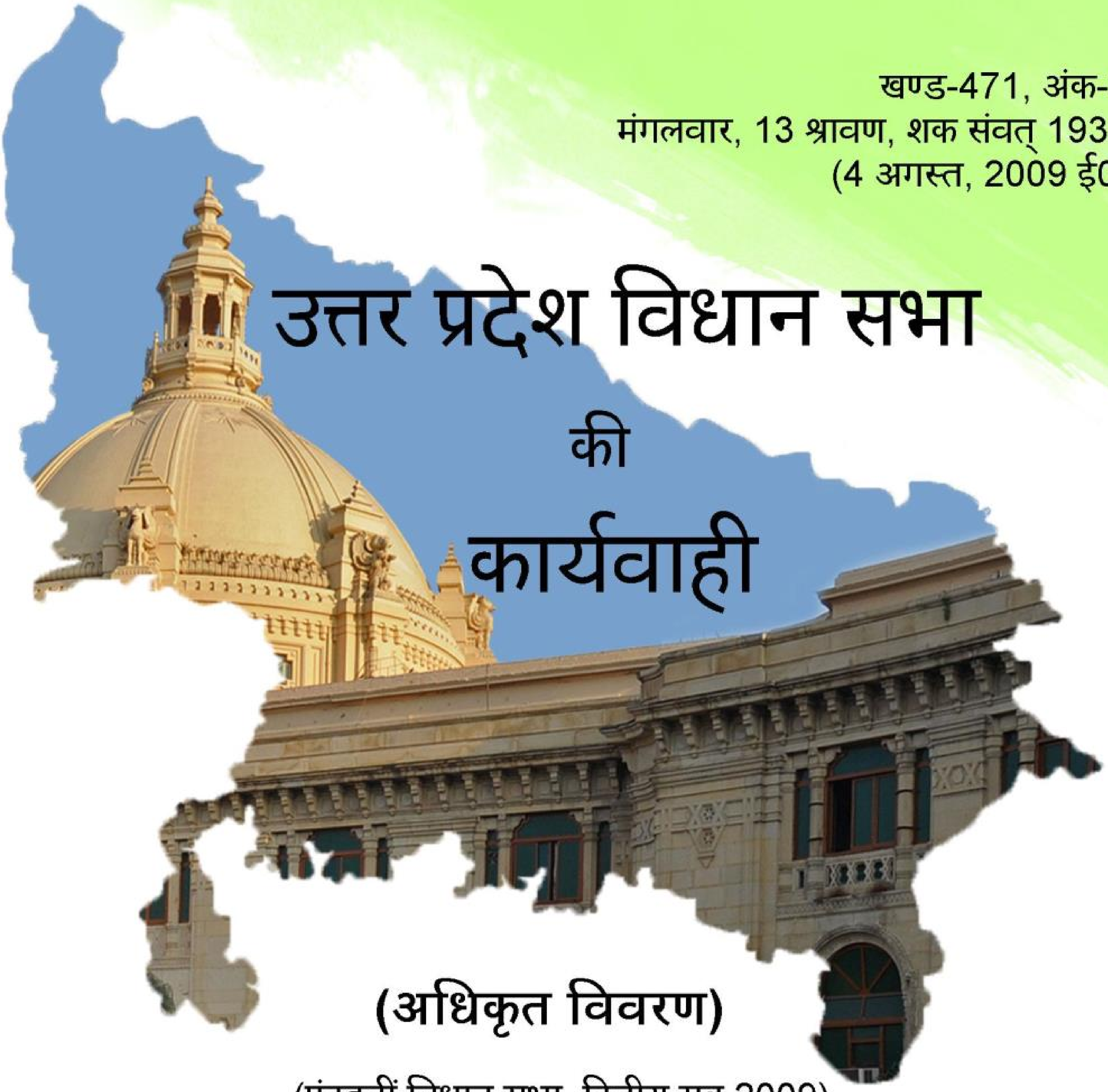

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2009)

खण्ड 471 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2009

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-छ
कानून व्यवस्था से सम्बन्धित नियम 311 की विभिन्न सूचनाओं को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग	1-4
प्रश्नोत्तर	5-91
उत्तर प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य सर्वश्री गंगा सहाय यादव, परशुराम यादव, धनराज यादव, विश्वनाथ कपूर, वीरेन्द्र वर्मा, पुरुषोत्तम कौशिक, जयराम यादव, गोरे लाल शाक्य, विहारी लाल दोहरे, राम चन्द्र जोशी, फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां, अक्षयवर भारती निषाद, गौरी शंकर एडवोकेट तथा जागन सिंह के निधन पर शोकोद्गार	91-96
फैजाबाद में समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष पर हुए प्राणघातक हमले के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	96-97
श्री अब्दुल समद अंसारी तथा श्री कुबेर सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रकरण को सुने जाने की मांग	97-99
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उत्तर प्रदेश की प्रान्तीय अध्यक्ष श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी के आवास पर दिनांक 15 जुलाई, 2009 को हुई आगजनी एवं लूटपाट की घटना से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित सूचना	100-112
ए0डी0एम0 प्रोटोकाल, वाराणसी द्वारा सपा के विधान सभा सदस्य, श्री अब्दुल समद अंसारी के विरुद्ध फर्जी एफ0आई0आर0 दर्ज करा कर पुलिस द्वारा प्रताड़ित करवाये जाने विषयक प्रकरण	112-116
श्री कुबेर सिंह, सदस्य, विधान सभा के अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र को षडयंत्र के तहत निरस्त किये जाने विषयक प्रकरण	116-119
डा0 रफी अहमद उस्मानी, सदस्य, विधान सभा को जान से मारने की धमकी दिये जाने विषयक प्रकरण	119-120
सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र देने वाले मा0 सदस्यों का त्याग-पत्र स्वीकार होने के सम्बन्ध में सूचना	120-121

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन खण्ड 2005-2006 (सदन के पटल पर रखा गया)...	121
पन्द्रहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र, 2009 (दिनांक 10 फरवरी, 2009 से दिनांक 20 फरवरी, 2009 तक) में नियम 301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	121
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	122-123
मान्यवर, कांशीराम आवास योजनान्तर्गत इलाहाबाद महानगर में गरीबों को मुफ्त आवास आवंटन हेतु सार्वजनिक विज्ञापन करके पात्र व्यक्तियों को ही आवास आवंटित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	123
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर में बी0टेक का सत्र एवं सेमेस्टर शासन की अनुमति के अनुरूप किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	123-124
जनपद सीतापुर अन्तर्गत कतिपय अधूरे पुलों के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	124
जनपद बहराइच की तहसील कैसरगंज अन्तर्गत चिलहरिया में पात्र भूमिहीनों को पट्टे न देकर अपात्रों को दिये जाने की जांच के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	124-125
जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में भाखड़ा नदी पर ग्राम खण्डिया के पास पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	125
जनपद बलरामपुर के जिला मुख्यालय पर पोस्टमार्टम हाउस बनवाने तथा तहसील तुलसीपुर एवं उतरौला में फायर स्टेशन बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	125
इलाहाबाद नगर महापालिका द्वारा आवंटित गुमटियों को गिराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	125-126
जनपद कुशीनगर में हो रही हत्याओं एवं हरिजनों के उत्पीड़न से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	126-127
उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग में केन्द्र अधिकारी के पद की परीक्षा का परीक्षा फल घोषित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	127
आगरा में भगवान टाकिज से दयालबाग स्मारक की सड़क पर डिवाइडर बनवा कर प्रकाश की व्यवस्था करवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	128

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर की जीर्ण-शीर्ण सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	128
गोरखपुर महानगर स्थित अधूरे प्रेक्षागृह का निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	129
जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम नकहा से गाटा संख्या-271 सार्वजनिक भूमि पर नाजायज कब्जा हटवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	129-130
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	130
पं0 दीन दयाल उपाध्याय, राजकीय कन्या महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी में स्नातकोत्तर कक्षायें शुरू करने के सम्बन्ध में विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2007 के दूसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-16 के उत्तर में दिये गये आश्वासन को पूरा न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	130-132
उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2008-2009) का चतुर्थ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	132-133
उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2008-2009) का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	133
विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	133-134
उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन (नियमावली का विखण्डन) विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित)...	135
उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित) ...	135
उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित) ...	135-136
उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित)	136
उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित)	136
उत्तर प्रदेश पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्व विद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2009 (पुरःस्थापित) ...	136-137
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	137-171
वित्तीय वर्ष 2009-2010 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-02, आवास विभाग (स्वीकृत)	171-173

विषय			पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-03, उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) (स्वीकृत)	...		173
अनुदान संख्या-07, उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) (स्वीकृत)	...		173
अनुदान संख्या-10, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विभाग) (स्वीकृत)	...	...	173
अनुदान संख्या-11, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत)	...		173
अनुदान संख्या-12, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (स्वीकृत) ...	...		173
अनुदान संख्या-13, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत)	...		173
अनुदान संख्या-14, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(स्वीकृत)	...		173
अनुदान संख्या-15, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत)	...		173
अनुदान संख्या-18, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (स्वीकृत)	...		173
अनुदान संख्या-20, कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) (स्वीकृत)...	...		173
अनुदान संख्या-21, खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत)	...	...	173
अनुदान संख्या-22, खेल विभाग (स्वीकृत)	...	...	173
अनुदान संख्या-23, गन्ना विकास विभाग (गन्ना) (स्वीकृत)	...	...	173
अनुदान संख्या-24, गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत)...		...	173
अनुदान संख्या-25, गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत)	...	...	173
अनुदान संख्या-26, गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत)	...	...	174
अनुदान संख्या-31, चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) (स्वीकृत)		...	174
अनुदान संख्या-33, चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) (स्वीकृत)		...	174
अनुदान संख्या-34, चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत)		...	174
अनुदान संख्या-36, चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत)		...	174
अनुदान संख्या-38, नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत)	...	...	174
अनुदान संख्या-40, नियोजन विभाग (स्वीकृत)	...	...	174
अनुदान संख्या-41, निर्वाचन विभाग (स्वीकृत)	...	...	174
अनुदान संख्या-42, न्याय विभाग (स्वीकृत)	...	...	174
अनुदान संख्या-44, पर्यटन विभाग (स्वीकृत)	...	...	174
अनुदान संख्या-45, पर्यावरण विभाग (स्वीकृत)	...	...	174
अनुदान संख्या-46, प्रशासनिक सुधार विभाग (स्वीकृत)	...	...	174
अनुदान संख्या-47, प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत)	...	...	174

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-48, मुस्लिम वक्फ विभाग (स्वीकृत)	174
अनुदान संख्या-49, महिला एवं बाल कल्याण विभाग (स्वीकृत)	174
अनुदान संख्या-51, राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) (स्वीकृत)	174
अनुदान संख्या-52, राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ...	174
अनुदान संख्या-55, लोक निर्माण विभाग (भवन) (स्वीकृत)	175
अनुदान संख्या-56, लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) (स्वीकृत) ...	175
अनुदान संख्या-58, लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) (स्वीकृत) ...	175
अनुदान संख्या-59, लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) (स्वीकृत) ...	175
अनुदान संख्या-60, वन विभाग (स्वीकृत)	175
अनुदान संख्या-61, वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ...	175
अनुदान संख्या-67, विधान परिषद् सचिवालय (स्वीकृत)	175
अनुदान संख्या-68, विधान सभा सचिवालय (स्वीकृत)	175
अनुदान संख्या-70, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (स्वीकृत)	175
अनुदान संख्या-71, शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) (स्वीकृत)	175
अनुदान संख्या-72, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (स्वीकृत)	175
अनुदान संख्या-73, शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (स्वीकृत)	175
अनुदान संख्या-75, शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) (स्वीकृत)	175
अनुदान संख्या-76, श्रम विभाग (श्रम कल्याण) (स्वीकृत)	175
अनुदान संख्या-78, सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	175
अनुदान संख्या-79, समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) (स्वीकृत)	175
अनुदान संख्या-80, समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) (स्वीकृत)	176
अनुदान संख्या-81, समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) (स्वीकृत) ...	176
अनुदान संख्या-82, सतर्कता विभाग (स्वीकृत)	176
अनुदान संख्या-83, समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) (स्वीकृत)	176
अनुदान संख्या-86, सूचना विभाग (स्वीकृत)	176

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय			पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-89, संस्थागत वित्त विभाग (वाणिजय कर) (स्वीकृत)...	...		176
अनुदान संख्या-92, संस्कृति विभाग (स्वीकृत)	...	...	176-185
उत्तर प्रदेश विनियोग (2009-2010 का अनुपूरक) विधेयक, 2009 (पारित)		...	185-191
अधिक अनुदानों की मांगों को वर्षवार समेकित रूप में रखे जाने का सुझाव		...	191-192
वित्तीय वर्ष 1990-1991 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों की मांगों पर मतदान		...	192
अनुदान संख्या-01 आबकारी विभाग (स्वीकृत)	...	...	192
अनुदान संख्या-04, उद्योग विभाग (खानें और खनिज) (स्वीकृत)...		...	192
अनुदान संख्या-10, ऊर्जा विभाग (स्वीकृत)	...	...	192
अनुदान संख्या-11, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) (स्वीकृत)			192
अनुदान संख्या-14, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (स्वीकृत)		...	192
अनुदान संख्या-15, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत)		...	192
अनुदान संख्या-16, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत)...			192
अनुदान संख्या-22, खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत)	...	...	192
अनुदान संख्या-24, गन्ना विकास विभाग (गन्ना) (स्वीकृत)	...	...	192
अनुदान संख्या-26, गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत)	...	...	192
अनुदान संख्या-27, गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत)	...	...	192
अनुदान संख्या-32, चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत)...		...	193
अनुदान संख्या-33, चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) (स्वीकृत)...			193
अनुदान संख्या-34, चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत)		...	193
अनुदान संख्या-35, चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) (स्वीकृत)		...	193
अनुदान संख्या-36, चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत)		...	193
अनुदान संख्या-37, चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत)		...	193
अनुदान संख्या-42, न्याय विभाग (स्वीकृत)	...	...	193
अनुदान संख्या-43, परिवहन विभाग (स्वीकृत)	...	...	193
अनुदान संख्या-47, पर्वतीय विकास विभाग (स्वीकृत)	...	...	193
अनुदान संख्या-52, राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)		...	193
अनुदान संख्या-56, वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) (स्वीकृत)		...	193
अनुदान संख्या-57, वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)(स्वीकृत)		...	193
अनुदान संख्या-59, वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) (स्वीकृत)		...	193

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-63, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) (स्वीकृत) ...	193
अनुदान संख्या-72, सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत) ...	193
अनुदान संख्या-73, सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) (स्वीकृत) ...	193
अनुदान संख्या-74, सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) (स्वीकृत) ...	194
अनुदान संख्या-75, सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) (स्वीकृत) ...	194
अनुदान संख्या-76, सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) (स्वीकृत) ...	194
अनुदान संख्या-77, सार्वजनिक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) (स्वीकृत)...	194
अनुदान संख्या-78, सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत)	194
अनुदान संख्या-79, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत)	194
अनुदान संख्या-81, संस्थागत वित्त विभाग (विक्रीकर) (स्वीकृत)	194
अनुदान संख्या-82, संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) (स्वीकृत) ...	194
अनुदान संख्या-83, संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत) ...	194
अनुदान संख्या-84, सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	194
अनुदान संख्या-93, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) (स्वीकृत)...	194
वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों की मांगों पर मतदान ...	194-195
अनुदान संख्या-01 आबकारी विभाग (स्वीकृत)	195
अनुदान संख्या-08, उद्योग विभाग (लेखन सामग्री एवं मुद्रण) (स्वीकृत) ...	195
अनुदान संख्या-10, ऊर्जा विभाग (स्वीकृत)	195
अनुदान संख्या-13, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत)	196
अनुदान संख्या-22, खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत)	196
अनुदान संख्या-23, खेल विभाग (स्वीकृत)	196
अनुदान संख्या-27, गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत)	196
अनुदान संख्या-29, गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) (स्वीकृत)	196
अनुदान संख्या-32, चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत)... ...	196
अनुदान संख्या-33, चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) (स्वीकृत) ...	196
अनुदान संख्या-34, चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत) ...	196
अनुदान संख्या-35, चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) (स्वीकृत) ...	196
अनुदान संख्या-36, चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत)... ...	196

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-37, चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत)... ...	196
अनुदान संख्या-41, निर्वाचन विभाग (स्वीकृत)	196
अनुदान संख्या-42, न्याय विभाग (स्वीकृत)	196
अनुदान संख्या-44, पर्यटन विभाग (स्वीकृत)	196
अनुदान संख्या-47, पर्वतीय विकास विभाग (स्वीकृत)	196
अनुदान संख्या-52, राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ...	196
अनुदान संख्या-56, वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) (स्वीकृत) ...	196
अनुदान संख्या-63, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) (स्वीकृत) ...	197
अनुदान संख्या-66, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (स्वीकृत)	197
अनुदान संख्या-71, श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत)	197
अनुदान संख्या-72, लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत)	197
अनुदान संख्या-73, लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) (स्वीकृत) ...	197
अनुदान संख्या-74, लोक निर्माण विभाग (आवास भवन) (स्वीकृत)...	197
अनुदान संख्या-75, लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) (स्वीकृत) ...	197
अनुदान संख्या-76, लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) (स्वीकृत)... ...	197
अनुदान संख्या-78, सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत)	197
अनुदान संख्या-79, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत)	197
अनुदान संख्या-81, संस्थागत वित्त विभाग (विक्रीकर) (स्वीकृत)	197
अनुदान संख्या-82, संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) (स्वीकृत) ...	197
अनुदान संख्या-83, संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत) ...	197
अनुदान संख्या-84, सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	197
अनुदान संख्या-85, सतर्कता विभाग (स्वीकृत)	197
अनुदान संख्या-86, सहायता एवं पुनर्वासन विभाग (स्वीकृत)	197
अनुदान संख्या-88, सामान्य प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	197
अनुदान संख्या-90, सूचना विभाग (स्वीकृत)	198
अनुदान संख्या-92, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण) (स्वीकृत)	198
अनुदान संख्या-93, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) (स्वीकृत)...	198
अनुदान संख्या-94, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) (स्वीकृत)	198

विषय			पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों की मांगों पर मतदान	...		198-199
अनुदान संख्या-01 आबकारी विभाग (स्वीकृत)	...	...	199
अनुदान संख्या-03 उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) (स्वीकृत)	...	...	199
अनुदान संख्या-08, उद्योग विभाग (लेखन सामग्री एवं मुद्रण) (स्वीकृत)		...	199
अनुदान संख्या-09, ऊर्जा विभाग (स्वीकृत)	...	...	199
अनुदान संख्या-10, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) (स्वीकृत)	...	...	199
अनुदान संख्या-11, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत)		...	200
अनुदान संख्या-12, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) (स्वीकृत)		...	200
अनुदान संख्या-13, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत)		...	200
अनुदान संख्या-15, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत)			200
अनुदान संख्या-16, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत)			200
अनुदान संख्या-18, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (स्वीकृत)		...	200
अनुदान संख्या-19, कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)		...	200
अनुदान संख्या-21, खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत)	...	...	200
अनुदान संख्या-23, गन्ना विकास विभाग (गन्ना) (स्वीकृत)	...	...	200
अनुदान संख्या-24, गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत)...		...	200
अनुदान संख्या-25, गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत)	...	...	200
अनुदान संख्या-27, गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) (स्वीकृत)	...	...	200
अनुदान संख्या-35, चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत)...		...	200
अनुदान संख्या-36, चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत)		...	200
अनुदान संख्या-37, नगर विकास विभाग (स्वीकृत)	...	...	200
अनुदान संख्या-38, नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत)	...	...	200
अनुदान संख्या-39, नियुक्ति विभाग (स्वीकृत)	...	...	200
अनुदान संख्या-41, निर्वाचन विभाग (स्वीकृत)	...	...	201
अनुदान संख्या-42, न्याय विभाग (स्वीकृत)	...	...	201
अनुदान संख्या-43, परिवहन विभाग (स्वीकृत)	...	...	201
अनुदान संख्या-44, पर्यटन विभाग (स्वीकृत)	...	...	201
अनुदान संख्या-47, प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत)	...	...	201

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय			पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-48, मुस्लिम वक्फ विभाग (स्वीकृत)	...	...	201
अनुदान संख्या-49, महिला एवं बाल कल्याण विभाग (स्वीकृत)	...	...	201
अनुदान संख्या-50, राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (स्वीकृत)	...	...	201
अनुदान संख्या-51, राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) (स्वीकृत)			201
अनुदान संख्या-52, राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)		...	201
अनुदान संख्या-55, लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) (स्वीकृत)		...	201
अनुदान संख्या-56, लोक निर्माण विभाग (आवास भवन) (स्वीकृत)...			201
अनुदान संख्या-57, लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) (स्वीकृत)		...	201
अनुदान संख्या-58, लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) (स्वीकृत)		...	201
अनुदान संख्या-62, वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशने) (स्वीकृत)		...	201
अनुदान संख्या-63, वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत)		...	201
अनुदान संख्या-64, वित्त विभाग (राज्य लाटरी) (स्वीकृत)	...	...	201
अनुदान संख्या-67, विधान परिषद् सचिवालय (स्वीकृत)	...	...	202
अनुदान संख्या-72, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (स्वीकृत)	...	...	202
अनुदान संख्या-73, शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (स्वीकृत)	...	...	202
अनुदान संख्या-77, श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत)	...	...	202
अनुदान संख्या-80, समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जाति) (स्वीकृत)		...	202
अनुदान संख्या-81, समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) (स्वीकृत)		...	202
अनुदान संख्या-83, सहायता एवं पुनर्वासन विभाग (स्वीकृत)	...	...	202
अनुदान संख्या-85, सार्वजनिक उद्यम विभाग (स्वीकृत)	...	...	202
अनुदान संख्या-87, सैनिक कल्याण विभाग (स्वीकृत)	...	...	202
अनुदान संख्या-89, संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) (स्वीकृत)	...	...	202
अनुदान संख्या-91, संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत)		...	202
अनुदान संख्या-93, सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत)	...	...	202
अनुदान संख्या-94, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत)	...	...	202
अनुदान संख्या-95, उत्तरांचल विकास विभाग	...	...	202
वितीय वष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों की मांगों पर मतदान		...	203-204
अनुदान संख्या-04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) (स्वीकृत) ...		...	204
अनुदान संख्या-10, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) (स्वीकृत)...			204

विषय			पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-12, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) (स्वीकृत)	...		204
अनुदान संख्या-15, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत)	...		204
अनुदान संख्या-16, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत)...			204
अनुदान संख्या-17, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) (स्वीकृत)	...		204
अनुदान संख्या-18, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (स्वीकृत)	...		204
अनुदान संख्या-21, खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत)	...	...	204
अनुदान संख्या-22, खेल विभाग (स्वीकृत)	...	...	204
अनुदान संख्या-23, गन्ना विकास विभाग (गन्ना) (स्वीकृत)	...	...	204
अनुदान संख्या-25, गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत)	...	...	204
अनुदान संख्या-26, गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत)	...	...	204
अनुदान संख्या-27, गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) (स्वीकृत)	...	...	204
अनुदान संख्या-28, गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	...		205
अनुदान संख्या-29, गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय) (स्वीकृत)...		...	205
अनुदान संख्या-32, चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत)...		...	205
अनुदान संख्या-33, चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) (स्वीकृत) ...			205
अनुदान संख्या-34, चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत)	...		205
अनुदान संख्या-35, चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत)...		...	205
अनुदान संख्या-36, चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक विभाग) (स्वीकृत)	...		205
अनुदान संख्या-37, नगर विकास विभाग (स्वीकृत)	...		205
अनुदान संख्या-38, नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत)	...	...	205
अनुदान संख्या-40, नियोजन विभाग (स्वीकृत)	...	...	205
अनुदान संख्या-43, परिवहन विभाग (स्वीकृत)	...	...	205
अनुदान संख्या-50, राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (स्वीकृत)	...	...	205
अनुदान संख्या-52, राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	...		205
अनुदान संख्या-53, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (स्वीकृत)	...	...	205
अनुदान संख्या-54, लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत)	...	...	205
अनुदान संख्या-55, लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) (स्वीकृत)		...	205
अनुदान संख्या-56, लोक निर्माण विभाग (आवास भवन) (स्वीकृत)...		...	206

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय		पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-57, लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) (स्वीकृत)	...	206
अनुदान संख्या-58, लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) (स्वीकृत)...		206
अनुदान संख्या-69, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) (स्वीकृत)	...	206
अनुदान संख्या-70, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (स्वीकृत) ...	...	206
अनुदान संख्या-73, शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (स्वीकृत) ...	...	206
अनुदान संख्या-80, समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण) (स्वीकृत) ...	...	206
अनुदान संख्या-81, समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) (स्वीकृत)	...	206
अनुदान संख्या-83, सहायता एवं पुनर्वासन विभाग (स्वीकृत) ...	...	206
अनुदान संख्या-85, सार्वजनिक उद्यम विभाग (स्वीकृत) ...	...	206
अनुदान संख्या-89, संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) (स्वीकृत) ...	...	206
अनुदान संख्या-91, सस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत)	...	206
अनुदान संख्या-93, सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत) ...	...	206
अनुदान संख्या-94, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत) ...	...	206
वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों की मांगों पर मतदान	...	207-208
अनुदान संख्या-01, आबकारी विभाग (स्वीकृत) ...	...	208
अनुदान संख्या-03, उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) (स्वीकृत) ...	...	208
अनुदान संख्या-05 उद्योग विभाग (ग्राम्य एवं लघु उद्योग) (स्वीकृत)...	...	208
अनुदान संख्या-09 ऊर्जा विभाग (स्वीकृत) ...	...	208
अनुदान संख्या-10, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) (स्वीकृत)...		208
अनुदान संख्या-12, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) (स्वीकृत)	...	208
अनुदान संख्या-13, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत)	...	208
अनुदान संख्या-15, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत)	...	208
अनुदान संख्या-20, कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) (स्वीकृत)	...	208
अनुदान संख्या-22, खेल विभाग (स्वीकृत) ...	...	208
अनुदान संख्या-23, गन्ना विभाग (गन्ना) (स्वीकृत) ...	...	208
अनुदान संख्या-25, गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत) ...	...	208
अनुदान संख्या-26, गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत) ...	...	208
अनुदान संख्या-35, चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत)...	...	208

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय			पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-41, निर्वाचन विभाग (स्वीकृत)	...	...	209
अनुदान संख्या-42, न्याय विभाग (स्वीकृत)	...	...	209
अनुदान संख्या-44, पर्यटन विभाग (स्वीकृत)	...	...	209
अनुदान संख्या-48, मुस्लिम वक्फ विभाग (स्वीकृत)	...	...	209
अनुदान संख्या-50, राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (स्वीकृत)	...	...	209
अनुदान संख्या-51, राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं से सम्बन्धित राहत) (स्वीकृत)	...		209
अनुदान संख्या-52, राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	...		209
अनुदान संख्या-55, लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) (स्वीकृत)	...		209
अनुदान संख्या-56, लोक निर्माण विभाग (आवासीय भवन) (स्वीकृत)	...		209
अनुदान संख्या-57, लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) (स्वीकृत)	...		209
अनुदान संख्या-58, लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) (स्वीकृत)	...		209
अनुदान संख्या-59, लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) (स्वीकृत)	...		209
अनुदान संख्या-60, वन विभाग (स्वीकृत)	...	...	209
अनुदान संख्या-62, वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) (स्वीकृत)	...		209
अनुदान संख्या-64, वित्त विभाग (राज्य लाटरी) (स्वीकृत)	...	...	209
अनुदान संख्या-67, विधान परिषद् सचिवालय (स्वीकृत)	...	...	209
अनुदान संख्या-69, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) (स्वीकृत)	...		210
अनुदान संख्या-70, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (स्वीकृत)	...	...	210
अनुदान संख्या-72, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (स्वीकृत)	...	...	210
अनुदान संख्या-73, शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (स्वीकृत)	...	...	210
अनुदान संख्या-77, श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत)	...	...	210
अनुदान संख्या-78, सचिवालय प्रशासन विभाग	...	...	210
अनुदान संख्या-80, समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण) (स्वीकृत)	...	...	210
अनुदान संख्या-81, समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) (स्वीकृत)		...	210
अनुदान संख्या-83, सहायता एवं पुनर्वासन विभाग (स्वीकृत)	...	...	210
अनुदान संख्या-85, सार्वजनिक उद्यम विभाग (स्वीकृत)	...	...	210
अनुदान संख्या-90, संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) (स्वीकृत)		...	210
अनुदान संख्या-91, संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत)		...	210

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-93, सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत)	210
अनुदान संख्या-94, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत)	210
अनुदान संख्या-95, उत्तरांचल विकास विभाग	210
वित्तीय वर्ष 1995-1996 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों की मांगों पर मतदान ...	211
अनुदान संख्या-02, आवास विभाग (स्वीकृत)	211
अनुदान संख्या-05 उद्योग विभाग (ग्राम्य एवं लघु उद्योग) (स्वीकृत)... ...	211
अनुदान संख्या-07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) (स्वीकृत) ...	212
अनुदान संख्या-09 ऊर्जा विभाग (स्वीकृत)	212
अनुदान संख्या-13, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत) ...	212
अनुदान संख्या-14, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (स्वीकृत) ...	212
अनुदान संख्या-16, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत)	212
अनुदान संख्या-33, चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) (स्वीकृत) ...	212
अनुदान संख्या-36, चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत)... ...	212
अनुदान संख्या-43, परिवहन विभाग (स्वीकृत)	212
अनुदान संख्या-47, प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत)	212
अनुदान संख्या-48, मुस्लिम वक्फ विभाग (स्वीकृत)	212
अनुदान संख्या-49, महिला एवं बाल कल्याण विभाग (स्वीकृत)	212
अनुदान संख्या-50, राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (स्वीकृत)	212
अनुदान संख्या-53, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (स्वीकृत) ...	212
अनुदान संख्या-55, लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) (स्वीकृत) ...	212
अनुदान संख्या-58, लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) (स्वीकृत)...	212
अनुदान संख्या-59, लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) (स्वीकृत) ...	212
अनुदान संख्या-62, वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) (स्वीकृत) ...	212
अनुदान संख्या-66, वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) (स्वीकृत)	213
अनुदान संख्या-70, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (स्वीकृत)	213
अनुदान संख्या-72, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (स्वीकृत)	213
अनुदान संख्या-75, शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) (स्वीकृत)	213
अनुदान संख्या-81, समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) (स्वीकृत) ...	213

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय			पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-83, सहायता एवं पुनर्वासन विभाग (स्वीकृत)	...	...	213
अनुदान संख्या-84, सामान्य प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	...	...	213
अनुदान संख्या-93, सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत)	...	...	213
अनुदान संख्या-94, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत)	...	...	213
वित्तीय वर्ष 1996-1997 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों की मांगों पर मतदान		...	213-214
अनुदान संख्या-02, आवास विभाग (स्वीकृत)	...	...	214
अनुदान संख्या-32, चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत)...		...	214
अनुदान संख्या-35, चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत)...		...	214
अनुदान संख्या-39, भाषा विभाग (स्वीकृत)	...	...	214
अनुदान संख्या-40, नियोजन विभाग (स्वीकृत)	...	...	214
अनुदान संख्या-51, राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के सम्बन्ध में राहत) (स्वीकृत)...			214
अनुदान संख्या-55, लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) (स्वीकृत)		...	214
अनुदान संख्या-56, लोक निर्माण विभाग (आवासीय भवन) (स्वीकृत)		...	214
अनुदान संख्या-58, लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) (स्वीकृत)...		...	214
अनुदान संख्या-59, लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) (स्वीकृत)		...	214
अनुदान संख्या-60, वन विभाग (स्वीकृत)	...	...	215
अनुदान संख्या-62, वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) (स्वीकृत)		...	215
अनुदान संख्या-64, वित्त विभाग (राज्य लाटरी) (स्वीकृत)	...	...	215
अनुदान संख्या-65, वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) (स्वीकृत)		...	215
अनुदान संख्या-70, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (स्वीकृत)	...	...	215
अनुदान संख्या-81, समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) (स्वीकृत)		...	215
अनुदान संख्या-83, सहायता एवं पुनर्वासन विभाग (स्वीकृत)	...	...	215
अनुदान संख्या-93, सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत)	...	...	215
अनुदान संख्या-94, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत)	...	...	215
अनुदान संख्या-95, उत्तराखण्ड विकास विभाग	...	...	215
वित्तीय वर्ष 1997-1998 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों की मांगों पर मतदान		...	215-216
अनुदान संख्या-11, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत)		...	216
अनुदान संख्या-28, गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन) (स्वीकृत)	...	...	216

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-34, चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी) (स्वीकृत)	216
अनुदान संख्या-35, चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत)... ...	216
अनुदान संख्या-42, न्याय विभाग (स्वीकृत)	216
अनुदान संख्या-55, लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) (स्वीकृत) ...	216
अनुदान संख्या-56, लोक निर्माण विभाग (आवासीय भवन) (स्वीकृत) ...	216
अनुदान संख्या-58, लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) (स्वीकृत)... ...	216
अनुदान संख्या-64, वित्त विभाग (राज्य लाटरी) (स्वीकृत)	216
अनुदान संख्या-66, वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) (स्वीकृत)	216
अनुदान संख्या-78, सचिवालय प्रशासन विभाग	216
अनुदान संख्या-81, समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) (स्वीकृत) ...	216
अनुदान संख्या-90, संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) (स्वीकृत) ...	217
वित्तीय वर्ष 1998-1999 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों की मांगों पर मतदान ...	217
अनुदान संख्या-01, आबकारी विभाग (स्वीकृत)	217
अनुदान संख्या-04, उद्योग विभाग (खानें और खनिज) (स्वीकृत)... ...	217
अनुदान संख्या-09 ऊर्जा विभाग (स्वीकृत)	217
अनुदान संख्या-10, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) (स्वीकृत)...	218
अनुदान संख्या-21, खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत)	218
अनुदान संख्या-27, गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) (स्वीकृत)	218
अनुदान संख्या-38, नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत)	218
अनुदान संख्या-45, पर्यावरण विभाग (स्वीकृत)	218
अनुदान संख्या-50, राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (स्वीकृत)	218
अनुदान संख्या-51, राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) (स्वीकृत)...	218
अनुदान संख्या-55, लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) (स्वीकृत) ...	218
अनुदान संख्या-58, लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) (स्वीकृत)... ...	218
अनुदान संख्या-65, वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत) (स्वीकृत) ...	218
अनुदान संख्या-66, वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) (स्वीकृत)	218
अनुदान संख्या-78, सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	218
अनुदान संख्या-80, समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) (स्वीकृत)	218

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय			पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-81, समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) (स्वीकृत)	...		218
अनुदान संख्या-87, सैनिक कल्याण विभाग (स्वीकृत)	...	...	218
अनुदान संख्या-89, संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) (स्वीकृत)...		...	219
अनुदान संख्या-90, संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) (स्वीकृत)		...	219
अनुदान संख्या-95, उत्तरांचल विकास विभाग (स्वीकृत)	...	...	219
वित्तीय वर्ष 1999-2000 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों की मांगों पर मतदान		...	219
अनुदान संख्या-04, उद्योग विभाग (खानें और खनिज) (स्वीकृत)...		...	219
अनुदान संख्या-10, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) (स्वीकृत)	...	...	220
अनुदान संख्या-12, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) (स्वीकृत)	...	...	220
अनुदान संख्या-14, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (स्वीकृत)		...	220
अनुदान संख्या-21, खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत)		...	220
अनुदान संख्या-23, गन्ना विकास विभाग (गन्ना) (स्वीकृत)	...	...	220
अनुदान संख्या-36, चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत)		...	220
अनुदान संख्या-51, राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) (स्वीकृत)...			220
अनुदान संख्या-55, लोक निर्माण विभाग (भवन) (स्वीकृत)	...	...	220
अनुदान संख्या-63, वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत)		...	220
अनुदान संख्या-66, वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) (स्वीकृत)	...	...	220
अनुदान संख्या-78, सचिवालय प्रशासन विभाग	...	...	220
अनुदान संख्या-81, समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) (स्वीकृत)		...	220
अनुदान संख्या-90, संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) (स्वीकृत)		...	220
अनुदान संख्या-92, संस्कृति विभाग (स्वीकृत)	...	...	220
वित्तीय वर्ष 2000-2001 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों की मांगों पर मतदान		...	220-221
अनुदान संख्या-12, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) (स्वीकृत)	...	...	221
अनुदान संख्या-32, चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत)...		...	221
अनुदान संख्या-36, चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत)		...	221
अनुदान संख्या-55, लोक निर्माण विभाग (भवन) (स्वीकृत)	...	...	221

विषय		पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-59, लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) (स्वीकृत)	...	221
अनुदान संख्या-62, वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) (स्वीकृत)	...	221
अनुदान संख्या-81, समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) (स्वीकृत)	...	222
अनुदान संख्या-90, संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) (स्वीकृत)	...	222
अनुदान संख्या-93, सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत) ...	...	222
अनुदान संख्या-94, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत) ...	...	222
वित्तीय वर्ष 2001-2002 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों की मांगों पर मतदान	...	222
अनुदान संख्या-10, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम निर्माण) (स्वीकृत)	...	222
अनुदान संख्या-20, कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग एवं लोक सेवा अधिकरण) (स्वीकृत)	...	223
अनुदान संख्या-21, खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत) ...	...	223
अनुदान संख्या-42, न्याय विभाग (स्वीकृत) ...	...	223
अनुदान संख्या-55, लोक निर्माण विभाग (भवन) (स्वीकृत) ...	...	223
अनुदान संख्या-72, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (स्वीकृत) ...	...	223
अनुदान संख्या-90, संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) (स्वीकृत)	...	223
अनुदान संख्या-94, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत) ...	...	223
वित्तीय वर्ष 2002-2003 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों की मांगों पर मतदान	...	223-224
अनुदान संख्या-05 उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामों उद्योग) (स्वीकृत)	...	224
अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम उद्योग) (स्वीकृत)	...	224
अनुदान संख्या-21, खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत) ...	...	224
अनुदान संख्या-27, गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) (स्वीकृत)		224
अनुदान संख्या-39, भाषा विभाग (स्वीकृत) ...	...	224
अनुदान संख्या-40, नियोजन विभाग (स्वीकृत) ...	...	224
अनुदान संख्या-46, प्रशासनिक सुधार विभाग (स्वीकृत) ...	...	224
अनुदान संख्या-51, राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) (स्वीकृत)...		224
अनुदान संख्या-55, लोक निर्माण विभाग (भवन) (स्वीकृत) ...	...	224
अनुदान संख्या-58, लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) (स्वीकृत)...	...	224

विषय			पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-62, वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) (स्वीकृत)	...		224
अनुदान संख्या-72, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (स्वीकृत)	...	...	224
अनुदान संख्या-77, श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत)	...	...	224
अनुदान संख्या-92, संस्कृति विभाग (स्वीकृत)	...	...	224
अनुदान संख्या-94, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत)	...	...	224
वित्तीय वर्ष 2003-2004 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों की मांगों पर मतदान		...	225
अनुदान संख्या-03, उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) (स्वीकृत)		...	225
अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) (स्वीकृत)	...	...	225
अनुदान संख्या-12, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) (स्वीकृत)	...	...	225
अनुदान संख्या-21, खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत)	...	...	225
अनुदान संख्या-23, गन्ना विकास विभाग (गन्ना) (स्वीकृत)	...	...	225
अनुदान संख्या-32, चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत)	...	...	225
अनुदान संख्या-34, चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत)		...	225
अनुदान संख्या-35, चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत)	...	...	226
अनुदान संख्या-39, भाषा विभाग (स्वीकृत)	...	...	226
अनुदान संख्या-55, लोक निर्माण विभाग (भवन) (स्वीकृत)	...	...	226
अनुदान संख्या-91, संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत)		...	226
अनुदान संख्या-94, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत)	...	...	226
वित्तीय वर्ष 2004-2005 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों की मांगों पर मतदान (स्वीकृत)	...	...	226
अनुदान संख्या-02, आवास विभाग (स्वीकृत)	...	...	226
अनुदान संख्या-03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) (स्वीकृत)		...	226
अनुदान संख्या-04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) (स्वीकृत)	...	...	227
अनुदान संख्या-09 ऊर्जा विभाग (स्वीकृत)	...	...	227
अनुदान संख्या-15, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत)		...	227
अनुदान संख्या-16, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत)		...	227
अनुदान संख्या-21, खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत)	...	...	227

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-22, खेल विभाग (स्वीकृत)	227
अनुदान संख्या-25, गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत)	227
अनुदान संख्या-32, चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत)... ...	227
अनुदान संख्या-34, चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत) ...	227
अनुदान संख्या-55, लोक निर्माण विभाग (भवन) (स्वीकृत)	227
अनुदान संख्या-58, लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) (स्वीकृत) ...	227
अनुदान संख्या-59, लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) (स्वीकृत) ...	227
अनुदान संख्या-79, समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) (स्वीकृत)	227
अनुदान संख्या-85, सार्वजनिक उद्यम विभाग (स्वीकृत)	227
उत्तर प्रदेश विनियोग (1990-1991, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 2009 (पारित) ...	228-271
डा0 शकुन्तला मिश्रा, पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2009 (पारित)	271-277
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 2009 का अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2009 ..... (संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित)	277-279
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2009 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2009..... (संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित)	279-282
उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2009 का अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2009 ..... (संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित)	282-290
उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान सैफई (संशोधन) विधेयक, 2009 का पुरःपारण (पुनः पारित)	191
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	291-293

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(पन्द्रहवीं विधान सभा)

मंगलवार, दिनांक 04 अगस्त, 2009

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-346

1. अंगद यादव, श्री — आजमगढ़
2. अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
3. अर्कालुर्रहमान खां, श्री — मुरादाबाद
4. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
5. अजय तोमर, डा0 — बागपत
6. अजय पाल सिंह, कुंवर — रायबरेली
7. अजय यादव, श्री — एटा
8. अजय सिंह, श्री — जालौन
9. अनन्त मिश्रा, श्री — फर्रुखाबाद
10. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
11. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
12. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
13. अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
14. अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
15. अनिल चौधरी, डा0 — हाथरस (महामायानगर)
16. अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
17. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
18. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
19. अब्दुल कलाम, श्री — सन्तकबीरनगर
20. अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
21. अब्दुल वारिस खाँ, श्री — मुजफ्फरनगर
22. अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री — वाराणसी
23. अमरमणि त्रिपाठी, श्री — महराजगंज
24. अमरेश कुमार शुक्ल, श्री — बाराबंकी
25. अमीता सिंह, श्रीमती — सुल्तानपुर
26. अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
27. अम्बिका सिंह, श्री — गोरखपुर
28. अमेरिका प्रधान, श्री — गाजीपुर
29. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
30. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
31. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
32. अरशद खान, श्री — पीलीभीत
33. अरूणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
34. अलाउद्दीन, श्री — बलरामपुर
35. अलीम हाजी, श्री — बुलन्दशहर
36. अवध पाल सिंह यादव, श्री — एटा
37. अवधेश वर्मा, श्री — शाहजहाँपुर
38. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
39. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
40. अशोक कुमार दोहरे, श्री — औरैया
41. अशोक कंसल, श्री — मुजफ्फरनगर
42. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
43. अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
44. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
45. अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
46. आदित्य पाण्डेय, श्री — फतेहपुर
47. आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री — इलाहाबाद
48. आर0 के0 चौधरी, श्री — लखनऊ
49. आर0 के0 शर्मा, पंडित — बरेली

50. आरिफ अनवर हाशमी, श्री गोण्डा
51. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
52. आसिफ, श्री हरदोई
53. इकबाल महमूद, श्री मुरादाबाद
54. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
55. इमरान मसूद, श्री सहारनपुर
56. ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री सिद्धार्थनगर
57. उदयभान करवरिया, श्री इलाहाबाद
58. उदयराज, श्री उन्नाव
59. उदयलाल मौर्य, श्री वाराणसी
60. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
61. ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
62. ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री सुल्तानपुर
63. ओमवती देवी, श्रीमती बिजनौर
64. कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री कानपुर देहात
65. कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
66. कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
67. काशीराम, श्री रामपुर
68. कुबेर सिंह, श्री एटा
69. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
70. कृपा शंकर सिंह, श्री उन्नाव
71. कृष्ण कुमार, श्री बहराइच
72. कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री हरदोई
73. कृष्ण गोपाल पटेल, श्री लखीमपुर खीरी
74. कृष्णाराज, श्रीमती लखीमपुर खीरी
75. के0 के0 सचान, डा0 जौनपुर
76. केदारनाथ वर्मा, श्री बलिया
77. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
78. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
79. कौकब हमीद खाँ, श्री बागपत
80. कौशल किशोर, डा0 लखीमपुर खीरी
81. कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत बलरामपुर
82. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
83. गिरीश चन्द्र, श्री मुरादाबाद
84. गुरू प्रसाद मौर्य, श्री इलाहाबाद
85. गुलाम मोहम्मद खान, श्री बहराइच
86. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस (महामायानगर)
87. घूराराम, श्री बलिया
88. चन्द्रदेव, श्री आजमगढ़
89. चन्द्रवीर सिंह, श्री मेरठ
90. चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री सिद्धार्थनगर
91. छत्रपाल सिंह, श्री बरेली
92. छोटे सिंह, श्री जालौन
93. जगदीश नारायण, श्री जौनपुर
94. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
95. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
96. जगपाल, श्री सहारनपुर
97. जमीरउल्ला, श्री अलीगढ़
98. जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
99. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
100. जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री कुशीनगर
101. जावेद अंसारी, श्री जौनपुर
102. जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री चन्दौली
103. जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
104. जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री फैजाबाद
105. जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री आगरा
106. जोखू लाल यादव, श्री इलाहाबाद
107. ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0 वाराणसी
108. ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री फर्रूखाबाद
109. तौफीक अहमद, श्री सिद्धार्थनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

110. त्रिभुवन दत्त, श्री — अम्बेडकरनगर
111. दद्दन मिश्रा, श्री — श्रावस्ती
112. दद्दू प्रसाद, श्री — चित्रकूट
113. दयाराम, श्री — कौशाम्बी
114. दाउद अहमद, श्री — हरदोई
115. दिनेश प्रसाद, श्री — चित्रकूट
116. दीनानाथ कुशवाहा, श्री — देवरिया
117. दीनानाथ पाण्डेय, श्री — वाराणसी
118. दीपक कुमार, श्री — उन्नाव
119. दीप नारायण सिंह
दीपक यादव, श्री — झाँसी
120. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
121. दूधराम, श्री — बस्ती
122. धर्मपाल, श्री — गाजियाबाद
123. धर्मपाल सिंह, डा0 — आगरा
124. धर्मराज निषाद, श्री — अम्बेडकरनगर
125. धर्म सिंह सैनी, डा0 — सहारनपुर
126. धर्मी रावत, श्रीमती — बाराबंकी
127. धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री — बरेली
128. धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — बलरामपुर
129. धू राम लोधी, चौधरी, श्री — हमीरपुर
130. नकुल दुबे, श्री — लखनऊ
131. नन्द गोपाल गुप्ता
'नन्दी', श्री — इलाहाबाद
132. नरेन्द्र सिंह, श्री — सीतापुर
133. नारायण सिंह, श्री — आगरा
134. नितिन अग्रवाल, श्री — हरदोई
135. निर्मल वर्मा, श्री — सीतापुर
136. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री — शाहजहाँपुर
137. पंकज कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
138. पशुपति, श्री — गाजीपुर
139. पी0 के0 राय, डा0 — कुशीनगर
140. पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री — बाँदा
141. पूजा पाल, श्रीमती — इलाहाबाद
142. पूरन प्रकाश, श्री — मथुरा
143. प्रजापालन, श्री — एटा
144. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती — कानपुर देहात
145. प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री — बदायूं
146. प्रदीप माथुर, श्री — मथुरा
147. प्रमोद तिवारी, श्री — प्रतापगढ़
148. प्रमोद सिंह, श्री — देवरिया
149. प्रवीण पटेल, श्री — इलाहाबाद
150. प्रेमलता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
151. फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
152. फरहत हसन, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर
153. फरीद महफूज किदवई, श्री — बाराबंकी
154. फसीहा बशीर चौधरी
(गजाला लारी), श्रीमती — देवरिया
155. फागू, श्री — मऊ
156. बजरंग बहादुर सिंह, श्री — महराजगंज
157. बलबीर, श्री — मुजफ्फरनगर
158. बिमलेश सिंह, श्रीमती — अलीगढ़
159. बिरजू राम, श्री — जौनपुर
160. बृजेश सौरभ, श्री — प्रतापगढ़
161. बैजनाथ दूबे, श्री — गोण्डा
162. ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री — देवरिया
163. भगवत शरण गंगवार, श्री — बरेली
164. भगवती प्रसाद सागर, श्री — झाँसी
165. भगवान दास, श्री — सन्तकबीरनगर
166. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री — आगरा
167. भगेलू राम, श्री — सुल्तानपुर
168. भीमराव अम्बेडकर
एडवोकेट, श्री — इटावा
169. भोला पासवान, श्री — आजमगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

170. मदन भैया, श्री — बागपत
171. मदन चौहान, श्री — गाजियाबाद
172. मधुबाला, श्रीमती — सन्तरविदासनगर (भदोही)
173. मधुसूदन शर्मा, श्री — आगरा
174. मनोज चौधरी, श्री — सहारनपुर
175. ममतेश शाक्य, श्री — एटा
176. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — रायबरेली
177. महबूब अली, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर
178. महिपाल सिंह, श्री — सहारनपुर
179. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री — सीतापुर
180. महेन्द्र सिंह, श्री — अलीगढ़
181. महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री — इटावा
182. महेश त्रिवेदी, श्री — कानपुर देहात
183. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री — बदायूँ
184. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — सिद्धार्थनगर
185. माधव पासवान, श्री — गोरखपुर
186. मिथलेश कटियार, श्रीमती — कानपुर देहात
187. मीता गौतम, कु0 — बाराबंकी
188. मुरलीधर, श्री — फतेहपुर
189. मुस्लिम खाँ, श्री — बदायूँ
190. मोहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
191. मोहम्मद इकबाल, श्री — बिजनौर
192. मोहम्मद गाजी, श्री — बिजनौर
193. मोहम्मद जलील खान, श्री — गोण्डा
194. मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री — सीतापुर
195. मोहम्मद ताबीश खां, श्री — सन्तकबीरनगर
196. मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री — इलाहाबाद
197. यशपाल सिंह, श्री — बिजनौर
198. यशपाल सिंह चौहान, श्री — अलीगढ़
199. यशवन्त सिंह, डा0 — मुजफ्फरनगर
200. याकूब हाजी, श्री — मेरठ
201. योगराज सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
202. योगेन्द्र सागर, श्री — बदायूँ
203. योगेश वर्मा, श्री — मेरठ
204. रंगनाथ मिश्र, श्री — सन्तरविदासनगर (भदोही)
205. रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0 — कानपुर देहात
206. रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया", कुँवर — प्रतापगढ़
207. रजनी तिवारी, श्रीमती — हरदोई
208. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री — फतेहपुर
209. रतनलाल अहिरवार, श्री — झाँसी
210. रफी अहमद उस्मानी, डा0 — लखीमपुर खीरी
211. रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री — कुशीनगर
212. रमेश गौतम, श्री — गोण्डा
213. रमेश चन्द्र विन्द, डा0 — मिर्जापुर
214. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री — जौनपुर
215. रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री — सहारनपुर
216. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री — महोबा
217. राकेश धर त्रिपाठी, डा0 — इलाहाबाद
218. राकेश बाबू, श्री — फिरोजाबाद
219. राघव लखन पाल शर्मा, श्री — सहारनपुर
220. राजकिशोर सिंह, श्री — बस्ती
221. राजकुमार सिंह गौतम, डा0 — गाजीपुर
222. राजकुमार रावत, श्री — मथुरा
223. राजपाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
224. राजपाल सिंह, श्री — गाजियाबाद
225. राजबली जैसल, श्री — इलाहाबाद
226. राजाराम त्यागी, श्री — रायबरेली
227. राजीव कुमार सिंह, श्री — बाराबंकी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

228. राजेन्द्र कुमार, श्री — मऊ
229. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री — प्रतापगढ़
230. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
231. राजेन्द्र सिंह, डा0 — आगरा
232. राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री — गोरखपुर
233. राजेश कुमार, श्री — लखीमपुर खीरी
234. राजेश त्रिपाठी, श्री — गोरखपुर
235. राजेश यादव, श्री — शाहजहाँपुर
236. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 — गोरखपुर
237. राधे लाल रावत, श्री — उन्नाव
238. राधे श्याम गुप्ता, श्री — फतेहपुर
239. राधेश्याम जायसवाल, श्री — सीतापुर
240. राम अचल राजभर, श्री — अम्बेडकरनगर
241. राम कुमार तिवारी, पण्डित — ललितपुर
242. रामपाल राजवंशी, श्री — सीतापुर
243. रामपाल वर्मा, श्री — हरदोई
244. राम प्रकाश कुशवाहा, श्री — कानपुर नगर
245. राम प्रकाश यादव, श्री — फिरोजाबाद
246. राम प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
247. राम प्रसाद जायसवाल, श्री — देवरिया
248. राम बिशुन आजाद, श्री — गोण्डा
249. रामवीर उपाध्याय, श्री — हाथरस
250. राम शिरोमणि शुक्ल, श्री — प्रतापगढ़
251. राम सागर अकेला, श्री — श्रावस्ती
252. राम सिंह, डा0 — अलीगढ़
253. रामसेवक, श्री — सुल्तानपुर
254. राम सेवक सिंह पटेल, श्री — बदायूँ
255. रामस्वरूप सिंह, श्री — कानपुर देहात
256. रामहेत भारती, श्री — सीतापुर
257. रिजवान अहमद खाँ, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर
258. रियाज अहमद, श्री — पीलीभीत
259. रोशन लाल वर्मा, श्री — शाहजहाँपुर
260. लक्ष्मी नारायण, श्री — मथुरा
261. लखीराम नागर, श्री — मेरठ
262. लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
263. लालजी यादव, श्री — सिद्धार्थनगर
264. लालजी वर्मा, श्री — अम्बेडकरनगर
265. वकार अहमद शाह, डा0 — बहराइच
266. वाचस्पति, श्री — कौशाम्बी
267. वारिस अली, श्री — बहराइच
268. वासुदेव सिंह "बाबा", श्री — बुलन्दशहर
269. विजय कुमार, श्री — गाजीपुर
270. विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री — मुरादाबाद
271. विजय पाल सिंह, श्री — बरेली
272. विजय बहादुर यादव, श्री — गोरखपुर
273. विद्या चौधरी, श्रीमती — आजमगढ़
274. विद्यासागर गुप्त, श्री — लखनऊ
275. विनोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
276. विनोद सिंह, श्री — सुल्तानपुर
277. विनोद कुमार हरित, श्री — मेरठ
278. विवेक कुमार सिंह, श्री — बांदा
279. विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री — बांदा
280. विशम्भर सिंह यादव, श्री — बांदा
281. विश्वनाथ, श्री — कुशीनगर
282. वीरेन्द्र कुमार, श्री — हरदोई
283. वीरेन्द्र सिंह, श्री — बरेली
284. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री — बुलन्दशहर
285. वेदराम भाटी, श्री — बुलन्दशहर
286. वृज सिंह उर्फ वृज कुंवरि, श्रीमती — गोण्डा
287. शम्भू चौधरी, श्री — कुशीनगर

288. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री — बरेली
289. शारदा प्रसाद, श्री — चन्दौली
290. शहनवाज, श्री — बिजनौर
291. शाहिद मंजूर, श्री — मेरठ
292. शिव गणेश "लोधी", श्री — रायबरेली
293. शिवपाल सिंह यादव, श्री — इटावा
294. शिवबालक पासी, श्री — रायबरेली
295. शिवशंकर, श्री — बलिया
296. शीशराम, श्री — बिजनौर
297. शेख नसीरउद्दीन सिद्दीकी, श्री — फिरोजाबाद
298. शेरबहादुर, श्री — अम्बेडकरनगर
299. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री — जौनपुर
300. श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा) — वाराणसी
301. श्याम नरायण यादव, श्री — आजमगढ़
302. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
303. श्रीपति आजाद, श्री — महराजगंज
304. श्रीभगवान पाठक, श्री — बलिया
305. संग्राम सिंह, श्री — बाराबंकी
306. संजय कुमार त्रिपाठी, श्री — प्रतापगढ़
307. संजय कपूर, श्री — रामपुर
308. संजीव दरियाबादी "बन्टी", श्री — कानपुर नगर
309. संध्या, कुमारी — मैनपुरी
310. सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
311. सत्य नारायण जैसल, श्री — सोनभद्र
312. सत्यपाल सिंह, चौ0 — अलीगढ़
313. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री — मेरठ
314. सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री — गौतमबुद्धनगर
315. सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0 — बागपत
316. सदल प्रसाद, श्री — गोरखपुर
317. सनातन पाण्डेय, श्री — बलिया
318. सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री — आजमगढ़
319. सलिल विश्नोई, श्री — कानपुर नगर
320. सिनोद कुमार शाक्य, श्री — बदायूं
321. सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री — गाजीपुर
322. सी0 एम0 प्रसाद, श्री — सोनभद्र
323. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री — फतेहपुर
324. सुखदेव राजभर, श्री — आजमगढ़
325. सुखलाल, श्री — पीलीभीत
326. सुधीर कुमार, श्री — उन्नाव
327. सुनील शर्मा, श्री — गाजियाबाद
328. सुन्दर लाल लोधी, श्री — उन्नाव
329. सुन्दर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
330. सुभाष, श्री — बलिया
331. सुभाष पाण्डेय, श्री — जौनपुर
332. सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री — आजमगढ़
333. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री — वाराणसी
334. सुरेश तिवारी, श्री — देवरिया
335. सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
336. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री — लखनऊ
337. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री — लखनऊ
338. सुरेश्वर सिंह, श्री — बहराइच
339. सुल्तान बेग, श्री — बरेली
340. सूरजपाल सिंह ठाकुर, श्री — आगरा
341. सूरज सिंह शाक्य, श्री — एटा
342. सूर्यभान, श्री — मिर्जापुर
343. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती — गाजीपुर
344. सोबरन सिंह, श्री — मैनपुरी
345. हरगोविन्द भार्गव, डा0 — सीतापुर
346. हरपाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
347. हरिओम, श्री — जालौन
348. हसरत उल्ला, श्री — एटा

349. हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर	**397.सिद्धार्थ शंकर, डा0	लखनऊ
350. होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर	***398.रिक्त	झांसी
*390. मिथिलेश पाल, श्रीमती	मुजफ्फरनगर	****399.रिक्त	जौनपुर
*391. महेश चन्द्र, श्री	औरैया	*****400.रिक्त	वाराणसी
*392. रिक्त	लखनऊ	******401.रिक्त	कुशीनगर
*393. बलराम सिंह सैनी, श्री	मुरादाबाद	*******402.रिक्त	सुल्तानपुर
**394.रिक्त	इटावा	********403.रिक्त	सन्तकबीरनगर
**395.रिक्त	चन्दौली	*********404.रिक्त	ललितपुर
**396.रिक्त	शाहजहांपुर	405. रिक्त	इटावा

नोट :-भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायती राज एवं सहकारिता मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कानून व्यवस्था से सम्बन्धित नियम-311 की विभिन्न सूचनाओं को सर्वप्रथम लिए जाने की मांग

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कृपया आसन ग्रहण करें।

(श्री अध्यक्ष द्वारा अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं0-1 पुकारे जाने पर)

श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल-

माननीय अध्यक्ष, जी मैंने कानून-व्यवस्था की स्थिति पर एक सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठें, पहले प्रश्न लेने दें। उसके बाद सुना जाएगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

मैं आपसे कृपापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि दिनांक 15 जुलाई, 2009 को 10.30 रात में .....

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, आपने अनुपूरक प्रश्न के लिए बुलाया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, नियम-311 की सूचनाएं पहले ले लें।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना साहब आप बैठ जाएं, यह प्रश्न काल है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, प्रश्न काल को स्थगित करके इसको इसी समय ले लें। मैंने अपनी सूचना नियम-311 में दी है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपकी सूचना नियम-56 में सुनने के लिए ले ली है। सुना जाएगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैंने अपनी सूचना नियम-311 में दी है। यह घटना लोकतंत्र के नाम पर काला धब्बा है।

श्री लालजी वर्मा-

देश के लोगों को जलाने का काम इन्होंने किया है। पूरे देश के एक समुदाय के लोगों को जलाने का काम किया है, घर ही नहीं जलाया है मान्यवर, उनके लोगों को जलाने का काम बड़े पैमाने पर कांग्रेस पार्टी ने किया है 1984 में। वह दिन इनको काला दिवस के रूप में याद नहीं है। मान्यवर, जिस तरह से पटियाला में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जलाने का काम किया है। वह दिन काला दिवस के रूप में इनको याद नहीं है। आज इनको काला दिवस याद आ रहा है। मान्यवर, मुरादाबाद में जैसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, वह काला दिन नहीं था।

नेता विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, नियम-311 में माननीय तिवारी जी ने जो सूचना दी है उसको सुन लेना चाहिए।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

मैंने नियम-311 की इस सूचना को नियम-56 में परिवर्तित करके प्रथम सूचना के रूप में चयनित कर लिया है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए है कि किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का घर लूट लिया जाए, घर में आग लगा दी जाए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं आपको भी सुन लूंगा। नियम-56 में उसको प्राथमिकता के आधार पर उसका चयन कर लिया है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

आपका तेजस्वी भाषण सुनूंगा जब नियम-56 आएगा।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, लोकतंत्र में सदन में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर कोई बात कहता है तो उसके खिलाफ झूटी एफ0आई0आर0 करके उसको जेल में डालकर अत्याचार और जुल्म किया जाता है। अंग्रेजों के शासन काल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को गोलियां मारी गयीं थी लेकिन किसी का घर नहीं जलाया गया था।

श्री अध्यक्ष-

आपको जो कहना था आपने कह दिया। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं हैं। मैं आपका सम्मान करता हूं नेता प्रतिपक्ष जी। आपको सुनूंगा प्रथम नम्बर पर, इस नोटिस पर। आपका अधिकार है जब चाहें तब बोलें। मैं आपके अधिकारों का पूरा सम्मान करता हूं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

(शोर)

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

माननीय अध्यक्ष जी, 2 जून 1995 का काण्ड भूल गये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, घर को जलाने की कोई बात नहीं है। हमारी सरकार किसी का घर जलाने में विश्वास नहीं रखती है।

(विपक्ष के अनेक सदस्य अपने आसन पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, बहन कुमारी मायावती जी, उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री हैं, वह कानून व्यवस्था के मामले में किसी के साथ समझौता करने को तैयार नहीं हैं, चाहे वह हमारा विधायक ही क्यों न हो ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी साहब, अभी प्रश्न प्रहर हो जाने दें उसके बाद अपनी बात कह लेना।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कानून व्यवस्था के मामले में किसी के साथ कोई भेद-भाव नहीं करना है, यह हमारी पार्टी का, हमारी माननीया मुख्य मंत्री जी का दृढ़ संकल्प है, इसलिए मान्यवर, जब वह बिन्दु आयेगा, तब हम उसका जवाब देंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री, घर जलाये जाने को सही करार दे रही हैं। किसी का घर जला देने से ज्यादा घृणित कार्य लोकतंत्र में और क्या हो सकता है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, लोकतंत्र में तो घृणित काम वह था जब इलाहाबाद में मदरसा में बालिकाओं के साथ बलात्कार हुआ था। काला दिवस वह था।

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी साहब मैंने एक निवेदन कर लिया नियम-311 में सूचना मिली है माननीय प्रमोद तिवारी जी की। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने भी उस पर बल दिया है। मैंने सहर्ष स्वीकार किया कि नियम-311 की सूचना को मैंने नियम-56 में परिवर्तित कर दिया है और प्रथम नम्बर पर चयनित किया है। नेता प्रतिपक्ष जी का, आप सब लोगों का जो विचार हो आप लोग बोलें, लेकिन नियम-311 कभी हुआ ही नहीं है तिवारी जी। ज्यादा से ज्यादा परम्परा की बात है तो सब लोग जानते हैं, नेता प्रतिपक्ष जी भी जानते हैं लम्बे समय से उनका अनुभव है। नियम-311 को नियम-56 में परिवर्तित करके हमने सुना है, कल भी सुना गया था नियम-56 में ही।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपको याद होगा, नियाज हसन साहब के समय में 11.00 बजे नियम-311 लिया गया था और कार्यवाही उसकी साक्षी है।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा जब आप लोग इतना कह रहे हैं, तो मैं भी आप लोगों को एक बात बता दूं, यहीं पर आप लोगों ने एक व्यवस्था दिया था कि नियम-311 में नहीं, नियम-56 में परिवर्तित कर दिया करिये, हम लोग सुनेंगे। आप ही लोगों ने हमें आश्वासन दिया है।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय तिवारी जी को नियम-311 दिखाई पड़ रहा है, नियम-314 भी इसी में है कि माननीय अध्यक्ष के विनिश्चय पर आपत्ति नहीं की जायेगी। मान्यवर, आपने विनिश्चय कर दिया कि हम इसको कार्य-स्थगन के रूप में स्वीकार करेंगे और उस समय हम इसकी ग्राह्यता पर सुनेंगे। जब इन्होंने नियम-311 पढ़ा तो यह नियम-314 भी देख लें।

(इसी मध्य कांग्रेस पार्टी के श्री विवेक कुमार सिंह, श्री प्रदीप माथुर, श्री शिव बालक पासी तथा श्री अजय कपूर आदि सदस्यगण सदन के वेल में आकर सरकार विरोधी नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मैंने एक व्यवस्था दे दी है, आप लोग नियम-56 में कहना चाहें तो कह लें, लेकिन आप लोग इस पर तैयार नहीं है, इसके मायने इस विषय पर आप लोग गम्भीर नहीं हैं। आप लोग सुनाना नहीं चाह रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह गम्भीर नहीं हैं, इसलिए कि इनकी कलई खुलेगी। 1984 में पूरे देश के सिखों का केवल घर ही नहीं जलाया गया था, उन घरों में उनको जलाने का काम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया। मान्यवर, मुरादाबाद में जिस तरीके से प्रदेश की मुख्य मंत्री के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया इसके लिए पूरा देश इनको माफ करने वाला नहीं है, इसलिए सारे दलों के नेताओं ने इनको कण्डम किया। मान्यवर, इनकी कलई खुलने का अन्देशा है, इसलिए इनके पास हो-हल्ला करने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। इस विषय को यह उठाना नहीं चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग इस विषय पर अगर गम्भीर हों, तो बैठ कर कहिये, आप लोग केवल इस प्रकरण को हल्का करना चाहते हैं तो वेल में रहें अगर गम्भीर करना चाहते हैं तो अपनी सीट पर जाकर बैठें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आज इनकी कलई खुलने का डर है, सी0बी0आई0 की बात बार-बार करते हैं। मान्यवर, राजू पाल की हत्या हुई इलाहाबाद में, खुलेआम हुई, माननीया मुख्यमंत्री जी ने उसकी सी0बी0आई0 जांच का अनुरोध किया उसको इन्होंने, केन्द्र की सरकार ने नकार दिया। मदरसा काण्ड हुआ, उसकी सी0बी0आई0 जांच के लिए आग्रह किया गया, उसको इन्होंने नकार दिया। प्रदेश में पुलिस भर्ती में धांधली हुई, इसके लिए आग्रह किया गया, इन्होंने सी0बी0आई0 जांच कराने से इन्कार कर दिया और आज जब इनकी कलई खुलने का डर है और हो सकता है इन्होंने एक स्कैण्डल बनाने के लिए स्वयं घर जलाया हो, यह भी हो सकता है, ऐसी भी चर्चायें हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग सुनाना नहीं चाहते हैं ? अगर आप लोग इस विषय पर गम्भीर है, तो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाइये।

आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं। मैं सदन को 11.20 बजे तक स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही 11 बजकर 20 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी। 11 बजकर 20 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक और बढ़ा दिया है।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के उपरान्त राजकीय कर्मचारी एवं शिक्षकों के वेतनमान के अन्तर को समाप्त करने की मांग

**1-श्री सुधीर कुमार-

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के लागू होने के उपरान्त राजकीय कर्मचारियों एवं राजकीय शिक्षकों के वेतनमान एवं "ग्रेड पे" में काफी अन्तर आ गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अन्तर को समाप्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों को समयबद्ध पदोन्नति हेतु ग्रेड वेतन (ग्रेड पे) का शासनादेश दिनांक 9 अप्रैल, 2009 को जारी किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शासनादेश के अनुसार प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों एवं शिक्षकों को समयबद्ध पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु आदेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

जी हां। छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा भी प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति-2008 की संस्तुति पर राजकीय कर्मचारियों को अभी दिनांक 1-1-2006 के पूर्व के वेतनमानों का दिनांक 1-1-2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन ही अनुमन्य कराये गये हैं जबकि शिक्षकों को वेतन समिति-2008 की संस्तुति पर लिये गये निर्णय के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के साथ-साथ केन्द्र के समान उच्चीकृत वेतनमान भी अनुमन्य कराये जा चुके हैं। इसी कारण राजकीय कर्मचारियों एवं राजकीय शिक्षकों के वेतनमान एवं ग्रेड पे में अन्तर आ गया है।

राजकीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय समकक्षता के आधार पर विस्तृत संस्तुतियां प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा यथा आवश्यक निर्णय लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय कर्मचारियों को समयबद्ध पदोन्नति हेतु ग्रेड वेतन (ग्रेड पे) से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 09 अप्रैल, 2009 की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्र सरकार से उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 09 अप्रैल, 2009 प्राप्त होने पर विचार की स्थिति बनेगी।

प्रदेश के गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर बकाया धनराशि का भुगतान कराये जाने की मांग

**2-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, श्री शाहिद मंजूर, श्री आरिफ अनवर हाशमी, श्री डी0 पी0 यादव-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी/गैर सरकारी चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का वर्ष 2005 से अब तक कितनी धनराशि बकाया है ? क्या सरकार गन्ना किसानों को ब्याज सहित भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

प्रदेश की सरकारी/गैर सरकारी चीनी मिलों पर वर्ष 2005 से दिनांक 27-7-2009 तक कुल रु0 2958.25 लाख गन्ना मूल्य अवशेष है।

प्राविधानित नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में डायरिया और अन्य संक्रामक रोगों से उपचार के अभाव में हुई मृत्यु का विवरण

*1-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2007-08 में प्रदेश में डायरिया और अन्य संक्रामक रोगों से वाराणसी तथा पड़ोस के अन्य जिलों में कितने लोगों की समुचित उपचार के अभाव में मृत्यु हुई ? क्या सरकार द्वारा इसके दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनन्त कुमार मिश्रा)-

समुचित उपचार के अभाव में वर्ष 2007-08 में प्रदेश में डायरिया और अन्य संक्रामक रोगों में कोई मृत्यु सूचित नहीं हुई। यद्यपि समुचित उपचार के पश्चात् भी बीमारी की तीव्रता की संभावना रहती है।

डायरिया एवं अन्य संक्रामक रोगों में वाराणसी तथा पड़ोस के जिलों में वर्ष 2007-08 में कुल मृतकों की संख्या निम्नवत् है :-

(1) सोनभद्र में डायरिया के 659 रोगियों के सापेक्ष किसी भी रोगी की मृत्यु नहीं हुई है।

(2) चन्दौली में डायरिया के 1417 के सापेक्ष 02 रोगियों की मृत्यु हुई एवं अन्य संक्रामक रोगों से कोई मृत्यु नहीं हुई।

(3) गाजीपुर में डायरिया के 551 रोगियों के सापेक्ष 12 रोगियों की मृत्यु हुई एवं खसरा से 03 रोगियों की मृत्यु हुई।

(4) संतरविदास नगर में डायरिया के 218 रोगियों के सापेक्ष 14 रोगियों की मृत्यु हुई एवं अन्य संक्रामक रोगों से कोई मृत्यु नहीं हुई।

नोट :-उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

(5) जौनपुर में डायरिया के 99 रोगियों के सापेक्ष 15 रोगियों की मृत्यु हुई एवं अन्य संक्रामक रोगों से कोई मृत्यु नहीं हुई।

(6) वाराणसी में डायरिया के 1558 रोगियों के सापेक्ष 18 रोगियों की मृत्यु हुई एवं अन्य संक्रामक रोगों से कोई भी मृत्यु नहीं हुई है।

(7) मिरजापुर में डायरिया के 583 रोगियों के सापेक्ष 23 रोगियों की मृत्यु हुई एवं पीलिया से 03 रोगियों की मृत्यु हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में डिग्री कालेजों की कमी को दूर करने के उपाय

*2-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डिग्री कालेजों की कमी को देखते हुए क्या सरकार इस समस्या से निपटने के लिए कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा मंत्री (डा0 राकेशधर त्रिपाठी)-

जी हां।

ऐसे असेवित जनपद जहां कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है वहां राजकीय महाविद्यालय स्थापित करने की प्राथमिकता के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008-2009 में प्रदेश के इलाहाबाद, लखनऊ, महराजगंज, कन्नौज, कौशाम्बी, गाजियाबाद, मैनपुरी, बिजनौर एवं फर्रुखाबाद में एक-एक कुल 09 राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की गयी है। उक्त के अतिरिक्त कांशीराम नगर, कुशीनगर तथा मुफ्तीगंज जौनपुर में एक-एक कुल 03 राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

प्रदेश में निजी प्रबन्ध तंत्रों के माध्यम से संचालित किये जाने वाले कुल 1352 अशासकीय महाविद्यालयों को वर्ष 2008-09 में सम्बद्धता प्रदान की गयी।

ऐसे असेवित विकास खण्डों में जहां कोई महाविद्यालय नहीं है, वहां निजी प्रबन्ध तंत्रों के माध्यम से महाविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने की शासन की नीति के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में असेवित विकास खण्डों में स्ववित्त पोषित/अनानुदानित महाविद्यालय स्थापित करने हेतु 31 महाविद्यालयों को अनुदान स्वीकृत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में संचालित प्राइवेट नर्सिंग होम/अस्पतालों हेतु अधिनियम बनाये जाने की कार्यवाही

*3-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार उ0प्र0 के प्राइवेट नर्सिंग होम/अस्पतालों के लिये पैथोलॉजिकल टेस्ट, रेडियोलॉजिकल टेस्ट, इको टेस्ट, सी0टी0 स्कैन, एम0आर0आई0 फीस, आपरेशन, कमरे का किराया आदि का अधिकतम मानक निर्धारित किये जाने हेतु नीति बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रदेश में संचालित प्राइवेट नर्सिंग होम/अस्पतालों हेतु अधिनियम बनाये जाने की कार्यवाही राज्य विधि आयोग द्वारा की जा रही है। विधि आयोग की संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात् ही अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश में लाल मिर्च पाउडर में मिलावट की रोकथाम हेतु छापामार अभियान की कार्यवाही

*4-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में लाल मिर्च पाउडर में सुडान नामक केमिकल को मिलाकर बेचा जा रहा है जिससे कैन्सर, त्वचा आदि रोगों का खतरा मानव जीवन को उत्पन्न हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार इसकी रोकथाम के लिए क्या योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954/नियमावली, 1955 के अन्तर्गत प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु वर्ष 2008 में खाद्य निरीक्षकों द्वारा लाल मिर्च पाउडर के संग्रहित नमूनों की जांच में 12 नमूना में तथा वर्ष 2009 में अब तक 04 नमूनों में सूडान नामक केमिकल की मिलावट पायी गयी है। इन मिलावटी नमूनों के विक्रेताओं को दण्डित कराने के लिये सक्षम न्यायालय में वाद दायर करा दिये गये हैं। सूडान नामक केमिकल्स से मानव जीवन में रोग होने की पुष्ट जानकारी स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में नहीं आयी है।

इसकी रोकथाम हेतु प्रदेश में तैनात समस्त खाद्य निरीक्षकों को मिलावाट का संदेह होने पर नमूना संग्रहित कर जांच हेतु प्रेषित करने के पूर्व में ही निर्देश है। इसके अतिरिक्त संदेहास्पद इकाईयों/व्यवसायियों के प्रतिष्ठानों पर पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन के सहयोग से नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में छापामार अभियान की कार्यवाही भी सम्पन्न करायी जा रही है।

बुन्देलखण्ड के किसानों के बैंक कर्ज एवं अन्य देयों को माफ करने सम्बन्धी योजना

*5-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड के किसानों के बैंक कर्ज एवं अन्य देयों को माफ करने की कोई कार्य योजना सरकार द्वारा बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

भूतत्व एवं खनिकर्म, पंचायती राज, सहकारिता मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्र सरकार द्वारा घोषित ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना 2008 पूरे प्रदेश में लागू की गयी है।

प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वालों को गम्भीर रोगों हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था

*6-श्री जोखू लाल यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले निर्धन व्यक्तियों के गम्भीर रोगों, कैंसर/हृदय रोग/किडनी आदि का निःशुल्क इलाज कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

विशिष्ट गम्भीर रोगों-हृदय रोग व हृदय शल्य चिकित्सा, कैंसर गुर्दा व मूत्र रोग अस्थि रोग, थैलेसीमिया तथा हीमोफीलिया रोग के उपचार हेतु गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों को आरोग्य निधि के अन्तर्गत गठित आरोग्य निधि (मुख्य मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष) से रु0 1.5 लाख तक आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था है। सुलभ सन्दर्भ हेतु सम्बन्धित शासनादेश की प्रति संलग्न है।[†]

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र की साक्षरता के प्रतिशत के अन्तर को कम करने की मांग

*7-डा0 अजय तोमर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री के संज्ञान में है कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र का साक्षरता प्रतिशत 52.5 तथा नगरीय क्षेत्र का साक्षरता प्रतिशत 69.7 है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की साक्षरता प्रतिशत में वृद्धि के लिए कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (डा0 धर्म सिंह सैनी)-

वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र का साक्षरता प्रतिशत 52.50 एवं शहरी क्षेत्र का साक्षरता प्रतिशत 69.80 है।

जी हां, ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र की महिला साक्षरता में वृद्धि हेतु योजना तैयार की गयी है।

प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत की वृद्धि के लिए 15 से 35 वय वर्ग की ग्रामीण एवं नगरीय निरक्षर महिलाओं की साक्षरता बढ़ाने हेतु योजना तैयार कर भारत सरकार के अनुमोदनार्थ भेजी गयी है जिसमें प्रथम चरण में प्रदेश की महिला औसत साक्षरता से कम साक्षरता वाले 34 जनपदों तथा द्वितीय चरण में प्रदेश की औसत साक्षरता से अधिक साक्षरता रखने वाले 36 जनपदों को रखा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

[†] छापी नहीं गयी।

प्रदेश के सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में मानक के अनुरूप आवश्यकतानुसार सुविधाएं प्रदान किये जाने के आदेश

*8-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मियों, प्रयोगशालाओं एवं प्रयोगशाला सहयोगियों तथा पुस्तकालयों के सम्बन्ध में क्या मानक तय किये गये हैं ? मानक के अनुरूप सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिये सरकार ने क्या नीति निर्धारित की है ?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्र)-

जी हां। शासन के विभिन्न शासनादेशों द्वारा समय-समय पर मानक निर्धारित किये गये हैं।

जी हां।

मानक के अनुरूप विद्यालय को आवश्यकतानुसार सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

प्रदेश में स्वाइन फ्लू की रोकथाम हेतु उपाय

*9-श्री मदन भैया-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्वव्यापी खतरनाक बीमारी स्वाइन फ्लू की रोकथाम हेतु प्रदेश सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों/मुख्य चिकित्साधिकारियों/मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को शासनादेश दिनांक 02-05-09 एवं महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के पत्र दिनांक 02-05-09 द्वारा स्वाइन फ्लू से बचाव एवं उपचार हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। स्वाइन फ्लू के प्रभावी नियंत्रण हेतु भारत सरकार से रोगियों के परीक्षण के लिए आवश्यक सामग्री (सर्जिकल मास्क, एन0-95 मास्क, पी0पी0ई0 किट, सैम्पुल कलेक्शन किट) प्राप्त कर विदेशों से आने वाले नागरिकों एवं संभावित रोगियों की जांच के लिए मेडिकल चेकपोस्ट का गठन किया गया है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों (लखनऊ एवं वाराणसी) तथा इमीग्रेशन चेकपोस्ट (सोनौली, महराजगंज) रूपइयाडीह, गौरीफण्टा (खीरी), बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ पं0 दीनदयाल चिकित्सालय, वाराणसी, एस0एस0पी0जी0, वाराणसी तथा जनपद आगरा, मथुरा, कुशीनगर, महराजगंज, बहराइच, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी एवं नोयडा स्थित जिला चिकित्सालयों में आइसोलेशन वार्ड की स्थापना की गयी है। प्रदेश में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रत्येक जनपद में रैपिड रिस्पांस टीम का गठन कर दो-दो चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया गया है। स्वाइन-फ्लू एवं एवियन फ्लू के उपचार के लिए आवश्यक एण्टी वायरल ड्रग ओसिलटामिविर (टेबलेट टेमि फ्लू-75 मिली ग्राम) की 10000 गोलियां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार लखनऊ के कार्यालय में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए औषधियां उपलब्ध हैं। स्वाइन-फ्लू पर प्रभावी नियंत्रण हेतु राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी नामित करते हुए उपचार एवं जन-जागरूकता तथा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर समुचित कदम

उठाते हुए किसी भी स्थिति से निपटने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा समस्त चिकित्साधिकारियों को अपने पत्र दिनांक 12-06-09 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कूड़े कचरे से ऊर्जा बनाने हेतु नीति का निर्धारण

*10-श्री मदन चौहान-

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कूड़े कचरे से ऊर्जा बनाने की कोई नीति सरकार द्वारा बनाई गयी है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है तथा उक्त योजना कहां-कहां पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अकबर हुसैन)-

जी हां।

निजी क्षेत्र के उद्यमियों को नगरीय कूड़े-कचरे तथा औद्योगिक कूड़े-कचरे से विद्युत उत्पादन हेतु परियोजना लगाने के लिये प्रोत्साहित किये जाने हेतु नीति निर्धारित की गयी है, जिसमें निजी उद्यमियों को कूड़ा-कचरा तथा अन्य अवशिष्ट डम्पिंग स्थल पर स्थानीय निकाय द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा तथा प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिये आवश्यक भूमि स्थानीय निकाय द्वारा 1.00 प्रति वर्ग मीटर वार्षिक की दर से उपलब्ध करायी जायेगी तथा डम्पिंग के लिये आवश्यक स्थान निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

स्थानीय निकायों द्वारा वर्तमान में कूड़े-कचरे की कम्पोस्टिंग एवं सैनिटरी लैण्ड फिल्स के लिये कार्यवाही अग्रसर है।

प्रदेश के सरकारी चिकित्सालयों में "एण्टी रैबीज वैक्सीन" की कमी को दूर करने की मांग

*11-श्री अनूप सण्डा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के सरकारी चिकित्सालयों में "एण्टी रैबीज वैक्सीन" (ए0आर0वी0) की कमी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपदों के सरकारी चिकित्सालयों को उनकी मांग के अनुरूप एन्टी रैबीज वैक्सीन उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

वर्ष 2007 के पूर्व राजकीय चिकित्सालयों में एण्टी रैबीज वैक्सीन की कमी रहती थी, परन्तु इसके पश्चात् मा0 विधायकों तथा अन्य स्रोतों से मांग तथा जानकारी के दृष्टिगत वैक्सीन को मांग के अनुरूप उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है। गत पांच वर्षों में ए0आर0बी0 की उपलब्धता का वितरण सुलभ संदर्भ हेतु निम्नवत् अंकित है :-

वर्ष	मात्रा (लाख वायल)
2004-05	2.50
2005-06	1.25
2006-07	7.00
2007-08	7.00
2008-09	8.00

यह उल्लेखनीय है कि 01 अप्रैल, 2009 से 25 जुलाई, 2009 के मध्य राजकीय चिकित्सालयों में 1,76,708 वायल वैक्सी वितरित की जा चुकी है और 4,01,810 वायल वैक्सीन मांग के अनुसार वितरित की जानी है। इसके अतिरिक्त 71,210 वायल वैक्सीन इमरजेंसी हेतु रखी गई है। इस वित्तीय वर्ष में 10 लाख वायल एण्टी रैबीज वैक्सीन का क्रय किया जायेगा ताकि वैक्सीन की कमी न रहे और मांग के अनुरूप इसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

*12-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शासकीय सहायता प्राप्त हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेजों में एल0 टी0 ग्रेड एवं प्रवक्ताओं के कितने पद रिक्त हैं ? इन रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 30-6-2009 तक सेवानिवृत्ति से प्रवक्ता के 2170 स्नातक वेतनक्रम के 8950 (कुल 11120) पद रिक्त हैं।

सीधी भर्ती के उक्त रिक्त पदों पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या-01/2009 के अन्तर्गत 5990 एल0टी0 ग्रेड के तथा 959 प्रवक्ताओं के रिक्त पदों का विज्ञापन किया गया है। विज्ञापित रिक्त पदों पर लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार की सम्पूर्ण प्रक्रिया चयन बोर्ड द्वारा दिसम्बर, 2009 तक पूर्ण कर लिये जाने एवं जनवरी, 2010 तक चयनित अभ्यर्थियों का पैनल सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेज दिये जाने की प्रस्तावित कार्य योजना है। शेष रिक्त पदों पर शीघ्र ही चयन की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में संचालित प्राइवेट नर्सिंग होम/अस्पतालों हेतु अधिनियम बनाये जाने की मांग

*13-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार उ0 प्र0 के प्राइवेट नर्सिंग होम/अस्पतालों के लिये पैथोलॉजिकल टेस्ट/रेडियोलॉजिकल टेस्ट फीस तथा आपरेशन, कमरे का किराया आदि की अधिकतम दरें निर्धारित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रदेश में संचालित प्राइवेट नर्सिंग होम/अस्पतालों हेतु अधिनियम बनाये जाने की कार्यवाही राज्य विधि आयोग द्वारा की जा रही है। विधि आयोग की संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात् ही अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य/प्रवक्ताओं के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

*16-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित हाई स्कूल, इण्टर कालेज एवं अनुदानित विद्यालयों में प्रवक्ता/प्रधानाचार्य एवं सहायक अध्यापकों के कुल कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्ति करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 30-6-2009 तक सेवानिवृत्ति से प्रधानाचार्य के 1696 प्रवक्ता के 2170 तथा स्नातक वेतनक्रम के 8950 (कुल 12816) पद रिक्त हैं।

जी हां।

उक्त रिक्त पदों के प्रति, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा संस्था प्रधान/प्रवक्ता/एल0टी0 ग्रेड के 8088 पद विज्ञापित किये जा चुके हैं और इन पदों पर लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार की प्रक्रिया चयन बोर्ड द्वारा दिसम्बर, 2009 तक तथा जनवरी, 2010 तक चयनित अभ्यर्थियों का पैनल सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे जाने की प्रस्तावित कार्य योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अध्यापकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य लिए जाने पर आवश्यक कार्यवाही की मांग

*17-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य भी लिये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या शिक्षण कार्य के अतिरिक्त शिक्षकों से अन्य कार्य लिये जाने पर शिक्षण कार्य प्रभावित होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

अध्यापकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य लिये जाते हैं :-

1-स्कूल भवन निर्माण कार्य।

2-साक्षरता अभियान।

3-हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा में केवल अनिवार्य विषयों में केन्द्र पर्यवेक्षण का कार्य।

4-10 वर्षीय जनगणना का कार्य।

5-पल्स पोलियो अभियान।

6-दैवीय आपदा सम्बन्धी कार्य।

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी को दूर करने के उपाय

*14-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार संविदा पर रखे गये चिकित्सकों की सेवाओं को नियमित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां। राजकीय चिकित्सालयों में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में कुल सृजित 13,789 पदों के सापेक्ष 8,278 चिकित्सक कार्यरत हैं तथा कुल 5511 पद रिक्त हैं। उक्त कमी को दूर किये जाने हेतु शासन के आदेश दिनांक 28-7-09 द्वारा 655 चिकित्सकों की तैनाती की गयी है।

जी नहीं।

रिट याचिका संख्या-1065/(एस0बी0)/07 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-9-07 द्वारा संविदा तैनाती पर रोक लगायी गयी है। एन0आर0एच0एम0 योजना के अन्तर्गत नियत मासिक मानदेय व प्रतिदिन के नियत मानदेय पर चिकित्सकों की सेवाएं ली जा रही हैं। संविदा पर चिकित्सक नितान्त अस्थायी रूप से एक निश्चित अवधि के लिए रखे गये हैं। इनकी सेवाओं को नियमित किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुरूप चिकित्सक और कर्मचारियों की तैनाती की मांग

*15-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुरूप चिकित्सक और कर्मचारी उपलब्ध कराये गये हैं ? यदि नहीं, तो इन चिकित्सालयों में मानक के अनुसार चिकित्सक और कर्मचारी कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं। राजकीय चिकित्सालयों में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में कुल सृजित 13,789 पदों के सापेक्ष 8,278 चिकित्सक कार्यरत हैं तथा कुल 5511 पद रिक्त हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती मानक के अनुरूप है।

लोक सेवा आयोग से अपेक्षित संख्या में चिकित्सकों के चयन की संस्तुति प्राप्त होने पर मानक के अनुरूप तैनाती संभव हो सकेगी।

पैरामेडिकल के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों के पद लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पद हैं। इन पदों की रिक्तियों को भी समय-समय पर भरने की कार्यवाही की जाती है। वस्तुतः पदों के रिक्त होने व उन्हें भरने की कार्यवाही एक सतत् प्रक्रिया है। रिक्त पदों को भरे जाने हेतु शासन कटिबद्ध है।

7-निर्वाचन सम्बन्धी कार्य।

अधिकतम कार्य के लिए कम समय की आवश्यकता होती है। अतः गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावना कम होती है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

परीक्षा नियंत्रक प्राधिकारी इलाहाबाद द्वारा जनपदों में चयनित शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देकर पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए जारी प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र

1-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा क्या हर जनपद में चयनित शिक्षार्थियों को सी0लिब0, बी0लिब0, एम0लिब का प्रशिक्षण देकर पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है ? यदि हां, तो इस प्रमाण-पत्र धारकों को प्रदेश के निर्धारित स्थानों पर नियुक्ति हेतु भेजने का कोई शासनादेश है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

मात्र सी0 लिब का प्रशिक्षण देकर पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

जी नहीं।

वर्तमान में पुस्तकालय अध्यक्ष पद हेतु स्नातक तथा बी0 लिब एवं कम्प्यूटर में ओ0 लेबल की प्रमाण-पत्र योग्यता निर्धारित है।

जनपद शाहजहांपुर के इस्लामियां इण्टर कालेज में पंचम वेतन आयोग के अनुसार वेतन पुनरीक्षण सम्बन्धी जानकारी

2-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 31-3-09 तक जनपद-शाहजहांपुर के इस्लामियां इण्टर कालेज में कितने प्रवक्ता तथा अध्यापक ऐसे हैं जिनका पंचम वेतन आयोग के अनुसार वेतन पुनरीक्षित नहीं किया गया ? क्या सरकार उक्त प्रवक्ताओं तथा अध्यापकों को पंचम वेतन आयोग के अनुसार वेतन पुनरीक्षित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

दिनांक 31-3-2009 तक जनपद-शाहजहांपुर के इस्लामियां इण्टर कालेज के किसी प्रवक्ता तथा अध्यापक का पंचम वेतन आयोग के अनुसार वेतन पुनरीक्षित किया जाना शेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के श्रीमती शकुन्तला देवी यादव कन्या इण्टर कालेज, रामनगर मेजा के प्रधानाचार्य द्वारा की गयी अनियमित नियुक्तियों की जांच की मांग

3-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27 फरवरी, 2009 जो श्रीमती शकुन्तला देवी यादव कन्या इण्टर कालेज, रामनगर मेजा, इलाहाबाद में प्रधानाचार्या द्वारा की गई अनियमित नियुक्तियों की जांच विषयक था, प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

जिला विद्यालय निरीक्षक (द्वितीय), इलाहाबाद द्वारा जांच की गयी। नियुक्ति की कार्यवाही नियमानुसार होने के कारण किसी के विरुद्ध कार्यवाही का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के शिव आदर्श इण्टर कालेज तथा श्रीमती मार्गश्री कन्या इण्टर कालेज की अनियमितताओं की जांच में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

4-श्री राम प्रकाश यादव-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फिरोजाबाद की तहसील जसराना के ग्राम पैढ़त पर शिव आदर्श इण्टर कालेज तथा श्रीमती मार्गश्री कन्या इण्टर कालेज की अनियमितताओं की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम है ? क्या दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां। जांच में विद्यालय के प्रबन्धक तथा सेवानिवृत्त व वर्तमान प्रधानाचार्य और दो अन्य अध्यापक दोषी पाये गये।

दोषियों के विरुद्ध अभियोजन पंजीकृत कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों का सामान्य भविष्य निधि खाते से आहरण सम्बन्धी कथित प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण की मांग

5-श्री चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित पत्र दिनांक 1 दिसम्बर, 2008 जो जनपद बाराबंकी के चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाते से आहरित करने हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों पर उसी माह में निस्तारण के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्राप्त उक्त आवेदन-पत्रों पर उसी माह निस्तारित किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की पूर्व सेवाओं को जोड़ते हुए वेतनवृद्धि एवं पेंशन योजना का लाभ देने की मांग

6-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, 2005 में जिन माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में लिया गया था, उन विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों व अन्य स्टाफ को नियुक्ति तिथि से ही सेवा में मानते हुए वार्षिक वेतन वृद्धि और अंशदान जमा कराकर पेंशन का लाभ दिया गया था ? यदि हां, तो क्या अंशदान जमा कराने की समय-सीमा समाप्त होने के बाद, जिनका अंशदान जमा नहीं हो पाया है, उनको एक और मौका देते हुए समय बढ़ाने की कृपा करेंगे ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की तरह माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत विषय विशेषज्ञों जिनको आमेलित करने का निर्णय लिया जा चुका है, की आमेलन से पूर्व की गई सेवा को जोड़ते हुए वार्षिक वेतनवृद्धि और अंशदान जमा कराकर उस समय लागू पेंशन योजना का लाभ देने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं।

शासनादेश संख्या-177/15-8-05-3009 (18)/1997 टी0सी0, दिनांक 23 फरवरी, 2005 के निर्गमन तिथि से प्रभावी एवं प्रदत्त शर्त के अनुरूप क्रियान्वयन होगा।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड व मध्य प्रदेश सरकार की तरह प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षा मित्रों को सुविधाएं दिये जाने की मांग

7-श्री छत्रपाल सिंह गंगवार-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों को उत्तराखण्ड व मध्य प्रदेश सरकार के अनुरूप सुविधायें देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

शिक्षा मित्रों की सेवा शर्तों को उदार बनाने हेतु शासन द्वारा विचारोपरान्त समय-समय पर शासनादेश जारी किये गये हैं जिसके द्वारा शिक्षा मित्रों के नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, विशिष्ट बी0टी0सी0 चयन में लाभ दिया गया है महिला शिक्षा मित्रों को प्रसूति

अवकाश का लाभ दिया गया है, शिक्षा मित्रों के मानदेय का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त शिक्षा मित्रों के मानदेय की धनराशि रु0 3000/-प्रतिमाह नियत से बढ़ाकर रु0 3500/-प्रतिमाह नियत की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के किरन देवी प्रान्तीयकृत रा0उ0मा0 विद्यालय के प्रबन्ध समिति द्वारा किये गये कदाचार की जांच

8-डा0 अनिल चौधरी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किरन देवी प्रान्तीयकृत रा0उ0मा0 विद्यालय, बामौती जनपद अलीगढ़ में तात्कालिक प्रबन्ध समिति द्वारा किये गये कदाचार की जांच के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 4097/रालोद/विभदल/विस/09, दिनांक 10-2-09 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

जांच कराई गई।

परीक्षणाधीन।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के वि0 खं0 फूलबेहड़ के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की ड्रेस का वितरण

9-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के वि0ख0 फूलबेहड़ के अन्तर्गत ग्राम बसहा भूड़ के प्राथमिक विद्यालय में वर्ष 2006-07 व 2007-08 में सरकार द्वारा दी जा रही बच्चों की ड्रेसें वितरित करा दी गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त विद्यालय के छात्रों को कब तक ड्रेसें दे दी जायेंगी ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जनपद लखीमपुर के विकास खण्ड फूलबेहड़ के अन्तर्गत ग्राम बसहाभूड़ के प्राथमिक विद्यालय में वर्ष 2006-07 में 182 बालिकाओं को तथा वर्ष 2007-08 में 142 बालिकाओं को यूनिफार्म वितरित कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बी0पी0एल0 परिवारों को पंजीकृत शुल्क जमा कर निःशुल्क इलाज की व्यवस्था

10-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 मुख्य मंत्री के 52वें जन्मदिन पर प्रारम्भ की गई योजना में बी0पी0एल0 परिवारों (पति/पत्नी एवं तीन बच्चों का

परिवार) को 30 रुपये पंजीकरण शुल्क पर साल भर में 30 हजार रुपये तक का इलाज निःशुल्क कराये जाने की व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत अभी तक कितने पंजीकरण किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

ग्राम्य विकास विभाग के शासनादेश दिनांक 19-9-08 के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। जिसके अनुसार बी0पी0एल0 परिवारों (पति-पत्नी एवं तीन बच्चों का परिवार) को 30 रुपये पंजीकरण शुल्क पर साल भर में 30 हजार रुपये तक का इलाज निःशुल्क कराये जाने की व्यवस्था की गयी है।

दिनांक 21-7-09 तक उपलब्ध विवरण के अनुसार 6018 लोगों को पंजीकृत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आकस्मिक निरीक्षण में निलम्बित शिक्षकों की संख्या एवं जांच

11-श्री अनिल कुमार सिंह यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ के आदेश संख्या-8114/2007-08, दिनांक 25-10-07 द्वारा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दिनांक 28-9-07 को आकस्मिक निरीक्षण के दौरान कुल कितने शिक्षकों को निलम्बित किया गया था ? क्या वर्तमान में उनकी बहाली कर दी गई है ? क्या यह भी सत्य है कि उनमें से कुछ शिक्षकों की प्रतिकूल प्रविष्टि कर उनकी प्रोन्नति रोक दी गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

57 शिक्षकों को निलम्बित किया गया था।

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आलू उत्पादों से शराब बनाकर किसानों को लाभ दिलाये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

12-श्री प्रदीप माथुर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25-11-08 जो आलू उत्पादों से शराब बना कर किसानों को लाभ दिलाये जाने विषयक है,

प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (मायावती)-

जी हां।

निजी क्षेत्र से आलू से वोदका एवं अन्य उत्पादों के निर्माण हेतु इकाई की स्थापना से सम्बन्धित एक्सप्रेशन आफ इंटेरेस्ट समाचार-पत्रों के माध्यम से आमंत्रित किये गये, लेकिन कोई उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो सका, जिसके कारण इकाई की स्थापना नहीं हो सकी।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के महिला विद्यालय इण्टर कालेज के सहायक अध्यापिकाओं को चयन वेतनमान एवं अवशेषों का भुगतान

13-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि महिला विद्यालय इण्टर कालेज, लखनऊ में कार्यरत सहायक अध्यापिकाओं, जिनको चयन वेतनमान का लाभ अनुमन्य कर दिया गया है, को उनके देय अवशेषों का भुगतान अभी तक विभाग द्वारा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो देय अवशेषों का भुगतान कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

जिला विद्यालय निरीक्षक (द्वितीय), लखनऊ कार्यालय में अवशेष देयक विद्यालय से दिनांक 30-7-2009 को प्राप्त हुये हैं। प्रकरणों की निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।

निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश के राजकीय सहायता प्राप्त डिग्री कालेजों में स्थाई प्राचार्य की नियुक्ति

14-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने राजकीय सहायता प्राप्त डिग्री कालेज ऐसे हैं जहां पांच वर्षों से अधिक समय से स्थायी प्राचार्य नहीं हैं ? वर्तमान सरकार ने ऐसे महाविद्यालयों में स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति के लिये अब तक क्या कार्यवाही की है ? क्या स्थाई प्राचार्य की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई अधियाचन भेजा गया है ? यदि हां, तो कब और उसका परिणाम क्या निकला ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

कोई नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां। दिनांक 30 जून, 2008 तक रिक्त हो गये 31 प्राचार्यों के पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को दिनांक 25-1-2008 को प्रेषित कर दिया गया है, जिसके क्रम में विज्ञापन संख्या-43 प्रकाशित हो चुका है।

प्रदेश के जूनियर तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों में योग शिक्षा को अनिवार्य रूप में सम्मिलित किये जाने की मांग

15-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार योग शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में जूनियर तथा माध्यमिक कक्षाओं के बच्चों को सिखाने के लिये पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

15 जूनियर कक्षाओं की (कक्षा 6, 7 एवं 8) खेल और स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य के सामान्य नियम तथा व्यायाम की पाठ्यपुस्तक में योग/आसन सम्बन्धी पाठ्यवस्तु सम्मिलित की गयी है। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा परिषद् के हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट के पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषय नैतिक खेल एवं शारीरिक शिक्षा के पाठ्यवस्तु में योग शिक्षा से सम्बन्धित अंश एक इकाई के रूप में निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के वैदिक कन्या पाठशाला इण्टर कालेज के परिचारक श्री मुकेश के सेवा विवरण के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

16-श्री अनिल कुमार सिंह यादव-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा अनुभाग-12 के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या : 2632/15-12-08-1600 (594)/08, दिनांक 25-11-2008 के सम्बन्ध में मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र संख्या 60/ लखनऊ/2009, दिनांक 11-3-2009, जो निदेशक (शिक्षा), माध्यमिक शिक्षा परिषद् लखनऊ एवं मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

मा0 सांसद के पत्र में की गयी अपेक्षानुसार श्री मुकेश, परिचारक, वैदिक कन्या पाठशाला इण्टर कालेज, लखनऊ के सेवा विवरण के सम्बन्ध में अवगत करा दिया गया है। श्री मुकेश, परिचारक अद्यतन विद्यालय में कार्यरत नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल में मानक के अनुसार अध्यापकों की तैनाती एवं जनपद शाहजहांपुर में इस कमी को दूर करने के उपाय

17-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राइमरी व जूनियर हाईस्कूलों में मानक के अनुरूप अध्यापकों की तैनाती नहीं है ? यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि शाहजहांपुर के प्राइमरी व जूनियर हाईस्कूलों में कितने अध्यापकों की कमी है ? क्या सरकार शाहजहांपुर के ब्लाक

भावलखेड़ा व ब्लाक ददरौल में प्राइमरी व जूनियर हाईस्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

वर्तमान में अध्यापकों की निर्धारित प्रशिक्षण योग्यता के अनुरूप प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण मानक के अनुसार प्रत्येक जनपद में कुछ विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती नहीं हो पाई है।

शिक्षकों की परिषदीय विद्यालयों में कमी को पूरा करने के लिए विशेष अभियान के तहत वर्ष 1999, 2004, 2007 व 2008 में विशिष्ट बी0टी0सी0 के 6 माह के विशेष प्रशिक्षण हेतु बी0एड0 योग्यताधारी लगभग 90,000 अभ्यर्थियों का चयन/प्रशिक्षण कराकर शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। शेष का चयन/प्रशिक्षण गतिमान है। इसके साथ ही उर्दू प्रवीणताधारी अभ्यर्थियों को दो वर्षीय बी0टी0सी0 प्रशिक्षण कराकर तथा नियमित दो वर्षीय बी0टी0सी0 2001 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अध्यापकों के पद पर नियुक्ति की जा चुकी है। इसी के साथ बी0टी0सी0 दो वर्षीय नियमित प्रशिक्षण पुनः प्रारम्भ किया गया है जिसका चयन/प्रशिक्षण गतिमान है।

जनपद शाहजहांपुर के प्राथमिक विद्यालयों के वर्तमान में प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक के कुल 3086 पद रिक्त हैं तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक के कुल 1167 पद रिक्त हैं।

ब्लाक भावलखेड़ा एवं दादतेल, अध्यापक तैनाती नियमावली, 2008 के अनुसार सामान्य विकास खण्ड तथा ये शहर के पास हैं इनमें शासनादेश संख्या-1797/79-5-2009, दिनांक 15-7-09 के द्वारा समायोजन से अध्यापकों की तैनाती की जा रही है। इसके साथ ही जूनियर हाई स्कूल के सभी पद पदोन्नति के हैं। शासन द्वारा 4 फरवरी, 2009 से पदोन्नति पर रोक लगायी गयी थी, जो शासनादेश संख्या-1145/15-11-09, दिनांक 14 जुलाई, 2009 द्वारा समाप्त कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में परिसमापित सहकारी समितियों को खाद के वितरण सम्बन्धी जानकारी

18-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में परिसमापित सहकारी समितियों को वर्ष 2007-08 एवं वर्ष 2008-09 में प्रति समिति कितनी-कितनी मात्रा में खाद (उर्वरक) का आवंटन किया गया ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जनपद की किसी परिसमापित सहकारी समिति को वर्ष 2007-08 एवं वर्ष 2008-09 में खाद (उर्वरक) का आवंटन नहीं किया गया है।

जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम भोगलहा के श्री राम वृक्ष द्वारा दिये गये शिकायती-पत्र की जांच

19-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2008 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-52 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत प्रकरण यदि बेसिक

शिक्षा विभाग के गबन से सम्बन्धित है तो जिला पंचायती राज अधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज कराने का क्या औचित्य है ? क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में एफ0आई0आर0 कब तक दर्ज करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी पर नियंत्रण जिला पंचायत राज अधिकारी का होता है। इस कारण सम्बन्धित के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी से अनुरोध किया गया था।

धारा-409 आई0पी0सी0 के तहत दिनांक 17-7-2009 को थाना उस्का में एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के ब्लाक फखरपुर के ग्राम प्यारेपुर के प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोज के शिकायत विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

20-श्री प्रदीप माथुर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14-11-08, जो जिलाधिकारी, बहराइच को सम्बोधित है तथा ग्राम प्यारेपुर-ब्लाक फखरपुर, जनपद बहराइच में मध्याह्न भोज के शिकायत विषयक है, जिलाधिकारी बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

स्थलीय जांच करायी गयी। स्थलीय जांच में ब्लाक फखरपुर में स्थित 02 प्राथमिक विद्यालयों प्यारेपुर एवं दतौली में मीनू के अनुसार व हफ्तों से भोजन न बनने की शिकायत सही पायी गयी। जिलाधिकारी, बहराइच द्वारा उ0 प्र0 पंचायती राज ऐक्ट की धारा-95 (1) छः के अन्तर्गत दोषी ग्राम प्रधान को नोटिस जारी किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

21-श्री प्रदीप माथुर-

[निदेश संख्या-28 (1) के अन्तर्गत उत्तरित होने के कारण निरस्त]

जनपद हरदोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सण्डीला के बी0सी0जी0 टेक्नीशियन द्वारा बिना अनुमति के बी0एड0 की डिग्री लिये जाने की जांच

22-श्री सुधीर कुमार-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सण्डीला, जनपद हरदोई पर कार्यरत बी0सी0जी0 टेक्नीशियन ने बिना विभागीय अनुमति एवं अवकाश लिये ही वर्ष 2006-07 में चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से संस्थागत छात्र के रूप में बी0एड0

की डिग्री प्राप्त की है ? क्या यह भी सही है कि उक्त अवधि में इन्होंने विभाग से वेतन एवं भत्ते भी आहरित किये हैं ? यदि हां, तो बिना विभागीय अनुमति प्राप्त किये ही बी0एड0 करने वाले उक्त कर्मचारी के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

जी हां।

प्रकरण की जांच मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई द्वारा की जा रही है। जांचोपरान्त दोषी कार्मिक के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

जनपद लखीमपुर खीरी की ग्राम पंचायत गूम में जूनियर हाई स्कूल एवं प्राथमिक विद्यालय घोसियाना में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कराये जाने की जांच

23-डा0 रफी अहमद उस्मानी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील लखीमपुर, वि0ख0 फूलबेहड़, परगना-भूड़ की ग्राम पंचायत गूम के मजरा जंगल नं0 11 में एक जू0हा0 स्कूल एवं एक प्राथमिक पाठशाला घोसियाना तथा दो अतिरिक्त कक्षा हेतु कक्ष का निर्माण सन् 2007-08 में होना था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त निर्माण मानक के अनुसार नहीं हुआ है तथा निर्माण कार्य भी रुका हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त निर्माण प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या सरकार इस प्रकरण में विलम्ब के लिये दोषी कर्मचारी/अधिकारी/प्रधान के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील लखीमपुर विकास खण्ड फूलबेहड़ परगना भूड़ के ग्राम पंचायत गूम के मजरा जंगल नं0 11 में एक जूनियर हाई स्कूल एवं प्राथमिक विद्यालय घोसियाना में दो अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण वर्ष 2007-08 में होना था।

प्राथमिक विद्यालय घोसियाना का निर्माण नहीं होना था।

उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा प्राथमिक विद्यालय घोसियाना के दो अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण हो चुका है एवं कार्य रुका नहीं है। निर्माण कार्य के मानक/गुणवत्ता की जांच जिला समन्वयक निर्माण (अवर अभियन्ता) एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी से कराये जाने पर निर्माण कार्य में कमियां पायी गयी हैं। उक्त कमियों को ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अभियन्ता की देख-रेख में दूर कराने के निर्देश निर्माण प्रभारी अध्यापक श्री राम नयन को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पत्रांक भवन/जांच/4335-39/2009-2010 , दिनांक 18-6-2009 द्वारा दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

निर्माण कार्य में विलम्ब के लिए श्री राम नयन प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय घोसियाना को प्रतिकूल प्रविष्टि तथा निर्माण कार्य में पायी गयी कमियों को दूर न करने के कारण निलम्बित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के प्राथमिक विद्यालय मच्छरहेडी के स्व0 मो0 ताहिर खां प्र0 अध्यापक की पुत्री को सेवायोजित करने की मांग

24-श्री मदन भैया-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 मो0 ताहिर खां, प्र0अ0 प्राथमिक विद्यालय मच्छरहेडी, विकास क्षेत्र नकुड़, जनपद सहारनपुर की सेवाकाल में मृत्यु दिनांक 24-10-94 को हो जाने के फलस्वरूप उनकी पुत्री कु0 शाहिदा द्वारा दिनांक 10-8-96 को मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु आवेदन किया गया था ? यदि हां, तो क्या कु0 शाहिदा को मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत सेवायोजित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जी नहीं।

प्रकरण की जांच की जा रही है।

जनपद आगरा के प्राथमिक विद्यालय गढ़ीराम के प्रधानाध्यापक स्व0 श्री राम निवास शर्मा के पुत्र को सेवायोजित करने की मांग

25-श्री मदन भैया-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 श्री राम निवास शर्मा, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय, गढ़ीरामी, विकास खण्ड खन्दौली, जनपद आगरा की सेवाकाल में मृत्यु दिनांक 23-12-98 को हो जाने के फलस्वरूप उनके पुत्र श्री महेश कुमार द्वारा दिनांक 14-11-2003 को मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था ? यदि हां, तो क्या मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत श्री महेश कुमार को सेवायोजित कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदपुर के स्व0 श्री इन्द्र कुमार वर्मा के पुत्र को सेवायोजित किये जाने की मांग

26-श्री मदन भैया-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 श्री इन्द्र कुमार वर्मा, स0अ0 प्राथमिक विद्यालय, मोहम्मदपुर, गाडा, विकास खण्ड पुवांरका, जनपद सहारनपुर की सेवाकाल में

मृत्यु दिनांक 22-6-96 को हो जाने के फलस्वरूप उनके पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा द्वारा दिनांक 1-4-2001 को मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था ? यदि हां, तो क्या मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा को सेवायोजित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जी नहीं।

प्रकरण की जांच की जा रही है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के विद्यालयों में मानक के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने की मांग

27-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में कितने जूनियर हाईस्कूल व प्राथमिक विद्यालय हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इनमें मानक के अनुसार कितने शिक्षक होने चाहिये तथा वर्तमान में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या रिक्त पदों पर शिक्षकों की तैनाती की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

विधान सभा क्षेत्र पट्टी प्रतापगढ़ में कुल परिषदीय 373 प्राथमिक एवं 101 जूनियर हाई स्कूल (पूर्व माध्यमिक विद्यालय) हैं।

मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में 1052 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 353 पद अर्थात् कुल 1405 शिक्षक के पद स्वीकृत होने चाहिए जिनके सापेक्ष प्रा0 वि0 में 203 पद तथा उ0प्रा0वि0 में 114 कुल 317 पद रिक्त हैं।

विशिष्ट बी0टी0सी0 चयन/प्रशिक्षण गतिमान है, प्रशिक्षण उपरान्त तैनाती की जायेगी। प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय तथा जू0हा0 स्कूल (उच्च प्राथमिक विद्यालय) के पद पदोन्नति के द्वारा भरे जाते हैं। पदोन्नति पर लगायी गयी रोक शासन द्वारा दिनांक 14-7-2009 से हटा ली गयी है। तद्नुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी के प्राथमिक विद्यालय के जर्जर भवन का पुनः निर्माण कराये जाने की मांग

28-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम नाही, ब्लाक पट्टी का प्राथमिक विद्यालय जर्जर अवस्था में होने के कारण बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को विवश हैं ? यदि हां, तो उक्त भवन का निर्माण पुनः कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

ग्राम नोडी ब्लाक पट्टी के प्राथमिक विद्यालय का निर्माण वर्ष 1998-99 में हुआ है। इस भवन की जांच जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा गठित समिति (अधिशासी अभियन्ता एवं उ0 प्र0 जल निगम, प्रतापगढ़ एवं उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रतापगढ़) से करायी गयी है। जांच में निर्माण कार्य में रु0 4000/-का दुरुपयोग पाया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के राजकीय डिग्री कालेज मंगरौरा को उच्चीकृत करने की मांग

29-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के राजकीय डिग्री कालेज, मंगरौरा को उच्चीकृत करते हुए पोस्ट ग्रेजुएट कक्षायें प्रारम्भ करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेश धर त्रिपाठी-

जी नहीं।

महाविद्यालय में आधारभूत सुविधाओं यथा पी0जी0 कक्षाओं के संचालन हेतु पृथक से व्याख्यान कक्षों पुस्तकालय भवन इत्यादि निर्मित न होने एवं पद सृजन न होने के कारण।

जनपद मेरठ के ग्राम हर्रा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने सम्बन्धी कथित पत्र

30-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-10-08 जो ग्राम हर्रा, जनपद-मेरठ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

संदर्भित पत्र अप्राप्त।

जनपद मेरठ के चौ0 बशीर खां इण्टर कालेज हर्रा में व्यावसायिक शिक्षा प्रारम्भ करने हेतु उपकरण क्रय करने की मांग

31-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मेरठ के चौ0 बशीर खां इण्टर कालेज हर्रा (मेरठ) में व्यवसायिक शिक्षा प्रारम्भ करने हेतु भवन निर्माण करा दिया गया है ? यदि हां, तो उपकरण क्रय करने हेतु उक्त संस्था को अभी तक धनराशि अवमुक्त न करने के क्या

कारण हैं ? क्या सरकार विलम्ब के लिए दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

योजना के प्राथमिक आंकलन के उपरान्त इसे वर्तमान स्वरूप में संचालित किये जाने की उपादेयता न पाये जाने के कारण उपकरण क्रय हेतु धनराशि की स्वीकृति नहीं दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत गत वर्षों में व्यय धनराशि का विवरण

32-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 में वर्षवार कितनी-कितनी धनराशि किस-किस मद हेतु प्राप्त हुई है और कहां-कहां व्यय की गयी तथा उक्त धनराशि पर वर्षवार कितना ब्याज अर्जित किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अर्जित ब्याज की धनराशि को किस मद में व्यय किया गया ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

(लाख रु0 में)

मद का नाम	2004-05		2005-06		2006-07	
	प्राप्त	व्यय	प्राप्त	व्यय	प्राप्त	व्यय
निर्माण कार्य	321.10	405.46*	466.94	1462.05	3696.74	3650.43
शिक्षा मित्र मानदेय	101.65	54.27	282.64	296.79*	755.11	712.77
बी0आर0सी0 व सी0आर0सी0	14.44	14.38	14.48	14.48	14.38	14.38
वैकल्पिक शिक्षा	1.05	4.15*	15.08	14.77	123.81	52.01
निःशुल्क पाठ्य पुस्तक	131.26	124.57	152.29	149.52	176.31	179.28*
समेकित शिक्षा	28.55	17.79	43.42	11.81	83.48	59.91
नवाचारी शिक्षा	0	1.25*	27.60	25.56	17.83	15.17
विद्यालय अनुरक्षण अनुदान	87.39	88.04*	112.88	112.88	101.45	101.39

विद्यालय विकास अनुदान	36.14	39.16*	44.1	44.08	44.10	42.54
शिक्षक अनुदान	24.91	30.87*	46.62	46.53	52.11	41.08
नवीन विद्यालयों हेतु शैक्षणिक सामग्री	46.90	46.90	33.2	33.2	0	0
रिसर्च व मूल्यांकन	7.25	2.99	4.87	4.55	5.33	3.71
प्रबन्धन व प्रशासनिक व्यय	11.26	5.24	17.82	8.33	48.88	36.03
विभिन्न प्रशिक्षण (डायट)	82.83	47.49	110.11	34.26	5.51	60.64*
योग :-	890.73	882.58	2372.13	2290.62	5101.04	4969.34

*चिन्हित मदों में प्राप्ति से अधिक व्यय गत वर्ष की अवशेष धनराशि से किया गया है।

अर्जित ब्याज की धनराशि	2004-05	2005-06	2006-07
	रु0 2.73 लाख	रु0 1.90 लाख	रु0 10.47 लाख

ब्याज की धनराशि किसी विशिष्ट मद में व्यय नहीं की जाती है, बल्कि अगले वर्ष अवमुक्त की जाने वाली कुल धनराशि में समायोजित कर दी जाती है।

प्रदेश के प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु प्रभारी नियुक्ति कर मानक का पालन कराये जाने की मांग

33-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु प्रभारी नियुक्त करने की कोई नीति निर्धारित है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद-प्रतापगढ़ में विद्यालय भवन निर्माण हेतु प्रभारी नियुक्त करने में उक्त नीति या मानक का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराये जाने की नीति निर्धारित है जिसके अन्तर्गत स्थानीय विद्यालय के अध्यापक को निर्माण प्रभारी नियुक्त कर उसके द्वारा केवल एक विद्यालय का निर्माण कराने के निर्देश राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जनपदीय अधिकारियों को दिये गये हैं।

मानक का पालन कराये जाने हेतु शासन द्वारा निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ ब्लाक पट्टी व मंगरौरा के प्राइमरी पाठशाला में बने मुख्य भवनों व कक्षों का निर्माण मानक के अनुसार कराये जाने की मांग

34-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी के प्राइमरी पाठशाला नारगपुर, नोही-उमरपुर एवं लाखीपुर सराय जमुवारी ब्लाक मंगरौरा में बने मुख्य भवनों एवं अतिरिक्त कक्षों के निर्माण कार्य क्या मानकों के अनुसार कराये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

जी हां।

कार्यवाही की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के राजकीय कन्या महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की स्थापना की मांग

35-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की स्थापना सहित सभी विषयों की शिक्षा दिये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेश धर त्रिपाठी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

महाविद्यालय में आधारभूत सुविधाओं यथा विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों के संचालन हेतु पदों के सृजन तथा पृथक से भवन, प्रयोगशाला इत्यादि निर्मित न होने के कारण।

जनपद बागपत में जनता इण्टर कालेज के पूर्व प्रवक्ता श्री राम निवास मोघा के विरुद्ध कार्यवाही करने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

36-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र कम्प्यूटर सं0 सी0 10184033 पत्र सं0 सी0एम0/वि0को0एम0/184033/2008, दिनांक 03-07-08 जो राम निवास मोघा, पूर्व प्रवक्ता, जनता इण्टर कालेज सुजरा बागपत के विरुद्ध कार्यवाही करने विषयक था,

प्रमुख सचिव/सचिव, माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

श्री राम निवास मोधा को सेवा से पृथक कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

डायट बड़ोत द्वारा टेण्डर में हेराफेरी करने विषयक प्राप्त शिकायती-पत्र

37-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र कम्प्यूटर सं0 सी0 10184034 पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0/18403-3-4/2008, दिनांक 3-7-08 जो डायट बड़ोत द्वारा टेन्डर में हेरा फेरी करने के सम्बन्ध में है, प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

उक्त पत्र में उल्लिखित शिकायत की जांच मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ मण्डल से करायी गयी। मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ मण्डल से प्राप्त जांच आख्या के अनुसार जांच में शिकायत असत्य एवं निराधार पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी में महिला अस्पताल स्थापित किये जाने की मांग

38-श्री लाल जी यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सिद्धार्थनगर के बांसी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बांसी मुख्यालय पर महिला अस्पताल स्थापित किये जाने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बांसी से लगभग 6-7 कि0मी0 की दूरी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बसंतपुर स्थापित है।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला/पुरुष चिकित्सक की नियुक्ति करने की मांग

39-श्री लाल जी यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कितने पद महिला/पुरुष डाक्टरों के

सृजित हैं और कितने वर्तमान समय में कार्यरत हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर महिला/पुरुष डाक्टरों की नियुक्ति करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

पुरुष चिकित्सक के 23 पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष 16 पुरुष चिकित्सक तैनात हैं।

शासनादेश संख्या-2734/चि-3-09-03 नियुक्ति/09, दिनांक 28-07-09 द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर में 08 और चिकित्सकों की तैनाती की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी पर महिला डिग्री कालेज खोलने की मांग

40-श्री लाल जी यादव-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बांसी मुख्यालय पर महिला डिग्री कालेज खोलने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेश धर त्रिपाठी-

जी नहीं।

जनपद-सिद्धार्थनगर में एक राजकीय महिला महाविद्यालय, 03 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं 10 अनानुदानित/स्ववित्त पोषित महाविद्यालय पूर्व से ही संचालित हैं।

विधान सभा क्षेत्र बरनावा में दाहा प्रा0 स्वा0 केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

41-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कम्प्यूटर सं0 सी0 10183768 पत्र सं0-सी0एम0/ वि0को0/एम0/ 183768/2008 दिनांक 30-6-08 जो विधान सभा क्षेत्र बरनावा में दाहा प्रा0 स्वा0 केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में है, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

विकास खण्ड बिनौली में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है और एक ब्लाक में एक ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने का मानक है। अतः दाहा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के आर्य कन्या इण्टर कालेज जिवाना में प्रयोगशाला हेतु उपकरण उपलब्ध कराने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

42-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र कम्प्यूटर सं0 सी0 10177211 पत्र सं0-सी0एम0/वि0को0/एम0/177211/2008, दिनांक 28-2-08 जो आर्य कन्या इण्टर कालेज जिवाना (बागपत) में विज्ञान प्रयोगशाला एवं उपकरण

उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, प्रमुख सचिव/सचिव, माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

निजी प्रबन्धतंत्रों द्वारा संचालित अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को विज्ञान प्रयोगशाला एवं उपकरण के लिये कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की संख्या एवं उन्हें अनुदान सूची में लिये जाने की मांग

43-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में प्रदेश में असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की संख्या कितनी है ? क्या उन्हें अनुदान सूची में लाने के लिये सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

धारा-7क(क) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की कुल संख्या-11182 है।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में रोजगारपरक पाठ्यक्रम लागू करने सम्बन्धी जानकारी

44-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में रोजगारपरक पाठ्यक्रम लागू करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उक्त पाठ्यक्रम किन-किन विश्वविद्यालयों में कब-कब से लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेश धर त्रिपाठी-

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में बी0एड0, बी0पी0एड0, एम0 एड0, एम0पी0एड0, बी0बी0ए0, बी0सी0ए0, एम0बी0ए0, एम0सी0ए0, बी0 लिब, एम0 लिब, बी0टेक, एम0 टेक, एम0एस-सी0 (बायो-इनफार्मेटिक्स, बायो-केमेस्ट्री, कम्प्यूटर साइंस, माईक्रोबायोरेलोजी, इनफार्मेशन टेक्नालोजी, बायोटेक्नोलोजी, इण्डस्ट्रियल केमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलोजी, फूड टेक्नोलोजी) पी0जी0 डिप्लोमा इन-इलेक्ट्रानिक मीडिया एण्ड फिल्म प्रोडक्शन, फोरेन्सिक साइंस, मीडिया राइटिंग, डिप्लोमा इन फैशन डिजाइन, बी0एफ0ए0 (टेक्सटाईल डिजाइन), बी0पी0टी0, बी0एम0एल0टी0, मास्टर इन टूरिज्म मैनेजमेंट आदि रोजगारपरक पाठ्यक्रम पूर्व से ही संचालित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल खोलने की योजना सम्बन्धी जानकारी

45-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल किन-किन जनपदों में खोला जाना प्रस्तावित है ? क्या जनपद बागपत और फिरोजाबाद में भी उक्त अस्पताल खोले जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

वर्तमान में सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल खोलने की कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के राजकीय डिग्री कालेज मंगरौरा में अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्तियों की मांग

46-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय डिग्री कालेज, मंगरौरा, प्रतापगढ़ में किन-किन विषयों के अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? क्या इसके कारण उन विषयों का पठन-पाठन बाधित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार रिक्त अध्यापकों के पदों पर नियुक्तियां करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेश धर त्रिपाठी-

भूगर्भ विज्ञान, सांख्यिकी, शिक्षा शास्त्र एवं शारीरिक शिक्षा विषयों में प्रवक्ता के पद रिक्त हैं।

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद मण्डल के सभी राजकीय महाविद्यालयों में स्थाई प्रधानाचार्य/प्राचार्य की नियुक्ति करने की मांग

47-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद में कितने राजकीय महाविद्यालयों में पूर्णकालिक प्रधानाचार्य नहीं हैं ? क्या सरकार इलाहाबाद मण्डल के सभी जिलों के राजकीय महाविद्यालयों में पूर्णकालिक/स्थायी प्रधानाचार्य/प्राचार्य की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेश धर त्रिपाठी-

इलाहाबाद के तीनों राजकीय महाविद्यालयों में नियमित प्राचार्य कार्यरत हैं।

इलाहाबाद मण्डल के सभी राजकीय महाविद्यालयों में नियमित प्राचार्य कार्यरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़, ब्लाक आसपुर देवसरा के प्राथमिक विद्यालयों में हैण्डपम्प लगाये जाने की मांग

48-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर देवसरा में स्थित प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में हैण्डपम्प न होने के कारण विद्यार्थियों को पानी पीने की असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में हैण्डपम्प लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर देवसरा में स्थित दो प्राथमिक विद्यालयों में हैण्डपम्प न होने के कारण पीने के पानी की असुविधा होती है।

जी हां।

हैण्डपम्प विहीन विद्यालयों की सूची उ0 प्र0 जल निगम को प्रेषित की गयी है। शासनादेश सं0-223/79-5-2008-194/2008, दिनांक 01-2-08 के अन्तर्गत हैण्डपम्प विहीन विद्यालयों में हैण्डपम्प स्थापना का कार्य ग्राम्य विकास विभाग द्वारा कराया जाना है।

सम्बन्धित विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में गर्भवती माताओं को प्रसव उपरान्त दी जाने वाली धनराशि का विवरण

49-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ में वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 में गर्भवती माताओं को फस्ट रेफरल यूनिट तक पहुंचाने/सुरक्षित प्रसव के उपरान्त लाभार्थी माताओं को या उनके अधिकृत व्यक्ति को दी गयी धनराशि का विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी हां। विवरण निम्नवत् है :--

वर्ष	एफ.आर.यू. का नाम	एफ.आर.यू. पर प्रसवों की संख्या	एफ.आर.यू. तक लाने व ले जाने पर प्रसवों पर खर्च	एफ.आर.यू. पर लाभार्थी को दी गयी धनराशि
2006-07	सामु0 स्वा0 केन्द्र पट्टी	97	24250.00	135800.00
	सामु0 स्वा0 केन्द्र कुण्डा	78	19500.00	109200.00
	जिला महिला चिकित्सालय	16	0	16000.00

2007-08	सामु0 स्वा0 केन्द्र पट्टी	181	42250.00	253400.00
	सामु0 स्वा0 केन्द्र कुण्डा	1043	260750.00	1460200.00
	जिला महिला चिकित्सालय	1065	188250.00	1369400.00
2008-09	सामु0 स्वा0 केन्द्र पट्टी	982	245500.00	1374800.00
	सामु0 स्वा0 केन्द्र कुण्डा	2678	669500.00	3749200.00
	जिला महिला चिकित्सालय	5591	1229250.00	7557800.00

प्रश्न नहीं उठता।

50-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद हरदोई के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में लिपिकीय वर्ग के कर्मचारियों के कार्यकाल का विवरण एवं स्थानान्तरण नीति

51-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-हरदोई के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में लिपिकीय वर्ग के कितने कर्मचारी एक ही सीट पर कितने वर्षों से कार्यरत हैं ? क्या सरकार उक्त कर्मियों का स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत, स्थानान्तरण अन्यत्र जनपदों में करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरदोई के कार्यालय में कुल 17 लिपिक वर्गीय कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसमें से 05 कर्मचारी एक वर्ष या उससे कम समय से, 04 कर्मचारी 01 वर्ष से अधिक किन्तु 02 वर्ष से कम अवधि, 06 कर्मचारी 02 वर्ष से अधिक किन्तु 03 वर्ष से कम अवधि से तथा 02 कर्मचारी 03 वर्ष से अधिक किन्तु 04 वर्ष से कम समय से कार्यरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जनपदों में वित्त विहीन हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट के विद्यालयों में शैक्षिक अर्हता

52-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जनपदों में वित्त विहीन हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट के विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु बी0एड0/

एल0टी0/बी0पी0एड0/प्रशिक्षित शिक्षकों को रखने की अनिवार्यता का शासनादेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

शासनादेश संख्या-ई0एम0-1443/15-7-2001-1(191)/2001, दिनांक 10 अगस्त, 2001 द्वारा शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में आदेश निर्गत किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों का स्थानान्तरण की मांग

53-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-हरदोई में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लिपिकीय संवर्ग के कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और वे कर्मचारी वहां पर कितने-कितने वर्षों से तैनात हैं ? क्या शासन की स्थानान्तरण नीति के तहत उक्त कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने पर शासन विचार करेगा ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हरदोई में 09 कर्मचारी हैं, जिनके कार्यरत रहने की अवधि निम्नवत् है :--

1-वरिष्ठ सहायक, श्री सुरेश चन्द्र-02 वर्ष

2-आशुलिपिक, श्री श्याम लाल-10 वर्ष 01 माह

3-कनिष्ठ लिपिक, श्री दयाशंकर मिश्र-06 वर्ष

4-कनिष्ठ लिपिक, श्री अश्वनी कुमार श्रीवास्तव-10 वर्ष

5-कनिष्ठ लिपिक, श्री ओम प्रकाश पाठक-08 वर्ष

6-कनिष्ठ लिपिक, श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव-10 वर्ष 06 माह

7-कनिष्ठ लिपिक, श्री सुनील कुमार-01 वर्ष 08 माह

8-कनिष्ठ लिपिक, श्री हरिशंकर शुक्ला-01 वर्ष 06 माह

9-कनिष्ठ लिपिक, श्री अखिलेश कुमार-01 वर्ष

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, हरदोई में 06 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनके कार्यरत रहने की अवधि निम्नवत् है :--

1-वरिष्ठ सहायक, श्री राजेन्द्र पाल-08 वर्ष 06 माह

2-आशुलिपिक, श्री शाबिर अली-01 वर्ष 02 माह

3-वरिष्ठ लिपिक, श्री रामनाथ-01 वर्ष

4-वरिष्ठ लिपिक, श्री ऋतुराज गौतम-09 माह

5-कनिष्ठ लिपिक, श्री सत्यरत्न दीक्षित-08 वर्ष 05 माह

6-कनिष्ठ लिपिक, श्री अनुपम मिश्र-04 वर्ष 10 माह

वर्ष 2009-10 की वार्षिक स्थानान्तरण नीति में स्थानान्तरण का प्राविधान सामान्य स्थिति में नहीं है।

जनपद बाराबंकी के प्राथमिक विद्यालय अमलोरा के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य को देयकों/पेंशन का भुगतान कराने की मांग

54-श्री चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक विद्यालय ग्राम अमलोरा, शिक्षा क्षेत्र रामनगर, जिला-बाराबंकी के प्रधानाध्यापक श्री लाल जी बाजपेयी को वर्ष 2002 में सेवानिवृत्त होने के उपरान्त अभी तक देयकों/पेंशन का भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो उनके देयकों/पेंशन का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

श्री लाल जी बाजपेयी, प्र0 अ0, प्रा0 वि0 अमलोरा, क्षेत्र रामनगर के जी0पी0एफ0 का भुगतान रु0 2,47,757/- चेक संख्या-ए0एन0 648616, दिनांक 04-09-2002 द्वारा कर दिया गया है। श्री बाजपेयी द्वारा वर्ष 1990 में रु0 90,000/- की लागत से निर्माणाधीन प्रा0 वि0 मिठौरा वि0 खं0 रामनगर का भवन पूर्ण कराया जाना था परन्तु इनके द्वारा सेवानिवृत्त होने तक भवन पूर्ण नहीं कराया गया। सेवानिवृत्त के बाद माह अक्टूबर, 2008 में भवन निर्माण पूर्ण कराकर उपभोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् दिसम्बर, 2008 में पेंशन भुगतान हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया। इन्हें माह दिसम्बर, 2008 से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। माह जुलाई, 02 से नवम्बर, 2008 की बकाया पेंशन रु0 1,93,597/- एवं विक्रित पेंशन का राशिकरण रु0 60,853/- अर्थात् रु0 2,54,450/- का भुगतान चेक संख्या-45,3772, दिनांक 13-2-2009 द्वारा कर दिया गया है।

भुगतान कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों के स्थानान्तरण/समायोजन की जानकारी

55-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-हरदोई में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा वर्तमान शैक्षिक सत्र में समायोजन/स्थानान्तरण नीति के अनुसार कुल कितने सहायक अध्यापकों/प्रधानाध्यपकों का समायोजन/स्थानान्तरण किया गया है ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

वर्तमान शिक्षा सत्र 2009-10 में 20 जुलाई तक कोई भी स्थानान्तरण/समायोजन नहीं किया गया है।

जनपद मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के एम0 आई0 टी0 द्वितीय कोर्स के छात्रों को डिग्री प्रदान करने की मांग

56-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के एम0आई0टी0 वर्ष (1999-2001) द्विवार्षिक कोर्स के छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो उक्त छात्रों को उपाधि (डिग्री) कब तक दे दी जायेगी ?

डा0 राकेश धर त्रिपाठी-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के जिला अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग

57-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद-मुजफ्फरनगर स्थित जिला अस्पताल में सीटी स्कैन की सुविधा, न्यूरो सर्जन की तैनाती, फेस इन्जरी सर्जन, वेंटिलेटर आपरेटर की तैनाती तथा अन्य सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां (चिकित्सालय की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर) चिकित्सालय वर्तमान में कार्यरत है और सभी आवश्यक जीवन रक्षक उपकरण वर्तमान में उपलब्ध हैं। सभी क्रियाशील यूनिटों में आवश्यक उपकरण स्थापित हैं।

वित्तीय तथा मानव संसाधन की उपलब्धता/चिकित्सालय की वास्तविक मांग होने पर आवश्यक मानव/उपकरण संसाधनों को और सुदृढ़ किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मानक के अनुसार पदों को भरे जाने सम्बन्धी जानकारी

58-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर में वर्तमान में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं व इन केन्द्रों पर प्रत्येक में कितने-कितने पद स्वीकृत हैं ? क्या मानक के अनुसार सभी पद भरे हुए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद मुजफ्फरनगर में कुल 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं। जिन पर चिकित्सकों/पैरामेडिकल के स्वीकृत पदों की संख्या निम्नवत् है :-

केन्द्र का नाम	स्वीकृत पद
1-शामली	07
2-कांधला	19
3-कैराना	14
4-थाना भवन	22

5-जानसठ	10
6-गढ़ीलोआबाद	25
7-खतौली	16
8-शाहपुर	17
9-चरथावल	17

जी नहीं।

रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही उपलब्धता के आधार पर आनुपातिक रूप से की जायेगी।

जनपद प्रतापगढ़ के डार्क घोषित विकास खण्डों में भू-गर्भ जल स्तर बढ़ाये जाने की योजना सम्बन्धी जानकारी

59-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च, 2009 तक जनपद-प्रतापगढ़ के किन-किन विकास खण्डों को डार्क ब्लाक घोषित किया गया है और उसके क्या मानक हैं ? क्या सरकार डार्क घोषित विकास खण्डों में भू-गर्भ जल स्तर बढ़ाने हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री लाखी राम नागर)-

जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित भू-जल आंकलन समिति 1997 के निर्धारित मापदण्डों/संस्तुतियों के अन्तर्गत विकास खण्डों को डार्क, ग्रे एवं श्वेत श्रेणी आदि में वर्गीकृत किये जाने की प्रक्रिया को परिवर्तित कर विकास खण्डों को अब अतिदोहित, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल एवं सुरक्षित श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2004 में जारी सूची के अनुसार जनपद-प्रतापगढ़ में कोई भी विकास खण्ड अतिदोहित, क्रिटिकल एवं सेमी क्रिटिकल श्रेणी में नहीं है।

प्रदेश के 40 जनपदों के 37 अतिदोहित, 13 क्रिटिकल एवं 88 सेमी क्रिटिकल श्रेणी के विकास खण्डों में "वर्षा जल संचयन" का उपयोग करते हुए उन्हें सुरक्षित श्रेणी में लाये जाने के उद्देश्य से परियोजना तैयार करने के निर्देश सम्बन्धित जिलाधिकारियों को दिये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा के प्राथमिक विद्यालयों में हैण्डपम्प लगवाये जाने सम्बन्धी जानकारी

60-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा में स्थित प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में हैण्डपम्प न होने के कारण विद्यार्थियों को पानी पीने की असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में हैण्डपम्प लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय (विकास खण्ड मंगरौरा) में हैण्डपम्प स्थापित हैं। अतः पीने के पानी की असुविधा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम बाल्ला माजरा में खाद का उप गोदाम का निर्माण कराये जाने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

61-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का मा0 मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र संख्या-50060/रालोद/ स0वि0स0/09, दिनांक 18-2-09, जो जनपद-मुजफ्फरनगर के ग्राम बाल्ला माजरा में खाद के उप गोदाम के निर्माण के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी हां।

जनपद मुजफ्फरनगर की साधन सहकारी समिति लि0 बाल्ला माजरा के खाद के उप गोदाम के निर्माण हेतु प्रस्ताव एन0सी0डी0सी0 को भेजा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शहीद हुए सैनिकों की विद्यालयों को आर्थिक सहायता सम्बन्धी जानकारी

62-श्री जोखू लाल यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शहीद हुए सैनिकों की आश्रित विधवाओं को राज्य सरकार की तरफ से कौन-कौन सी सुविधायें/सहायता प्रदान की जाती हैं ? उसका विवरण क्या है ? क्या राज्य सरकार उनकी सुविधाओं एवं सहायता में और अधिक बढ़ोत्तरी हेतु विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

1-प्रदेश के शहीद सैनिकों की पत्नियों को उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान द्वारा निम्नलिखित दरों पर एकमुश्त अनुदान दिया जाता है :-

(1) पवन आपरेशन प्रारम्भ होने की तिथि से दिनांक 24-4-95 के मामलों में

कमीशण्ड आफिसर	रु0 5,000.00 मात्र
जूनियर कमीशण्ड आफिसर	रु0 3,000.00 मात्र
अन्य श्रेणी	रु0 2,000.00 मात्र

(2) दिनांक 25-4-95 से 31-3-98 तक के मामलों में

कमीशण्ड आफिसर	रु0 50,000.00 मात्र
जूनियर कमीशण्ड आफिसर	रु0 30,000.00 मात्र
अन्य श्रेणी	रु0 20,000.00 मात्र

(3) दिनांक 1-4-98 से 31-12-2003 तक के मामलों में

कमीशण्ड आफिसर	रु0 75,000.00 मात्र
जूनियर कमीशण्ड आफिसर	रु0 45,000.00 मात्र
अन्य श्रेणी	रु0 45,000.00 मात्र

(4) दिनांक 1-1-2004 व उसके बाद के मामलों में

कमीशण्ड आफिसर	रु0 1,50,000.00 मात्र
जूनियर कमीशण्ड आफिसर	रु0 90,000.00 मात्र
अन्य श्रेणी	रु0 90,000.00 मात्र

2-उ0 प्र0 सरकार द्वारा भारत पाक युद्ध 1971, आपरेशन पवन (श्रीलंका), आपरेशन मेघदूत (सियाचीन) में शहीद हुये प्रदेश के सैनिकों की विधवाओं को रु0 15,000.00 विशेष आर्थिक सहायता एकमुश्त प्रदान की जाती है।

3-शहीद सैनिकों की विधवाओं की भूमि आवंटन में प्रथम प्राथमिकता प्रदान की गयी है।

कारगिल आपरेशन

1-कारगिल आपरेशन विजय में शहीद सैनिकों के परिवारों को रु0 10 लाख की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है।

2-कारगिल शहीद सैनिकों के आश्रितों की पत्नियों को जो नौकरी करने की इच्छुक नहीं हैं, को रु0 5,000.00 प्रतिमाह की दर से पेंशन तथा माता-पिता को रु0 2,500.00 प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जा रही है।

3-कारगिल शहीद सैनिकों के बच्चों की प्राइमरी, माध्यमिक व स्नातक स्तर पर क्रमशः रु0 100, 200 व 300 प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जा रही है।

जी नहीं।

शहीद सैनिकों की आश्रित विधवाओं को राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्तानुसार यथोचित सहायता/सुविधाएं दी जा रही हैं।

प्रदेश में संक्रामक रोगों की रोकथाम के उपाय

63-श्री जोखू लाल यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए कोई कारगर योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये कार्य योजना 2009 दिनांक 13-3-2009 को निर्गत की गयी है। संक्रामक रोग नियंत्रण कार्य योजना द्वारा विभागीय एवं अन्तर्विभागीय समन्वय हेतु चिकित्सा-व्यवस्था, सूचना तंत्र तथा संचार व्यवस्था, त्वरित-कार्यवाही, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, प्रदूषित खाद्य सामग्री के विक्रय पर रोक, स्वास्थ्य शिक्षा, परिवहन व्यवस्था एवं व्यय आवश्यकता तथा माइक्रोप्लान के अनुसार प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मण्डलीय अपर निदेशक/मुख्य चिकित्साधिकारी को दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में उपचार एवं व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाये जाने सम्बन्धी जानकारी

64-श्री जोखू लाल यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में उपचार एवं व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु सरकार प्रभावी कार्य योजना बनानि पर विचार करेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां। संसाधनों को "पूल" (एकत्रित कर) तथा प्रभावी नियंत्रण के माध्यम से उपचार/व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की कार्य योजना में वित्तीय और मानव संसाधनों को अधिक सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ प्रथम चरण में 11 जनपदों क्रमशः इलाहाबाद, वाराणसी, बस्ती, आजमगढ़, गाजियाबाद, चन्दौली, मुरादाबाद, अलीगढ़, कानपुर नगर, फिरोजाबाद एवं चित्रकूट में, मल्टी स्पेशिलिटी अस्पताल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) के अन्तर्गत खोले जाने की योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण अंचल के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर इन्सेफ्लाटिस बुखार के इन्जेक्शन की व्यवस्था

65-श्री जोखू लाल यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण अंचल के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर इन्सेफ्लाइटिस बुखार में लगने वाली इन्जेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

प्रदेश में ग्रामीण अंचल के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जे0ई0/ए0ई0एस0 रोग के निदान हेतु इन्सेफ्लाइटिस बुखार में लगने वाला इन्जेक्शन एवं औषधियां उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा को सुधारने हेतु प्रयास

66-श्री जोखू लाल यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में आयी गिरावट को सुधारने एवं उसको बढ़ाये जाने हेतु कोई नीति बनाये जाने का निर्णय लेंगे ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर को बढ़ाने के लिए सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत समयबद्ध कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। लर्निंग एन्हैन्समेन्ट प्रोग्राम (एल0ई0पी0) के अन्तर्गत राज्य सन्दर्भ समूह तथा जिला सन्दर्भ समूह का गठन किया जा चुका है। इसके अन्तर्गत कक्षा-1 व 2 के बच्चों में समझ के साथ पढ़ने, लिखने तथा गणितीय कौशल की क्षमता का विकास किया जा रहा है। राज्य स्तर पर जिला सन्दर्भ समूह के सदस्यों का प्रशिक्षण संचालित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं में गणित व विज्ञान विषय के शिक्षण को ठोस एवं सूर्त वस्तुओं के माध्यम से रुचिकर बनाने का प्रयास जारी है।

प्रश्न नहीं उठता।

यू0 पी0 बोर्ड के परीक्षार्थियों एवं सी0बी0एस0ई0 तथा आई0सी0एस0ई0 के छात्रों के अंक प्रतिशत में भिन्नता का प्रकरण

67-श्री जोखू लाल यादव-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0पी0 बोर्ड के छात्र हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं में सी0बी0एस0ई0 तथा आई0सी0एस0ई0 के छात्रों की तुलना में कम प्रतिशत अंक पाते हैं जिसके कारण उनकी मेरिट प्रभावित होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के निदान हेतु यू0पी0 बोर्ड की परीक्षा प्रणाली में कोई सुधार करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

उ0 प्र0 में कक्षा-9 से 12 तक की परीक्षाओं का संचालन उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा किया जाता है जबकि सी0बी0एस0ई0 तथा आई0सी0एस0ई0 की परीक्षा पृथक बोर्ड द्वारा संचालित की जाती है जिसके लिए पृथक-पृथक परीक्षा प्रणाली एवं पाठ्यक्रम निर्धारित है, जो यू0पी0 बोर्ड के पाठ्यक्रम से भिन्न है। अतः यू0 पी0 बोर्ड के छात्रों के परीक्षाफल की तुलना आई0सी0एस0ई0/सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के छात्रों से किया जाना उचित नहीं है।

हाई स्कूल की परीक्षा प्रणाली में सुधार की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एम्बुलेन्स उपलब्ध कराये जाने की मांग

68-श्री जोखू लाल यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश के ग्रामीण अंचलों के गम्भीर रोगियों को जिला अस्पताल तक पहुंचाने हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एम्बुलेन्स की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

प्रदेश के कुल 515 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 298 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। शेष केन्द्रों पर एम्बुलेंस की उपलब्धता वित्तीय संसाधन पर निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर के प्राथमिक विद्यालयों में मानक के अनुसार मिड-डे भोजन की व्यवस्था

69-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा हरदिहा जलाल, तह0 आलापुर, जनपद-अम्बेडकरनगर के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को मानक के अनुसार मिड-डे भोजन नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या दोषी ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं। मानक के अनुसार मध्यान्ह भोजन दिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी की ग्राम सभा हरीपुर बरदयता में उच्च प्रा0 विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय के निर्माण में हो रही अनियमितता पर कार्यवाही की मांग

70-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद-प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी की ग्राम सभा हरीपुर बरदयता में वर्ष 1996 से बन रहा उच्च प्रा0 विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय आज तक बनकर पूर्ण नहीं हो पाया है ? क्या इस सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी, पट्टी के पत्र सं0-374, दिनांक 19 अप्रैल, 1996 पर अवर अभियन्ता की जांच में रुपये 23,385.00 के दुरुपयोग की बात प्रकाश में आयी थी ? यदि हां, तो क्या दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

प्राथमिक विद्यालय पूर्ण एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अपूर्ण हैं।

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय ब्लाकों में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य कराये जाने पर रोक लगाये जाने की मांग

71-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा पट्टी, आसपुर देवसरा बाबा बेलखरनाथ धाम के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में भी लगाये जाने से विद्यार्थियों की शिक्षा में व्यवधान होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य कराना बन्द करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

शिक्षकों से शिक्षण के अलावा मात्र राष्ट्रीय कार्य तथा शासन द्वारा निर्धारित कार्य लिये जाते हैं।

अपरिहार्य परिस्थितियों में कार्य लेना पड़ता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्रों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में मानक के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति की मांग

72-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कितने उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जहां मात्र एक या दो शिक्षक ही कार्यरत हैं ? क्या उक्त विद्यालयों में मानक के अनुरूप शिक्षकों को रखने की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह योजना कब तक पूर्ण होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

173 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक-एक शिक्षक तथा 214 विद्यालयों में दो-दो शिक्षक कार्यरत हैं।

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति प्रदान करके उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापित किये जाने की व्यवस्था सेवा नियमावली में प्राविधानित है।

शासनादेश संख्या-187/15-11-2009, दिनांक 4-2-2009 द्वारा प्रोन्नति की कार्यवाही स्थगित की गयी थी। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-1145/15-11-2009, दिनांक 14-7-09 द्वारा स्थगित की गयी पदोन्नति प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ किये जाने के निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त पदोन्नति की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

पदोन्नति प्रक्रिया स्थगित होने के कारण।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक बेलखरनाथ धाम के प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में हैण्डपम्प लगवाने की मांग

73-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के ब्लाक बाबा बेलखरनाथ धाम में स्थित प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में हैण्डपम्प न होने के कारण

विद्यार्थियों को पानी पीने की असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त हैण्डपम्प लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

ब्लाक बाबा बेलखरनाथ धाम से 03 प्राथमिक विद्यालय हैण्डपम्प विहीन होने के कारण पीने के पानी की असुविधा है।

03 हैण्डपम्प विहीन विद्यालयों की सूची ग्राम्य विकास विभाग को दी गयी है तथा शासनादेश संख्या-223/79-5-2008-194/2008, दिनांक 1-2-08 के अन्तर्गत हैण्डपम्प विहीन विद्यालयों में हैण्डपम्प स्थापना का कार्य ग्राम विकास विभाग द्वारा कराया जाना है।

सम्बन्धित विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के गुणवत्ता की जांच

74-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ में कुल कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माणाधीन हैं तथा इन भवनों का निर्माण कर रही निर्माण एजेन्सी कौन-कौन हैं ? क्या सरकार द्वारा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच भी की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद प्रतापगढ़ में कुल 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणाधीन हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेलखरनाथ धाम के निर्माण की एजेन्सी राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कालांकाकर, मंगापुर, महेशगंज, हरिपुर बरदेता, अरैला, धारूपुर के निर्माण की एजेन्सी सी0 एण्ड डी0एस0 उत्तर प्रदेश जल निगम तथा अजगरा व गड़वारा की निर्माण एजेन्सी पैक्सफेड है।

विभागीय अधिकारियों के निरीक्षण अथवा शिकायतों के आलोक में यथावश्यकता निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच कराई जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में प्रदेश के कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालयों का नाम पूर्व माध्यमिक विद्यालय के स्थान पर उच्च प्राथमिक विद्यालय लिखे जाने का प्रकरण

75-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ में सर्वशिक्षा अभियान व शासनादेश संख्या-341/15-5-97/251/97, दिनांक 17 जून, 1997 के उपबन्धों के विपरीत उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालयों का नाम पूर्व माध्यमिक विद्यालय के स्थान पर उच्च प्राथमिक विद्यालय लिखा जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उपरोक्त शासनादेश के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सुनिश्चित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में समस्त सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रबन्ध संचालक की व्यवस्था समाप्त करने के आदेश

76-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उ0 प्र0 सरकार के शासनादेश संख्या-1009/15-9-2008-25 (04)/08, दिनांक 2 सितम्बर, 2008 द्वारा प्रदेश के समस्त सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रबन्ध संचालक की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो शासनादेश के उपरान्त भी नेशनल पब्लिक इण्टर कालेज, जलालाबाद व जनता इण्टर कालेज बाबरी जनपद-मुजफ्फरनगर में अभी तक शासनादेश का क्रियान्वयन नहीं कराया गया है एवं दोनों विद्यालयों में आज भी प्रबन्ध संचालक कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त दोनों शिक्षण संस्थानों में प्रबन्ध समिति का चुनाव अथवा प्रशासक की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

जी हां।

नेशनल पब्लिक इण्टर कालेज, जलालाबाद में मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जिला विद्यालय निरीक्षक, मुजफ्फरनगर द्वारा सुनवाई पूर्ण कर ली गई है। निर्णय निर्गत होने के उपरान्त प्रबन्ध समिति के चुनाव की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी। जनता इण्टर कालेज बाबरी में समिति का चुनाव कराने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक, मुजफ्फरनगर द्वारा पत्र दिनांक 22-7-2009 में प्रबन्ध संचालक को अनुमति दी गयी है और प्रबन्ध समिति के गठन की कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के रामगढ़ताल में मछलियों के मरने की जांच की मांग

77-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि गोरखपुर स्थित रामगढ़ताल में दिनांक 3 मई, 2009 को अत्यधिक संख्या में मछलियां मरी पाई गयीं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संदर्भ में अब तक कोई जांच कराई ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मत्स्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री धर्मराज निषाद)-

जी हां।

जी हां।

मत्स्य विभाग उ0 प्र0 एवं राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो लखनऊ के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिनांक 7 मई, 2009 को गोरखपुर रामगढ़ताल का निरीक्षण कराया गया। निरीक्षण के दौरान प्रकाश में आया कि मौसम में अचानक परिवर्तन एवं पानी में प्रदूषण से घुलित आक्सीजन की मात्रा में कमी के कारण मछलियों की भारी संख्या में मृत्यु हुई। अतः मत्स्य विभाग द्वारा प्रदूषण को रोकने, ताल को गहरा करने एवं ताल में घुलित आक्सीजन की मात्रा बढ़ाये जाने के सुझाव दिये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी की कतिपय प्राइमरी पाठशाला के भवनों का निर्माण मानक के अनुसार कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

78-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद-प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी की प्राइमरी पाठशाला नारंगपुर, नोही, उमरपुर के मुख्य भवनों एवं अतिरिक्त कक्षों का निर्माण मानक के अनुसार कराया गया है ? यदि नहीं, तो उसकी जांच कराकर क्या दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के राजकीय कन्या महाविद्यालय ढिढुयी को उच्चीकृत करने की मांग

79-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय ढिढुयी में स्नातक स्तर पर विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की स्थापना एवं शिक्षा प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

महाविद्यालय में आधारभूत सुविधाओं यथा विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों के संचालन हेतु पदों के सृजन तथा पृथक से भवन, प्रयोगशाला इत्यादि निर्मित न होने के कारण।

जनपद प्रतापगढ़ में प्राइमरी स्कूलों के भवनों के निर्माण की पूर्ण जानकारी

80-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में जनपद-प्रतापगढ़ मे कितने प्राइमरी स्कूलों के भवनों के निर्माण का लक्ष्य था एवं उसमें से कितने

भवनों का निर्माण कार्य करा दिया गया है तथा शेष अधूरे भवनों का निर्माण कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

वर्ष 2006-07 में 25 एवं वर्ष 2007-08 में 10 प्राथमिक विद्यालयों का लक्ष्य था, जिनका निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के जिला महिला चिकित्सालय में रिक्त पड़े चिकित्सकों के पदों को भरे जाने की मांग

81-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी में जिला महिला चिकित्सालय में वर्तमान में चिकित्सकों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर चिकित्सकों की तैनाती करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद मैनपुरी में जिला महिला चिकित्सालय में वर्तमान में चिकित्सकों के 04 पद रिक्त हैं।

जी हां।

लोक सेवा आयोग से चिकित्सक प्राप्त होने पर समानुपातिक रूप में तैनाती की जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में गिरते भू-गर्भ जल को रोकने के उपाय

82-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ में भू-गर्भ जल का स्तर तेजी से गिरने के कारण पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार गिरते भू-गर्भ जल के स्तर को रोकने हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाखी राम नागर-

जनपद-प्रतापगढ़ के विकास खण्ड-गौरा, कालाकांकर, लक्ष्मनपुर, रामपुरखास, मंगरौरा, सडवाचन्द्रिका में 01 से 10 सेमी0 प्रतिवर्ष विकास खण्ड-बाबागंज, मन्धाता, सदर, पट्टी में 10 से 20 सेमी0 प्रतिवर्ष तथा विकास खण्ड-आसपुर देवसरा में 20 से 30 सेमी0 प्रतिवर्ष की दर से भू-जल स्तर में गिरावट परिलक्षित हो रही है। यह गिरावट भू-जल के दोहन एवं विगत वर्षों में वर्षा में कमी के कारण परिलक्षित हो रही है। भू-गर्भ जल स्तर में उपरोक्त गिरावट के कारण जनपद में पेयजल का कोई संकट संज्ञान में नहीं है।

प्रदेश के भू-जल स्तर में गिरावट वाले व अन्य क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने तथा भूजल रिचार्ज बढ़ाने हेतु बहुआयामी रणनीति अपनायी जा रही है।

इसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं के अधीन भू-जल संवर्धन हेतु विभिन्न कार्य कराये जाते हैं। सरकार द्वारा विभिन्न रिचार्ज पद्धतियों के माध्यम से अधिक से अधिक वर्षा जल संचयन/भू-जल संवर्धन किये जाने हेतु निम्न व्यवस्थायें की गयी हैं :-

(1) नगरीय क्षेत्रों की महायोजना/जोनल प्लान में प्राकृतिक जलाशयों/तालाबों का संरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।

(2) नगरीय क्षेत्रों में 20 एकड़ अथवा अधिक क्षेत्रफल की आवासीय योजनाओं के लेआउट प्लान्स में 5 प्रतिशत भूमि पर भू-जल की रिचार्जिंग हेतु तालाब/जलाशय निर्मित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

(3) पार्कों में पक्का निर्माण 5 प्रतिशत तक ही सीमित रखने को अनिवार्य कर दिया गया है।

(4) 300 वर्ग मी0 अथवा अधिक क्षेत्रफल में निर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना को अनिवार्य कर दिया गया है। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि भविष्य में निर्मित होने वाले आवासीय योजनाओं में जलापूर्ति ड्रेनेज एवं सीवेज नेटवर्क के साथ-साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भू-जल रिचार्ज हेतु पृथक नेटवर्क का प्राविधान किया जाएगा।

(5) पूर्व में निर्मित/अर्द्धशासकीय भवनों तथा भविष्य में निर्मित होने वाले शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति स्थापित किये जाने को अनिवार्य कर दिया गया है।

(6) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं उ0 प्र0 जल निगम द्वारा शासकीय/अर्द्धशासकीय भवनों पर रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना की जा रही है।

(7) यह भी निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक जनपद में ऐसे तालाब/जल स्रोत जिन पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण हुआ है, उनसे अतिक्रमण हटाया जाय। साथ ही प्रत्येक जनपद में अवस्थित तालाबों/पोखरों एवं अन्य परम्परागत जल स्रोतों की सफाई करने के निर्देश दिये गये हैं।

(8) ग्राम्य विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार/निर्माण बंधी एवं चेकडैम निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

(9) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत वाटर रिचार्जिंग कार्यों के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी भवनों पर रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति की स्थापना की जा रही है।

(10) कृषि विभाग द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बन्धी इनसीटू (आर्म फार्म) रेन वाटर हार्वेस्टिंग, परकोलेशन वेल, तालाब एवं रिचार्ज पिट का कार्य किया जा रहा है।

(11) लघु सिंचाई विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तालाबों का जीर्णोद्धार/निर्माण तथा चेकडैम के निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

(12) उ0 प्र0 जल निगम द्वारा ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत चेकडैम का निर्माण किया जा रहा है।

(13) भू-गर्भ जल के प्रबन्धन, संतुलित उपयोग तथा संरक्षण के प्रति जनमानस में जागरूकता लाने हेतु प्रत्येक वर्ष 10 जून को सम्पूर्ण प्रदेश में 'भू-गर्भ जल दिवस' के रूप में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में विशिष्ट बी0टी0सी0 शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

83-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में विशिष्ट बी0टी0सी0 शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या उन सभी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

विशिष्ट बी0टी0सी0 नाम से शिक्षक का कोई पद सृजित नहीं है। जनपद में शिक्षक के 1112 पद रिक्त हैं।

जी हां।

572 अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है जिसमें 560 नियुक्ति प्राप्त कर विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं तथा 12 प्रांशक्षण प्राप्त अभ्यर्थी काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हुए। शेष 540 पदों हेतु चयन एवं प्रशिक्षण की प्रक्रिया चल रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय कन्या इण्टर कालेज पट्टी एवं आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ में शिक्षिकाओं के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

84-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या इण्टर कालेज, पट्टी एवं आसपुर देवसरा, जनपद-प्रतापगढ़ में कुल कितनी शिक्षिकाओं के पद स्वीकृत हैं और उसके सापेक्ष कितनी शिक्षिकायें कार्यरत हैं ? क्या सरकार शिक्षिकाओं के रिक्त पदों पर नियुक्तियां करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

विद्यालय का नाम	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
श्री राम अजोर चौरसिया	प्रवक्ता	09	02	07
रा0बा0इं0का0 पट्टी प्रतापगढ़	एल0टी0	10	02	08
श्री चन्द्र भूषण शाहूजी महराज	प्रवक्ता	09	-	09
रा0बा0इं0का0 आसपुर देवसरा प्रतापगढ़	एल0टी0	07	01	06

जी हां।

मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के आदेश के कारण स्नातक वेतनक्रम में भर्ती की कार्यवाही सम्प्रति लम्बित है। प्रवक्ता के रिक्त पदों को भरने हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 इलाहाबाद को भेजा जा चुका है। मा0 आयोग की चयन प्रक्रिया पूर्ण होकर चयनित सूची प्राप्त होते ही रिक्त पदों को भर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के विषय विशेषज्ञों को मानदेय का भुगतान कराये जाने की मांग

85-श्री चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के गैर सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत विषय विशेषज्ञों का मानदेय बकाया है ? यदि हां, तो किस माह का तथा उसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त बकाया मानदेय का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

लखनऊ जनपद के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत विषय विशेषज्ञों का जनवरी, 2005, फरवरी, 2005 एवं सितम्बर, 2007 से फरवरी, 2008 तथा वित्तीय वर्ष 2008-2009 एवं 2009-2010 में माह मार्च से अद्यतन का मानदेय बकाया है। इस सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक, माध्यमिक से सम्यक् एवं पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होना अपेक्षित है।

जी हां। शिक्षा निदेशक माध्यमिक से सम्यक् एवं पूर्ण प्रस्ताव होने पर परीक्षणोपरान्त मानदेय भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के विद्यालयों की चहारदीवारी बनवाने की मांग

86-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की चहारदीवारी बनवाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो उनका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

वर्ष 2008-09 में स्वीकृत 70 चहारदीवारी में से विधान सभा क्षेत्र पट्टी के 13 प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी की धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है। सर्वशिक्षा अभियान की वार्षिक

कार्य योजना 2009-2010 में भारत सरकार द्वारा चहारदीवारी मद में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय राजकीय महिला इण्टर कालेजों में मानकों के अनुरूप कक्ष निर्माण कराये जाने की मांग

87-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी एवं आसपुर देवसरा के राजकीय महिला इण्टर कालेजों में वर्तमान सत्र में कक्षा-9 कक्षा-10, कक्षा-11 एवं कक्षा-12 में कितने-कितने सेक्शन हैं तथा एक-एक कक्ष में कितने-कितने बच्चों के बैठने की व्यवस्था है ? क्या सरकार बतायेगी कि क्लास रूम में बच्चों के बैठने की मानक के अनुसार व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार नये सेक्शन खोलने एवं कक्ष निर्माण की अनुमति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

श्री राम अजोर चौरसिया राजकीय बालिका इण्टर कालेज, पट्टी प्रतापगढ़ में छात्राओं के बैठने की कक्षावार छात्रा संख्या निम्नवत् है :-

कक्षा	संचालित सेक्शन	कक्षावार बैठने की व्यवस्था	योग
9	1	45	45
10	1	48	48
11	1	13	13
12	1	09	09

श्री चन्द्र भूषण शाहजी महराज राजकीय बालिका इण्टर कालेज, आसपुर देवसरा, पट्टी प्रतापगढ़ में छात्राओं के बैठने की कक्षावार छात्रा संख्या निम्नवत् है :-

कक्षा	संचालित सेक्शन	कक्षावार बैठने की व्यवस्था	योग
9	1	70	70
10	1	65	65
11	1	55	55
12	1	30	30

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा के प्राइमरी पाठशाला लाखीपुर एवं बन्दौका में मिड-डे मील की गुणवत्ता की जांच की मांग

88-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा के प्राइमरी पाठशाला लाखीपुर एवं बन्दौका में मिड-डे मील योजना में विद्यार्थियों को दी जाने वाली खुराक की गुणवत्ता क्या मानक के अनुसार है ? यदि नहीं, तो क्या दी जाने वाली खुराक की गुणवत्ता की जांच सरकार द्वारा करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

प्राथमिक पाठशाला लाखीपुर में मानक के अनुसार मध्यान्ह भोजन वितरित किया जाता है, जबकि ब्लाक-मंगरौरा में बन्दौका नाम का कोई विद्यालय नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के ब्लाक जागीर के ग्राम टिकुसुरी के विद्यालय में मिड-डे मील की गुणवत्ता बनाये रखने की मांग

89-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि ब्लाक जागीर के जनपद-मैनपुरी ग्राम टिकुसुरी के विद्यालय में वर्ष 2006 से मिड-डे मील योजना के अन्तर्गत मानक के अनुसार भोजन नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर मिड-डे मील की गुणवत्ता बनाये रखने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जुलाई, 2006 से नवम्बर,2006 की अवधि में मध्यान्ह भोजन वितरण नहीं हुआ। शेष अवधि में मानक के अनुसार भोजन दिया गया है।

मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता में कमी की बात नहीं पायी गयी। किन्तु उपरोक्त अवधि में भोजन न बनने की वजह से जिलाधिकारी, मैनपुरी के पत्र दिनांक 28-7-2009 द्वारा ग्राम प्रधान के विरुद्ध उ0 प्र0 पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत 95 (1) (छः) के तहत नोटिस जारी की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मैनपुरी के जिला अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

90-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी में जिला अस्पताल में हार्ट की बीमारी के मरीज को देखने हेतु हृदय रोग विशेषज्ञ का कोई भी डाक्टर तैनात नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ डाक्टर की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां। जिला चिकित्सालय, मैनपुरी में कार्डियोलॉजिस्ट का पद दिनांक 21-8-08 से रिक्त चल रहा है।

जी हां।

कार्डियोलॉजिस्ट के रिक्त पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। लोक सेवा आयोग से संस्तुति प्राप्त होने पर तैनाती कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के परिषदीय विद्यालय भवनों की मरम्मत, रंगाई-पुताई तथा भवनों के निर्माण हेतु टास्क फोर्स के सदस्यों द्वारा निरीक्षण एवं जांच

91-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिषदीय विद्यालय भवनों की मरम्मत, रंगाई, पुताई तथा भवनों के निर्माण हेतु शासन द्वारा गठित टास्क फोर्स के सदस्यों द्वारा जनपद भ्रमण में निरीक्षण एवं जांच हेतु प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-2008-79-5-2007, दिनांक 26 जून, 2007 द्वारा समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया था ? यदि हां, तो क्या जनपद-प्रतापगढ़ में उक्त शासनादेश के अनुसार बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 [illegible] सिंह सैनी-

जी हां।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रतापगढ़ ने जिला समन्वयक (निर्माण) एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, विकास क्षेत्र मंगरौरा द्वारा संयुक्त जांच करायी गयी।

संयुक्त जांच आख्यानुसार कार्य में दोषी पाये जाने वाले निर्माण प्रभारी अध्यापकों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :-

1-श्री राम बहादुर सिंह, प्रधानाध्यापक, प्रा0वि0 नारंगपुर, पट्टी को प्राथमिक विद्यालय उमरपुर का निर्माण कार्य मानकानुसार न कराये जाने के सम्बन्ध में निलम्बित किया गया तथा रु0 63,320/-की वसूली के आदेश दिये गये। श्री सिंह द्वारा धन जमा न करने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में याचिका संख्या-6965 (एस/एस)/2008 दायर की गयी। मा0 उच्च न्यायालय से इस प्रकरण पर अग्रिम सुनवाई तक स्थगन आदेश दिया गया है।

2-श्री श्रीराम गुप्त, प्रधानाध्यापक, प्रा0 वि0 उमरपुर पट्टी को प्राथमिक विद्यालय उमरपुर के अतिरिक्त कक्षा-कक्ष का निर्माण मानकानुसार न कराये जाने के सम्बन्ध में निलम्बित किया गया तथा 3400/-की वसूली के आदेश दिये गये। इस धनराशि को श्री श्रीराम गुप्त द्वारा जमा किया जा चुका है।

3-श्री शीतला प्रसाद मिश्र, सहायक अध्यापक, पू0मा0वि0 पारा पट्टी के प्राथमिक विद्यालय उमरपुर के अतिरिक्त कक्षा-कक्ष का निर्माण मानकापुर में कराये जाने के सम्बन्ध में

निलम्बित किया गया तथा रु0 8900/-की वसूली के आदेश दिये गये। इस धनराशि को श्री शीतला प्रसाद मिश्र द्वारा जमा किया जा चुका है।

4-श्री बालगोविन्द समन्वयक ब्लाक संसाधन केन्द्र, बाबा बेलखरनाथ धाम को प्राथमिक विद्यालय सलाहपुर के अतिरिक्त कक्षा-कक्ष का निर्माण मानकानुसार न कराये जाने के सम्बन्ध में निलम्बित किया गया तथा रु0 15,200/-की वसूली के आदेश दिये गये। इस धनराशि को श्री बालगोविन्द द्वारा जमा किया जा चुका है।

5-श्रीमती गजराजि कुंवरि, प्रधानाध्यापक, प्रा0वि0 सैफाबाद पट्टी सेवानिवृत्त हो चुकी हैं तथा इनके द्वारा भवन निर्माण अधोमानक कराये जाने के फलस्वरूप इनसे रु0 5405/-की रिकवरी के आदेश दिये गये, जिसके विरुद्ध इनके द्वारा रिट याचिका दायर कर स्थगनादेश प्राप्त कर लिया गया है।

6-श्री चेतनारायण शुक्ल, भू0पू0 प्रधानाध्यापक, पू0मा0वि0 सारडीह पट्टी सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा उनके विरुद्ध रु0 13,715/- की वसूली के आदेश के प्रति धनराशि जमा नहीं की गयी है। अतः श्री चेतनारायण शुक्ल के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों से गैर शिक्षकीय कार्य न कराये जाने की मांग

92-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद-प्रतापगढ़ के प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों से गैर शिक्षकीय कार्य लिये जाने से पठन-पाठन का कार्य एवं माहौल प्रभावित होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार शिक्षकों से गैर शिक्षकीय कार्य न लिये जाने का निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

शासन द्वारा निर्धारित गैर शैक्षणिक कार्य अध्यापकों से विशेष परिस्थितियों में लिया जाता है, जो अधिकतर कम समय के लिये होता है, जिससे पठन-पाठन में व्यवधान एवं माहौल प्रभावित होने की सम्भावना कम है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव के ग्राम जल्लापुर के अधूरे पड़े प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र के कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग

93-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव में वर्ष 2005-06 में ग्राम जल्लापुर विकास खण्ड बेवर में प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हुआ था, जो वर्तमान में अधूरा निर्मित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधूरे कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

जी हां।

फरवरी, 2010 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान मानदेय बढ़ाये जाने की मांग

94-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विशिष्ट बी0टी0सी0 वर्ष 2007 व 2008 के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान प्रतिमाह रुपया 5000 की दर से मानदेय भुगतान करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण अवधि में निर्धारित मानदेय ही अनुमन्य है।

प्रदेश में विशिष्ट बी0टी0सी0 शिक्षकों को जी0पी0एफ0 व पेंशन देने सम्बन्धी योजना

95-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशिष्ट बी0टी0सी0 वर्ष 2004 व 2005 में नियुक्त परिषदीय शिक्षकों को जी0पी0एफ0 व पेंशन देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

01 अप्रैल, 2005 के पूर्व नियुक्त विशिष्ट बी0टी0सी0 परिषदीय शिक्षकों पर वर्तमान में परिभाषित जी0पी0एफ0, पेंशन योजना लागू होगी। 01 अप्रैल, 2005 को या उसके बाद नियुक्त विशिष्ट बी0टी0सी0 परिषदीय शिक्षकों को नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित करने की मांग

96-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों का सम्मान समारोह विभाग द्वारा गत कितने वर्षों से नहीं किया गया ? क्या यह समारोह प्रत्येक वर्ष पांच सितम्बर को होना चाहिए ? यदि हां, तो इसके आयोजन की व्यवस्था सरकार कब तक करायेगी ? उक्त आयोजन न कराने के लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

दिनांक 23-10-2008 को राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया जा चुका है, जिसमें वर्ष 2003 से वर्ष 2007 के राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को सम्मानित किया गया।

जी हां।

आयोजन सम्पन्न हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के बेसिक शिक्षा के शिक्षकों को पंचम वेतन आयोग के एरियर के भुगतान सम्बन्धी जानकारी

97-डा0 अजय तोमर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के बेसिक शिक्षा के शिक्षकों को जुलाई, 2001 से लागू पंचम वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार जनवरी, 1996 से एरियर भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार द्वारा उक्त एरियर का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

शासनादेश के अनुसार दिनांक 01-1-1996 से 30 जून, 2001 तक की अवधि का कोई एरियर भुगतान देय नहीं है। इसलिये भुगतान किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के सहकारी बैंक लुहारा द्वारा गबन सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

98-डा0 अजय तोमर-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र कम्प्यूटर संख्या सी-10179289 पत्र संख्या-सी0एम0/ वि0को0/एम-179289/2008, जो प्रमुख सचिव/सचिव, सहकारिता को दिनांक 22-4-08 को भेजा गया था तथा जो श्रीमती माया देवी निवासी ग्राम लुहारा (बागपत) के सहकारी बैंक लुहारा द्वारा गबन के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी हां।

सम्बन्धित प्रकरण में गबन के दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है तथा श्री अख्तर अली कैडर सचिव, श्री रविन्द्र कुमार राव कैडर सचिव एवं श्री रिछपाल सिंह प्रभारी/आंकिक को समिति की सेवाओं से सेवाच्युत कर दिया गया है। मा0 न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल है। गबन/अपहरण की धनराशि की वसूली हेतु दोषी कर्मचारियों पर अधिभार की कार्यवाही संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा के अनुदेशकों को समायोजित करने की मांग

99-डा0 अजय तोमर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा वर्ष 2001 में बन्द होने के कारण क्या सरकार बेरोजगार हुए सभी अनुदेशकों को किसी दूसरे स्थानों पर समायोजित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं। विघटित अनौपचारिक शिक्षा योजनान्तर्गत जुड़े अनुदेशक अंशकालिक रूप से रु0 200/- (दौ सौ) प्रतिमाह पर कार्य कर रहे थे। अतः उन्हें समायोजित करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र/छात्राओं हेतु शौचालय निर्माण की मांग

100-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र तथा छात्राओं के लिये पृथक-पृथक शौचालय की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लिये पृथक-पृथक शौचालय की व्यवस्था नहीं है।

शौचालय विहीन विद्यालयों की सूची पंचायती राज विभाग को प्रेषित की गई है। सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत शासनादेश-223/79-5-2008-194/2008, दिनांक 01-2-2008 द्वारा पंचायती राज विभाग को शौचालय विहीन विद्यालयों में शौचालय निर्माण कराने के निर्देश हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य

101-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सत्र 2007-08 तथा 2008-09 के क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और उसके सापेक्ष सरकार ने क्या लक्ष्य प्राप्त किये हैं ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के लक्ष्य एवं उनके सापेक्ष उपलब्धियां निम्नवत् हैं :-

क्र0 सं0	गतिविधि	वर्ष 2007-08 का लक्ष्य	उपलब्धि (मार्च, 08 तक)	वर्ष 2008-09 का लक्ष्य	उपलब्धि (मार्च, 09 तक)
1	शिशु मृत्यु दर	65 से कम	एस0आर0एस0 2006 के अनुसार 71/हजार जीवित जन्म	50 से कम	एस0आर0एस0 2007 के अनुसार 69/हजार जीवित जन्म
2	मातृ मृत्यु दर	460 से कम	एस0आर0एस0 2003 के अनुसार 517/लाख जीवित जन्म	400 से कम	एस0आर0एस0 2004-06 के अनुसार 440/लाख जीवित जन्म

क्र0 सं0	गतिविधि	वर्ष 2007-08 का लक्ष्य	उपलब्धि (मार्च, 08 तक)	वर्ष 2008-09 का लक्ष्य	उपलब्धि (मार्च, 09 तक)
3	सकल प्रजनन दर	3.6	एन0एफ0एच0 एस0-3 (2003-04) के अनुसार 3.8	2.76	एन0एफ0एच0 एस0-3 (2003-04) के अनुसार 3.8
4	समस्त जनपदों में जनपदीय स्वास्थ्य मिशन का गठन	70	70	71	71
5	समस्त जनपदों में जनपदीय स्वास्थ्य समिति का गठन	70	70	71	71
6	समस्त जनपदों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की कार्य योजना	70	70	71	71
7	जनपदीय चिकित्सालय-पुरुष/महिला, सा0स्वा0केन्द्र एवं प्रा0स्वा0के0 स्तर पर रोगी कल्याण	78 पु0 चिकि0, 53 म0 चिकि0 तथा 823 सी0एस0सी0/ पी0एच0सी0	78 पु0 चिकि0, 53 म0 चिकि0 तथा 823 सी0एस0सी0/ पी0एच0सी0 पर रोगी कल्याण समिति गठित	78 पु0 चिकि0, 53 म0 चिकि0 तथा 20 संयुक्त चिकित्सालय 823 सी0एस0सी0 पी0एच0सी0	78 पु0 चिकि0, 53 म0 चिकि0 तथा 20 संयुक्त चिकित्सालय एवं 823 सी0एस0सी0/ पी0एच0सी0
8	जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसवों हेतु प्रोत्साहित करना	5 लाख लाभार्थी	वर्ष 07-08 में 9,64,376 लाभार्थी लाभान्वित इकाइयां क्रियाशील	15 लाख लाभार्थी	15.64 लाख लाभार्थी
9	चौबीस घण्टे प्रसव इकाइयों को क्रियाशील किया जाना	320 इकाइयां	वर्ष 07-08 में 312 इकाइयां क्रियाशील	823	648
10	परिवार नियोजन सेवायें				
	-नसबन्दी	5 लाख	4.72 लाख	5 लाख	4.80 लाख
	-कॉपर-टी	20 लाख	15 लाख	20 लाख	21.05 लाख

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0 सं0	गतिविधि	वर्ष 2007-08 का लक्ष्य	उपलब्धि (मार्च, 08 तक)	वर्ष 2008-09 का लक्ष्य	उपलब्धि (मार्च, 09 तक)
11	1 हजार की आबादी में आशा का चयन एवं प्रशिक्षण	134643	1,29,777 आशा चयनित तथा 1,18,175 आशायें (प्रथम चरण में) प्रशिक्षित	4866 आशाओं का चयन तथा 16468 का प्रशिक्षण	6521 चयनित। कुल संख्या- 1,36,298 1,24,573 आशायें द्वितीय चरण में प्रशिक्षित
12	नियमित ए0एन0एम0 की तैनाती	23656 (स्वीकृत पद)	22533 (कार्यरत)	1123 (रिक्तियां)	21042 (कार्यरत)
13	शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिये प्रदेश में समेकित बाल संरक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया जाना	चयनित 17 जनपदों में समेकित बाल संरक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया जाना	17 जनपदों में कार्यक्रम आरम्भ। जनपदीय टी0ओ0टी0 समस्त जनपदों में पूर्ण। आशा/ए0एन0एम0 प्रशिक्षण संचालित।	आशा/ ए0एन0एम0 प्रशिक्षण पूर्ण किया जाना।	समस्त 17 जनपदों में 40-50 प्रतिशत आशा, ए0एन0एम0 प्रशिक्षित। शेष का प्रशिक्षण जारी।
14	उपकेन्द्र स्तर पर ग्राम प्रधान तथा ए0एन0एम0 का संयुक्त खाता	20521	18606	1915	1404
15	मोतियाबिन्द आपरेशन	5,00,000	284966	7,52,000	6,58,851
16	स्कूल आई स्क्रीनिंग	58,33,333	17,60,981	50,00,000	31,84,582
17	टी0बी0 वार्षिक केस डिटेक्शन रेट	180 प्रति लाख से अधिक (मानक)	131 प्रति लाख	180 प्रति लाख से अधिक (मानक)	146 प्रति लाख
18	टी0बी0 न्यू स्पुटम प्रॉजिटिव केस	70 प्रतिशत	56 प्रतिशत	70 प्रतिशत	66 प्रतिशत
19	कुष्ठ रोग प्रचलन दर	1 प्रति 10 हजार से कम	0.94	1 प्रति 10 हजार से कम	0.81
20	चिन्हित/उपचारित मलेरिया केस	1,00,000	81580	1,00,000	93,383
21	मलेरिया/फाइलेरिया मृत्यु	1 प्रति 10 हजार से कम	शून्य	1 प्रति 10 हजार से कम	शून्य

उत्तर प्रदेश विधान सभा

लखनऊ के भाऊराव देवरस चिकित्सालय में ई0एन0टी0 चिकित्सक की मांग

102-श्री चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भाऊराव देवरस चिकित्सालय (सिविल) महानगर, लखनऊ में ई0एन0टी0 चिकित्सक का पद स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त पद कब से रिक्त चल रहा है ? क्या सरकार उक्त रिक्त पद पर ई0एन0टी0 चिकित्सक की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

भाऊराव देवरस चिकित्सालय (सिविल) महानगर, लखनऊ में ई0एन0टी0 चिकित्सक का पद स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर के उन्मूलन हेतु बच्चों का टीकाकरण

103-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर के उन्मूलन हेतु सरकार ने क्या-क्या योजना तैयार की है ? क्या सरकार प्रदेश के सभी बच्चों को इन्सेफ्लाइटिस के टीके लगाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

प्रदेश में जापानी इन्सेफ्लाइटिस/एक्यूट इन्सेफ्लाइटिस सिंड्रोम (मस्तिष्क ज्वर) पर नियंत्रण एवं उपचार हेतु कार्य योजना, 2009 बनाई गई है, जिसके अन्तर्गत वाहक पर नियंत्रण, सुअर मच्छर एवं मनुष्य मच्छर के सम्पर्क को रोकने हेतु निरोधात्मक उपाय, टीकाकरण, सर्वेक्षण निदान एवं उपचार स्वास्थ्य शिक्षा, प्रशिक्षण एवं पुनर्वासन सम्मिलित है।

जे0ई0/ए0ई0एस0 रोग से प्रभावित प्रदेश के 34 जनपदों में 1 से 15 वर्ष आयु वर्ग के समस्त बच्चों को चीन में निर्मित सिंगल डोज जे0ई0 वैक्सीन एस-ए-14-14-2 द्वारा 36777 लाख बच्चों का टीकाकरण कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के महाविद्यालयों में वैकल्पिक विषय के रूप में विदेशी भाषाओं के पठन-पाठन की कार्य योजना

104-डा0 अजय तोमर-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महाविद्यालयों में अतिरिक्त विषय या वैकल्पिक विषयों के रूप में विदेशी भाषाओं के पठन-पाठन की कोई कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी भाषाओं के पठन-पाठन की अनुमति हेतु महाविद्यालयों द्वारा किसी राज्य विश्वविद्यालय को कोई कार्य योजना/प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया है।

जनपद प्रतापगढ़ के कृषकों को फ्री बोरिंग की सुविधा

105-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ में लघु एवं सीमान्त कृषकों को वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में फ्री बोरिंग की सुविधा दी जा रही है ? यदि हां, तो उक्त वर्षों में सरकार द्वारा जनपद-प्रतापगढ़ का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था एवं लक्ष्य के सापेक्ष अब तक कितने कृषक लाभान्वित हुए हैं ?

श्री लाखीराम नागर-

जी हां।

जनपद प्रतापगढ़ का वर्ष 2007-08 में निःशुल्क बोरिंग के अन्तर्गत 6046 बोरिंग तथा वर्ष 2008-09 में 3068 बोरिंग का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष 2007-08 में 6046 एवं वर्ष 2008-09 में 3068 बोरिंग पूर्ण कर कृषकों को लाभान्वित किया गया है।

जनपद प्रतापगढ़ के प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एंटी रैबीज वैक्सीन की उपलब्धता

106-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद-प्रतापगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एंटी रैबीज वैक्सीन की उपलब्धता न होने के कारण मरीजों को जिला अस्पताल में जाना पड़ता है ? क्या सरकार उक्त वैक्सीन की उपलब्धता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

समस्त ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा क्रियाशील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एंटी रैबीज वैक्सीन उपलब्ध है और इसके दृष्टिगत यहां से मरीजों को वैक्सीन लगवाने हेतु जिला अस्पताल में नहीं जाना पड़ता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी के प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में हैण्डपम्प लगाये जाने की मांग

107-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी में स्थित प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में हैण्डपम्प न होने के कारण विद्यार्थियों को पानी पीने

की असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में हैण्डपम्प लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक पट्टी में स्थित प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में हैण्डपम्प लगे हुए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा को पुनः शुरू करने की मांग

108-डा0 अजय तोमर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा वर्ष 2001 से बन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे पुनः शुरू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जी नहीं।

भारत सरकार की आर्थिक सहायता से संचालित अनौपचारिक शिक्षा योजना को भारत सरकार के नीतिगत निर्णय के क्रम में दिनांक 31-03-2001 से समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। उक्त योजना को समाप्त/पुनरीक्षित करते हुए सर्वशिक्षा योजना के अन्तर्गत इसके स्थान पर वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना लागू की गई है।

प्रदेश में ईंट भट्ठा उद्योग में कार्यरत परिवारों के बच्चों को शिक्षा देने हेतु वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की व्यवस्था

109-डा0 अजय तोमर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ईंट भट्ठा उद्योग में कार्यरत परिवारों के बच्चों को शिक्षा देने हेतु सरकार मोबाइल स्कूल खोलने पर विचार करेगी ? क्या सरकार इस हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं की सहभागिता भी सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ईंट भट्टों में कार्यरत मजदूर परिवारों के बच्चों की शिक्षा हेतु सर्वशिक्षा अभियान के वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्रों की व्यवस्था संचालित है।

प्रदेश में स्वाइन फ्लू के रोगियों की संख्या एवं इसके प्रकोप को रोकने के उपाय

110-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में स्वाइन फ्लू के अब तक कितने रोगी अस्पताल में भर्ती हुए हैं ? क्या सरकार स्वाइन फ्लू के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिये कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

प्रदेश में स्वाइन फ्लू के कुल 04 रोगी अस्पताल में भर्ती हुए हैं।

जी हां।

प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों/मुख्य चिकित्साधिकारियों/मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को शासनादेश दिनांक 02-05-09 एवं महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के पत्र दिनांक 02-5-09 द्वारा स्वाइन फ्लू के बचाव एवं उपचार हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। स्वाइन फ्लू के प्रभावी नियंत्रण हेतु भारत सरकार से रोगियों के परीक्षण के लिये आवश्यक सामग्री (सर्जिकल मास्क, एन0-95 मास्क, पी0पी0ई0 किट, सैम्पुल कलेक्शन किट) प्राप्त कर विदेशों से आने वाले नागरिकों एवं सम्भावित रोगियों की जांच के लिये मेडिकल चेकपोस्ट का गठन किया गया है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों (लखनऊ एवं वाराणसी) तथा इमीग्रेशन चेकपोस्ट (सोनौली, महराजगंज) रुपइयाडीह, गौरी फण्टा (खीरी), बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ, पं0 दीनदयाल चिकित्सालय, वाराणसी एस0एस0पी0जी0, वाराणसी तथा जनपद आगरा, मथुरा, कुशीनगर, महराजगंज, बहराइच, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी एवं नोयडा स्थित जिला चिकित्सालयों में आइसोलेशन वार्ड की स्थापना की गई है। प्रदेश में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिये प्रत्येक जनपद में रैपिड रिस्पांस टीम का गठन कर दो-दो चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया गया है। स्वाइन फ्लू एवं एवियन फ्लू के उपचार के लिये आवश्यक एण्टी वायरल ड्रग ओसिलटामिविर (टेवलेट टेमिफ्लू-75 मिली ग्राम)की 10000 गोलियां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार लखनऊ के कार्यालय में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिये औषधियां उपलब्ध हैं। स्वाइन फ्लू पर प्रभावी नियंत्रण हेतु राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी नामित करते हुए उपचार एवं जन-जागरूकता तथा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर समुचित कदम उठाते हुए किसी भी स्थिति से निपटने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा समस्त चिकित्साधिकारियों को अपने पत्र दिनांक 12-6-09 द्वारा दिशा- निर्देश निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फर्रुखाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदाबाद में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण तथा चिकित्सकों की तैनाती करने पर विचार

111-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदाबाद, जनपद फर्रुखाबाद में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसमें चिकित्सकों की तैनाती करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद में 03 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 03 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणाधीन हैं।

जी हां।

03 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिनका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, में से नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पखना एवं नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पीपरगांव में चिकित्साधिकारी तैनात हैं। नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खिमरोपुर में चिकित्साधिकारी उपलब्ध होने पर तैनाती की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में उच्चीकृत एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उपलब्ध अल्ट्रासाउण्ड मशीनें

112-डा0 अजय तोमर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने-कितने उच्चीकृत एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं ? इनमें से कितने स्वास्थ्य केन्द्रों पर अल्ट्रासाउण्ड मशीनें हैं ? क्या उन सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर रेडियोलाजिस्ट की तैनाती की गयी है ? यदि नहीं, तो इन स्थानों पर क्या रेडियोलाजिस्ट की तैनाती की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

प्रदेश में कुल 515 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 3692 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित एवं क्रियाशील हैं।

वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर अल्ट्रासाउण्ड मशीनें उपलब्ध हैं।

जी नहीं। कुल 57 उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्रों पर रेडियोलाजिस्ट तैनात हैं।

लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश को अधियाचन भेजा गया है। लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 से संस्तुति प्राप्त होने पर तैनाती की प्रक्रिया संचालित की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज की तहसील नौतनवां में विकास खण्ड लक्ष्मीपुर के कतिपय प्राथमिक विद्यालयों में पका-पकाया मध्याह्न भोजन उपलब्ध न कराने पर कार्यवाही की मांग

113-श्री अमरमणि त्रिपाठी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद महराजगंज के तहसील-नौतनवा के विकास खण्ड-लक्ष्मीपुर के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय पैसिया ललाईन खालिकगढ़, मठियाइंदू, बेलासपुर, बडहरा, शिवनाथ जंगल गुलरिहा, दशरथपुर, राजधानी, कटाईकोट, मदरहना, मदरहा, ककटहा, सिसबनिया विशुन में मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत बच्चों को भोजन नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना का लाभ बच्चों को न दिलाने के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं। जनपद महराजगंज के तहसील नौतनवां के विकास खण्ड लक्ष्मीपुर के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय पैसिया, ललाईन, बेलासपुर, राजधानी, मदरहा, ककटही में नियमित रूप से पका पकाया मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया गया है। उक्त ब्लाक के प्राथमिक विद्यालय मठियाईदू में माह अप्रैल व मई, 2009 तथा बडहरा शिवनाथ, जंगल गुलरिहा, दशरथपुर कटाईकोट मदरहना एवं सिसवनियां विशुन में मई, 2009 में पका-पकाया मध्याह्न भोजन ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है।

जी हां।

पका पकाया मध्यान्ह भोजन उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान के विरुद्ध जिलाधिकारी, महराजगंज द्वारा पंचायती राज अधिनियम की धारा 95-1 जी के अन्तर्गत कार्यवाही के सम्बन्ध में नोटिस जारी कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के शकुन्तला देवी कन्या इण्टर कालेज, उसवा की सहायक अध्यापिका श्रीमती रामरती तिवारी की नियुक्ति एवं भुगतान से सम्बन्धित जानकारी

114-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शकुन्तला देवी कन्या इण्टर कालेज, रामनगर, ब्लाक उरवा, इलाहाबाद में श्रीमती रामरती तिवारी, सहायक अध्यापिका की नियुक्ति कब की गयी थी तथा नियुक्ति की तिथि को क्या वह प्रशिक्षित थीं ? यदि नहीं, तो क्या इन्हें वेतन का भुगतान प्रशिक्षित का दिया गया है ? क्या सरकार अवैधानिक तरीके से किये गये वेतन भुगतान की वसूली कराकर दोषी को दण्डित करेगी ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

श्रीमती रामरती तिवारी, सहायक अध्यापिका की नियुक्ति शकुन्तला देवी कन्या इण्टर कालेज, रामनगर, ब्लाक उरवा, इलाहाबाद में दिनांक 01-4-1975 को की गई थी। श्रीमती रामरती तिवारी नियुक्ति की तिथि को प्रशिक्षित नहीं थी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के शकुन्तला देवी इण्टर कालेज, उरुवा में नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध के पश्चात भी नियुक्तियां की जांच

115-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शकुन्तला देवी कन्या इण्टर कालेज, रामनगर, विकास खण्ड उरूवा, जनपद इलाहाबाद में परिचारिकाओं की नियुक्ति हेतु दिनांक 9-10-08 को विज्ञप्ति जारी की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त विद्यालय में नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध होने के बावजूद भी नियुक्ति के लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? क्या सरकार उक्त नियुक्तियों को निरस्त करते हुए किये गये वेतन भुगतान की वसूली करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

जांच के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

जांच आख्या प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

उक्तानुसार।

जनपद हरदोई के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सण्डीला में मरीजों से जबरन वसूली विषयक प्राप्त शिकायती-पत्र की जांच

116-श्री इरफान सोलंकी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सण्डीला, जनपद हरदोई में शासनादेश के विपरीत वर्ष 1986 से तैनात कार्मिकों द्वारा ड्यूटी के समय शराब पीने तथा मरीजों से जबरन वसूली किये जाने विषयक श्री विजय कुमार बाजपेयी, ग्राम व पोस्ट आवागोझा, जिला उन्नाव का शिकायती-पत्र जो मा0 मंत्री जी को सम्बोधित था तथा जो प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य को दि0 4-11-08 को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

प्रकरण की जांच डा0 अवधेश कुमार, अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ द्वारा कराई गई। जांच में शिकायतें सही नहीं पाई गईं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कृत्रिम सिन्थेटिक्स दूध व मिलावटी दूध बनाने पर रोक लगाने के उपाय

117-श्री मदन चौहान-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृत्रिम सिन्थेटिक दूध व मिलावटी दूध बेचने तथा बनाने पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा कोई ठोस उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां। प्रदेश में सिन्थेटिक/अपमिश्रित दूध के निर्माण एवं विक्रय पर रोकथाम हेतु शासनादेश संख्या 1926/पांच-8-07 41 रिट/99, दिनांक 25-8-07 एवं मिलावटी दूध से निर्मित खाद्य पदार्थों के निर्माण व विक्रय पर नियंत्रण हेतु सघन अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-3905/पांच-8-08, दिनांक 17-10-08, शासनादेश संख्या-जी0आई0-141ए/पांच-8-08-123 खा/08, दिनांक 28-11-08 एवं शासनादेश संख्या-1966/पांच-8-09-123खा/08, दिनांक 30-6-2009 द्वारा समस्त मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों/मुख्य चिकित्साधिकारियों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। इस सम्बन्ध में समस्त मुख्य खाद्य निरीक्षक एवं खाद्य निरीक्षक की संयुक्त टीम गठित

कर दूध का निर्माण इकाईयों, संबंधित डेरियों, दुग्ध-संग्रह केन्द्रों तथा दुग्ध टैंकरों की विशेष साप्ताहिक जांच कराये जाने तथा संदिग्ध पाये जाने पर पुलिस व प्रशासन की सहायता से नियमित व छापामार तरीके से नमूने संग्रह किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुसार चिकित्सकों की तैनाती की मांग

118-श्री मदन चौहान-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानक के अनुसार चिकित्सक तैनात हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों के मानक के अनुसार तैनाती में कठिनाई यह है कि चिकित्सकों के रिक्त पदों को लोक सेवा आयोग से चयन कराकर भरा जाता है। आयोग से प्राप्त संस्तुति के आधार पर शासन के आदेश दि0 28-7-09 द्वारा कुल 655 चिकित्सकों को तैनात किया गया है।

वस्तुतः पदों के रिक्त होने व उन्हें भरने की कार्यवाही एक सतत प्रक्रिया है। उक्त पदों को भरे जाने हेतु शासन कटिबद्ध है।

प्रदेश के चिकित्सालयों में प्राइवेट पार्टनर शिप के अन्तर्गत रोगियों को सरकारी चिकित्सालयों की भांति सुविधायें उपलब्ध कराने पर विचार

119-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के ऐसे चिकित्सालयों जिनको प्राइवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत लाया जा रहा है, में क्या रोगियों का उपचार सरकारी चिकित्सालयों की भांति ही किया जायेगा ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

वर्तमान में प्रदेश में जनता को अधिक सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु पी0पी0पी0 माडल पर सीमित अस्पतालों को स्थानान्तरित करना विचारार्धीन है। प्रस्ताव की रूपरेखा को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के कैली चिकित्सालय का प्राइवेट पार्टनरशिप में किये जाने जाने का प्रस्ताव

120-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ओपेड की सहायता से बनाये गये कैली चिकित्सालय, जनपद बस्ती को प्राइवेट पार्टनरशिप में देने का औचित्य क्या है ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनता को बहु विधा युक्त विशिष्ट चिकित्सा उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ओपेक चिकित्सालय कैली, बस्ती का प्रबन्धन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किये जाने का प्रस्ताव है। जिस पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

प्रदेश के जिला अस्पतालों में ब्लड बैंक की संख्या तथा शेष जनपदों में ब्लड बैंक स्थापित किये जाने पर विचार

121-श्री अनूप सण्डा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने जिला चिकित्सालयों में ब्लड बैंक कार्य कर रहे हैं ? क्या सरकार प्रदेश के शेष जिलों के चिकित्सालयों में भी ब्लड बैंकों की स्थापना पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

प्रदेश के 51 जिला चिकित्सालयों में ब्लड बैंक कार्य कर रहे हैं। अवशेष 20 जनपदों के बारे में स्थिति यह है कि 08 जनपदों में ब्लड बैंक भवन निर्माण पूर्ण हो चुके हैं। 10 जनपदों में ब्लड बैंक भवन निर्माण हो रहा है। अन्य 02 जनपदों कांशीराम नगर तथा गौतमबुद्ध नगर के बारे में अवगत कराना है कि कांशीराम नगर नव सृजित जनपद में अभी जिला चिकित्सालय के निर्माण/स्थापना की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं हुई है और इसके पश्चात् ही ब्लड बैंक भवन के निर्माण के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। गौतमबुद्ध नगर का चिकित्सालय नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधीन है। अतः यहां पर ब्लड बैंक के भवन के निर्माण के पश्चात् स्थापना की कार्यवाही उक्त प्राधिकरण के द्वारा की जायेगी।

उक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने एवं अन्य औपचारिकतायें यथा पद सृजन एवं लाइसेंस स्वीकृत होने के पश्चात् अन्य जनपदों में ब्लड बैंक स्थापित हो सकेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के निजी बी0एड0 कालेजों में एन0आर0आई0 कोटे की रिक्त सीटों को काउन्सिलिंग से भरे जाने की व्यवस्था

122-श्री मदन चौहान-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निजी बी0एड0 कालेजों में एन0आर0आई0 प्रबन्धन कोटे की व्यवस्था सरकार द्वारा अनुमन्य है ? यदि हां, तो क्या वह वर्तमान में भी लागू है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बी0एड0 पाठ्यक्रम सत्र 2007-08 में बड़ी संख्या में एन0आर0आई0 कोटे की सीटें रिक्त रहने के कारण मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में शासनादेश संख्या-115/सत्तर-2-2008-16(49)/2004 टी0सी0, दिनांक 09 जनवरी, 2009 के द्वारा एन0आर0आई0 सहित समस्त रिक्त सीटों को काउन्सिलिंग के माध्यम से भरे जाने के आदेश दिये गये।

सत्र 2008-09 के लिये भी शासनादेश संख्या-1572/सत्तर-2-2009-3(58)/79 टी0सी0, दिनांक 14 मई, 2009 द्वारा समस्त सीटों को काउन्सिलिंग के माध्यम से भरे जाने के आदेश दिये गये हैं।

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड अगौता में मिड डे मील के वितरण की व्यवस्था

123-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के अगौता विकास खण्ड में कितने प्राइमरी विद्यालय हैं तथा कितने प्राइमरी विद्यालयों में मिड-डे मील का वितरण होता है ? क्या सरकार सभी विद्यालयों में मिड-डे मील की व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

6 जनपद बुलन्दशहर के अगौता विकास खण्ड में 46 ग्राम पंचायत है जिनमें 72 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय संचालित है तथा 27 परिषदीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय एवं 02 सहायता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालय संचालित है।

उपरोक्त समस्त विद्यालयों में मिड-डे मील का सुचारु रूप से वितरण हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के राजकीय कन्या इण्टर कालेज बी0बी0 नगर में रिक्त पदों पर अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

124-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या इण्टर कालेज, बी0बी0 नगर, जनपद बुलन्दशहर में अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने अध्यापक कार्यरत् हैं व कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

राजकीय कन्या इण्टर कालेज, बी0बी0 नगर, बुलन्दशहर में प्रवक्ता वेतनक्रम में 06 पद तथा स्नातक वेतनक्रम में 20 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में प्रवक्ता वेतनक्रम में 02 तथा स्नातक वेतनक्रम में 14 अध्यापक/अध्यापिकायें कार्यरत हैं। प्रवक्ता वेतनक्रम में 04 पद तथा स्नातक वेतनक्रम में 04 पद तथा स्नातक वेतनक्रम में 06 पद रिक्त है।

जी हां।

मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के आदेश के कारण स्नातक वेतनक्रम में भर्ती की कार्यवाही सम्प्रति लम्बित है। प्रवक्ता के रिक्त पदों को भरने हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद को अधियाचन भेजा जा चुका है। मा0 आयोग से चयनित सूची प्राप्त होने पर प्रवक्ता के रिक्त पदों को भर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्शहर के राजकीय महाविद्यालय बी0बी0 नगर में रिक्त पदों पर अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

125-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय महाविद्यालय, बी0बी0 नगर, जनपद बुलन्दशहर में अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान मे कितने अध्यापक कार्यरत् हैं व कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार इन पदों को भरने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

राजकीय महाविद्यालय बी0बी0 नगर बुलन्शहर में प्रवक्ता-अंग्रेजी, समाजशास्त्र, हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास एवं संस्कृत के कुल 07 पद सृजित हैं। सृजित 07 पदों के सापेक्ष 05 प्रवक्ता कार्यरत हैं तथा प्रवक्ता इतिहास एवं संस्कृत के पद रिक्त हैं।

जी हां।

लोक सेवा आयोग से चयनोपरान्त रिक्त पदों को भर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा छात्रों से मनमानी फीस वसूलने पर रोक

126-श्री मदन चौहान-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा छात्रों से फीस वसूल करने की कोई नीति या मानक निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या सरकार मनमानी फीस वसूलने पर रोक लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के महाविद्यालयों के शुल्क के बराबर पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को शासन द्वारा निर्धारित शुल्क दिलाये जाने की मांग

127-डा0 अजय तोमर-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को शासन द्वारा दिये जाने वाले शिक्षा शुल्क की प्रति पूर्ति स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में निर्धारित

शिक्षा शुल्क (ट्यूशन फीस) से कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के शुल्क के बराबर प्रति शुल्क करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी हां।

शासनादेश संख्या-831/64-2-2008-1(67)/2006, दिनांक 31 मई, 2008 द्वारा पिछड़े वर्ग के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति शैक्षिक राजकीय संस्थाओं से अनुमन्य दरों के अनुसार पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा की जाती है। उच्च शिक्षा विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलरामपुर के अस्पतालों में एण्टी रैबीज इंजेक्शन की कमी को दूर करने की मांग

128-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलरामपुर में अस्पतालों में एण्टी रैबीज इंजेक्शन का भारी अभाव होने से आम जनता को कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार एण्टी रैबीज इंजेक्शन की आपूर्ति सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद बलरामपुर के अस्पतालों में एण्टी रैबीज इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और आज जनता को कोई कठिनाई नहीं है। उल्लेखनीय है कि बलरामपुर जनपद के लिये 5750 वायल एण्टी रैबीज वैक्सीन आवंटित की गई है और दिनांक 25-7-2009 तक वहां के मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के द्वारा आवश्यकता के अनुसार 1730 वायल वैक्सीन की आपूर्ति ली गई है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के अस्पतालों में एण्टी रैबीज इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने की मांग

129-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में एण्टी रैबीज इंजेक्शन की भारी कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद गोण्डा के अस्पतालों में एण्टी रैबीज इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद गोण्डा के सरकारी अस्पतालों में एण्टी रैबीज वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि जनपद गोण्डा के अस्पतालों के लिये इस वित्तीय वर्ष में 9090 वायल एण्टी रैबीज इंजेक्शन आवंटित किये गये हैं और वहां के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के द्वारा आवश्यकतानुसार गत चार माह में 2190 वायल एण्टी रैबीज वैक्सीन की आपूर्ति ली गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के महिला एवं जिला चिकित्सालयों में एनस्थीसिस्ट के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

130-श्री अनूप सण्डा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महिला एवं जिला चिकित्सालयों में एनस्थीसिस्ट के कितने पद रिक्त हैं ? क्या रिक्त पदों पर एनस्थीसिस्ट की नियुक्ति की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

प्रदेश के महिला एवं जिला चिकित्सालयों (पुरुष) में एनेस्थेटिस्ट के 87 पद रिक्त हैं।

प्रदेश में चिकित्साधिकारियों की कमी है। रिक्त पदों पर चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर तैनाती की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद को लखनऊ स्थानान्तरित कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

131-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उ0प्र0 उच्च शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद को लखनऊ स्थानान्तरित किये जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं। सम्प्रति निदेशक उच्च शिक्षा का एक कैम्प कार्यालय लखनऊ में स्थापित करने का प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सकों की तैनाती की मांग

132-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चिरावर ब्लाक बेवर जनपद मैनपुरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सकों की तैनाती नहीं की गई है ? यदि हां, तो उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सकों की तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

ग्राम चिरावर, ब्लाक बेवर, जनपद-मैनपुरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर डा0 एस0एस0 ठक्कर, चिकित्साधिकारी दिनांक 24-11-05 से लगातार तैनात हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जूनियर हाईस्कूलों के बनकर तैयार हो चुके भवनों में अध्यापकों की कमी दूर कर कक्षायें संचालित करने की योजना की जानकारी

133-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐसे कितने जूनियर हाई स्कूल हैं जिनके भवन वर्षों से बनकर तैयार हैं परन्तु उसमें अध्यापकों के अभाव में कक्षाएं संचालित नहीं हो रही हैं ? क्या इन जूनियर हाई स्कूलों में कक्षाएं संचालित करने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

बेसिक शिक्षा परिषद् के पत्रांक-बे0शि0प0/1425-1560/2009-10, दिनांक 17-7-09 द्वारा प्रदेश के समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से सूचना संकलित की जा रही है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम तरकुलहवा डुमरियागंज के श्री शब्बीर अहमद सा0 स्वा0 केन्द्र बेवा में तैनाती की कथित प्रकरण

134-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शब्बीर अहमद, जो ग्राम तरकुलहवा डुमरियागंज, जनपद सिद्धार्थनगर के मूल निवासी हैं तथा जो सा0 स्वा0 केन्द्र बेवा में कम्प्यूटर/लैब टैक्नीशियन सुपरवाइजर के रूप में तैनात हैं, स्थानान्तरण के आधार पर फर्जी तरीके से सेवारत् हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर इनकी नियुक्ति निरस्त करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद सिद्धार्थनगर के सा0स्वा0 केन्द्र बेवा (डुमरियागंज) में श्री शब्बीर अहमद नाम का कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महाराजगंज के तहसील नौतनवां के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों की तैनाती

135-श्री अमरमणि त्रिपाठी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महराजगंज, तहसील-नौतनवां में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौतनवां में चिकित्सकों एवं चिकित्सा उपकरणों की कमी है ? क्या सरकार उक्त कमियों को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

जी हां।

शासनादेश संख्या-2734/चि0-3-09-03 नियुक्ति/09, दिनांक 28-7-09 द्वारा जनपद महराजगंज में 09 चिकित्सकों की तैनाती कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर के जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 की धनराशि का विनियोजन

136-श्री संजय कपूर-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक लि0, रामपुर के कर्मचारियों का ई0पी0 फण्ड का धन दिनांक 31-3-08 को सात करोड़ ग्यारह लाख रुपये था जिसमें से 84.05 लाख रुपये की धनराशि बैंक के पूर्व महाप्रबन्धक श्री मो0 अन्जुम खां द्वारा विभिन्न बांड और शेयरों में जमा किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि ई0पी0एफ0 की धनराशि को विभिन्न शेयरों व बांडों में नियोजित किया जा सकता है ? यदि हां, तो किस सीमा तक एवं किन संस्थाओं में नियोजित किया जा सकता है ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

पी0एफ0 ट्रस्ट बोर्ड के निर्णयानुसार इसमें से गवर्नमेंट आफ इण्डिया सिक्योरिटीज में 100.07 लाख रुपये एवं राज्य सरकार के बाण्डों में 65.00 लाख रुपये कुल 165.07 लाख रुपये विनियोजित किया गया है। कोई धनराशि शेयर में विनियोजित नहीं की गई है।

जी हां।

वित्त विभाग भारत सरकार के निर्धारित इन्वेस्टमेंट पैटर्न के अनुसार निम्न प्रकार निवेश किया जा सकता है :-

अ-केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में	25%
ब-(1) सरकारी प्रतिभूतियों में	15%
(2) अन्य निगोशिएबिल प्रतिभूतियां जहां मूल एवं ब्याज केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा गारन्टीज हो।	
स-सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के बांड्स/प्रतिभूतियों सार्वजनिक बैंकों की 3 वर्ष तक की सावधि जमा एवं कोकेटरल बारेइंग एवं लैंडिंग आबलीगेशन जो क्लेयरिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा निर्गत हो।	25%
द-ट्रस्टियों द्वारा उपरोक्त तीनों में से किसी में भी	30%
य-ऐसी कम्पनियों के शेयर में जहां निवेश स्तर की डेब्ट रेटिंग दो कंडिट रेटिंक संस्थाओं के हो-	5%

ट्रस्टी द्वारा जोखिम/लाभ का आंकलन करते हुए (द) में दी गई सीमा का 1/3 निजी क्षेत्र के डेक्ट इन्स्ट्रूमेंट जिसका कम से कम दो केडिट रेटिंग संस्थाओं से इन्वेस्टमेंट ग्रेड की रेटिंग हो और या सिक्योरिटी एवं एक्सचेंज बोर्ड आफ इण्डिया द्वारा रेगुलेटेड म्यूच्युअल फण्ड की इक्विटी लिंक्ड स्कीम में।

जनपद हरदोई के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में स्थानान्तरण नीति

137-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-हरदोई के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 5 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत कर्मियों को स्थानान्तरण नीति के तहत स्थानान्तरित किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

स्थानान्तरण नीति वर्ष 2009-10 में सामान्य रूप से स्थानान्तरण नहीं किये जायेंगे।

प्रदेश के जनपदों में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में लिपिकीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

138-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जनपदों के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में प्रबन्ध समिति के सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिपिकीय व चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी सम्बद्ध हैं ? क्या उन कर्मचारियों का जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों में सम्बद्ध होने से विद्यालयों का कार्य प्रभावित होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन कर्मचारियों को उनके नियुक्ति स्थान पर तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रगनाथ मिश्र-

किसी कर्मचारी का सम्बद्धीकरण नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कार्यालयों में लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारी

139-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कार्यालयों में प्रबन्ध समिति के सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिपिकीय संवर्ग के कितने कर्मचारी सम्बद्ध हैं ? क्या इस सम्बद्धता के कारण विद्यालयों के कार्यालय का कार्य बाधित होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को उनके नियुक्ति स्थान पर तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

प्रदेश के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 के कार्यालयों में प्रबन्ध समिति के सहायता प्राप्त विद्यालय के लिपिकीय संवर्ग का कोई कर्मचारी सम्बद्ध नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज के विकास खण्ड लक्ष्मीपुर के ब्लाक मुख्यालय लक्ष्मीपुर में निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

140-श्री अमरमणि त्रिपाठी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के विकास खण्ड लक्ष्मीपुर के ब्लाक मुख्यालय लक्ष्मीपुर (एकमा) में निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कब तक तैयार हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

मार्च, 2010 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज विकास खण्ड लक्ष्मीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों के पदों का सृजन

141-श्री अमरमणि त्रिपाठी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज विकास खण्ड लक्ष्मीपुर के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अड्डा बाजार में चिकित्सकों एवं चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करा कर समुचित स्वास्थ्य सेवाएं बहाल की जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां। प्रश्नगत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पूर्व से स्थापित एवं क्रियाशील है, जहां पर विशेषज्ञ चिकित्सकों के कुल 06 सृजित पदों के सापेक्ष 04 पद भरे हुए हैं तथा चिकित्सा उपकरण भी उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के हैलट एवं उर्सला सरकारी चिकित्सालय में गत वर्ष आपरेशन के दौरान हुई मृत्यु

142-श्री इरफान सोलंकी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हैलट एवं उर्सला सरकारी चिकित्सालय, कानपुर महानगर में दिनांक 1-1-2008 से 31-05-09 तक आपरेशन के दौरान डाक्टरों की लापरवाही से हुई कितनी मौंतो की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? उन पर क्या सरकार द्वारा प्राप्त इन शिकायतों पर कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

यू0एच0एम0 जिला चिकित्सालय, कानपुर नगर एवं लाला लाजपतराय में दिनांक 01-01-08 से 31-05-09 तक आपरेशन के दौरान डाक्टरों की लापरवाही से हुई मौतों तथा इस सम्बन्ध में शिकायतों की जांच निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ से कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) की संख्या एवं इसमें रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

143-डा0 अजय तोमर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने जनपदों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) विद्मान हैं एवं इन संस्थानों में कुल कितने प्राचार्य, उप प्राचार्य व वरिष्ठ प्रवक्ताओं के पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार द्वारा इन्हें भरने की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

प्रदेश में कुल 70 जनपदों में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डायट) विद्यमान है।

प्रदेश के कुल 70 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में 70 प्राचार्य, 70 उप प्राचार्य तथा 420 वरिष्ठ प्रवक्ता के पद सृजित हैं।

वर्तमान में प्रदेश में कुल 70 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में, प्राचार्य के 29 पद, उप प्राचार्य के 44 पद एवं वरिष्ठ प्रवक्ता के 368 पद रिक्त हैं।

प्रकरण नीतिगत है। सम्प्रति वरिष्ठ प्रवक्ता/उप प्राचार्य/प्राचार्य डायट के पदों हेतु कोई सेवा नियमावली प्रख्यापित नहीं है। उ0प्र0 शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा नियमावली-1992 में संशोधन कर इन पदों को सेवा नियमावली-1992 में सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। नियमावली प्रख्यापित हो जाने के पश्चात् डायट के रिक्त पदों को नियमानुसार भरे जाने की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज की तहसील नौतनवां के प्राथमिक विद्यालयों में विद्युतीकरण एवं वायरिंग का कार्य

144-श्री अमरमणि त्रिपाठी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेगें कि जनपद महराजगंज के तहसील नौतनवां के प्राथमिक विद्यालयों में विद्युतीकरण एवं वायरिंग का कार्य अभी तक अपूर्ण है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के अस्पतालों में एण्टी रैबीज इंजेक्शन की मांग के अनुसार आपूर्ति की मांग

145-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के अस्पतालों में एण्टी रैबीज इंजेक्शन का भारी अभाव है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद गोण्डा के अस्पतालों में मांग के अनुसार एन्टी रैबीज इंजेक्शन की आपूर्ति करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जनपद गोण्डा के सरकारी अस्पतालों में एण्टी रैबीज वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि जनपद गोण्डा के अस्पतालों के लिये इस वित्तीय वर्ष में 9090 वायल एण्टी रैबीज इंजेक्शन आवंटित किये गये हैं और वहां के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के द्वारा आवश्यकतानुसार गत चार माह में 2190 वायल एण्टी रेबीज वैक्सीन की आपूर्ति ली गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

146-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों में कुल कितने अध्यापकों के पद रिक्त हैं एवं कितने विद्यालयों में सिर्फ शिक्षा मित्र कार्य कर रहे हैं ? क्या सरकार शिक्षा मित्रों के माध्यम से चल रहे विद्यालयों में नियमित अध्यापकों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद गोण्डा में बेसिक शिक्षा परिषद् के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद 168, सहायक अध्यापक के पद 1247 वर्तमान में रिक्त हैं। इसी प्रकार प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक 505 तथा सहायक अध्यापक 1650 वर्तमान में पद रिक्त हैं।

जनपद गोण्डा में 165 प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण सिर्फ शिक्षा मित्र कार्य कर रहे हैं।

जी हां।

शासनादेश संख्या-1145/15-11-09, दिनांक 14 जुलाई, 2009 एवं शासनादेश संख्या-1797/79-5-09, दिनांक 15 जुलाई, 2009 द्वारा पदोन्नति एवं समायोजन की प्रक्रिया संचालित की जा रही है। जिसके द्वारा इन विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था की जा रही है। जिला

शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से विशिष्ट बी0टी0सी0 में चयन/प्रशिक्षण की कार्यवाही गतिमान है। प्रशिक्षणोपरान्त इन विद्यालयों में नियुक्ति की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में मृतक आश्रितों की नियुक्ति की मांग

147-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्यापकों के मृतक आश्रितों की नियुक्ति हेतु कुल कितने प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं ? क्या सरकार आगामी शिक्षा सत्र में मृतक आश्रितों को नियुक्ति प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद बलरामपुर में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर मृतक आश्रित नियुक्ति हेतु कोई प्रार्थना-पत्र लम्बित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की मान्यता सम्बन्धी लम्बित प्रकरण

148-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट में विद्यालयों को मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कुल कितने प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं ? क्या सरकार लम्बित आवेदनों पर शीघ्र निर्णय लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां। हाईस्कूल के 296 तथा इण्टरमीडिएट के 281 कुल 677 प्रकरण लम्बित हैं।

निस्तारण की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर के राजकीय महाविद्यालय में प्रवक्ता तथा कार्यालय स्टाफ के पदों पर नियुक्ति की मांग

149-श्री संजय कपूर-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर के राजकीय महाविद्यालय में बी0 काम0 व बी0 एस0 सी0 कक्षाओं में प्रवक्ता तथा कार्यालय स्टाफ की नियुक्ति नहीं की गई है ? जिससे विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन विषयों के लिये प्रवक्ता सहित कार्यालय स्टाफ की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

राजकीय महाविद्यालय विलासपुर रामपुर में बी0काम0 एवं बी0एस0सी0 में (प्रवक्ता वनस्पति विज्ञान को छोड़कर) सभी प्रवक्ताओं की तैनाती पूर्व में ही की गई है तथा कार्यालय स्टाफ के पदों में वरिष्ठ लिपिक तथा कनिष्ठ लिपिक और चतुर्थ श्रेणी के 10 पदों में 05 पदों पर कर्मचारी नियुक्त हैं।

जी हां।

उक्त पदों पर चयन के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर के राजकीय इण्टर कालेज केमरी रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

150-श्री संजय कपूर-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद रामपुर के राजकीय इण्टर कालेज, केमरी में प्रधानाचार्य व प्रवक्ता के कितने पद रिक्त हैं ? सरकार द्वारा इन पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

राजकीय इण्टर कालेज केमरी, रामपुर में प्रधानाचार्य का पद रिक्त नहीं है। प्रवक्ता के 09 पद (नौ पद) रिक्त हैं।

प्रधानाचार्य का पद भरा जा चुका है। प्रवक्ता पद का अधियाचन लोक सेवा आयोग उ0प्र0 इलाहाबाद को प्रेषित किया जा चुका है। आयोग से चयनोपरान्त रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में औषधि निरीक्षक के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

151-श्री मदन चौहान-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दवाई निरीक्षकों व कन्ट्रोलरों के कितने पद रिक्त हैं ? उन रिक्त पदों को कब तक भरा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

प्रदेश में औषधि निरीक्षक के 46 पद, संयुक्त आयुक्त औषधि का 01 पद, उप आयुक्त औषधि का 01 पद एवं सहायक आयुक्त औषधि के 11 पद रिक्त हैं।

औषधि निरीक्षक के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु शासन द्वारा अधियाचन लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 को भेजा जा चुका है, जो प्रक्रियान्तर्गत है। इसी प्रकार सुसंगत सेवा नियमावली में संशोधन की कार्यवाही गतिमान है, संशोधन के उपरान्त प्रोन्नति के शेष पद शीघ्र भरे जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्धनगर के जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउण्ड की नई मशीन की व्यवस्था करने के निर्देश

152-श्री मदन चौहान-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि नोएडा जिला अस्पताल जनपद गौतमबुद्धनगर में अल्ट्रासाउण्ड मशीन अधिकतर खराब रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार नई मशीन की व्यवस्था करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जिला संयुक्त चिकित्सालय, गौतमबुद्धनगर का हस्तान्तरण नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर को दिनांक 23-1-08 को किया गया था। अतएव यह चिकित्सालय सम्प्रति चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रणाधीन नहीं है। इस स्थिति में चिकित्सालय के संचालन तथा उपकरणों आदि की क्रियाशीलता का उत्तरदायित्व नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर का है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के स्तर से मुख्य कार्यपालक अधिकारी नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं।

जनपद मैनपुरी के महिला चिकित्सालय में चिकित्सकों की कमी दूर करने के उपाय

153-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला चिकित्सालय जनपद मैनपुरी में डाक्टरों की कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी नियुक्ति करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

विभाग में चिकित्साधिकारियों की कमी है। चिकित्साधिकारियों की उपलब्धता के आधार पर तैनाती की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की मांग

154-श्री लाल जी यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के प्राथमिक विद्यालयों में कितने अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? क्या सरकार अध्यापकों के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद सिद्धार्थनगर में प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के कुल 1738 पद रिक्त हैं।

जी हां।

660 अध्यापकों की प्रशिक्षणोपरान्त नियुक्ति की जा चुकी है। शेष की नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी, जिला बरेली में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण की मांग

155-श्री छत्रपाल सिंह-

क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बरेली जिले में बहेड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मुड़िया नवीवक्स में ब्लाक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उसका निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा संचालित राजकीय इण्टर कालेजों में रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

156-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा संचालित राजकीय इण्टर कालेजों में कुल कितने अध्यापक, प्रवक्ता, प्रधानाचार्य के पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

प्रदेश के राजकीय इण्टर कालेजों में स्नातक वेतनक्रम पुरुष शाखा के 1027 महिला शाखा के 1321, प्रवक्ता ग्रेड पुरुष शाखा के 859, प्रवक्ता ग्रेड महिला शाखा के 1822 एवं प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के 431 पद रिक्त हैं।

जी हां।

स्नातक वेतनक्रम के अध्यापकों की भर्ती/नियुक्ति की कार्यवाही मा0 उच्च न्यायालय, उत्तरांचल के आदेश के कारण सम्प्रति अवरुद्ध है।

प्रवक्ता पुरुष एवं महिला शाखा तथा प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के रिक्त पदों को भरने हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। लोक सेवा आयोग से चयन प्रक्रिया पूर्ण होकर चयनित सूची प्राप्त होने पर रिक्त पदों को भर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित योजनायें

157-श्री छत्रपाल सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि बरेली जनपद के तहसील बहेड़ी में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सरकार की कौन-कौन सी योजनायें चल रही हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद बरेली में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कितने अध्यापक नियुक्त हैं तथा कितने

अध्यापक के स्थान रिक्त हैं ? क्या सरकार आगामी सत्र के लिये अध्यापकों की समुचित व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी में सर्वशिक्षा अभियान अन्तर्गत असेवित बस्तियों में प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण, पूर्व से संचालित विद्यालयों में सुदृढ़ीकरण यथा अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण, विशिष्ट आवश्यकता वाले विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कार्यक्रम, बालिका शिक्षा हेतु नवाचारी शिक्षा कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम फॉर एजूकेशन आफ गर्ल्स एण्ड एलीमेंट्री लेंविल (एन0पी0ई0जी0ई0एल0) कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय आदि कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

जनपद बरेली में पू0मा0 विद्यालयों में कुल 1822 अध्यापक नियुक्त हैं तथा 108 पद रिक्त हैं।

जी हां।

पूर्व मा0 विद्यालयों में पद पदोन्नति की प्रक्रिया से भरे जाते हैं। शासनादेश संख्या-187/15-11-2009, दिनांक 04-2-09 से पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी। अब इस प्रतिबन्ध को शासनादेश संख्या-1145/15-11-2009, दिनांक 14-7-09 द्वारा हटा दिया गया है। पदोन्नति प्रक्रिया की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को उच्चीकृत करके इण्टर कालेज बनाये जाने की घोषणा

158-श्री छत्रपाल सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बरेली के तहसील बहेड़ी के दो राजकीय उ0 मा0 विद्यालयों को उच्चीकृत करके इण्टर कालेज बनाये जाने की घोषणा सरकार द्वारा पिछले सत्र में की गई है ? यदि हां, तो विभाग द्वारा इन कालेजों में अध्यापकों और अन्य भौतिक संसाधनों की व्यवस्थायें सुनिश्चित करके वर्तमान सत्र से छात्रों के प्रवेश दिये जाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के जिला चिकित्सालय उरई, ब्लड बैंक में स्टाफ की नियुक्ति

159-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के जिला चिकित्सालय उरई में ब्लड बैंक कब से कार्य करना शुरू करेगा एवं उक्त ब्लड बैंक में डाक्टर व स्टाफ की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जिला चिकित्सालय उरई का ब्लड बैंक क्रियाशील है। चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ की व्यवस्था समायोजन के आधार पर कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन में ट्यूबवेल की बोरिंग

160-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में कितने किसानों के ट्यूब वेल बोर किये गये एवं उसमें बड़े किसानों तथा लघु सीमांत किसानों की संख्या क्या है ?

श्री लखीराम नागर-

लघु सिंचाई विभाग द्वारा संचालित निःशुल्क बोरिंग योजना लघु कृषक (1 से 2 हेक्टेयर तक) तथा सीमांत कृषक (1 हेक्टेयर तक) के लिये है। 2 हेक्टेयर से अधिक जोत सीमा वाले कृषक बड़े कृषक कहलाते हैं। मध्यम गहरी बोरिंग एवं गहरी बोरिंग योजना के अन्तर्गत सभी श्रेणी के कृषक पात्र हैं, किन्तु अत्यधिक धनराशि व्यय होने के कारण इन योजनाओं का लाभ सामान्यतः बड़े कृषक ही उठा पाते हैं। जनपद जालौन बुन्देलखण्ड भू-भाग का हिस्सा है, जहां स्ट्रेटा कठिन एवं गहरा होने के कारण मध्यम गहरी बोरिंग एवं गहरी बोरिंग योजना की अपेक्षा निःशुल्क बोरिंग योजना में लक्ष्य कम रहते हैं।

जनपद जालौन में वर्ष 2007-08 में कुल 709 बोरिंग की गई है, जिसमें लघु कृषक 32, सीमान्त कृषक 30 एवं बड़े कृषक 647 है। वर्ष 2008-09 में कुल 645 बोरिंग की गई है, जिसमें लघु कृषक 17, सीमान्त कृषक 20 एवं बड़े कृषक 608 हैं।

प्रदेश में दवाओं के नमूने की जांच हेतु विशेष प्रयोगशाला की स्थापना करने पर विचार

161-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दवाओं के नमूने की जांच के लिए राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला में भेजा जा रहा है ? यदि हां, तो क्या राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशालायें औषधियों में मिलावट का पता लगाने के लिए सक्षम है ? यदि नहीं, तो औषधियों की मिलावट का पता लगाने के लिये क्या सरकार विशेष प्रयोगशालाओं की स्थापना करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के सादुल्लानगर में सामु0 स्वा0 केन्द्र के निर्माण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराने की मांग

162-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलरामपुर के सादुल्लानगर में सामु0 स्वा0 केन्द्र का भवन निर्मित हो चुका है किन्तु अभी तक स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं ? क्या सरकार उक्त सामु0 स्वा0 केन्द्र पर डाक्टरों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति सहित समस्त अन्य स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

जी हां।

कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जिला अस्पतालों में रिक्त पड़े कतिपय पदों को भरे जाने की मांग

163-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में जिला अस्पतालों, प्रा0 स्वा0 केन्द्रों, सा0स्वा0 केन्द्रों में पैथालाजिस्ट लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्टों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्तियां करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जी हां।

जी हां।

लोक सेवा आयोग से पैथालॉजिस्टों के चयन की संस्तुति प्राप्त होने पर रिक्त पदों पर तैनाती सम्भव हो सकेगी।

लैब टेक्नीशियन के रिक्त 208 पदों पर चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

फार्मासिस्ट के रिक्त पदों पर नियुक्ति का प्रकरण मा0 उच्चतम् न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के सरकारी विद्यालयों में अध्यापकों के मृतक आश्रितों की नियुक्ति सम्बन्धी लम्बित प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण की मांग

164-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्यापकों के मृतक आश्रितों की नियुक्ति हेतु कितने प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं ? क्या सरकार मृतक आश्रितों को शीघ्र नियुक्ति प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

पांच आवेदन-पत्र लम्बित हैं। जांचोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त अध्यापकों के पदों को भरे जाने की मांग

165-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बलरामपुर में बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राथमिक विद्यालयों में कुल कितने अध्यापकों के पद रिक्त हैं एवं कितने विद्यालयों में सिर्फ शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां हैं ? क्या सरकार शिक्षा मित्रों के सहारे चल रहे विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद बलरामपुर में बेसिक शिक्षा परिषद् प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 448 तथा सहायक अध्यापक के 1138 पद रिक्त हैं तथा वर्तमान में 30 जून, 2009 को अध्यापकों की सेवानिवृत्ति होने के फलस्वरूप तीन प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षामित्र कार्यरत हैं।

जी हां।

शासनादेश संख्या-1145/15-11-2009, दिनांक 14-7-09 एवं शासनादेश संख्या-1797/79-5-09, दिनांक 15 जुलाई, 2009 द्वारा शिक्षकों की पदोन्नति एवं समायोजन के आदेश दिये गये हैं। तद्नुसार इन विद्यालयों में शिक्षकों का पदस्थापन करने हेतु कार्यवाही गतिमान है। इसके साथ ही विशिष्ट बी0टी0सी0 2007, 2008 का चयन/प्रशिक्षण गतिमान है जिन्हें प्रशिक्षणोपरान्त पद स्थापित किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद के अन्तर्गत चांदपुर स्थित सहकारी भूमि एवं ग्राम्य विकास बैंक के कर्मचारियों द्वारा इंजन बोरिंग का फर्जी ऋण दिये जाने के सम्बन्ध में पत्र की जांच

166-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-1/वि0स0 दिनांक 20-5-09 जो विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद के अन्तर्गत चांदपुर स्थित सहकारी भूमि एवं ग्राम्य विकास बैंक के कर्मचारियों द्वारा कई किसानों की इंजन बोरिंग का फर्जी ऋण दिये जाने के सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी हां।

जांच हेतु एक कमेटी गठित कर दी गई है जिसके द्वारा जांच की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के जिला सहकारी बैंक (अ) में जमा धनराशि को जमाकर्ताओं को वापस करने की मांग

167-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के जिला सहकारी बैंक (अ) में जमा की हुई धनराशि जमाकर्ताओं को वापस करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक उक्त धनराशि वापस लौटा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी हां।

प्रो0ए0 बैद्यनाथन समिति की संस्तुतियों के क्रम में रिवाइबल पैकेज के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि से बैंक की हानियों की क्षतिपूर्ति होने के पश्चात् बैंक द्वारा अपने व्यवसाय में वृद्धि कर एवं अन्य संसाधन जुटाकर जमाकर्ताओं की धनराशि वापस किये जाने की योजना है।

उपरोक्त, योजनान्तर्गत धन की उपलब्धता होने पर उक्त धनराशि वापस लौटा दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के जिला सहकारी बैंक (अ) में जमा धनराशि जमाकर्ताओं को बैद्यनाथन कमेटी द्वारा संस्तुति के पश्चात् लौटाये जाने सम्बन्धी जानकारी

168-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के जिला सहकारी बैंक (अ) में बैद्यनाथन कमेटी द्वारा की गयी संस्तुति के पश्चात् भारत सरकार द्वारा प्रदत्त धनराशि ऐसे जमाकर्ताओं, जिनकी धनराशि अभी तक वापस नहीं मिली थी, को दी जा रही है ? यदि हां, तो अब तक कुल कितने रुपयों का भुगतान किया जा चुका है ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी नहीं।

सिद्धार्थनगर के जिला सहकारी बैंक (अ) को बैद्यनाथन कमेटी द्वारा की गई संस्तुति के पश्चात् भारत सरकार से अभी कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के जिला सहकारी बैंक (अ) में जमाकर्ताओं की धनराशि को वापस किये जाने की जानकारी

169-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बैद्यनाथन समिति की संस्तुति के आधार पर जिला सहकारी बैंक (अ) सिद्धार्थनगर को 5.50 करोड़ रुपया जमाकर्ताओं को वापस करने के लिये दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि जमाकर्ताओं को वापस की गयी ? क्या वह भी सही-सही है कि उक्त धनराशि को बैंक प्रबन्धक व बैंक प्रशासक ने बैंक के कर्मचारियों को 10 प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण के रूप में दे दिया है और जमाकर्ताओं को धनराशि वापस नहीं दी गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बाबू सिंह कुशवाहा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत मानक के अनुसार विद्यालय खोले जाने की मांग

170-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम सत्र, 2008 के द्वितीय मंगलवार के अता0प्र0सं0-38 के उत्तर में सरकार द्वारा जनपद मैनपुरी में मानक के अनुसार 75 जू0हा0 की आवश्यकता बतायी गई है ? क्या सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार से उक्त जूनियर हाई स्कूलों हेतु धनराशि प्राप्त हो गयी ? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किये गये हैं ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2008-09 में जनपद मैनपुरी में 75 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

जी हां।

जनपद मैनपुरी को 75 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों हेतु धनराशि प्राप्त हो गई है, जिसके सापेक्ष सभी 75 पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोले जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य सर्वश्री गंगा सहाय यादव, परशुराम यादव, धनराज यादव, विश्वनाथ कपूर, वीरेन्द्र वर्मा, पुरुषोत्तम कौशिक, जयराम यादव, गोरे लाल शाक्य, बिहारी लाल दोहरे, राम चन्द्र जोशी, फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां, अक्षयवर भारती निषाद, गौरी शंकर एडवोकेट तथा श्री जागन सिंह के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री गंगा सहाय यादव का 12 फरवरी, 2009 को निधन हो गया। वे लगभग 94 वर्ष के थे। श्री गंगा सहाय यादव वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र शिकोहाबाद, तत्कालीन जिला मैनपुरी (वर्तमान में जिला फिरोजाबाद) से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री गंगा सहाय यादव अपने जिले के आर्य समाज के कर्मठ सदस्य तथा कई वर्षों तक उपाध्यक्ष रहे थे। वे दो बार जेल गये तथा डी0आई0आर0 में भी बन्दी रहे थे। वे अनेक शिक्षण संस्थाओं से सम्बद्ध थे। अध्ययन तथा खेलकूद में उनकी विशेष दिलचस्पी थी। वे शिक्षा, कृषि एवं राजनीति सम्बन्धी कार्यों में अपना समय व्यतीत करते थे। श्री गंगा सहाय यादव के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री परशुराम यादव का 26 मार्च ,2009 को निधन हो गया वे लगभग 56 वर्ष के थे। श्री परशुराम यादव का जन्म 5 जून, 1953 को ग्राम बड़नपुर जिला फैजाबाद में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट, पी0टी0सी0 तथा आई0टी0आई0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री परशुराम यादव वर्ष 1993 में निर्वाचन क्षेत्र बीकापुर, जिला फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री परशुराम यादव वर्ष 1973 और 1992 में कुल मिलाकर लगभग दो वर्ष तक फैजाबाद कारागार में बन्दी रहे थे। वे बी0टी0सी0 प्रशिक्षित शिक्षक संगठन के जिला अध्यक्ष तथा कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, फैजाबाद एवं को-आपरेटिव बैंक, फैजाबाद के अध्यक्ष रहे थे। जनसेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री परशुराम यादव के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री धनराज यादव का 3 अप्रैल, 2009 को निधन हो गया। वे लगभग 79 वर्ष के थे। श्री धनराज यादव का जन्म 23 मार्च, 1930 को ग्राम पिपरा, जिला बस्ती में हुआ था। श्री धनराज यादव वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र नौगढ़, तत्कालीन जिला बस्ती (वर्तमान जिला सिद्धार्थनगर) से जनसंघ के टिकट पर तथा वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र नौगढ़, तत्कालीन जिला बस्ती और वर्ष 1991, 1993 तथा 1996 में निर्वाचन क्षेत्र नौगढ़, जिला सिद्धार्थनगर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य, निर्वाचित हुये थे।

श्री धनराज यादव वर्ष 1970, 1971, 1975 तथा 1976 में कुल आठ माह से अधिक समय तक दिल्ली जेल तथा जिला जेल बस्ती, देवरिया, और गोरखपुर में डी0आई0आर0 तथा धारा-188 में बन्दी रहे थे। उन्होंने वर्ष 1969 में बाढ़ से बचाव के लिये कूड़ा नदी को श्रमदान से खुदवाया जिससे 125 गांवों का बाढ़ से बचाव हो गया था। वे वर्ष 1955 से 1967 तक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुख्य शिक्षक, प्रचारक और तहसील कार्यवाह, 1970 से 1972 तक विश्व हिन्दू परिषद् बस्ती के जिला संगठन मंत्री, 1973 से 1974 तक भारतीय जनसंघ के जिला मंत्री, 1979 से 1980 तक जनता पार्टी, बस्ती के जिलाध्यक्ष, 1980 से 1989 तक भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष तथा सिद्धार्थनगर नागरिक मंच के अध्यक्ष रह चुके थे। वे श्री कल्याण सिंह मंत्रिमण्डल में वर्ष 1991 से 1992 तथा 1997 से 1999 तक राज्य मंत्री रहे थे। रचनात्मक समाज सेवा और अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी। श्री धनराज यादव के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री विश्वनाथ कपूर का 4 अप्रैल, 2009 को निधन हो गया। वे लगभग 83 वर्ष के थे। श्री विश्वनाथ कपूर का जन्म 1926 में टांडा, जिला फैजाबाद में हुआ था। उन्होंने एम0काम0 तथा एल-एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री विश्वनाथ कपूर वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र अयोध्या, जिला फैजाबाद से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य, निर्वाचित हुये थे।

श्री विश्वनाथ कपूर वर्ष 1954 से 1958 तक जिला कांग्रेस कमेटी, फैजाबाद के अध्यक्ष रहे थे। उन्होंने सहकारिता आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। वे जिला सहकारी बैंक, फैजाबाद के प्रबन्ध संचालक रहे थे। उन्होंने बी0 एन0 इण्टर कालेज, अकबरपुर की कार्यकारिणी

के सदस्य तथा मंत्री के रूप में कार्य किया था तथा वे श्याम सुन्दर सारस्वत महाविद्यालय, फैजाबाद से अनेक वर्षों तक जुड़े रहे। वे मसौधा चीनी मिल श्रमिक संघ के अध्यक्ष भी रहे थे। श्री विश्वनाथ कपूर के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री वीरेन्द्र वर्मा का 2 मई, 2009 को निधन हो गया। वे लगभग 92 वर्ष के थे। श्री वीरेन्द्र वर्मा का जन्म 8 सितम्बर, 1917 को शामली, जिला मुजफ्फरनगर में हुआ था। उन्होंने बी0ए0, एल-एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री वीरेन्द्र वर्मा जिला मुजफ्फरनगर से वर्ष 1952 में निर्वाचन क्षेत्र कैराना दक्षिण, वर्ष 1957 में निर्वाचन क्षेत्र कैराना, वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र कांधला से कांग्रेस के टिकट पर, वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र खतौली से भारतीय क्रांतिदल के टिकट पर तथा वर्ष 1974 में निर्वाचन क्षेत्र बधरा से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य, निर्वाचित हुये थे। वे लोक सभा तथा राज्य सभा के सदस्य भी रहे थे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा जिला परिषद्, मुजफ्फरनगर तथा जिला कृषक समाज, मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष रहे थे। वे जिला कांग्रेस कमेटी, मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष, जिला बोर्ड, मुजफ्फरनगर के चेयरमैन तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे थे। वे अखिल भारतीय गन्ना उत्पादक संघ के मैनेजिंग डायरेक्टर, जिला सहकारी बैंक, मुजफ्फरनगर के डायरेक्टर तथा भारतीय गन्ना विकास परिषद्, भारत सरकार के अध्यक्ष रहे थे। वे डा0 सम्पूर्णानन्द मंत्रिमण्डल, श्री चरण सिंह मंत्रिमण्डल, श्री त्रिभुवन नारायण सिंह मंत्रिमण्डल, श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा मंत्रिमण्डल तथा श्री नारायण दत्त तिवारी मंत्रिमण्डल के सदस्य रहे थे। वे पंजाब तथा हिमांचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे थे। उल्लेखनीय है कि उन्हें दिनांक 25 अगस्त, 2006 को एक भव्य समारोह में उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा प्रथम विधान सभा के सदस्य होने का सम्मान प्रदान किया गया था। कृषि तथा खेलकूद से उन्हें विशेष प्रेम था। श्री वीरेन्द्र वर्मा के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री पुरुषोत्तम कौशिक का 6 मई, 2009 को निधन हो गया। वे लगभग 72 वर्ष के थे। श्री पुरुषोत्तम कौशिक का जन्म 15 अगस्त, 1937 को पडरौना, तत्कालीन जिला देवरिया (वर्तमान जिला कुशीनगर) में हुआ था। उन्होंने हनुमान आयुर्वेदिक कालेज, रतनगढ़, राजस्थान में शिक्षा ग्रहण की थी। श्री पुरुषोत्तम कौशिक वर्ष 1974 में भारतीय क्रांति दल तथा वर्ष 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र पडरौना, तत्कालीन जिला देवरिया (वर्तमान जिला कुशीनगर) से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक एक योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। उनकी 'गऊ गरिमा', 'स्वास्थ्य सुधा' तथा 'बढ़ोत्तरी' नामक रचनायें प्रकाशित हुई थीं। वे साहित्य, दर्शन तथा चिकित्सा में विशेष रुचि रखते थे। वे पत्रकार भी थे तथा समाचार पत्रों में उनके लेख प्रकाशित होते थे। श्री पुरुषोत्तम कौशिक के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री जयराम यादव का 12 मई, 2009 को निधन हो गया। वे लगभग 88 वर्ष के थे। श्री जयराम यादव का जन्म 1 जनवरी, 1921 को ग्राम

पटखौली, जिला प्रतापगढ़ में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की थी। श्री जयराम यादव वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र कुण्डा, जिला प्रतापगढ़ से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री जयराम यादव ने वर्ष 1950 में वकालत प्रारम्भ की थी। उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में भी अपना सक्रिय योगदान दिया। वे अपने क्षेत्र की भलाई के लिये हमेशा प्रयत्नशील रहे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री जयराम यादव के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री गोरेलाल शाक्य का 20 मई, 2009 को निधन हो गया। वे लगभग 70 वर्ष के थे। श्री गोरे लाल शाक्य का जन्म 20 जनवरी, 1939 को जिला इटावा में हुआ था। उन्होंने एम0काम0 तथा एल-एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री गोरे लाल शाक्य वर्ष 1974 तथा वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र भरथना, जिला इटावा से क्रमशः कांग्रेस (संगठन) तथा कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री गोरे लाल शाक्य धारा 188 के उल्लंघन के फलस्वरूप 3 बार जेल गये थे। वे अशोक मिशन बुद्ध बिहार, कानपुर के स्थायी मंत्री, सोहन लाल मौर्य पाठशाला ट्रस्ट, लखनऊ के ट्रस्टी, भारतीय शाक्य युवक संघ के महामंत्री, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के अध्यक्ष एवं संरक्षक, अखिल भारतीय समाज सुधारक संघ के सदस्य एवं गौतम बुद्ध हायर सेकेन्डरी स्कूल, जिला एटा के सदस्य आदि पदों पर आसीन रह चुके थे। उन्होंने अनेक बौद्ध धर्म सम्मेलनों, शोषित समाज सम्मेलन तथा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का गठन किया था। उन्हें शिक्षा, कृषि, पशुपालन, यात्रा, लेखन एवं बागवानी में विशेष रुचि थी। श्री गोरे लाल शाक्य के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बिहारी लाल दोहरे का 2 जून, 2009 को निधन हो गया। वे लगभग 85 वर्ष के थे। श्री बिहारी लाल दोहरे का जन्म 23 मार्च, 1924 को ग्राम अनौगी, जिला फर्रुखाबाद में हुआ था। उन्होंने हाईस्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री बिहारी लाल दोहरे वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र कन्नौज (अ0जा0), तत्कालीन जिला फर्रुखाबाद (वर्तमान जिला कन्नौज) से भारतीय क्रांति दल के टिकट पर तथा वर्ष 1980 व 1985 में इसी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री बिहारी लाल दोहरे ने वर्ष 1942 के स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया था। वे वर्ष 1948 से 1963 तक जिला परिषद् के सदस्य रहे थे। उन्होंने वर्ष 1953 से 1966 तक अध्यापन कार्य किया था। वे जिला को-आपरेटिव बैंक तथा उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव यूनियन के संचालक भी रहे थे। वे श्री नारायण दत्त तिवारी मंत्रिमंडल के सदस्य रहे थे। सामाजिक कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी। श्री बिहारी लाल दोहरे के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम चन्द्र जोशी का 8 जून, 2009 को निधन हो गया। वे लगभग 87 वर्ष के थे। श्री राम चन्द्र जोशी का जन्म अप्रैल, 1922 में हुआ था। उन्होंने बी0ए0, एल-एल0बी0 की शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रहण की थी। श्री राम

चन्द्र जोशी वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र अल्मोड़ा, जिला अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड) से जनसंघ के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री राम चन्द्र जोशी प्रयाग विश्वविद्यालय के विद्यार्थी परिषद् की कार्यकारिणी के सदस्य तथा अल्मोड़ा नगर पालिका के सदस्य व उपाध्यक्ष रहे थे। उन्होंने अल्मोड़ा शहर में जनसंघ की स्थापना कर 80 सदस्य जनसंघ में जोड़े थे। उन्होंने आर्य अनाथालय संस्था, आर्य प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय तथा महाविद्यालय की स्थापना की थी तथा वे अल्मोड़ा इण्टर कालेज के प्रबन्धक रहे थे। वनस्पति विज्ञान एवं अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी। श्री राम चन्द्र जोशी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां का 25 जून, 2009 को निधन हो गया। वे लगभग 64 वर्ष के थे। श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां का जन्म 7 अगस्त, 1945 को ग्राम हलधरमऊ, जिला गोण्डा में हुआ था। उन्होंने हाईस्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र कटरा बाजार, जिला गोण्डा से लोकदल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। नौवीं लोक सभा के सदस्य भी रहे थे।

श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां दलितों, गरीबों तथा विधवाओं के लिये राहत कैम्प का आयोजन करवाते थे। समाज सेवा एवं लेखन में उनकी विशेष रुचि थी। श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अक्षयवर भारती निषाद का 08 जुलाई, 2009 को निधन हो गया। वे लगभग 70 वर्ष के थे। श्री अक्षयवर भारती निषाद का जन्म 11 जुलाई, 1939 को गूजरपार, जिला आजमगढ़ में हुआ था। उन्होंने स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री अक्षयवर भारती निषाद वर्ष 1993 में निर्वाचन क्षेत्र घोसी, जिला मऊ से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री अक्षयवर भारती निषाद भारतीय जनसंघ के जिला मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् के सदस्य तथा बहुजन समाज पार्टी के जिला महामंत्री रहे थे। वे निषाद महासभा के जिला अध्यक्ष भी रहे थे। अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी। श्री अक्षयवर भारती निषाद के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री गौरी शंकर एडवोकेट का 12 जुलाई, 2009 को निधन हो गया। वे लगभग 64 वर्ष के थे। श्री गौरी शंकर एडवोकेट का जन्म 25 अक्टूबर, 1945 को हुआ था। उन्होंने एम0ए0, एल-एल0बी0, एल0एस0जी0डी0, बंगाली तथा उर्दू की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री गौरी शंकर एडवोकेट वर्ष 1974 में कांग्रेस, वर्ष 1977 में जनता पार्टी वर्ष 1980 तथा 1985 में कांग्रेस (आई0) के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र अजीतमल (अ0जा0), जिला इटावा से तथा वर्ष 1993, 1996 तथा 2007 में निर्वाचन क्षेत्र मलिहाबाद (अ0जा0), जिला

लखनऊ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। उल्लेखनीय है कि उन्होंने दिनांक 3 मार्च, 2009 को विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया था।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट राजनैतिक आन्दोलन में जिला कारागार लखीमपुर खीरी में लगभग एक माह बन्दी रहे थे। वे श्री नारायण दत्त तिवारी तथा श्री वीर बहादुर सिंह मंत्रिमंडल के सदस्य रहे थे। वे विधान सभा की लोक लेखा समिति, प्रतिनिहित विधायन समिति तथा सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति के सभापति भी रहे थे। स्वाध्याय एवं विकास कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी तथा संगीत उन्हें प्रिय था। श्री गौरी शंकर एडवोकेट के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री जागन सिंह का 13 जुलाई, 2009 को निधन हो गया। वे लगभग 74 वर्ष के थे। श्री जागन सिंह का जन्म 6 मार्च, 1935 को ग्राम अशोकपुर, जिला रामपुर में हुआ था। उन्होंने हाईस्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री जागन सिंह वर्ष 1977 में जनता पार्टी तथा वर्ष 1985 में लोकदल के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र शहाबाद (अ0जा0), जिला रामपुर से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री जागन सिंह सत्याग्रह करके चार बार धारा 188 में जेल गये तथा रामपुर कारागार में बन्दी रहे थे। वे अशोकपुर, जिला रामपुर की ग्राम सभा के प्रधान रहे थे। कृषि, राजनीति, समाज सेवा और गरीबों की सहायता करने में उनकी विशेष रुचि थी। शतरंज और अध्ययन उनको प्रिय था। श्री जागन सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

इन माननीय पूर्व सदस्यगण, विधान सभा के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वह दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें तथा उनके शोक संतप्त परिवारों को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मैं इस सदन में व्यक्त शोक संवेदनाएं मृतकों के शोकाकुल परिवारों तक पहुंचवा दूंगा।

अब हम दिवंगत आत्माओं की शांति के लिये दो मिनट का मौन रखेंगे। (मा0 सदस्यों द्वारा खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया गया)

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें।

फैजाबाद में समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष पर हुये प्राणघातक हमले के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है।

(श्री कुबेर सिंह के अपने आसन पर खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

कुबेर जी आप बैठ जाएं। अवधेश प्रसाद जी ने व्यवस्था का सवाल उठाया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, आज सबेरे करीब साढ़े आठ बजे मेरे जनपद फैजाबाद में मेरे पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष को बीकापुर हैदरगंज जो बाजार बड़ी घनी बाजार हैं जब अपनी दुकान पर बैठे हुये थे. तभी मोटर साइकिल से हमलावर आये और उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया और इस तरह से हमला किया है कि उनके पेट में सीने में गोली लगी और जैसे ही उनको फैजाबाद अस्पताल लाया गया ....

श्री अध्यक्ष-

आप बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं। यह कौन सी सदन में ऐसी बात आ गई कि व्यवस्था आप उठा रहे हैं।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है कि पार्टी का नेता मारा जा रहा है, पदाधिकारी मारा जा रहा है। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं नहीं, ठीक है, मैं मानता हूं। आपकी संवेदनाएं हैं।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, एक मिनट। उनकी हालत बहुत गम्भीर हैं फैजाबाद के अस्पताल के डाक्टरों ने उनको मना कर दिया है और वे मेडिकल कालेज लाये जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इस सरकार से हम चाहते हैं कि तत्काल उनकी व्यवस्था मेडिकल कालेज में कराई जाय ताकि उनकी जान बचाई जा सके और जो भी हमलावर हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मेडिकल कालेज में सम्पूर्ण व्यवस्था करा दी जायेगी और उनका निःशुल्क इलाज पूरी तरह से करा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

बस ठीक है। बैठ जायं।

श्री अब्दुल समद अंसारी तथा श्री कुबेर सिंह सदस्य, विधान सभा द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रकरण को सुने जाने की मांग

(श्री कुबेर सिंह और श्री अब्दुल समद द्वारा व्यक्तिगत प्रश्न उठाने पर)

श्री अध्यक्ष-

अभी कहां व्यक्तिगत ?

(श्री अम्बिका चौधरी के खड़े होने पर और उक्त सदस्यों के बोलने पर)

चौधरी साहब कह रहे हैं तो आप लोग बैठ जायं।

श्री अम्बिका चौधरी-

यह मान्यवर, अब्दुल समद साहब का व्यक्तिगत और अत्यन्त गम्भीर मामला है और आपके सम्मुख उल्लेख करने का प्रयास किया था। मान्यवर, एक मिनट में इनकी बात सदन सुन लें फिर जैसा चाहें।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, एक मिनट मेरी बात सुन लें। मान्यवर, एजेन्डे का विषय ले लें और जब कार्य स्थगन का समय आयेगा तो उस समय उसको ले लीजियेगा और प्राथमिकता के साथ उसी समय ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

सुना जायेगा। मैं व्यक्तिगत सुनूंगा।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यही हमारा निवेदन है कि इसको कार्य स्थगन में प्राथमिकता पर ले लीजियेगा। हमारी कोई आपत्ति नहीं है लेकिन पहले एजेन्डे का विषय ले लें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने कहा है कि व्यक्तिगत बात आपकी सुनूंगा। इसको ब्रेक मत बनाइये। दो मिनट का समय लगेगा। चौधरी साहब ने बताया कि माननीय समद साहब का व्यक्तिगत है, कुबेर साहब का भी व्यक्तिगत है। इसके बाद जब हम लेंगे तो दोनों लोगों का सुन लिया जायेगा, माननीय कुबेर जी और माननीय समद जी आप लोग बैठ जायं।

श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, व्यक्तिगत मामला मेरा भी है।

अध्यक्ष-

अभी तय हो गया कि व्यक्तिगत सुन लिया जायेगा।

श्री पूरन प्रकाश-

[XXX]

श्री अध्यक्ष-

नहीं वो व्यक्तिगत नहीं है। इनकी बात नहीं लिखी जायेगी। आप बैठ जांय। दो माननीय सदस्य मान गये।

(श्री उस्मानी द्वारा बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

उस्मानी साहब आप बैठ जायं। अभी व्यक्तिगत नहीं है। हम सुन लेंगें। माननीय तिवारी जी, 5-6 मिनट का लेइंग आइटम है, इसको करने के बाद सुन लेंगें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि मेरी इस घटना को आप सुन लें, यह महत्वपूर्ण घटना है, इसको सुनने के बाद अगर आप उसको ले लें तो बड़ी कृपा होगी। यह अधिकार आपको है। मेरा विनम्र निवेदन है कि विषय की गम्भीरता को देखते हुए जिसके लिये मैं प्रातःकाल 11.00 बजे

नोट-[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

से लगातार खड़ा हो रहा हूं इसे सुन लें। निधन का निर्देश था। परम्परा है इस सदन की इसलिए हम सभी लोग शांतिपूर्वक बैठ गये थे। कृपया पहले इसको ले लें उसके बाद कोई और घटना ले लें।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने एक व्यवस्था दे दिया। माननीय प्रमोद तिवारी जी खड़े हुए, सुबह ही आपने एक व्यवस्था दे दिया कि कार्य-स्थगन के प्रस्ताव के रूप में आप इसको ले लेंगें। उस समय प्राथमिकता के आधार पर आप उसकी ग्राह्यता को सुन लेंगें। मान्यवर, एक विनिश्चय हो गया है तो मान्यवर, मैं चाहूंगा कि एक विनिश्चय हो जाने के बाद सभी माननीय सदस्य उसको अंगीकार करें, स्वीकार करें। हमें कोई आपत्ति नहीं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

कोई व्यवस्था की बात नहीं है।

(माननीय सदस्य श्री अब्दुल समद के खड़े होने पर)

अरे क्यों जल्दी में है। मैंने कहा है कि व्यक्तिगत आपका सुनूंगा। जब मैंने आश्वस्त कर दिया कि मैं सुनूंगा तो सुनूंगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यहां हाउस में कब क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। (हंसी) इसलिए मान्यवर, हम चाहते हैं कि हमारा पहले ले लिया जाए। क्योंकि 311 के नोटिस में समय पड़ा है हमारा एक नम्बर पर लगा है। वैसे तो मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

श्री अध्यक्ष-

आप सही कह रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

खन्ना जी के नाम के आगे नम्बर एक कई बार लिखा लेकिन उनका नम्बर आया नहीं, इसलिए उनका चिहुंकना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष-

सुबह जब हाउस आरम्भ हुआ तब प्रश्नकाल के समय व्यवधान उत्पन्न हुआ था, उस समय नेता प्रतिपक्ष खड़े थे तब मैंने उनसे भी अनुरोध किया कि इसको प्रथम नम्बर पर सुन लूंगा। चौधरी साहब और सभी लोग थे तभी मैंने एक व्यवस्था दी थी, उनकी सूचना प्रथम नम्बर पर सुन लेंगे और नेता प्रतिपक्ष ने भी इस सूचना पर बल दिया था। थोड़ा सा संयम बना लें तो सुनने से हटेंगे नहीं, सब बातों को सुना जाएगा। अब नम्बर एक और नम्बर दो अलग का विषय है। इसमें कहीं नम्बर की चिन्ता न करें। मैंने अनुरोध किया एक विनिश्चय किया है दस मिनट का समय है उसके बाद फिर कार्य-स्थगन आ आएगा। उसके बाद भी तिवारी कह रहे हैं कि मेरी सूचना सुन लें इसी पर हाउस में व्यवधान आया आपकी सूचना हम सुन लेंगे।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उ0प्र0 की प्रान्तीय अध्यक्ष श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी के आवास पर दिनांक 15 जुलाई, 2009 को हुई आगजनी एवं लूटपाट की घटना से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित सूचना

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं आपने अनुरोध स्वीकार कर लिया।

श्री अध्यक्ष-

एक मदद करें इसके बाद मेन आइटम ले लेंगे। नियम-56 में हमारे मा0 चौधरी साहब की सूचना प्रथम नम्बर पर ले ली गयी जो मऊ के बारे में है। इसके बाद खन्ना साहब और भारतीय जनता पार्टी के लोग बतायें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मैं इस संभावना को मान्यवर, समाप्त कर देना चाहता हूं हमारा कोई इरादा सदन को अपनी बात कहने के बाद अव्यवस्थित करने का नहीं है। सदन इसके बाद चलेगा, संक्षिप्त सदन है। कांग्रेस हमेशा प्रजातांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करती है। हम अपनी बात कहेंगे हम अपने सभी विरोधी दल के लोगों से भी चाहेंगे कि अपने विचार व्यक्त करें। मैं समझता हूं कि मैं आपसे निर्देश चाहूंगा मान्यवर और कुछ आपसे नहीं चाहूंगा। आप निर्देश दे देंगे और यह मान लेंगे। सदन निर्बाध गति से शान्तिपूर्वक चलेगा, व्यवस्थित चलेगा। अब मैं प्रारम्भ करता हूं। मान्यवर, दिनांक 15 जुलाई, 2009 को रात लगभग साढ़े दस बजे विधान भवन से 100 कदम की दूरी पर एनेक्सी जहां माननीय मुख्य मंत्री जी और जहां शासन सत्ता का केन्द्र है जहां वह बैठती है उससे सटा हुआ योजना भवन जहां सत्ता की तमाम नीतियों का निर्धारण और योजना आयोग की अध्यक्ष के नाते मुख्य मंत्री जी का भी कार्यालय है मान्यवर, उससे लगे हुए मकान पर रात में 45 सरोजनी नायडू मार्ग पर जो कुछ हुआ है वह इतिहास की क्रूरतम घटना कहलाई जाएगी वह लोकतंत्र के माथे पर कलंक के रूप में जानी जाएगी। बहुमत के जोर पर कोई शासन सत्ता चाहे तो वक्ती तौर पर दबा सकती है लेकिन उस जुल्म की कहानी को कभी आप मिटा नहीं पाएंगे यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। घर क्यूं जला, घर किसी व्यक्ति का नहीं जला अगर घर किसी व्यक्ति का जला है तो वह अपनी जगह है लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मौजूदा सरकार ने लोकतंत्र को जलाने की कोशिश की है। और इतिहास साक्षी है जब कभी लोकतंत्र को जलाने वाले लोग क्रूरता पर उतरे है तो इतिहास से उनका नामोनिशान मिट गया है और इस सरकार का भी नामोनिशान इस घटना के बाद मिट जाएगा। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि 2 घटनाएं 15 को घटित हुई हैं। एक मुरादाबाद मे एक लखनऊ में। मान्यवर, मुरादाबाद में जो घटना हुयी है उसके लिए डा0 रीता बहुगुणा जोशी ने स्वयं खेद व्यक्त किया है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री दिग्विजय सिंह जी ने, हमारे एक अन्य राष्ट्रीय महासचिव श्री राहुल जी ने और जनार्दन द्विवेदी जी ने और मैंने खुद भी खेद व्यक्त किया था। मेरा इस घटना के बारे में वर्मा जी ने जिस तरह से खेद किया। मैं उसी तरह से रीता जी की बातों को लेते हुए

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं आगे कहना चाहता हूं कि यह घटना अलग है। उसका क्राइम नंबर अलग है, शहर अलग है, समय अलग है। मैंने जो सूचना दी है इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अपनी स्पष्टता के लिए मैं अपनी बात को साफ कह देना चाहता हूं कि उस घटना के लिए जो खेद व्यक्त किया है रीता जी ने मैं उससे अपने आप को सबद्ध करता हूं लेकिन क्या कोई कुछ कह दे, गलत कह दे, सही कह दे जिसकी इन्वेस्टीगेशन पुलिस चल रही हो, जांच चल रही हो क्या प्रतिक्रिया स्वरूप उसका घर जला देंगे। किसने जलाया इस घर को अपने आप तो नहीं जल गया। किसी न किसी ने जलाया है सवाल सिर्फ ये उठता है कि किसका इस घर को जलाने का मोटिव था। किसको इस घर को जलाने का फौरी/तुरंत किसको मौका था मान्यवर ? अगर जलाना चाहता था या जलाना चाहने वाले लोग थे और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया तो मैं कठोरता से इस घटना को संपादित करने वाले लोगों की घोर निन्दा करता हूं और कहना चाहता हूं कि ये घर जलाने वाले लोग सत्ता की आड़ में छिपे हों तो सत्ता बेनकाब होगी और ये लोग भी बेनकाब होंगे और एक दिन दोषियों को अदालत में सजा मिलेगी। क्या संदेश गया घर को जल के, इस घर को जला के यह संदेश दिया गया कि जो इसका विरोध करेगा, जो सरकार का विरोध करेगा उसका घर जलाकर राख कर दिया जाएगा। यह संदेश देने का मकसद और मोटिव था। मोटिव यह था मान्यवर, जो मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा क्या मान्यवर, मोटिव यह है। बहुत दुर्भाग्य है कि अंग्रेजों ने भी मान्यवर आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को गिरफ्तार तो किया, सूलियों पर चढ़ाया लेकिन घरों को नहीं जलाया। लेकिन यहां तो घरों को जलाकर अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया। इतिहास जब लिखा जायगा तो ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं किया जायेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं मान्यवर, ऐसा नहीं है कि पहले घर नहीं जले, पर जो जले हैं किसी लोकतांत्रिक शक्ति पर बैठे हुए लोगों ने नहीं जलाया है। किसी लोकतांत्रिक सरकार के समय में नहीं जलाया गया है बल्कि तानाशाहों ने जलाए हैं। राजशाहियों ने जलाए हैं। अब आप फैसला करें कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुयी सरकार को चलाना चाहते हो या लोकशाही को खत्म करके राजशाही की तरह लोगों के घर जलाना चाहते हो। ये है दाग आप पर, यह धुलेगा नहीं। यह धुल सकता था अगर आप दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर देते लेकिन यदि आप कड़ी कार्यवाही कर देते तो आपका चेहरा बेनकाब हो जाता। क्योंकि जब कराने वाला ही खुद जांच बैठा देता तो उसका चेहरा सामने आ जाता जिस चेहरे को हम शासन को सौंप चुके हैं। मैं जो कुछ भी आज कहूंगा प्रमाण दूंगा।

मैं सभी राजनैतिक दलों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस घटना की निन्दा की है। मैं मीडिया और प्रेस को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने साहस पूर्वक इस घटना को आगे नहीं बढ़ाया होता तो शायद शासक अपने मकसद में कामयाब हो गया होता। मान्यवर, मैं आपके सामने यह चित्र दे रहा हूं मैं मान्यवर, आपको भेज रहा हूं। मान्यवर, यह चित्र है वह है जब दंगाईयों के साथ पुलिस खड़ी थी, मान्यवर, पुलिस और दंगाई एक साथ-साथ खड़े हैं अभी घर नहीं जला है। जब हमारे मीडिया के कुछ बहादुरों ने वहां पहुंच कर फोटो खींची तो पुलिस वाले दंगाईयों को नहीं हटा रहे हैं और फोटो खींचने वाले मीडिया कर्मियों को हटा रहे हैं। मान्यवर, चौथी घटना है यहां पर नाम नहीं लिया जाता है इसलिए पुलिस अधिकारी जिसका नाम मैं जानता हूं, नहीं लूंगा लेकिन पद का

उल्लेख मैं करूंगा कि घटना के समय जो चेहरा है वो आपके एस0पी0, लखनऊ (पूर्वी) का चेहरा है। एस0पी0, पूर्वी, लखनऊ और सी0ओ0 और दंगाई साथ दरवाजे के सामने खड़े हैं और मान्यवर, अभी किसी का इन्तजार हो रहा है, किसका ? इन्तजार हो रहा है, एक गैलन मिट्टी के तेल का। वह एक गैलन मिट्टी का तेल आता है और वही एस0पी0 इशारा करता है, जाओ अन्दर। मान्यवर, मैं यह चित्र भेज रहा हूं। यह चित्र दिखा रहा है, जो मिट्टी के तेल का गैलन है। यह चित्र दिखा रहा है, जब आग नहीं लगी है और यह व्यक्ति गैलन लिए एस0पी0 और सी0ओ0, हजरतगंज के साथ खड़ा है। उसके बाद भी क्या मैं न कहूं कि यह राज्य प्रायोजित आतंकवाद था, यह स्टेट द्वारा मैनेज किया हुआ आतंकवाद था ? यह चित्र झूठ नहीं बोलेंगे, यह चित्र सच्चाई का मान्यवर, वर्णन करते हैं। मान्यवर, इसमें देखें, ऐसा लगता है कि कोई बाडीगार्ड चला आ रहा है। देखिए, इसमें कहीं कोई विधान सभा को चेहरा तो नहीं दिखायी पड़ रहा है ? मान्यवर, इसमें एक चेहरा और भी है, जिसे आज राज्य मंत्री के बराबर ओहदा दे दिया गया है, घटना के बाद क्या इनाम दिया है, आपने ? आग लगाने वाले को जिसे जेल की सीखचों के पीछे भेजना चाहिए था, उसे आपने राज्य मंत्री बना दिया। उनका नाम मैं जरूर लूंगा। किसी मुल्जिम का नाम नहीं लूंगा तो शायद अवमानना होगी, मेरे कर्तव्य की, उनका नाम है, इन्तिजार आब्दी। मान्यवर, अब पुलिस ने इशारा कर दिया, इस चित्र में साफ है, अब दंगाई घुस गये घर में, लाठी लेकर और यह एस0पी0, पूर्वी साहब खड़े होकर नेतृत्व कर रहे हैं। मान्यवर, उसके बाद एस0पी0, सी0ओ0 खड़े है, अभी खूब अंधेरा छाया हुआ है, उस मकान के अन्दर, फिर लपटें उठती हैं, दंगाई रोके नहीं जाते, रोकी जाती है, मीडिया, रोकी जाते हैं जो कांग्रेस के लोग वहां पहुंचते हैं, जो बचाने के लिए पहुंचते हैं, उन पर पुलिस लाठी चार्ज कर रही है।

मान्यवर, उसके बाद जो कुछ भी हो रहा है, मैं सारे चित्र आपको भेज देता हूं। मान्यवर, उसके बाद वहां पर लगे हुए कांग्रेस के झंडे को भी उखाड़ कर पैरों तले रौंद दिया जाता है। मान्यवर, उसके बाद वह हो जाता है जो कभी भी आपके माथे से कलंक का टीका नहीं हटा पायेगा, वह घर जल जाता है, एस0पी0, पूर्वी, सी0ओ0 दोनों वहां से मुस्कराते हुए हटते हैं। यह वह चित्र हैं जिन्हें मैं आपके कर्मचारियों के माध्यम से भेज रहा हूं। फिर इसमें आप देखें, यह चार कारें जल रही हैं, घर जल रहा है, बस तोड़ी जा रही है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चित्र हटाये जा रहे हैं। मान्यवर, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि दंगाई और अपराधी वहां रहें, उनके साथ पुलिस रहे, उसके बाद घर में आग लगायी जाए, क्या जांच की कोई जरूरत रह गई ? जो कुछ भी हुआ, मैंने कहा कि मुरादाबाद में सिर्फ वाक्य कहे गये जिसके लिए हमारे सर्वोच्च स्तर से नीचे के स्तर तक खेद व्यक्त किया गया, काश आपकी जुबान से, सरकार की जुबान से ऐसा कुछ निकला होता ? इस शर्मनाक घटना के बाद इन लोगों को जेल भेज दिया गया होता तो बहुत अच्छा होता, पर आपने तो उन्हें राज्य मंत्री की कुर्सी से नवाज दिया। इससे ज्यादा कौन सा मान्यवर, सर्कम्स्टान्सेज होता है और मान्यवर, एक परिस्थितिजन्य साक्ष्य मैं और दूंगा जिसको देने के बाद और कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। आग लगाने के पहले पुलिस आती है, यह बहुत महत्वपूर्ण है और वहां पर आउट हाउसेज में बैठे हुए जो लोग हैं, उस घर में जो 15 साल, 20 साल से रह रहे हैं, उनको पुलिस उठा ले जाती है, उन्हें हुसेनगंज थाने में रखा

जाता है, उसके बाद घर खाली कराकर आग लगाई जाती है। मान्यवर, क्या पुलिस आग लगाने वालों को घर में रहने वाले लोगों को हटाकर आग लगाने की आजादी दे रही थी, स्वतंत्रता दे रही थी, सहायता कर रही थी ? इससे भी ज्यादा परिस्थितिजन्य साक्ष्य और क्या हो सकता है ? और इन चित्रों को नकारने वाला क्या कोई सबूत आप देंगे ? किया क्या आपने ? जब एस0पी0, पूर्वी खड़ा होकर आग लगवा रहा है, सी0ओ0 आग लगवा रहा है तो आप उसे सी0बी0सी0आई0डी0 के ठंडे बस्ते में डालकर एक दरोगा से एस0पी0 की जांच करा रहे हैं ? मान्यवर, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आज भी अगर न्याय के प्रति जरा भी चिन्ता है, लेकिन है नहीं, मैं इनकी क्षमता, इनकी मजबूरी सब जानता हूं। क्योंकि अगर मेरी मांग पर यह सी0बी0आई0 की जांच के आर्डर कर देंगें तो इनकी सरकार पर पड़ा हुआ पर्दा हट जायेगा और इस षड़यंत्र के तार वहां तक जायेंगें जहां से सरकार में तमाम बैठे हुए लोग शामिल होंगें। मान्यवर, मैं निश्चित रूप से जो आपसे कह रहा हूं, जो सरकमस्टान्सेज मैंनें दिये हैं आपको, मान्यवर, इक्तेफाक से इन्होंनें सब को तो निकाल दिया, इलाहाबाद से आई हुई एक नौकरानी अन्दर रह गई, चारों तरफ से उठते धुंएं से वह किस तरह बच पाई है, उसकी आप बीती सबने मीडिया पर भी देखी है, मैंनें भी उससे बात की। आग लगाई गई, आग सिर्फ कारों में नहीं लगाई गई, पोर्टिकों में नहीं लगाई गई, बरामदें में नहीं लगाई गई, ड्राईंगरूप में नहीं लगाई गई, बल्कि घर में घुस कर बेडरूम तक लगाई गई, कितना समय दिया है उनको मान्यवर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं कुछ नहीं मांगना चाहता हूं, मान्यवर, मेरे पास न जाने कितनी कतरने हैं, अखबार की फोटो हैं, जो सब लिख कर साफ-साफ बयान कर रहे हैं कि कौन-कौन अधिकारी वहां पर था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं नहीं कहता कि इनको आप फांसी पर लटका दीजिए, मैं नहीं कहता कि इन लोगों को आप सजा सुना दीजिए, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि विपक्षी जन साथियों के साथ हमारा ऐतबार आपकी सरकार पर नहीं है, हमारा ऐतबार आग लगाने वालों पर हो भी नहीं सकता है। मेरा यही कहना है।

मान्यवर, इस आग को लगाने में कहीं न कहीं सरकार के हाथ शामिल है तो सरकार इसकी जांच खुद नहीं कर सकती है। हम कहना चाहते हैं कि इसकी जांच को आप सी0बी0आई0 के हवाले कर दें और रही बात 1984 की 1989 की, मुरादाबाद की, तो मान्यवर, उस घटना को आप ले लीजिए उस पर चर्चा करा लीजिए मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कहने पर मत जाइयेगा, इलाहाबाद में किसने क्या कहा था, मदरसा हत्या काण्ड के बारे में अगर उसको रख दूंगा तो सर शर्म से झुक जायेगा। कहने को अगर मैं कह दूंगा कि बांदा में क्या कहा गया, कह दूंगा तो आपका सर शर्म से झुक जायेगा, लेकिन मैं नहीं कहना चाहता, इसलिए नहीं कहना चाहता कि इसको सुनने के बाद आपका सर यूं ही झुक गया है मैं इसे और नहीं झुकाना चाहता हूं। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं मान्यवर, कि जो कुछ इलाहाबाद में उस समय मुलायम सिंह यादव जी के लिए कहा गया था, उनके परिवार के लिए कहा गया था, वह मुरादाबाद से कम तल्ख नहीं था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मुरादाबाद की घटना जिसके लिए रीता जोशी जी ने मांफी मांगी है, मैं खुद सदन में खड़े होकर रीता जी की बातों का समर्थन करते हुए मैं कहता हूं, खेद व्यक्त करता हूं। क्या आपमें साहस है ? खड़े होकर कहेंगें इलाहाबाद में जो

कहा गया था, उसके लिए मुझे खेद है। कह तो देंगें लेकिन बाहर जायेंगें तो दोबारा सदन में वापस नहीं आ पायेंगें क्योंकि मंत्रिमण्डल में आप नहीं रहेंगें। छोड़िये आप इन सब बातों को, मेहरबानी करके अपने आप को सीमित रखिये, सिर्फ मेरे उठाये प्रश्न का जवाब दीजिए कि यह चित्र जिसमें आपका एस0पी0 खड़ा होकर आग लगा रहा है, तो क्या उसकी जांच सी0बी0सी0आई0डी0 से निष्पक्षतापूर्वक हो पायेगी ? और अगर नहीं हो पायेगी तो सी0बी0आई0 से आप जांच करायेंगें या नहीं करायेंगें इसका जवाब दीजिए आप और अगर आपने वह घटना, कहानियां, किवदंतियां सुनाई तो फिर आप जिम्मेदार होंगें, फिर मैं वह बात कहूंगा जो इलाहाबाद में कहीं गई, फिर मैं वह बात कहूंगा जो सहारनपुर में कहीं गई, फिर मैं वह बात कहूंगा जो बांदा में कही गई, अभी मैं अपने अधिकार सुरक्षित रखता हूं। धन्यवाद मान्यवर, आपके प्रति बहुत ही धन्यवाद अर्पित करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सम्पूर्ण घटना की जांच मुझे आग लगाने वाली सरकार पर विश्वास कांग्रेस पार्टी और लोकतंत्र के मानने वाला का नहीं है, इसकी जांच सी0बी0आई0 से कराई जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी साहब आप बोलेंगे ?

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, सिर्फ दो मिनट का समय मुझे दे दें। दो मिनट में ही मैं अपनी बात कह लूंगा।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, चर्चा तो स्वीकार नहीं है। माननीय हुकुम सिंह जी का उस नोटिस में कहीं नाम नहीं है, इनकी अलग नोटिस है। नियमों के अनुसार है कि एक व्यक्ति एक ही विषय उठायेगा और मान्यवर, इसमें चर्चा तो आपने स्वीकार नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में अगर सभी लोग बोलना चाहेंगें तो यह एक अलग परम्परा हो जायेगी। माननीय हुकुम सिंह जी की अलग नोटिस है, आपने स्वयं देखा है और आपने उस पर व्यवस्था भी दिया है। तो मान्यवर, चूंकि इस नोटिस पर किसी भी दूसरी पार्टी के माननीय सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, केवल एक मिनट मे मैं अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह साहब, जो भी सूचनायें आती है उसमें ग्राह्यता पर ही सुनते है जिन माननीय सदस्यों द्वारा सूचनायें दी जाती हैं, मैं सुन लेता हूं, इसके बाद जब चर्चा होती है, तो ठीक है उसमें सब लोग हिस्सा ले लेते हैं, जो भी नये सदस्य हैं, न भी हस्ताक्षर बनाये हों, लेकिन अब तो प्रमोद तिवारी जी पूरी बात कह दिये हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जो बात प्रमोद तिवारी जी ने कही है, उसी सम्बन्ध में केवल एक मिनट के अन्दर अपनी बात कह कर समाप्त कर दूंगा। मैं इस घटना में केवल एक प्रकरण जोड़ना चाहता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूं। नेता सदन ने दूरदर्शन पर एक वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आग लगाने की घटना कांग्रेस जनों ने की है। यह उन्होंने कहा था तभी हमने मांग की है कि इसकी सी0बी0आई0 से जांच कराई जाय। फोटो में दिखाया गया है कि पुलिसवाले उसमें शामिल हैं और नेता सदन कहतीं है कि कांग्रेस वालों ने ही किया है तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार में नैतिकता है तो सी0बी0आई0 जांच की सिफारिश करे। उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा और सारी वस्तुस्थिति जनता के सामने आ जाएगी। जब नेता सदन जो प्रदेश की मुख्य मंत्री हैं यह कहतीं हैं कि आग लगाने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है तो सी0बी0आई0 की जांच इसमें कराई जाय ताकि सारी बातें सामने आ जाएं।

*श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने जो कार्य स्थगन प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में या उसके विरोध में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, इस पर मेरी नोटिस भी नहीं है। उन्होंने मेरठ की घटना की नोटिस पर बात रखी उस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तर देना चाहें तो देंगे। आज जब कार्यवाही प्रारम्भ हुई तो माननीय नेता सदन यहां मौजूद थीं। आप कार्यवाही निकलवाकर देख लें उन्होंने कहा था कि इन लोगों ने खुद प्लान किया था।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने ऐसा कुछ नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने यह नहीं कहा।

श्री अम्बिका चौधरी-

आप यहां भी हम लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे तो फिर सदन का महत्व क्या रह जाएगा।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न एक विषय के खत्म होने के बाद ही उठाया जा सकता है। आप प्रमोद तिवारी जी को सुन रहे थे और उस पर मुझे उत्तर देना है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं इस सरकार के आतंक से डरा हुआ हूं। आप मुझे संरक्षण दें और भयमुक्त कर दें।

श्री अध्यक्ष-

आप भयमुक्त रहें।

श्री लाल जी वर्मा-

आप सदन को भी संरक्षण दीजिये इनकी नोटिस भी नहीं है। एक सदस्य नियमानुसार एक दिन में एक ही विषय उठा सकता है। इनकी नोटिस आपने अलग स्वीकार की है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, उस प्रकरण पर सदन के सामने तथ्य आए हैं अगर विपक्ष की आवाज दबाने के लिये आज इस तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे तो लोकतंत्र की रक्षा करना कठिन होगा। मान्यवर, आज इलाहाबाद की घटना का उल्लेख किया गया। मान्यवर, उस समय मुलायम सिंह यादव जी यहां पर थे और उन्होंने रक्षा की थी लेकिन उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग अगर तानाशाही की तरफ कार्यवाही को ले जाना चाहते हैं तो इस सदन का महत्व क्या रहेगा। मान्यवर, इस तरह की तानाशाही का कोई औचित्य नहीं है। मान्यवर, आप संरक्षण दें जो लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हों उनके विरुद्ध त्रस्त प्रदेश की जनता उठ खड़ी होगी।

श्री अध्यक्ष-

आप तो लोकतंत्र पर पूरा भाषण दे रहे हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

इस सरकार की बहुजन समाज पार्टी की लोकतंत्र में पूरी आस्था है। लोकतंत्र की मर्यादाओं की पालन करने वाली यह सरकार है। मान्यवर, यह भारत का संविधान जो लिपिबद्ध किया गया है वह सबको पता है कि किन्होंने किया है। मान्यवर, समय-समय पर लोकतंत्र को कलंकित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। 1975 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की घटना के बाद पूरे लोकतंत्र को कलंकित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है आज वही कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की दुहाई देने का काम कर रही है। मान्यवर, 1980 में एक घटना हुई थी उसमें कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया था। मान्यवर, माया त्यागी कांड मेरठ में हुआ था उसमें कांग्रेस के शासनकाल में पुलिस का जुल्म ढाया गया था। इसी तरह से मुरादाबाद की जो घटना हुई है उस घटना के बाद आप देखें जगह-जगह उन नेता का स्वागत करने का काम किया जा रहा है यह कांग्रेस पार्टी का खेदजनक काम है।

(व्यवधान)

(इसी बीच श्री प्रदीप माथुर एवं श्री विवेक सिंह के साथ कांग्रेस पार्टी के अन्य सदस्य सदन के वेल में आ गये और सी0बी0आई0 जांच की मांग करने लगे।)

(घोर व्यवधान)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह कांग्रेस के वास्तविक चरित्र को चरितार्थ करता है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता ने अपशब्दों का प्रयोग किया और उसका अलग-अलग स्वागत हो रहा है वह आप देखें। उसके बावजूद यह कांग्रेस पार्टी के लोग लोकतंत्र की दुहाई देने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, हम लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करने में विश्वास रखते हैं। हम उसकी जांच करा रहे हैं और जो भी दोषी होगा उसको सजा देने का काम करेंगे। इस बात को माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा हैं। मान्यवर, आज कांग्रेस पार्टी का चरित्र देखने को मिलता है जब 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी तो उस घटना के बाद दिल्ली में, कानपुर में और पूरे भारत में जिस सुनियोजित

ढंग से सिक्खों के घरों को जलाने का काम किया गया था, कांग्रेस जनों ने किया था, दिल्ली में इनकी सरकार थी और न केवल घरों को जलाया बल्कि घरों में घुसकर उन व्यक्तियों को भी जलाने का काम किया गया। मान्यवर, उसके बाद भी उस व्यक्ति को जिन पर आरोप लगा था कि उस घटना में दोषी हैं उनको वर्षों तक मंत्री बनाए रखा गया। और इस तरह से कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया था। हमारा लोकतंत्र के मुल्यों में विश्वास है। मैं चौधरी साहब का बहुत आदर करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक मुल्यों के प्रति हमारा कोई विरोध नहीं है। माननीय प्रमोद तिवारी जी ने उस घटना के समय का उल्लेख किया तो 12 बजकर 45 मिनट पर पत्रकार वहां कैसे पहुंच गये। मान्यवर, फिर भी जो घटना हुई है उसकी जांच सी0आई0डी0 से कराई जा रही है और जो दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्यवाही होगी। दूसरी बात, आज इनको सी0बी0आई0 में बड़ा विश्वास हो गया। मान्यवर, इनको आज सी0बी0आई0 में विश्वास हो गया। मान्यवर, आपको याद होगा श्री राजू पाल का मामला।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये, बात सुनिये।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, अगर यह हमारी बात नहीं होने देंगे तो इनकी बात भी हम आज के बाद कभी नही होने देंगे। इनकी बात को हमने शान्तिपूर्ण ढ़ंग से सुना है और अगर आज यह हमारी बात को नहीं सुनने देंगे तो मान्यवर, श्री प्रमोद तिवारी की बात को भी हम नहीं सुनने देंगे।

(सदन की वेल में आये हुए सदस्यगण सदन के फ्लोर पर बैठ कर नारे लगाते रहे, जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष-

आप सुनिये, बुलाइये इन लोगों को बैठाइये।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इनकी बात को हमने शांतिपूर्वक सुना है और यह हमारी बात को नहीं सुनने दे रहे है तो हम प्रमोद तिवारी जी की बात को भी नहीं सुनने देंगे।

श्री अध्यक्ष-

बुलाइये, बैठा लाजिए इन लोगों को।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इन्होंने मन बना लिया है कि हमें हमारी बात नहीं कहने देंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जाइये, बैठकर बात सुन लीजिए उसके बाद कहिये। चलिये बैठिये संसदीय कार्य मंत्री जी की बात को सुनिये। अपना स्थान ग्रहण करिये।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, अगर यह इस तरह से लोकतंत्र को कलंकित करने का काम करेंगे, हमारी लोकतंत्र में आस्था है और उस आस्था को हमने दिखाया कि इन्होंने जितने भी अच्छे ढ़ंग से बात उठायी, हमने सुना और जब हमारे उत्तर देने की बारी आई तो इन्होंने अपने सदस्यों को वेल में भेज दिया। स्वयं ही थे इस सदन से विश्वास दिलाने कि हमारा कोई भी मतलब नहीं है कि सदन न चले और उसके बाद भी इस तरह का चरित्र उजागर कर रहे है कि कांग्रेस पार्टी को लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की बात को सुन लें केवल अपनी बात को सदन में कह लेना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। सरकार की भी बात सुनिये तब तो मर्यादा रहेगी सदन की। सदन की मर्यादा तभी होगी जब अपनी बात आप कहिये तो इनकी बात भी आप सुनिये, अगर परम्पराओं का पालन करना चाहते हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इनको मर्यादा में विश्वास ही नहीं है। मर्यादा को ऐसा कलंकित करने का काम अगर देश में किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है।

श्री अध्यक्ष-

अगर सदन की मर्यादा रखनी है तो अपनी बात कहने के बाद सरकार की भी बात सुनें। चलिये एक ही सदस्य बोले और पूरी बात आये लेकिन सरकार का पक्ष भी सुनना चाहिए। अगर आप मर्यादा पालन करना चाहते हैं, लोकतंत्र का पालन करना चाहते हैं तो आप इनकी भी बात सुनिये।

आप इनकी भी बात सुनिये। अरे, सर मत झुकाइये, सर क्यों झुका रहे हैं ?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, सर झुका हुआ है इनका, ऐसे आचरण से कांग्रेस पार्टी का सर झुका हुआ है।

(शोर)

मान्यवर, इनकी नजर में व्यक्ति का स्थान जाति के आधार पर है।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जाइये, कृपया बैठ जाइये।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इनकी नजर में व्यक्ति का स्थान जाति के आधार पर है। अगर दलित वर्ग की महिला को कोई शब्द कहा जायेगा, इनको नहीं खलेगा, अगर दलित की हत्या होगी यह इनको नहीं खलेगा, अगर पिछड़े वर्ग की हत्या होगी इनको नहीं खलेगा तब सी0बी0आई0 जांच की बात करना यह भूल जाते हैं। मान्यवर, इलाहाबाद में श्री राजू पाल की हत्या हुई थी। मान्यवर, आपके भी संज्ञान में है। इस सदन के चुने हुए विधायक थे। सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर उनकी हत्या करने का काम किया गया। हमारी सरकार 13 मई, 2007 को बनी। माननीया मुख्य मंत्री बहन कुमारी

मायावती जी ने मुख्य मंत्री की शपथ लिया और 15 मई, 2007 को राजू पाल की हत्या की जांच सी0बी0आई0 से कराने का प्रदेश सरकार ने आग्रह किया केन्द्र सरकार से, उसको ग्रहण करने का काम नहीं किया गया उस समय श्री प्रमोद तिवारी जी ने इस बात को नहीं उठाया कि राजू पाल की हत्या की जांच भी सी0बी0आई0 से होनी चाहिए। मान्यवर, इलाहाबाद में मदरसा काण्ड हुआ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं इनकी भी बात सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए। आपने अपनी बात पूरे सदन से कहा, आपकी बात रखी गयी। पूरा सदन आपकी बात को सुन रहा था और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जब अपनी बात कहे तो सदन को आप अव्यवस्थित कर दें। आपकी बात को कितनी गरिमामय स्थिति में सदन को व्यवस्थित करके सुना गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हैं। आप लोग यह आचरण करेंगें तो सदन कैसे चलेगा ? यह गलत बात है। आप लोग अपने-अपने आसन पर चलिये और संसदीय कार्य मंत्री जी को अपनी बात कहने दीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इनकी मजबूरी है। यह चाहते थे कि रीता बहुगुणा जोशी का घर जले। लेकिन पार्टी से निकाल न दिये जांए इसलिए यहां उसके लिए रोने का काम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं तो इस तरह से सदन कैसे चलेगा ? आप लोग अपने-अपने आसन पर चलिये। सदन की जो गरिमा है उसको बनाये रखिये। तिवारी जी, आपने एक तथ्य रख दिया अब संसदीय मंत्री जी की बात आ जाने दीजिए। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं और इस तरह से परम्परा कायम करेंगें तो सदन कैसे मर्यादित ढंग से चलेगा, कैसे लोकतंत्र और परम्पराओं का पालन होगा ? मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी बोलना चाहते हैं, आपने प्रोटेस्ट कर लिया, अब आप सब बैठ जाइये। अब अगर एक-एक सदस्य को बोलवाना चाहते हैं तो यह कैसे सम्भव है ? तिवारी जी, अब तो अपने सदस्यों को बिठा लीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इलाहाबाद मदरसा काण्ड हुआ, अल्पसंख्यक समाज की नाबालिक बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना हुई। 3 अगस्त, 2007 को माननीया मुख्य मंत्री जी ने सत्ता में आने के बाद इस घटना की सी0बी0आई0 से जांच कराने का आग्रह किया था लेकिन उसको केन्द्र की सरकार ने ग्रहण करने का काम नहीं किया। अल्पसंख्यक के साथ बलात्कार हो, पिछड़े वर्ग के विधायक की हत्या हो तो वह सी0बी0आई0 जांच के लायक नहीं है। [XXX] तो वह

नोट-[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सी0बी0आई0 जांच के लायक नहीं है लेकिन एक घर को पत्रकारों को बुलाकर कुछ चंद लोगों ने जानबूझकर अपनी वाह-वाही के लिए या अपने को बहादुर साबित करने के लिए तथा अपनी करनी को छुपाने के लिए जलवा दिया। उन्होंने मुरादाबाद में जिस तरह के शब्द का प्रयोग करके इस देश के संविधान को रौंदने का काम किया था, उस शब्द से लोगों का ध्यान हटाने के लिए हो सकता है कि प्रायोजित ढंग से उन्हीं के लोगों द्वारा यह काम कराया गया हो। निश्चित रूप से उसकी सी0बी0आई0 जांच की बात कर रहे है। जबकि वह सी0बी0आई0 की जांच के लायक नहीं है। प्रदेश सरकार ने 24 मामले सी0बी0आई0 जांच के लिए भेजे, 24 मामलों में से 7 मामलों को ग्रहण किया गया, बाकी मामलों को ग्रहण करने का काम नहीं किया गया। आज एक आगजनी की घटना की जांच सी0बी0आई0 से कराने की बात करते है।

(वेल में आये हुये सदस्य सी0बी0आई0 जांच की मांग करने के नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग अपने-अपने आसन पर चलिये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हमारी सरकार इस घटना की निष्पक्ष ढंग से जांच करवा रही है। हमारा कानून-व्यवस्था में पूरा विश्वास है, नियमों में विश्वास है, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास है और जो भी जांच में तथ्य आयेगा, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, किसी को बख्शने का काम नहीं किया जायेगा। लेकिन इस तरह से हम अपमान सहने के लिए तैयार नहीं हैं। लम्बे समय तक दलितों का अपमान प्रायोजित ढंग से कराने का काम किया गया। आजादी के 62 वर्षों के बाद भी आपने गुलामी को हटने नहीं दिया है। बहुजन समाज पार्टी इनको स्वाभिमान का जीवन देने के लिए तत्पर है, संघर्षरत है और हमारी चाहत है कि इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को सही अधिकार मिलना चाहिए, उसके साथ न्याय होना चाहिए। यह हमारी चाहत है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग अपने-अपने आसन पर चलिये। आपकी बात को शांतिपूर्वक सुना गया है, अब मा0 मंत्री जी की बात भी सुन लीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों को तहस-नहस करने का काम किया है, एक नहीं अनेकों उदाहरण है जब इन्होंने लोकतंत्र को कलंकित किया है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

इनके समय में जितने चुनाव होते रहे हैं उन चुनावों में जिस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जाती रही हैं विशेषकर प्रतापगढ़ में जिस तरह से लोकतंत्र को कलंकित करने का काम कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जाता रहा है वह इनके चरित्र को उजागर करता है। एक साधारण सी घटना है जिसकी सी0बी0सी0आई0डी0 जांच हो रही है जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी इसलिए इसको अग्राह्य करने का कष्ट करें।

(वेल में उपस्थित कांग्रेस दल के सदस्य नारे लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष-

प्रस्तुत सूचना पर मैंने श्री प्रमोद तिवारी जी को सुना, संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

वेल में उपस्थित सदस्यों से अनुरोध है कि वह अपने-अपने आसन पर जाएं।

श्री प्रमोद तिवारी-

यह सदन तब तक नहीं चलेगा जब तक सरकार सी0बी0आई0 जांच की घोषणा नहीं करेगी। जब तक सी0बी0आई0 जांच नहीं होगी सदन नहीं चलेगा।

(इसी मध्य बहुजन समाजवादी के अनेक सदस्य अपने-अपने आसन पर खड़े हो गये।)

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्यमंत्री जी ने अपना उत्तर देते समय न्यायालय का उल्लेख किया है।

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)-

पहले सदन को तो व्यवस्थित होने दीजिए उसके बाद अपनी बात रखें।

श्री अम्बिका चौधरी-

संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है जितनी भी बातें उन्होंने कहीं हैं वह सरकार का पक्ष रखते हुए कह सकते हैं इसमें कोई आपत्ति करने का प्रश्न नहीं है। हम लोग अपनी बात रखें और वह अपनी बात रखें इसमें आपत्ति नहीं यहीं लोकतंत्र की परम्परा है उन्होंने एक बात का उल्लेख किया है न्यायालय का फैसला आ गया है कि पुलिस की भर्ती में कोई धांधली नहीं हुई है भर्ती जायज है और सरकार को बाध्य होकर सबको ज्वाइन कराना पड़ा। यह पुलिस भर्ती में धांधली की बात कह रहे हैं इसके लिए इनको क्षमा याचना करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

यह नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

उसको कार्यवाही से निकलवा दें। हर हाल में निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

यह बात नहीं है। आप लोग स्थान ग्रहण करिए।

(वेल में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सदस्य वेल में ही बने रहे।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन को 20 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 1 बजकर 25 मिनट पर सदन की कार्यवाही 1 बजकर 45 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 1 बजकर 45 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2.00 बजे तक बढ़ा दिया है।)

(2.00 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी आपकी सूचना को मैं अग्राह्य कर चुका हूं फिर भी मा0 मंत्री जी से कह रहा हूं कि इसको दिखवा लें।

श्री प्रमोद तिवारी-

यह दोषियों को बचाना चाहते हैं इसलिए मैं और मेरा दल सदन का बहिस्कार करता है।

(श्री प्रमोद तिवारी ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

ए0डी0एम0 प्रोटोकाल वाराणसी द्वारा समाजवादियों के विधान सभा सदस्य श्री अब्दुल समद अंसारी के विरुद्ध फर्जी एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर पुलिस द्वारा प्रताड़ित करवाये जाने विषयक प्रकरण

श्री अब्दुल समद अंसारी-

मान्यवर, मेरे साथ, 27-7-2009 को शाम लगभग 5 बजे की घटना है। जिलाधिकारी, वाराणसी से उनके मोबाइल नम्बर पर मेरे द्वारा बात की गई। उन्होंने मुझे मिलने का समय दिया और जब मैं कचहरी परिसर में पहुंचा जिलाधिकारी महोदय रायफल क्लब में उद्योग बन्धु की बैठक में व्यस्त थे मैं रायफल क्लब के बगल में ही मौजूद प्रोटोकाल कमरे में जिलाधिकारी, वाराणसी का इंतजार कर रहा था मिलने के लिए। जब मैंने ए0डी0एम0 प्रोटोकाल के कमरे मे प्रवेश किया तो मैंने विधिवत उनको अपना परिचय दिया, इसके बावजूद वह अपनी कुर्सी से हिले तक नहीं और न ही मेरी ओर देखा। इसके बावजूद मैं कुर्सी लेकर बैठ गया मैं जिलाधिकारी का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान एक व्यक्ति जो अपना हैसियत प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए अपर जिलाधिकारी प्रोटोकाल से विनती कर रहा था कि मेरा हैसियत प्रमाण-पत्र मैंने डिमाण्ड की थी पचास लाख का इसको बना दिया जाए। जिलाधिकारी ए0डी0एम0 प्रोटोकाल द्वारा उनको लगातार मेरे सामने बेइज्जत किया गया और जब वह बेइज्जत कर रहे थे इसी दौरान मैंने कहा जनप्रतिनिधि होने के नाते, मेरे क्षेत्र की यह जनता है इस तरह का अभद्र व्यवहार इनके साथ मेरे सामने किया जा रहा है जो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं और मैंने तुरन्त घटना की समस्त जानकारी प्रमुख सचिव के मोबाइल नम्बर पर दी। इसके बाद कुछ देर मैं वहां बैठा रहा और जब मैं वहां से चला गया तब 15-20 मिनट के बाद मुझे प्रेस और मीडिया के माध्यम से यह पता चला कि मैंने ए0डी0एम0 प्रोटोकाल से मारपीट की है। जबकि ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई थी और ए0डी0एम0 के प्रोटोकाल जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए उसने जो मेरे साथ बदतमीजी की थी, उसकी सूचना मैंने उसके ही सामने प्रमुख सचिव जी से की थी, मुझे आश्वासन मिला था टेलीफोन से कि मैं इसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा। इस कार्यवाही से बचने के लिए ए0डी0एम0 प्रोटोकाल द्वारा झूठा नाटक किया गया। अपने कपड़े को स्वयं फाड़कर मीडिया के सामने आकर जिस तरह से दिखाया है यह घटना बहुत शर्मसार करने वाली है। माननीय अध्यक्ष महोदय इसके बाद जिला प्रशासन वाराणसी द्वारा

मेरे खिलाफ कैन्ट थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इसके लगभग एक घंटे के बाद भारी फौज के साथ सी0ओ0 और एस0पी0 मेरे घर पर आ गये। मैं उस समय घर पर मौजूद नहीं था। मेरी मदर इन लॉ अलकनन्दा हॉस्पिटल में थीं उनको ब्लड चढ़ रहा था सीरियस इंजरी थी मैं उनको देखने गया था। घर से निकलने के बाद पूरी फोर्स ने हास्पिटल घेर लिया लेकिन कुछ ही पल पहले मैं वहां से निकला था। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि मैं जनप्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि अपने क्षेत्र की जनता और क्षेत्रीय विकास से सम्बन्धित कार्य में हो रही देरी की शिकायत करें। मैंने जिलाधिकारी से मिलने का समय मांगा था न कि ए0डी0एम0 प्रोटोकॉल से व्यक्तिगत मेरा मामला था। चूंकि डी0एम0 वाराणसी उद्योग बंधु की मीटिंग में व्यस्त थे। इसलिए मैं बगल के कमरे में बैठने के लिए चला गया। मेरे साथ इस तरीके की घटना हुई, घटना शर्मनाक हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन के सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि सम्पूर्ण घटना की सदन की संयुक्त समिति बनाकर जांच करा लीजिए। यदि मैंने कोई मार-पीट की है या किसी के कपड़े को फाड़ा है तो उसकी भी जांच करा ली जाए और मेरे खिलाफ जो पुलिस की प्रताड़ना हो रही है उसको अविलम्ब रोका जाए। मेरे घर के अन्दर छोटे-छोटे बच्चे हैं।

(माननीय सदस्य दुःखी होकर सदन में फूट-फूट कर रोने लगे)

जिस दिन की घटना है।

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

आप रोइये नहीं।

श्री अब्दुल समद अंसारी-

अगर मैंने कोई अपराध किया है तो मैं उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मगर अध्यक्ष जी, अगर मैंने कोई गलती की है तो उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए न कि मेरे बच्चों को।

नेता विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही गंभीर मामला है। जो प्रोटोकॉल (ए0डी0एम0) है उनको विधायक को पहचानना चाहिए था। पहली बात उन्होंने पहचाना नहीं और वहां बैठने तक को भी नहीं कहा। इस तरह से सरकार में जन प्रतिनिधियों का कोई सम्मान नहीं हो रहा है। बनारस में अब्दुल समद के साथ जो हुआ वहां कोई झगड़ा, मारपीट नहीं हुई थी उसके बावजूद भी वहां पर विधायक श्री अब्दुल समद के खिलाफ मुकदमा लिखाया गया और पुलिस और जिला प्रशासन ने पूरे उनके घर के लोगों को अपमानित किया साथ-साथ आज तक पुलिस परेशान कर रही है। इसलिए बहुत ही गंभीर होकर इस पर आपको कोई निर्णय लेना चाहिए। अगर जनप्रतिनिधियों का सम्मान सुरक्षित नहीं है तो सदन की गरिमा गिरती है। सदन की गरिमा को बचाने के लिए आप इस पीठ से ऐसा निर्देश दें कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान बना रहे। लोकतंत्र में चाहे मुख्य मंत्री हो या मंत्री हों वह किसी एक दल का नहीं होता है। शपथ लेने के बाद पूरे

उ0प्र0 की जनता का जनप्रतिनिधि होता है और पूरे प्रदेश की जनता की सरकार होती है। लेकिन मान्यवर, इस सरकार में विपक्ष के लोगों की और सत्ता पक्ष के लोगों की कोई इज्जत नहीं हो रही है। मान्यवर, यह बहुत ही गंभीर मामला है। जन प्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए। विधायक को मिलना ही क्या है उन्हें तो बस सम्मान ही मिलता है और वो भी नहीं मिल रहा है और प्रोटोकाल नहीं मिल रहा है, तो ऐसी विधायकी से क्या फायदा है ? तो मान्यवर, जो प्रोटोकाल एडीएम हैं, जिन्होंने विधायक का अपमान किया है, जांच करा लेना चाहिए था, जब कोई झगड़ा ही नहीं हुआ है, कोई बात नहीं हुई है, फिर प्रमुख सचिव को तुरन्त सूचना दे दी है तो मान्यवर, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही हो जाना चाहिए और अब्दुल समद के खिलाफ जो भी मुकदमें हैं, तुरन्त वापस ले लेना चाहिए और उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, यह हमारी मांग है।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, इस बात के कड़े निर्देश प्रदेश के सभी अधिकारियों को संसदीय अनुभाग से कई बार दे दिए जा चुके हैं कि सभी जनप्रतिनिधियों को पूरा सम्मान दिया जाए और हम इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि जनप्रतिनिधियों का पूरा सम्मान होगा लेकिन जो घटना हुई है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम इस समय कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि आपने इस सूचना को ग्राह्य नहीं किया था और जो घटना हुई होगी, उसके अनुसार जिस कार्यवाही की आवश्यकता होगी, उस ढंग की कार्यवाही की जायेगी।

(सपा के कुछ सदस्य खड़े होकर बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष-

यह क्या तरीका है ? किसी बात की गंभीरता को नेता प्रतिपक्ष जी ने रखा है, आप बैठिए, जोखू लाल यादव जी। आप लोग तो मामले को हल्का कर देते हैं, मा0 सदस्य से ज्यादा आप नहीं कह पायेंगे और न ही नेता प्रतिपक्ष से ज्यादा अच्छा आप कह पायेंगे। आप बैठिए। आप लीपापोती कर सकते हैं। मा0 कुबेर जी बैठिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 नेता प्रतिपक्ष और अब्दुल समद जी के बाद और संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बात कही उसके बाद इस मामले में कहने के लिए कुछ बचता नहीं। मैं दूसरी प्रार्थना आपसे करना चाहता हूं, संसदीय कार्य मंत्री जी जो कह रहे हैं उससे हमको इतराज नहीं है। मा0 सदस्य ने जिस बात को आपके सामने रखा और नेता प्रतिपक्ष ने उसे गम्भीरता से रखा, श्रीमन् आप अपने कक्ष में सिर्फ एक बात के लिए गम्भीरता से दिखवा लीजिए इसमें उल्लेख नहीं किया जाता लेकिन प्रमुख सचिव विधान सभा को भी टेलीफोन किये जाने का भी उल्लेख है और उसी कक्ष से फोन किये जाने का उल्लेख है। जब दो तरह की सूचनाएं आयेंगी और यदि कोई प्रशासनिक अधिकारियों का संगठन अपनी हड़ताल आदि के बूते दबाव डाल करके और एक ऐसी प्रशासनिक परिस्थिति पैदा कर देगा जिसके कारण ऐसी चीजें होने लगेंगी तो किसी जन प्रतिनिधि का निकलना बड़ा मुश्किल हो जायेगा। आप सिर्फ यह दिखवा लीजिए कि अगर पेशबन्दी है तो सदस्य की रक्षा होनी चाहिए और मैं स्वीकार करना चाहता हूं कि अगर सदस्य का कोई अपराध हो तो जितनी सजा

बनती हो, उससे दुगनी सजा दी जानी चाहिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है किन्तु सिर्फ इस कारण से कि हम अपने प्रमुख सचिव या मा0 अध्यक्ष को वहां से फोन करते हैं कि देखिए हमारा यहां अपमान हो रहा है तो आप कहेंगे कि दरख्वाश्त दे दीजिए, इन दो चीजों के लिए अपने कक्ष में बैठकर विचार कर लीजिए, संसदीय कार्य मंत्री जी आप भी आ जाइये, प्रमुख सचिव जी को भी बुला लीजिए, मा0 सदस्य आ जाएं और किसी को सहयोग के लिए बुलाना चाहें तो बुला लें और गम्भीरता से देख लें ताकि एक सदस्य की ऐसी स्थिति न होने पाए इतनी ही मेरी प्रार्थना है, इसमें मैं कोई तकनीकी बात नहीं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

जैसा कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है कि सदस्यों का सम्मान होना चाहिए, मा0 नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा है और मा0 सदस्य, समद जी ने भी कहा है। मैं इस सदन के माध्यम से इस बात के लिए जरूर चाहूंगा कि यदि मा0 सदस्य अपनी मर्यादाओं और परम्पराओं की कहीं उल्लंघन नहीं कर रहे हैं तो इनका सम्मान होना चाहिए, विधायिका का सम्मान होना चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूं, और जहां भी हमारे मा0 सदस्य मर्यादाओं और परम्पराओं के अन्तर्गत है और अपने विधायी कार्यों को निर्वहन उस सीमा के अन्तर्गत कर रहे हैं तो उसके बाद यदि अपमानित होते हैं तो मैं विश्वास दे रहा हूं क्योंकि आपने मुझको इस सम्मानित पद पर बैठाया है तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं भी आपके सम्मान की रक्षा करता रहूं और करूंगा और जैसा कि अभी मा0 अम्बिका चौधरी जी ने बताया है, मैं और मा0 विधायक समद जी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी अपने कक्ष में बैठ लेंगे, कुछ आपस में विचार कर लेंगे जैसी स्थितियां होंगी। माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने सही बोला, अभी उनको पूरी जानकारी नहीं है इस स्थिति के बारे में उन्होंने स्पष्ट कह दिया है, उस पर अभी कोई टोका-टोकी आप लोग न करें। उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से स्थिति को स्पष्ट किया है कि हमको जानकारी नहीं पूरी स्थिति का लेकिन तब भी मैं सदन को विश्वास दे रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष जी को, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को, अन्य सभी सम्मानित सदस्यों को कि आपके स्वाभिमान और सम्मान के लिए इस सदन के सदस्य हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है की गरिमा बढ़े, आप लोगों का सम्मान बढ़े और हम लोग भी अपनी मर्यादाओं, परम्पराओं और सीमाओं के अन्दर जनता के प्रति जवाबदेही हमारी है, हम उसका निर्वहन करें निश्चित तौर पर मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि मैं पक्षधर हूं कि हमारे सदन के सदस्यों का सम्मान हो और स्वाभिमान हो। अभी जैसा माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि समय-समय पर निर्देश भी गये हैं अधिकारियों को कि हमारे सदस्यों के साथ कैसा आचार-विचार, व्यवहार हो, उसका कड़ाई से भी पालन हो, इस बात का भी हम लोग ख्याल करें। समद जी ने जिस तरह से सदन में अपने उद्गार व्यक्त किये हैं मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि आप सम्मानित सदस्य हैं, बहुत लम्बी जिन्दगी अभी आपकी है तमाम माहौल आयेंगे, इतनी जल्दी दिल को छोटा न करें। आप अपना हौसला रखें, आपके सम्मान के लिए हम लोग भी बैठ लेंगे, बात-चीत करेंगे।

(श्री कुबेर सिंह एवं श्री पूरन प्रकाश जी एक साथ अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे।)

श्री अध्यक्ष-

हां कुबेर सिंह जी आप बतायें, सिर्फ दो मिनट में अपनी बात कह दें।

आप जब सम्मान की बात करते हैं, तो सदन का भी सम्मान करेंगे, यही मैसेज बाहर जायेगा कि वहां सम्मानित सदस्य आचार, नियमों और परम्पराओं के आधार पर रहते हैं। अपनी बात सिर्फ दो मिनट में कहें, मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं, लेकिन जब माहौल बिगाड़ेंगे तो इसका मैसेज जाता है, गरिमाओं को रखें आप भी, यह सदन बहुत महत्वपूर्ण है बहुत भाग्यशाली है आप लोग जो इस सदन के सदस्य बनें हैं, यहां सब लोग नहीं आ सकते हैं। मैं तो बधाई दे रहा हूं कि जो सम्मानित सदस्य इस सदन के सदस्य हैं, यह बहुत बड़ा सौभाग्य आपका है, मण्डप में आप लोग बैठे हैं, इसकी गरिमा को रखिये अपने आप इसकी हनक पूरे देश और प्रदेश में जायेगी, इसलिए आप संयम रखें, संयम से बहस करें, संयम से आचार-विचार रखें, यह तो सत्ता और विपक्ष है, आपस में आरोप-प्रत्यारोप का वातावरण भी बनता है फिर प्रेम व्यवहार का वातावरण बनता है। हां कुबेर सिंह जी, आप भी थोड़ा सा संयम से कहिये अपनी बात को।

श्री कुबेर सिंह सदस्य, विधान सभा के अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र को षडयंत्र के तहत निरस्त किये जाने पर विषयक प्रकरण

*श्री कुबेर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, समय देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, इसके साथ सरकार को भी इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि उनके घिनौने असंवैधानिक जो मेरे साथ कार्य किये गये उसके द्वारा कई दिन लगातार मैं मीडिया में छाया रहा, जो मेरा प्रचार हुआ।

श्री अध्यक्ष-

तब तो आपका महत्व बढ़ गया, फिर क्यों परेशान है ?

श्री कुबेर सिंह-

मीडिया बन्धुओं से यह अपेक्षा करता हूं कि जो आज मेरे द्वारा बात कही जा रही है, उसे भी इसी प्रकार आप रखेंगे, मेरा यह अनुरोध है और एडवांस में धन्यवाद। मान्यवर, दिनांक 06-12-2006 को एक साधारण आदमी के प्रार्थना-पत्र पर मेरे खिलाफ जाति सम्बन्धी जांच प्रारम्भ हुई, जो जिलाधिकारी सम्बोधित था।

श्री अध्यक्ष-

तब किससे चाहते हैं, साधारण न रहे तो कैसा रहे ?

श्री कुबेर सिंह-

इससे पूर्व में तत्कालीन भिन्न-भिन्न तीन तहसीलदारों द्वारा स्वयं उस जांच को किया गया। एस0डी0एम0 कोर्ट में एल0आर0 ऐक्ट धारा-210 के अन्तर्गत भी निर्णय लिया गया। मैंने अपनी जमीन बेची तो अपर जिलाधिकारी राजस्व द्वारा भी अनुमति दी गई और जांच कराने के उपरान्त यह पाया गया कि इनकी जाति अगरिया है जो अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उपरोक्त पर जब षड़यंत्र के तहत यह जांच एक सीनियर लेखपाल जिसे राजस्व निरीक्षक कहते हैं जो मेरे क्षेत्र में भी तैनात नहीं हैं, उसे सौंप दी गई और उस षड़यंत्र में भाजपा से मांगे हुए पूर्व विधायक टिकट जो मांग रहे थे वह, मैंने जिन्हें बसपा से हराया वह, सब षड़यंत्र एक गोल होता गया, तो मैंने उपरोक्त षड़यंत्र को देख कर प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री से आग्रह किया। जब यह जांच तीन बार तहसील से हो चुकी है एस0डी0एम0 और ए0डी0एम0 से हो चुकी है तब फिर एक राजस्व निरीक्षक से जांच कराए जाने का क्या औचित्य बनता है। मान्यवर, मैंने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की रुलिंग भी लगाई है जिसमें कहा गया है कि एक ही बिन्दु और एक ही प्रकरण की जांच बार-बार नहीं हो सकती। यदि फिर भी सरकार के दबाव में मजबूरन जांच करानी पड़ती है तो एस0डी0एम0 के उच्च स्तर के अधिकारी से इसकी जांच कराई जाय। उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार कर लिया और उस पर निर्देश दिया। जिलाधिकारी को उन्होंने निर्देश दिया कि इस जांच को अपर जिलाधिकारी से कराया जाय। मान्यवर, जब जांच अपर जिलाधिकारी, प्रशासन को सौंपी गई तो वह इस षड़यंत्र में नहीं आए और फिर उस जांच को अपर जिलाधिकारी, वित्त को सौंप दिया गया। और वह भी जब उस षड़यंत्र में नहीं आए तो अति गोपनीय तरीके से उस जांच को मुख्य विकास अधिकारी को दे दिया गया है। मान्यवर जब मुझे जानकारी हुई कि जांच मुख्य विकास अधिकारी कर रहे हैं तो मैंने उन्हें जिलाधिकारी को सम्बोधित पत्र दिया और यह आग्रह किया कि आप संविधान के अनुच्छेद 226 का उल्लंघन कर रहे हैं। आप मुझे कृपया नोटिस दें और सुनने का काम करें। उसके उपरान्त भी उन्होंने मुझे सुनने का नोटिस नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष-

आप क्या चाहते हैं ? वह बताएं।

श्री कुबेर सिंह-

मान्यवर, मैं दुबारा प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री से मिला और उनको बताया कि आपके आदेशों की अवहेलना हो रही है और यह कि जांच अपर जिलाधिकारी से न कराकर मुख्य विकास अधिकारी से कराई जा रही है। उस पर उन्होंने आख्या मांगी कि क्यों ऐसा हो रहा है। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यालय से 37 रिमांइडर उसमें जा चुके हैं लेकिन आख्या नहीं आई और दूसरी ओर मेरा जाति प्रमाण-पत्र निरस्त हो गया। फिर उसके बाद मैं उच्च न्यायालय गया और न्याय की पुकार की। मान्यवर, वहां पर सरकार के अधिवक्ताओं ने जान छुड़ाने के लिए तारीखें लीं पहले 28 तारीख लगी फिर 3 तारीख लगी और वहां आदेश हो गया। मैंने उस डाइरेक्शन की कॉपी को जो फैक्स हो रहा है, दिया है किसी तरीके से वह अधिवक्ता उसमें सरकार की जान बचा पाए हैं। मान्यवर, आप देखें कि क्या हो रहा है ? मान्यवर, उसी जाति प्रमाण-पत्र पर अन्य नियुक्तियों का मामला है। मान्यवर, इस निकम्मी सरकार को शर्म नहीं आ रही है जो इस तरह से षड़यंत्र किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाएं। आपने लिखा-पढ़ी में सारी बातें कहीं हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, इन्हें कोर्ट से तो न्याय मिल जाएगा ऐसी उम्मीद है। लेकिन मान्यवर, जो सर्टिफिकेट के आधार पर विधायक चुनीं जा चुकी हैं और ब्लॉक प्रमुख हैं। उसी तहसील से अन्य लोगों को भी सर्टिफिकेट मिला है। मान्यवर, निश्चित रूप से यह विधायक हो गये हैं इसमें राजनीतिक दबाव के कारण यह कार्य हो रहा है यह इनकी पीड़ा है। मान्यवर, क्या यह सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिये किसी जनप्रतिनिधि का जाति प्रमाण-पत्र निरस्त करा देगी। मान्यवर, आप इसका संज्ञान लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मैंने संज्ञान ले लिया है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

आखिर किसी स्तर पर इसकी जांच होनी चाहिये या नहीं। मान्यवर, एक विधायक की सदस्यता समाप्त करने की साजिश हो रही है। आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहूंगा कि इसका संज्ञान ले लें।

नेता विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुबेर सिंह अंगरिया, को लेने का षड़यंत्र हो रहा है और उन्होंने बता ही दिया है जो लोग उसमें शामिल हैं तो यह मामला बहुत ही गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष-

शांत रहिये, कुबेर सिंह इमानदारी से बता दिये तो उसी में फिर आप रद्दा रख रहे हैं।

श्री शिव पाल सिंह यादव-

जबकि अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र उनके पिता, उनके बाबा, उनके परबाबा उनकी पत्नी ब्लाक प्रमुख हुई इसी प्रमाण-पत्र से अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र अंगरिया जाति से, और उसके बावजूद भी जो षड़यंत्र चला है वह बहुत ही गम्भीर है। अगर इन विधायकों की इस तरह से षड़यंत्र के तौर के पर जांचे होंगी और अपमानित किया जायेगा तो इस पर आपका संज्ञान बहुत ही आवश्यक है। इसलिए संज्ञान ले करके जिन अधिकारियों का षड़यंत्र है उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, जाति की अगर शिकायत मिलेगी, जांच होना एक अच्छी प्रक्रिया है और यह निश्चित रूप से अगर घिनौने ढ़ंग से कोई जाति प्रमाण-पत्र बनवाता है तो उसकी जांच होनी चाहिए और जांच में जो तथ्य आयेंगे उसके अनुसार कार्यवाही होगी । जहां तक इस प्रकरण का प्रश्न है उसके लिए माननीय विधायक ने स्वयं इस बात को कहा कि उच्च न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन प्रदेश में इस तर्क के आधार पर किसी बात को सही नहीं साबित किया जा सकता कि पहले भी यह जाति का प्रमाण-पत्र मिला है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां बहुत से लोगों को जाति प्रमाण-पत्र मिला है, गलत ढ़ंग से किसी ने एक गलत बनवा लिया तो उसको यह आधार नहीं माना जा सकता कि एक गलत ही गलत सही होता जाय। तो अगर गलत भी बना है और उसकी जांच होने पर वह गलत पाया जाता है तो निश्चित रूप से उसके अनुसार कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी इनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है।

श्री हुकुम सिंह-

उच्चाधिकारियों के जांच के बाद क्या लेखपाल जांच करेगा ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, सी0डी0ओ0 ने जांच की है। इन्होंने कहा कि नीचे के अधिकारी से जांच नहीं होनी चाहिए, सी0डी0ओ0 ने जांच की है यह इन्होंने स्वयं कहा है।

श्री अध्यक्ष-

सी0डी0ओ0 के जांच के बाद नीचे के अधिकारी से जांच का कहां सवाल है ? जाति प्रमाण-पत्र की वैधता-अवैधता का विषय मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है।

डा0 रफी अहमद उस्मानी सदस्य विधान सभा को जान से मारने की धमकी दिये जाने विषयक प्रकरण

श्री अध्यक्ष-

उस्मानी साहब को धमकी मिल रही है। उस्मानी साहब आप एक मिनट में अपनी बात रख दीजिए।

डा0 रफी अहमद उस्मानी-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे मोबाइल नं0 9415172650 पर दिनांक 15-6-09 को मुझको तथा मेरे परिवार को जान से मार देने की धमकी मिली और यह कहा था कि तुम विधान सभा में बहुत बोलते हो तुम्हारी आवाज बंद कर देंगे और जिस फोन से बात की गयी वह मोबाइल नं0 था 9792365102। उस फोन कर्ता ने अपना नाम गलत बताया, शमीम हिदायत लेकिन जब मैंने इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट कोतवाली लखीमपुर सदर में दर्ज करायी तो उन्होंने जांच की सर्विलांस से उस मोबाइल धारक का नाम पता सब मालूम हो गया। लेकिन आज तक मैंने कोतवाली लखीमपुर खीरी के कोतवाल से कहा कि मुझे उस व्यक्ति को पहचनवा दीजिए। कहीं देर-सवेर मिल जायेगा तो हम उसको पहचान लेंगे लेकिन आज तक न तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और न ही उसे मुझको दिखाया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह बताना चाहता हूं कि कल मेरी सुरक्षा के लिए एक प्रश्न लगा था यही विधान सभा में, उसका जवाब मिला है कि इनकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है तथा लखीमपुर खीरी की जनपदीय सुरक्षा समिति ने इनकी सुरक्षा के लिए कोई संस्तुति नहीं की है। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि यह दिखवा लें जनपदीय सुरक्षा समिति, लखीमपुर खीरी ने अतिरिक्त सुरक्षा देने की संस्तुति की है। जनपद लखनऊ की जनपदीय सुरक्षा समिति जो इनकी सरकार की सुरक्षा समिति है उसने संस्तुति की है अतिरिक्त सुरक्षा देने की, उसके बावजूद अतिरिक्त सुरक्षा नहीं दी जा रही है। कल मैं यहीं विधान सभा की कार्यवाही में मा0 अध्यक्ष जी, भाग ले रहा था, मेरी सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न है। मेरी गाड़ी पड़रिया पूरा थाना भीरा जनपद-लखीमपुर खीरी से आ रही थी, रास्ते में दो शराबियों ने उसे मलूकापुर गांव के पास रोका। ड्राइवर को अपशब्द कहे कि आपने मुझको साइड नहीं दिया आदि-आदि। गांव वाले इकट्ठा हुए तो उन्होंने उसको किनारे किया और गाड़ी वहां से चली आयी। गाड़ी चली आने के बाद।

श्री अध्यक्ष-

आप सुरक्षा के मसले पर अपनी बात कहिये। शराबी रास्ते में कहीं मिल गये उससे इसका क्या सम्बन्ध है ?

डा0 रफी अहमद उस्मानी-

मा0 अध्यक्ष जी, उसके बाद क्या हुआ, यह बता रहा हूं, उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है। एस0डी0एम0 को किसी ने फोन किया कि विधायक आर0 ए0 उस्मानी की गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है और उसको रोक लिया जाए। पूरे जिले में वायरलेस हुए। सुनहरा पुलिस चौकी थाना फूलगंज में मेरी गाड़ी रोकी गयी बाद में पुलिस वालों ने गाड़ी को छोड़ दिया उसके बाद मेहनरवागंज पुलिस चौकी थाना कोतवाली लखीमपुर में मेरी गाड़ी कल रोकी गयी। मा0 अध्यक्ष जी इस तरह से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। इस तरह से मेरी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, हम आपसे संरक्षण चाहते हैं।

नेता विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, सुरक्षा का इंतजाम करवा दें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, इन्हें जान से मारने की धमकी मिली है और मोबाइल नम्बर भी ट्रेस आउट हो गया है तो इसको दिखवा लें।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं इसको दिखवा लूंगा।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, एक मिनट का समय दे दें। मेरे साथ एक घटना हुई है उसके बारे में बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अभी बैठ जाइये। मैं सुन लूंगा, शैलेन्द्र जी आप लोगों को सुन लूंगा, व्यक्तिगत जीवन/सुरक्षा का होगा तो हम कहां भाग रहे हैं, सुन लूंगा।

सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र देने वाले मा0 सदस्यों का त्याग-पत्र स्वीकार होने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के निम्नलिखित सदस्य जो सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिये हैं तथा जिनका त्याग-पत्र स्वीकार हो गया है उनकी सूचना सदन को दी जा रही है :-

क्र0 सं0	नाम	विधान सभा संख्या/ क्षेत्र एवं जिला	त्याग-पत्र स्वीकार होने की तिथि
1	श्री गौरी शंकर एडवोकेट	83-मलिहाबाद (अ0जा0), लखनऊ	03 मार्च, 2009, अपराह्न
2	श्री धनीराम वर्मा	291-बिधुना, औरैया	03 मार्च, 2009, अपराह्न
3	श्री कादिर राणा	391-मोरना, मुजफ्फरनगर	03 मार्च, 2009, अपराह्न

क्र0 सं0	नाम	विधान सभा संख्या/ क्षेत्र एवं जिला	त्याग-पत्र स्वीकार होने की तिथि
4	श्री राजीव त्रेहन उर्फ राजीव चन्ना	16-मुरादाबाद (प0), मुरादाबाद	03 मार्च, 2009, अपराह्न
5	श्री मुलायम सिंह यादव	290-भरथना, इटावा	26 मई, 2009, पूर्वाह्न
6	श्री राम किशुन	224-मुगलसराय, चन्दौली	26 मई, 2009, पूर्वाह्न
7	श्री मिथलेश कुमार कठेरिया	45-पुवांया (अ0जा0), शाहजहांपुर	26 मई, 2009, पूर्वाह्न
8	श्री लाल जी टण्डन	86-लखनऊ (प0), लखनऊ	26 मई, 2009, अपराह्न
9	श्री प्रदीप जैन अदित्य	312-झांसी, झांसी	26 मई, 2009, अपराह्न
10	श्री धनन्जय सिंह	239-रारी, जौनपुर	27 मई, 2009, पूर्वाह्न
11	श्री अजय राय	229-कोल असला, वाराणसी	28 मई, 2009, पूर्वाह्न
12	श्री कुँवर रतनजीत प्रताप नरायण सिंह	181-पडरौना, कुशीनगर	28 मई, 2009, अपराह्न
13	श्री चन्द्र भद्र सिंह	108-इसौली, सुल्तानपुर	09 जून, 2009, पूर्वाह्न
14	श्री दशरथ प्रसाद चौहान	162-हैसर बाजार (अ0जा0) सन्त कबीरनगर	17 जुलाई, 2009, अपराह्न

यू0 पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन 2005-2006

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम की धारा-619ए (2) में दी गई व्यवस्थानुसार यू0 पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन 2005-2006 को विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

पन्द्रहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र, 2009 (दिनांक 10 फरवरी, 2009 से 20 फरवरी, 2009 तक) में नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश की पन्द्रहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र, 2009 (दिनांक 10 फरवरी, 2009 से 20 फरवरी, 2009 तक) उत्तर प्रदेश की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण उत्तर प्रदेश विधान सभा के मा0 अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या-14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 04 अगस्त, 2009 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 38 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं :-

पहली सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की मान्यवर, काशीराम आवास योजना अन्तर्गत इलाहाबाद महानगर में गरीबों को मुफ्त आवास आवंटन हेतु सार्वजनिक विज्ञापन करके पात्र व्यक्तियों को ही आवास आवंटित करने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री भोला पासवान की छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में बी0 टेक0 का सत्र एवं सेमेस्टर शासन की अनुमति के अनुरूप किये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री अनूप कुमार गुप्ता की जनपद सीतापुर अन्तर्गत पनाहनगर नीमसार घाट भैनगांव के अधूरे पुल निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त कराने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना डॉ0 वकार अहमद शाह की बहराइच के तहसील कैसरगंज अन्तर्गत चिलहरिया में पात्र भूमिहीनों को पट्टे न देकर अपात्रों को पट्टे दिए जाने की जांच के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री संजय कपूर रामपुर की तहसील बिलासपुर में भाखड़ा नदी पर ग्राम खण्डिया के पास नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में है। छठी सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की बलरामपुर जिला मुख्यालय पर पोस्टमार्टम हाऊस बनवाने तथा तहसील तुलसीपुर एवं उतरौला में फायर स्टेशन बनवाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री उदय भान करवरिया की इलाहाबाद नगरमहापालिका द्वारा आवंटित गुमटियों को गिराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री शम्भू चौधरी जनपद कुशीनगर में सिलसिलेवार हो रही हत्याओं एवं हरिजनों के उत्पीड़न से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। नौवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग में सीधी भर्ती के रेडियो केन्द्र अधिकारी के पद हेतु दिनांक 6-8-2006 को आयोजित प्रारम्भिक परीक्षा के पश्चात् शारीरिक दक्षता आदि का परीक्षाफल घोषित करने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की आगरा में भगवान टाकिज से लेकर दयाल बाग स्मारक की सड़क पर डिवाईडर बनवाकर प्रकाश की व्यवस्था करवाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री जोखू लाल यादव की इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर क्षेत्रान्तर्गत जीर्ण-शीर्ण सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर महानगर स्थित अधूरे प्रेक्षागृह का निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना डा0 रफी अहमद उस्मानी की जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम नकहा के गाटा संख्या-271 सार्वजनिक भूमि पर नाजायज कब्जा हटवाने के सम्बन्ध में है।

माननीय सदस्यों के नाम, जिनकी सूचनाएं अस्वीकार हुईं :-

1-श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह 2-श्री दुर्गा प्रसाद यादव 3-श्री लालजी यादव 4-श्री भगवत शरण गंगवार 5-डॉ0 राजेन्द्र सिंह 6-श्री सलिल विश्नोई 7-श्री विजय बहादुर यादव 8-श्री सुरेश कुमार खन्ना 9-डॉ0 ज्योत्सना श्रीवास्तव 10-श्री लल्लू सिंह 11-श्री यशपाल सिंह चौहान 12-श्री श्यामदेव राय चौधरी 13-डॉ0 कौशल किशोर 14-श्री अब्दुल वारिस खां 15-श्री पूरन प्रकाश 16-श्री संजीव दरियाबादी 17-श्री अवधेश प्रसाद 18-श्री सुखलाल 19-श्री सुल्तानबेग

20-श्री इमरान मसूद 21-श्री महेन्द्र सिंह उर्फ झीन बाबू 22-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद 23-श्री मदन चौहान 24-चौ0 सत्यपाल सिंह एवं 25-श्री बैजनाथ दुबे।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयी)

मान्यवर, श्री काशीराम आवास योजना अन्तर्गत इलाहाबाद महानगर में गरीबों को मुफ्त आवास आवंटन हेतु सार्वजनिक विज्ञापन करके पात्र व्यक्तियों को ही आवास आवंटित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[इलाहाबाद महानगर में गरीबों को मुफ्त आवास उपलब्ध कराने के लिये मान्यवर श्री कांशीराम आवास योजना अन्तर्गत 1500 भवन बनाये जा रहे हैं। एक भवन की लागत लाखों रुपये में है। भवन आवंटन की प्रक्रिया को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है इसके लिये कौन पात्र होगा ? कब, कहां और कैसे आवेदन किया जायेगा कोई निश्चित नहीं है ? शासकीय कार्यों का प्रतिदिन समाचार-पत्रों, दूरदर्शन आदि पर विज्ञापन किया जा रहा है किन्तु इस मामले में कोई सार्वजनिक विज्ञापन नहीं किया जा रहा है। सारी कार्यवाही गुपचुप तरीके से किये जाने से तरह-तरह की भ्रातियां व संदेह उत्पन्न हो रहे हैं। दलाल प्रकृति के तमाम लोग मलिन बस्तियों में घूम-घूमकर गरीबों का शोषण कर रहे हैं। शासन के बजटीय प्राविधान द्वारा योजनाओं में धन व्यय किये जाने के उपरान्त बिना सार्वजनिक विज्ञापन के कोई मनमाना आवंटन, वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार होगा।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर मान्यवर श्री कांशीराम आवास योजना अन्तर्गत आवास आवंटन हेतु सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा आवंटन करने तथा निष्पक्ष जांचोपरान्त वास्तविक पात्र व्यक्तियों को ही आवास आवंटित किये जाने की मांग करता हूं।]

छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में बी0टेक0 का सत्र एवं सेमेस्टर शासन की अनुमति के अनुरूप किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री भोला पासवान-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से अति लोक महत्व के विषय के तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश में बी0टेक0 का सत्र चल रहा है छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में बी0टेक0 का सत्र एवं सेमेस्टर शासन की नीति के अनुसार नहीं किया जा रहा है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में केमिकल संवर्ग में केवल अनुसूचित जाति के छात्रों को ही जुलाई, 2003 से वर्ष 2009 तक के मध्य का बैक पेपर बनाकर रोक दिया गया है। इस तरह से छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और उनको प्रताड़ित भी किया जा रहा है। क्या सरकार वहां पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी के प्रति कानूनी कार्यवाही कर न्याय दिलाने का

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कष्ट करेंगे। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में बी0टेक0 का सेमेस्टर समाप्त होने के बाद बैक पेपर परीक्षा हेतु कितने वर्ष/समय सीमा निर्धारित की गयी है। यह प्रकरण पूरे प्रदेश के बी0टेक0 छात्रों का मामला है और जनहित का है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर अन्तर्गत पनाहनगर नीमसार घाट भैनगांव के अधूरे पुल निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अनूप कुमार गुप्ता-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, जनपद सीतापुर अन्तर्गत पनाहनगर नीमसार घाट भैनगांव पुल जो काफी दिनों से बन रहा है और वर्तमान समय में धनाभाव के कारण उक्त पुल का निर्माण कार्य रोक दिया गया है। इस सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण विभाग सीतापुर द्वारा एम0डी0 सेतु निगम, उ0 प्र0 लखनऊ को पत्र लिखकर तत्काल धनराशि दिये जाने की मांग की गयी थी परन्तु अभी तक धनराशि जारी नहीं की गयी है। कार्य में विलम्ब होने के कारण उक्त पुल की लागत भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और स्थानीय लोगों को आवागमन में भी काफी असुविधा हो रही है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं तथा तत्काल धनराशि अवमुक्त किये जाने की भी मांग करता हूं।]

जनपद बहराइच के तहसील कैसरगंज अन्तर्गत चिलहरिया में पात्र भूमिहीनों को पट्टे न देकर अपात्रों को पट्टे दिये जाने की जांच के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 सकार अहमद शाह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, जनपद बहराइच के तहसील कैसरगंज अन्तर्गत चिलहरिया में अवैध रूप से अपात्रों को पट्टे दे दिये गये हैं और पात्र भूमिहीनों को इससे वंचित रखा गया है। वहां के स्थानीय लेखपाल व उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से यह सारा कार्य फर्जी तरीके से किया गया है। इस सम्बन्ध में गांव के लोगों द्वारा 30-6-2009 को पट्टा निरस्त किये जाने का प्रार्थना-पत्र उप जिला अधिकारी कैसरगंज को दिया, 1-7-09 को जिलाधिकारी को दिया परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी, कोई जांच नहीं करायी गयी। गाटा सं0-618 जो मौके पर सड़क है पट्टा बना दिया गया है गाटा सं0-1 मौके पर सड़क है, गाटा सं0-57 मौके पर चौड़ा रास्ता है और उसके बगल में मुर्दे भी दफनाये जाते हैं इस तरह के तमाम गाटा संख्याएं ऐसे हैं जिनका फर्जी रूप से पट्टा कर दिया गया है। इससे ग्रामीणों में भारी रोष एव क्षोभ व्याप्त है, कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल फर्जी रूप से किये गये पट्टे व इसमें लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों को दण्डित किये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूं।]

रामपुर की तहसील बिलासपुर में भाखड़ा नदी पर ग्राम खण्डिया के पास नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री संजय कपूर-

[जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में भाखड़ा नदी पर ग्राम खण्डिया के पास नदी का पुल नहीं है जिस कारण नदी के पार के 50-60 ग्रामों का रास्ता बरसात में तहसील व जिले से टूट जाता है। इस पुल के न बनने से जनता में काफी रोष व्याप्त है। इस पुल को बनाने का आगणन शासन में लम्बित है तथा वित्त विभाग द्वारा सहमति भी मिल चुकी है। बार-बार प्रयासों के बाद भी शासन द्वारा धन आवंटित नहीं किया जा रहा है। इस पुल का बनना जनहित में बहुत आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

बलरामपुर जिला मुख्यालय पर पोस्टमार्टम हाउस बनवाने तथा तहसील तुलसीपुर एवं उतरौला में फायर स्टेशन बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद बलरामपुर वर्ष 1997 में नये जनपद का सृजन हुआ था परन्तु आज तक उक्त जिला मुख्यालय पर पोस्ट मार्टम हाउस नहीं बनाया गया है। आये दिन घटनायें होने व अन्य कारणों से पोस्ट मार्टम की आवश्यकता पड़ने पर अन्य जनपदों में जाना पड़ता है जिससे जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तहसील उतरौला एवं तुलसीपुर में फायर स्टेशन की स्थापना किया जाना भी अत्यन्त आवश्यक है। यह जनहित का विषय है एवं लोक महत्व का है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल जनपद बलरामपुर में पोस्ट मार्टम हाउस बनाये जाने तथा उतरौला एवं तुलसीपुर तहसील में फायर स्टेशन स्थापित किये जाने की मांग करता हूं।]

इलाहाबाद नगरमहापालिका द्वारा आवंटित गुमटियों को गिराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री उदयभान करवरिया-

[महोदय, सिविल लाइन्स इलाहाबाद की मुख्य सड़कों व पटरियों के किनारे पर नगर महापालिका द्वारा गुमटियों का निर्माण कराकर समाज के कमजोर लोगों को कारोबार करने के लिए

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नगर महापलिका अधिनियम व उत्तर प्रदेश रोड साइड लैंड कन्ट्रोल नियम में प्रदत्त अधिकारों के तहत गुमटियों का आवंटन लगभग 40-45 वर्षों पूर्व किया गया था। अनवरत तभी से काराबोर करते हुए दुकानदार व दुकान पर कार्यरत कर्मचारी जो कि हजारों की संख्या में है, अपना तथा अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं जिनकी तादाद लगभग 15000 से भी ज्यादा है। ऐसा प्रतीत होता है कि कामर्शियल बहुमंजिली इमारतों के निर्माण करने वालों के दबाव में इन गुमटियों को गिराने की योजना बनाई गई है। मा0 उच्च न्यायालय के अवैध अतिक्रमण को हटाने के आदेशों का हवाला देकर वैध नगर महापालिका की आवंटित दुकानों को गिराने की कोशिश लगभग 4-5 बार की जा चुकी है।

नगर महापालिका द्वारा आवंटित दुकानों को गिराये जाने की कोई नोटिस भी नहीं जारी की गई। समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ कि यातायात के बढ़ते दबाव के कारण जनहित में गुमटियों को ध्वस्त किया जाना आवश्यक हो गया है। महात्मा गांधी मार्ग पर मेटल रोड लगभग 50 फिट चौड़ी है तथा मेटल रोड के बाद दोनों ओर लगभग 27 फिट खुली जमीन है जिसके बाद ही ऐसी गुमटिया आबाद है।

अतः लोक महत्व के इस प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब इस प्रकार की जा रही कार्यवाही को रोकने की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर में सिलसिलेवार हो रही हत्याओं एवं हरिजनों के उत्पीड़न से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शम्भू चौधरी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से विधान सभा क्षेत्र नौरंगिया जनपद कुशीनगर के पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने सिलसिलेवार हो रही हत्याओं एवं हरिजनों के उत्पीड़न की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, बड़े खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि एक तरफ सरकार कानून व्यवस्था कायम करने, दलितों, निर्बल असहाय व्यक्तियों का शोषण उत्पीड़न न हो, उसके लिए नये-नये नियम एवं योजनायें बना रही है। वहीं दूसरी तरफ कुशीनगर पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने एवं हरिजनों का उत्पीड़न कार्य चरम पर है।

दिनांक 14-5-2009 को पनियहवा रेलवे स्टेशन के पास एक लाश त्रिलोकी कुशवाहा पुत्र विश्वनाथ कुशवाहा की मिली, उसके पूर्व भी हनुमानगंज थाना क्षेत्र में वर्तमान समय में तैनात थानाध्यक्ष के कार्यकाल में मात्र तीन माह के भीतर लगभग आधा दर्जन हत्या कर फेंकी गयी लाशें मिली। किन्तु हत्याओं का सिलसिला बढ़ता देख आस-पास के गांवों की जनता आतंकित, भयभीत एवं आक्रोशित होकर थानाध्यक्ष हनुमानगंज के खिलाफ अपनी मांग लेकर प्रदर्शन करने लगे। जिसमें तत्कालीन सी0ओ0 खड्डा सहित थानाध्यक्ष हनुमानगंज, थानाध्यक्ष खड्डा, थानाध्यक्ष नौरंगिया व थानाध्यक्ष रामकोला व सिपाहियों ने प्रदर्शन कर रहे आम जनता पर लाठी चार्ज कर बुरी तरह से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मारने पीटने का कार्य व प्रशासनिक तान्डव किया। जिसमें आने जाने वाले राहगीरों को भी बुरी तरह से अपशब्दों का बौछार करते हुए मारा पीटा। ज्यादा करके अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को नाम पूछ-पूछकर जाति सूचक शब्दों एवं गालियों का प्रयोग करते हुए पीटने का कार्य किया। उदाहरण स्वरूप श्री नत्थू प्रसाद पुत्र श्री लखन प्रसाद, बिल्लू प्रसाद, रघुनाथ प्रसाद व जमालुद्दीन को बुरी तरह से मारा पीटा, जिसका डाक्टरी परीक्षण भी उक्त व्यक्तियों ने कराया। उक्त पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने हेतु प्रार्थना-पत्र श्री नत्थू प्रसाद ने दिया है किन्तु उल्टे पुलिस अपने बचाव में मुकदमा अपराध संख्या-191/09 के तहत 22 नामजद एवं 150 अज्ञात व्यक्तियों पर फर्जी मुकदमा दर्ज कर उत्पीड़न कर रही है।

अतः इस अविलम्बनीय विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मैं पूरे प्रकरण की जांच, दोषी पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्यवाही करने एवं उक्त फर्जी मुकदमें को वापस लेने की मांग करता हूं।]

उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग में केन्द्र अधिकारी के पद की परीक्षा का परीक्षाफल घोषित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग में सीधी भर्ती के रेडियो केन्द्र अधिकारी के पद हेतु दिनांक 06 अगस्त, 2006 को प्रारम्भिक परीक्षा उ0 प्र0 पुलिस रेडियो मुख्यालय महानगर लखनऊ में आयोजित की गयी थी। तत्पश्चात् सफल परीक्षार्थियों की शारीरिक दक्षता एवं नाप हेतु उ0 प्र0 पुलिस रेडियो प्रशिक्षण केन्द्र महानगर लखनऊ में दिनांक 27 नवम्बर, 2006 को परीक्षा हुई थी। इसी क्रम में उक्त पद हेतु मुख्य लिखित परीक्षा 28 फरवरी, 2007 को सम्पन्न हुई थी किन्तु अभी तक उस परीक्षा का परिणाम नहीं घोषित किया गया। सैकड़ों की संख्या में जिन छात्रों ने उपरोक्त परीक्षा दी थी उनकी आयु सीमा भी अब सरकारी नौकरियों में निर्धारित आयु सीमा से अधिक हो गयी है और वह परीक्षाफल का इंतजार कर रहे हैं इस प्रकार उनका भविष्य अंधकार में है। उक्त परीक्षाफल घोषित न करने के लिए किसी भी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश नहीं है और न ही कोई वाद किसी न्यायालय में लम्बित है। इसलिए यह आवश्यक है कि रेडियो केन्द्र अधिकारी के पद हेतु मुख्य लिखित परीक्षा जो 28 फरवरी,2007 को सम्पन्न हुई थी का परीक्षाफल शीघ्र घोषित किया जाय।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब परीक्षाफल घोषित करने की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आगरा में भगवान टाकीज से लेकर दयालबाग स्मारक की सड़क पर डिवाईडर बनवाकर प्रकाश की व्यवस्था करवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जगन प्रसाद गर्ग-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

ऐतिहासिक नगर आगरा में भगवान टाकीज से लेकर दयालबाग स्मारक की सड़क 100 फिट चौड़ी होने के बावजूद जाम से त्रस्त रहती है। इसका प्रमुख कारण इस मार्ग पर प्रकाश एवं डिवाइडर का न होना है। यदि इस सड़क पर डिवाइडर डालकर मरम्मत कर दिया जाय तथा डिवाइडर के ऊपर खम्भे लगाकर लाइट लगा दिया जाय तो आगरा में आने वाले लाखों पर्यटकों एवं वहां के निवासियों को जाम से निजात मिल जायेगा। इससे आगरा आने वाले पर्यटकों, विद्यार्थियों, मरीजों व क्षेत्रीय निवासियों को काफी सुविधा होगी। कई बार इस सम्बन्ध में उचित माध्यम से जिला स्तर पर प्रयास किया गया परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी जिससे जनमानस में आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए इस मार्ग पर डिवाइडर एवं प्रकाश की व्यवस्था हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर क्षेत्रान्तर्गत जीर्ण-शीर्ण सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जोखू लाल यादव-

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र प्रतापपुर, जनपद इलाहाबाद के निम्नलिखित सम्पर्क मार्ग है :-

1-प्रतापपुर उग्रसेन मार्ग से बीबीपुर, कबूला, जमुवा, बसना होते हुए बसनेहटा सम्पर्क मार्ग।

2-फूलपुर बारी मार्ग से बसनेहटा तिराहा से बसनेहटा उडगी होते हुए बीबीपुर जाने वाला सम्पर्क मार्ग।

3-सिढौली से मलुथुआ सम्पर्क मार्ग।

4-फूलपुर सिकन्दरा मार्ग से तिसौरा गांव का सम्पर्क मार्ग।

5-मैलहन से नई कोटि होते हुए अमिलीयां तिराहा सम्पर्क मार्ग जो अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं। आवागमन बाधित होता है। उपरोक्त सम्पर्क मार्गों की लम्बाई अधिक होने के कारण विधायक निधि से बनवाना संभव नहीं है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त समस्या के निदान हेतु सरकार से अविलम्ब कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गोरखपुर महानगर स्थित अधूरे प्रेक्षागृह का निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल-

[05-09-1986 में गोरखपुर में प्रेक्षागृह के निर्माण हेतु आराजी छावनी स्थित नजूल भूखण्ड संख्या-55 में से 1.60 एकड़ भूमि और भूखण्ड संख्या-53 में से 1.36 एकड़ भूमि शासनादेश द्वारा संस्कृति विभाग के पक्ष में आवंटित की गई थी। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रण में कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम द्वारा उपरोक्त भूमि पर प्रेक्षागृह का निर्माण कराया जा रहा था, जिस पर रुपये 1 करोड़ व्यय करके तकरीबन 20 प्रतिशत कार्य करा लिया गया है।

लेकिन उसके बाद से प्रेक्षागृह परियोजना प्रशासनिक लापरवाही का शिकार हो गई और प्रेक्षागृह का निर्माण रुक गया। इस महत्वपूर्ण परियोजना के पूर्ण होने से न सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक कर्मियों को अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए मंच मिलता बल्कि पूरे क्षेत्र में राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामाजिक प्रदूषण के विरुद्ध सकारात्मक लड़ाई भी लड़ी जाती।

लेकिन गोरखपुर विकास प्राधिकरण एवं संस्कृति विभाग के बीच लटकी यह परियोजना दोनों विभागों के सकारात्मक सहयोग से पूर्ण होने के स्थान पर दोनों विभागों के अनुत्तरदायित्वपूर्ण आचरण के कारण वर्षों से अधूरी लटकी है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश का अकेला सम्मानित सांस्कृतिक केन्द्र होने के कारण करोड़ों लोगों की आंखें सरकार की कार्यकुशलता पर लगी हुई है। अत्यन्त आवश्यक होने के बावजूद भी गोरखपुर विकास प्राधिकरण की निष्क्रियता के कारण छोटे से विवाद को समाप्त नहीं किया जा सका है।

अतः लोक महत्व के इस निश्चित एवं अविलम्बनीय विषय को विधान सभा कार्य-प्रक्रिया नियमावली के नियम-301 को सदन में उठाने के लिए स्वीकृति प्रदान करें।]

जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम नकहा से गाटा संख्या-271 सार्वजनिक भूमि पर नाजायज कब्जा हटवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 रफी अहमद उस्मानी-

[महोदय, आपसे अनुरोध है कि जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील लखीमपुर के अन्तर्गत ग्राम नकहा के गाटा सं0-271 रकबा 0.9140 हे0 सार्वजनिक भूमि राजस्व अभिलेखों में बाजार के नाम दर्ज है उक्त भूमि पर सतीश मिश्रा, अनिल मिश्रा, सुनील मिश्रा, पुत्रगण बाबूराम मिश्रा निवासीगण ग्राम नकहा, थाना व जनपद खीरी ने अवैध कब्जा कर उक्त सार्वजनिक भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया है। जिससे क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश/जनाक्रोश व्याप्त है। सार्वजनिक भूमि से अवैध कब्जा हटाकर मलबा हटाना नितान्त जरूरी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार से उत्तर देने की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 4 अगस्त, 2009 को नियम-300 के अन्तर्गत कुल 9 सूचनाएं प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, द्वारा पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय कन्या महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाओं को शुरू करने के सम्बन्ध में विधान सभा के द्वितीय सत्र 2007 के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0-16 द्वारा सदन में दिये गये आश्वासन को पूरा न किये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री शम्भू चौधरी की माननीय सदस्य द्वारा विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं का उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि की स्वीकृत धनराशि के माहवार आहरण फेजिंग व्यवस्था के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी, श्री अनूप कुमार सण्डा की उ0 प्र0 विधान सभा के उपाध्यक्ष पद का चुनाव न कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना डा0 राजेन्द्र सिंह की पिछले विधान सभा सत्र में आगरा जनपद के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में सड़क निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व एक पुल के निर्माण कार्य में कोई प्रगति न होने के सम्बन्ध में है, छठवीं सूचना श्री उदयभान करवरिया की प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता तथा मानक का पालन न होने से बुनियादी शिक्षा का ढांचा कमजोर हो जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना डा0 रफी अहमद उस्मानी की प्रदेश में डिग्री कालेज खोलने से पूर्व एन0ओ0सी0 प्राप्त होने में शासनादेश का पालन न किये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री मदन चौहान की विधायकों को इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री कुबेर सिंह की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध कार्य किये जाने के सम्बन्ध में है। पहली तीन सूचनाओं को छोड़कर शेष पर नहीं सुना जायेगा। पहली सूचना सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी, क्या कहना चाहते हैं। आपका प्रश्न क्या था, बस एक मिनट में कह लीजिये कि आश्वासन पूरा नहीं हुआ कैसे बतायें।

पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय कन्या महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी में स्नातकोत्तर कक्षायें शुरू करने के सम्बन्ध में विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2000 के दूसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-16 के उत्तर में दिये गये आश्वासन को पूरा न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, 2007 में इसी सदन में मैंने प्रश्न लगाया था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय कन्या महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाओं को शुरू करने की क्या कार्यवाही विचाराधीन है तो उत्तर आया जी हां। इसके बाद मैंने प्रश्न किया था कि किन-किन सब्जेक्ट्स में इनमें कक्षाएं खोली जायेंगी। उत्तर मिला था इतिहास, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं गृह विज्ञान विषयों में कक्षाएं संचालित होंगी। अभी दो हफ्ते पहले केवल दो विषय में गृह विज्ञान और समाजशास्त्र में इसमें पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाएं खोलने की अनुमति दी गई है। मान्यवर, इस सदन के अन्दर माननीय

मंत्री जी ने एक आश्वासन दिया, यहां पर घोषणा की यह प्रश्न के उत्तर में आया है, लिखित रूप में दिया है कि 5 सब्जेक्ट्स में स्नातकोत्तर कक्षाएं शुरू करेंगे और बाद में केवल दो सब्जेक्ट्स में वहां पर स्नातकोत्तर की कक्षाएं शुरू कीं। मेरा केवल इतना कहना है कि सदन में भी कोई बात प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से कही जाय, कोई घोषणा की जाय और वह पूरी न की जाय तो मैं समझता हूं कि इस सदन में माननीय मंत्री जी के कहने का कोई महत्व नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। इसलिये मैंने इस विषय को औचित्य के माध्यम से आपके सामने रखा है।

श्री लालजी वर्मा-

अगर आश्वासन सदन में कोई प्रश्न का उत्तर दिया गया था और वह पूरा नहीं हुआ उस प्रश्न को 300 में उठायेंगे तो फिर मान्यवर, 300 बनाने का आपने जो इसमें शर्तें रखी हैं उसका औचित्य कोई रह नहीं जायेगा। अब अगर आश्वासन सदन का है तो गया ही होगा। अगर उत्तर आश्वासन से सम्बन्धित होगा तो गया ही होगा।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

अगर गया होता तो इन्हें उठाने की क्या जरूरत है ? जब आश्वासन हो गया तो आश्वासन समिति में जाना चाहिए था। नहीं गया तो आपका अधिकार क्षेत्र है यह।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, उच्च शिक्षा मंत्री यहां पर हैं कुछ कहा है, क्या कहा है इन्होंने ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जब यह औचित्य का विषय नहीं है और जब औचित्य का विषय नहीं है तो उसमें कह देने का महत्व क्या है। इसमें जानकारी प्राप्त करने के लिये औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि इसको अग्राह्य ही करें। आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय हुकुम सिंह जी जैसे वरिष्ठ ओर विद्वान सदस्य नियम-300 में इस तरह के विषय उठायेंगे तो मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा।

श्री हुकुम सिंह-

इसमें एक बात जरूर है कि अभी एक आवाज इधर से आई।

श्री लालजी वर्मा-

आवाज का सवाल कहां से आता है।

श्री हुकुम सिंह-

सुन लीजिये। सम्बन्धित मंत्री यहां बैठे हुए हैं। क्योंकि आश्वासन का मामला था आपने कहा कि आश्वासन समिति को जाना चाहिए था। आपका कहना कि आश्वासन समिति में है ही नहीं। जो विभाग के मंत्री हैं कह रहे हैं कि आश्वासन है कि नहीं तो फिर यह औचित्य का प्रश्न बन गया और जब औचित्य का प्रश्न बन गया तो उन्होंने जो बात कही है तो फिर मंत्री की बात आ जानी चाहिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आश्वासन कौन सा प्रश्न का उत्तर बना कि नहीं बना यह आपके विवेकाधीन है मान्यवर, अगर उसका जो उत्तर आया रहा होगा।

श्री लालजी वर्मा-

तो उसमें जिस तरह की स्थितियां, जिस तरह से उत्तर दिया गया होगा, उसकी समीक्षा करने का अधिकार मान्यवर, आपको है और आपके अधीनस्थ जो लोग हैं वह इसका निर्धारण करेंगे कि आश्वासन है या नहीं ? तो इस आधार पर आश्वासन बना या नहीं,यह कदाचित उचित नहीं होगा।

श्री हुकुम सिंह-

अच्छा प्रजेन्टेशन है, नियमों की आड़ में हर बात को टालने की प्रक्रिया यह है। यहां विभाग के मंत्री जी बैठे हुए हैं उन्होंने कहा कि आश्वासन नहीं है यह तात्कालिक मामला है औचित्य का प्रश्न बनता है। यह जनहित का मामला है। सदन में एक बात कही गई सदन की अपनी गरिमा है, लखनऊ के सदस्य हैं उन्होंने कोई बात कही है उस पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए। उस विभाग के मंत्री जी है वह अपनी बात कह दें।

श्री अध्यक्ष-

श्रीवास्तव जी बैठें। जिस विषय को आपने कहा है कि आश्वासन मिला है तो परीक्षण करने का अधिकार है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरा यह आग्रह और है आपसे आज आप अगर यह कार्यवाही देखें एजेन्डा देखें तो बहुत लम्बा है इसमें बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं यह चाहूंगा जिसको आप स्वतः ही मान रहे हों कि नियम-300 में नहीं आता है और इसलिए उसको मानते हुए सभी को एक साथ अग्राह्य कर दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्रीवास्तव जी, सुन लें अगर आश्वासन है तो उसका परीक्षण हमारे यहां से होता है ऐसे विषय रहते हैं हमारे यहां। आप आइएगा हम दिखवा लेंगे आश्वासन बना या नहीं। मैंने सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी को और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना यह सूचना नियम-300 में नहीं आती है। इसलिए मैं इसको अग्राह्य करता हूं। इसके अतिरिक्त नियम-300 में प्राप्त सभी सूचनायें अग्राह्य की जाती है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2008-2009) का चतुर्थ प्रतिवेदन †

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2008-2009) का चतुर्थ प्रतिवेदन, जो वन विभाग के प्राक्कलनों के परीक्षण से सम्बन्धित

---

† छापा नहीं गया।

प्राक्कलन समिति (2003-2004) के चतुर्थ प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2008-2009) का द्वितीय प्रतिवेदन†

श्री सुन्दर लाल लोधी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2008-2009) का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 03 अगस्त, 2009 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 04 अगस्त, 2009 से 13 अगस्त, 2009 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 6 अगस्त, 2009 को सदन की बैठक न हो।

2-दिनांक 04 अगस्त, 2009 से दिनांक 13 अगस्त, 2009 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

<u>अगस्त, 2009</u>

4 मंगलवार

1-वित्तीय वर्ष 2009-2010 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

2-वित्तीय वर्ष 1990-1991 से वर्ष 2004-2005 के अतिरिक्त व्यय के संबंध में अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयकों का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

3-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण (आधा-आधा घण्टा) :-

(1) डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2009

(2) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2009

(3) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2009

(4) उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2009

(5) 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 197 के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 150 (1) की अपेक्षानुसार उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) विधेयक, 2009 का पुनः पारण।

5 बुधवार — बैठक नहीं होगी। (रक्षाबन्धन का अवकाश)

6 गुरुवार — बैठक न हो।

अगस्त, 2009

7 शुक्रवार — 1-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण (आधा-आधा घण्टा) :-

(1) उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009

(2) उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर (संशोधन) विधेयक, 2009

(3) उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2009

(4) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009

2-असरकारी कार्य।

8 शनिवार, 9 रविवार — बैठक नहीं होगी।

10 सोमवार, 11 मंगलवार, 12 बुधवार, 13 गुरुवार — विधायी कार्य।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफराशि से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन (नियमावली का विखण्डन) विधेयक, 2009†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन (नियमावली का विखण्डन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन (नियमावली का विखण्डन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश सरकार या सार्वजनिक निगमों के छटनीशुदा कर्मचारियों का सरकारी सेवा में आमेलन (नियमावली का विखण्डन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009††

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2009 †

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं उ0 प्र0 चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

† दिनांक 20 अगस्त, 2009 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

†† दिनांक 20 अगस्त, 2009 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

† दिनांक 20 अगस्त, 2009 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उ0 प्र0 चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, मैं उ0 प्र0 चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2009†

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं उ0 प्र0 नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उ0 प्र0 नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, मैं उ0 प्र0 नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009†

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं उ0 प्र0 नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उ0 प्र0 नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, मैं उ0 प्र0 नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2009 को सदन में पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2009†

पशुधन एवं दुग्ध विकास राज्य मंत्री (श्री अवधपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

† दिनांक 20 अगस्त, 2009 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अवधपाल सिंह यादव-

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूं।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 4-8-2009 का नियम-311 की 7 सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 की कुल 36 सूचनाएं प्राप्त हुयी हैं जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयी हैं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जाएगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रदीप माथुर, श्री अजय कपूर, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री संजीव दरियावादी, श्री राम सेवक श्री शिव बालक पासी, श्री विनोद चतुर्वेदी आदि माननीय सदस्यों की है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रान्तीय अध्यक्ष के आवास पर हुई आगजनी एवं लूटपाट की घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। यह सूचना सुन ली गयी है। मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

दूसरी सूचना श्री अम्बिका चौधरी, डा0 वकार अहमद शाह, श्री आरिफ अनवर हाशमी, श्री जावेद अंसारी तथा श्री अवधेश प्रसाद की (नियम-311 में प्राप्त) जनपद मऊ के मऊ शहर में ट्रक से दर्जनों लोगों की हुई मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री इमरान मसूद, डा0 वकार अहमद शाह, श्री जावेद अंसारी, श्री जमीर खां, श्री अब्दुल समद अंसारी, श्री शाहिद मंजूर, श्री आरिफ अनवर हाशमी, श्री रियाज अहमद, श्री महबूब अली, श्री अनूप सण्डा तथा श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' की माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के सम्बन्ध में छपे लेख से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री सुल्तान बेग की-जनपद बरेली में नील गायों के आतंक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, पांचवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव और श्री सर्वेश कुमार सिंह सीपू की-मऊ क्षेत्रान्तर्गत सिविल (जुडिशियल) मोहम्मदाबाद का नाम बदलकर सिविल जल (जुडिशियल) सगड़ी किये जाने के सम्बन्ध में है। छठवीं सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की-जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के ग्राम अलाउद्दीनपुर स्थित शमशान व कब्रिस्तान की भूमि का फर्जी पट्टा कराये जाने के सम्बन्ध में। सातवीं सूचना श्री अमरमणि त्रिपाठी की-जनपद महराजगंज की तहसील नौतनवा में नेपाल की सीमा पर रासायनिक उर्वरकों की हो रही तस्करी से उत्पन्न स्थिति के

सम्बन्ध में और आठवीं सूचना श्री अशोक सिंह चन्देल की-जनपद हमीरपुर में हो रहे जातीय संघर्ष से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

विशेष उल्लेख के अन्तर्गत श्री माता प्रसाद पाण्डेय की-जनपद सिद्धार्थनगर के महराजगंज के देवरिया में नेपाल द्वारा छोड़े गये पानी से आयी भीषण बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध मे और डा0 पी0के0 राय की-जनपद कुशीनगर के ग्राम शेखुई छपरा में हुए जातीय संघर्ष से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं हुई अतः अस्वीकृत हुई :-

श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री हुकुम सिंह, श्री यशपाल सिंह चौहान, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 राजेन्द्र सिंह, श्री सलिल विश्नोई, श्री उदयभान करवरिया, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री राधेश्याम गुप्ता, श्री अशोक कंसल। श्री अशोक सिंह चन्देल, श्री मदन चौहान, श्री जोखू लाल यादव, श्री अब्दुल वारिस खां, डा0 राजेन्द्र सिंह, श्री जसवन्त सिंह, श्री सलिल विश्नोई, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री भगवत शरण गंगवार, श्री जोखू लाल यादव और डा0 अनिल चौधरी, श्री पूरन प्रकाश, श्री प्रदीप माथुर, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री अशोक कंसल, श्री उदय भान करवरिया, श्री राधेश्याम जायसवाल, श्री सनातन पाण्डेय, श्री इरफान सोलंकी, श्री कुवेर सिंह, श्री यशपाल सिंह चौहान, श्री शम्भू चौधरी, डा0 कौशल किशोर, डा0 रफी अहमद उस्मानी और श्री कृष्ण गोपाल पटेल।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सूचना पर अपनी बात कहूं इसके पूर्व एक अनुरोध है कि समय इस सत्र का जिन किसी भी कारणों से कम हो रहा है, हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, हम उस व्यवस्था में अभी आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन मान्यवर, ऐसी स्थिति में थोड़ी उदारता बरतते हुए थोड़ा-थोड़ा समय सदस्यों को दे करके, इतने गम्भीर विषय हैं कब उठेंगे। इसलिए आप इसके बाद अपनी सुविधा के अनुसार सुन लीजिएगा, लेकिन मान्यवर, सारे सदस्यों की बाते जरूर आ जायें थोड़ा-थोड़ा समय दे दीजिएगा, धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस कार्य-स्थगन के प्रस्ताव पर अपने विचार रखने का अवसर दिया। श्रीमन्, एक बहुत हृदयविदारक घटना हुई है मऊ जनपद में, ऐसी घटना हुई है। जिस घटना में मान्यवर, आठ निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई एक व्यक्ति को थोड़ी चोट लगती है, तो घटना संवेदनशील होने लगती है आठ लोगों की मृत्यु हो गई मान्यवर, मैं अति संक्षेप में इस घटना के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। 29 जुलाई को मऊ शहर में आजमगढ़ तिराहे के पास मान्यवर, एक 14 टायर वाली लम्बी ट्रक थी, बड़ी वाली ट्रक संख्या-यू0पी0 66 ए0आर0 9116, सीमेण्ट लदा हुआ था उस पर, किसी सीमेण्ट फैक्ट्री से लाद के आ रही थी, आधा सीमेण्ट उसने कहीं और उतारा और मान्यवर, सदन में यह बात कहते हुए मुझे बहुत पीड़ा हो रही है कि सिर्फ पुलिसिया वसूली के कारण नो-इण्ट्री जोन में उसको प्रवेश दे दिया गया, ऐसे समय में जहां तेज गति से वहां से साइकिल नहीं गुजर सकती है। पूर्वांचल के लोग जानते हैं, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, आप स्वयं मऊ से भिज्ञ हैं मान्यवर, जिस बाजार से तेज गति

से मोटरसाइकिल नहीं गुजर सकती, उसमें नो इण्ट्री का समय था और दिन के 12 बजे उससे पैसे ले करके ट्रक को इण्ट्री दे दी गई। मान्यवर, उससे किसी रकम की मांग की गई होगी और अभी उतनी रकम नहीं मिली इस कारण एक सिपाही उस ट्रक पर झूल गया ड्राइवर की तरफ कि अभी पूरे पैसे नहीं मिले और वह ट्रक लेकर भाग गया। उतने में सिपाही चलती ट्रक से गिर गया या उसे धक्का दे दिया गया, वह गिर गया और पुलिस के डर के मारे जब ड्राइवर ट्रक को लेकर भागने लगा तो सबसे पहले एक आटो रिक्शा को उसने धक्का मारा और अब आटो रिक्शा पलट गया तो उसके सारे लोग वहां घायल हो गये। पीछे से पुलिस उसको रोकने के लिए मोटर साइकिल से आ रही थी, उसने अपने लुकिंग ग्लास में देखा उसे लगा कि यह फिर हमारी जान को पड़ जायेंगे वह और तेज गति से भागा।

मान्यवर, मैं इस घटना के बारे मे ज्यादा नहीं बताऊंगा सिर्फ यह बता दूं आपसे के ऐसे रास्ते पर जिस रास्ते पर इतना संकरा रास्ता होता है उस पर वह ट्रक सात कि0मी0 गई, सात कि0मी0 तक नोइण्ट्री में ट्रक ऐसे इलाके से गुजरी जिस इलाके में तेज गति से साइकिल भी नहीं चल सकता और इस दौरान उसने चार लोगों को कुचल दिया, चार लोगों की जान चली गई। कुचल कर मर जाने वालों में आयशा खातून, मसीउद्जमा, नन्कूराम शाह वैद्य, संदीप पाटिल, यह चार लोग मान्यवर, कुचल कर मर गये। अन्त में रेलवे क्रासिंग बन्द मिल गई, रेलवे क्रासिंग नहीं पार हो पाई और आप चूंकि मान्यवर, स्वयं मऊ का भूगोल जानते हैं जब रेलवे क्रासिंग तक जाते-जाते वह आगे नहीं जा सका तो फिर वह बंधे की ओर मुड़ा और बंधे की ओर मुड़ने के बाद वहां से खच्चर आ रहे थे, वह खच्चर फंस गये उसकी ट्रक में और फंस करके वह ट्रक रुक पाई। पुलिस सात कि0मी0 तक उसको नहीं रोक पाई। वायरलेस सेट, वाकी-टाकी, सारा इन्तजाम प्रबन्ध मे बीच में पुलिस चौकी, पुलिस चौकी के अलावा चार-पांच पिकेट इतने सारे इन्तजाम के बावजूद भी ट्रक को रोका नहीं जा सका और पूरे रास्ते भर वह ट्रक बढ़ती चली गई घायल होने वालों की तादाद दर्जनों में हैं। आधा दर्जन से ज्यादा लोग अभी भी अस्पताल में जीवन-मृत्यु से जूझ रहे हैं। चार लोगों की मृत्यु हो गई। स्वाभाविक रूप से आक्रोश उमड़ा। यद्यपि पुलिस ने मान्यवर, वहां पर जो सामाजिक स्थिति है उसको साम्प्रदायिक रंग देने का काम किया लेकिन मैं मऊ की जनता को साधुवाद देना चाहता हूं कि जिसने साम्प्रदायिक रंग नहीं खड़े होने दिया और पुलिस विफल हुई। मान्यवर, यह सही है कि वहां पर हजारों की तादाद में लोग कोतवाली में इकट्ठा हुए थे। पूरा का पूरा कस्बा आक्रोशित हो रहा था क्योंकि उनका मानना था कि धांधली हो रही है और लोगों का जीवन खतरे में डाला जा रहा है। मान्यवर, वहां पर बिना किसी चेतावनी के, बिना हवाई फायरिंग के सीधे गोलियां चला दी गईं और जिसमें चार लोगों की मृत्यु हो गई। मान्यवर, वह चारों लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं और मऊ के रहने वाले हैं, ये हैं-शमशाद अहमद उम्र 22 वर्ष, अनवर जमाल, उम्र 30 वर्ष, मो0 जाहिद उम्र 17 वर्ष और मो0 अजमल उम्र 18 वर्ष।

मान्यवर, इस तरह से 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के नौजवानों को जो अपनी अवाम की की आवाज उठाने का काम कर रहे थे उनके सीने पर सीधे गोलियां चलवा दी गईं। मान्यवर, इस सरकार की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के जीवन को कोई मूल्य नहीं हैं और कहीं वह अल्पसंख्यक

बिरादरी का है या दूसरी जाति का है, नेता प्रतिपक्ष की जाति है तो उत्तर प्रदेश में उसे जिन्दा रहने का कोई अधिकार नहीं है। पुलिस ने इस चार नौजवानों को गोली मारी और मौत के घाट उतार दिया। मान्यवर, इस घटना के बाद पूरे मऊ जिले में पुलिस फोर्स लगाई गई और उसे पुलिस छावनी बना दिया गया। मान्यवर, वहां की स्थिति गम्भीर है, यह मामला तात्कालिक इसलिये है क्योंकि यह 29 तारीख की घटना है। मैं मांग करता हूं कि अगर सचमुच में दोषियों को, अपराधियों को सजा नहीं दी गई तो लोगों का सरकार के न्याय पर से विश्वास उठ जायेगा। आपने वहां पीड़ितों को छोटी-मोटी राहत देने का काम किया है लेकिन वहां जो स्थिति है वह विस्फोटक है। इस घटना के बाद हमारे समाजवादी पार्टी के नेतागण वहां पर गये थे और स्वयं वहां की स्थिति को देखा है। नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद श्री अहमद हसन, हमारी पार्टी के महासचिव श्री ओम प्रकाश सिंह, पूर्व मंत्री श्री बलराम यादव, पूर्व मंत्री श्री ललई प्रसाद यादव, श्री लल्लन प्रसाद यादव, सदस्य, विधान परिषद्, श्री यशवंत सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, श्री कमला प्रसाद यादव, सदस्य, विधान परिषद् और श्री जावेद अंसारी वहां गये थे। मान्यवर, वहां की जैसी स्थिति है उसको मैंने सदन में रखने का काम किया है। मान्यवर, सरकार की जो संवेदनशीलता है उसके बारे में कहने से कोई फायदा नहीं है वह शब्द इनके के लिये निरर्थक हो गया है। वर्तमान मौजूदा सरकार के जमाने में सबसे गम्भीर बात यह है कि इन लोगों को राहत देने के नाम पर जो छोटा-मोटा काम किया गया है उससे बात बनने वाली नहीं है। मेरी मांग यह है कि मृतक परिवारों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाय और घायलों को 5-5 लाख रुपये दिये जायं।

मान्यवर, आपने वहां के पुलिस अधीक्षक का तबादला कर दिया और उन्हें दूसरे जनपद का एस0 पी0 बना दिया। आप इस तरह से पुलिस महकमे को यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर गलती की तो यह उसका दण्ड होगा। जो भी दोषी हों मान्यवर, उनके विरुद्ध कार्यवाही हो। मान्यवर, जिनकी मृत्यु हुई है और जो घायल हुए हैं उनके परिवार की आर्थिक मदद की जाय। मान्यवर, उनके लिए जो पुलिस के कर्मचारी दोषी हैं, जिनकी असावधानी से नहीं जिनकी रिश्वतखोरी से यह इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है उनके विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज की जाय उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय हमारी यह मांग है। 32 लोगों को नामजद किया गया और 2000 अज्ञात लोगों पर फर्जी मुकदमा कायम कर दिया गया। मान्यवर, जिसका दोष सिद्ध है जिसने गोली से जान ली इन 4 मुसलमान नौजवानों की, उस पर कोई मुकदमा नहीं। जिसने इतने निर्दोषों के लिए इतने खतरे पैदा करने का कारण बनने का काम किया उस पर कोई मुकदमा नहीं और वह लोग जो इस लोकतंत्र में इतने लोगों की मौत से आक्रोशित जनता की बात कहने के लिये इकट्ठा हुए थे उसमें 32 लोगों पर नामजद मुकदमा और 2000 अज्ञात लोगों पर। अज्ञात इस कारण कि जिससे मन करे उससे वसूली का धन्धा चालू जिसको पकड़िये कहिये तुम्हारे भी बेटे का नाम है शाम तक पहुंचा जाओ, दोपहर तक पहुंचा जाओ। वसूली का धन्धा मऊ में।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि बहुत तेजी से वसूली का धन्धा चालू है इस सवाल पर कि तुम्हारा भी नाम इस मुकदमें में हैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कार्यवाही करेगी। लूट का बाजार मऊ में चालू हो गया है। इस सवाल पर, इस मुकदमा कायम करने के सवाल पर तो हमारी मांग है कि यह जो मुकदमा कायम किया गया है 32 लोगों और

2000 अज्ञात लोगों के खिलाफ इसको तत्काल वापस लिये जाने की घोषणा संसदीय कार्य मंत्री जी अभी करें। वह अपना उत्तर देना चाहेंगे तो हम पहला उत्तर उनसे चाहेंगे कि पहला काम मुकदमा समाप्ति की घोषणा का और इनके मुआवजे का करें। श्रीमन्, इसके अलावा पूरे घटना की जांच जब पुलिस इतना इन्वाल्व है और सरकार इतनी शिथिल है तो उत्तर प्रदेश सरकार की कोई एजेंसी निष्पक्षता से जांच नहीं कर सकती, तो मेरी मांग है कि इस पूरे घटना की जांच सीबीआई से कराई जाय। लेकिन सीबीआई से जांच की बात आप बाद में घोषित करेंगे तो भी काम चल जायेगा लेकिन मुआवजा और मुकदमें वापिसी की घोषणा इस सदन में सरकार करे, यह निर्देश आप उनको दें। मैं अपने कार्य-स्थगन पर बल देते हुए आपसे पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसी घटना में आप सीधे-सीधे सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें ताकि इसकी पुनरावृत्ति प्रदेश में न हो सके। और जो गम्भीर स्थिति मऊ में बनी हुई है वह पूरे प्रदेश में एक चिंगारी भड़काने का काम न कर सके, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जावेद अंसारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं आपने कार्य-स्थगन के इस प्रस्ताव पर अपने विचार रखने का अवसर दिया हैं 29 जुलाई, 2009 को मऊ के अन्दर जो हृदय विदारक घटना हुई है उससे मऊ के लोग ही नहीं, पूर्वान्चल के लोग ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से इस तरह का विचार उठना शुरू हुआ है कि मर जाने के बाद भी घायल हो जाने के बाद भी हम अगर रोना चाहते हैं तो हमारे रोने की आवाज को भी बन्द किया जा रहा है।

"हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती।"

मान्यवर, यह इस तरह की बात, मऊ के लोगों ने 29 तारीख को देखा यह मनहूस दिन, अगर वहां की पुलिस ने अपनी कर्तव्य परायणता दिखाई होती तो तीन-तीन जगह पर पिकेट की ड्यूटी वहां पर रहती है आजमगढ़ के मोड़ से जहां से 14 चक्के के ट्रक पर लदी हुई सीमेन्ट बोरियों को वह लेकर जाता है और जा करके मिर्जाहादीपुरा चौराहे के बाद जिस नो इण्ट्री वाली सड़क पर जाता है, 8-8 लोग वहां पर पिकेट ड्यूटी पर मौजूद थे, किसी ने भी उस ट्रक को रोकने की कोशिश नहीं की और सीधे वह ट्रक नो-इण्ट्री वाले जोन में चला गयी और 22 लोगों को वहां पर रौंदते हुए जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गयी, आगे बढ़ गया समाजवादी पार्टी की तरफ से जांच दल का एक सदस्य होने के नाते मैं भी पहली अगस्त को गया था और वहां पर जाने के बाद जो हमने देखा, लोगों से जो बात किया, जो महसूस किया वह निश्चित रूप से दिल दहलाने वाली बात रही। कर्तव्य के प्रति लापरवाही जो पुलिस के लोगों ने दिखलाई वह अलग विषय था 22-22 लोग घायल हो गये 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गयी और लोगों का जब आक्रोश सड़कों पर आया तो उस आक्रोश को दबाने के लिये वहां की पुलिस ने, वहां के प्रशासन ने जिस तरह से अपनी जिम्मेदारियों का प्रदर्शन किया वहां पर, उससे शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष-

आप मौके पर गये हैं वह बताइये कुछ, यह तो चौधरी साहब ने बताया है।

श्री जावेद अंसारी-

मान्यवर, मैं मौके पर गया हूं और वहां पर जाने के बाद श्रीमती आइशा खातून 55 साल की बेवा, बसीहुजमा उर्फ अच्छे मियां 60 साल का बूढ़ा, ननकू राम वैद्य 75 साल के वृद्ध और संदीप पाटिल नाम का अनुसूचित जाति का बेहद गरीब व्यक्ति 36 साल का नौजवान जहां ट्रक से शहीद हो गये वहीं पर जनता का आक्रोश जब सड़क पर आया तो बजाय कोई इन्साफ करने के उस आक्रोश को दबाने के लिये बिना किसी हरकत के, बिना किसी औचित्य के, बिना किसी एलार्म किये हुए, बिना किसी चेतावनी के वहां की पुलिस ने जिस तरह से ताण्डव किया वह बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाला है। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे गम्भीर बात जो हम लोगों ने देखी, मैंने अपनी आखों से देखा, दक्खिन टोला मोहल्ले में जामा मस्जिद है सड़क के किनारे उस पर एक जामा मस्जिद पर तीन तरफ से दीवालों पर 36-36 पुलिस की गोलियों के निशान वहां पर दिखाई पड़ते हैं और एक 5 इंच गहरे गड्ढे के अन्दर जिसको हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है वह गोली आज की तारीख तक वहां पर फंसी हुई है, मस्जिद के दरवाजे बन्द हैं, दोपहर की नमाज पढ़कर नमाजी जा चुका है लेकिन उसके दरवाजे को जिस तरह से तोड़ा गया है जिस तरह से गोलियों से छलनी किया गया है बात समझ में नहीं आती है कि उस मस्जिद ने कौन से कसूर कर दिया था 4-4 नौजवान जो बेमौत मारे गये मो0 जाहिद 18 साल का था।

श्री अध्यक्ष-

यह तो सब चौधरी साहब ने बता दिया है।

श्री जावेद अंसारी-

मान्यवर, सबसे हृदय विदारक बात यह है कि 18 साल का बिल्कुल नौजवान मो0 जाहिद विद्यालय से पढ़कर अपने घर जा रहा था वहां पर अफरातफरी देखकर केवल पूछने के लिये खड़ा हुआ था और जवाब मिलने से पहले उसको गोलियों से छलनी कर दिया गया उसकी मौके पर मौत हो गयी। संदीप पाटिल 35 साल का था इसी तरह से उसकी भी गोलियों से शहादत हुई। एक मां आइशा बेगम जिसकी 6-6 बेटियां हैं कोई बेटा नहीं है उसकी बेटी का विशिष्ट बीटीसी में उसका चयन हुआ था और विशिष्ट बीटीसी के चयन में अध्यापिकओं ने वहां के लोगों ने मिठाई खिलाने को कहा था। मिठाई लेकर घर लौट नहीं सकी और रास्ते में ही मौत हो गई। अस्पताल मे घायलों की सूध लेने वाला कोई नहीं। राहत के नाम पर कुछ तो सहायता दी गई बाकी को रात के अंधेरे में हम लोगों के पहुंचने से पहले डिस्चार्ज कर भगा दिया गया। मुआवजा मांगने पर उन्हें मुकदमें में फंसा देने की धमकी देकर मुंह बन्द कर दिया गया। गोली के शिकार कई घायल बनारस में मौत से लड़ रहे हैं। मान्यवर, मऊ के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

नेता विरोधी दल खड़े हो गये हैं अब आप बैठ जायें।

नेता विरोधी दल (श्री शिव पाल सिंह यादव)-

मान्यवर, 29 जुलाई को लगभग 12 बजे मऊ जनपद में जो पुलिस का तांडव हुआ है उससे पूरे प्रदेश की जनता भयाक्रान्त और आक्रोशित है 4 लोग सीधे पुलिस की गोली से मरे हैं

और 4 लोग ट्रक से मरे हैं। यह अगर पुलिस की लापरवाही नहीं होती तो जब नो-इण्ट्री थी तो पुलिस द्वारा उस ट्रक को रोका जा सकता था। यह 8 लोग ही नहीं करीब सैकड़ों लोग घायल हैं। यह 8 लोग मरने के बाद कुछ पुलिस की गोली से घायल हैं, 22 लोग ट्रक से कुचल गये। जहां 8 लोग अलपसंख्यक समुदाय के मर गये हों और अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार का कोई बड़ा अधिकारी नहीं पहुंचा, छोटी-छोटी घटनाओं में तो हेलीकाप्टर उतर जाता है बहुत छोटी मामूली घटनाओं में, लेकिन जहां पुलिस ने सीधे-सीधे गोली मारी हो और सैकड़ों लोग घायल हों वहां अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं पर भी मरने वालों के परिवार के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी, घायलों की कोई समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं है। कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके घर में खाली लड़कियां ही लड़कियां हैं, तो मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर प्रकरण है। जो मामला 29 जुलाई को मऊ में हुआ है अभी तक पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। तो मेरी मांग है कि जितने लोग मरे हैं, जो अम्बिका जी ने भी मांग की है 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद और जो गम्भीर रूप से घायल हैं उनको 5-5 लाख रुपये दिये जायं और जो अल्पसंख्यकों की अनदेखी की जा रही है वह ठीक नहीं है। इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि इस मामले पर बहुत ही गम्भीरता से निर्देश देने की कृपा करें क्योंकि यह वसूली का मामला है। इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में वसूली चल रही है और इस तरीके से इसको गम्भीरता से नहीं लिया गया तो और बहुत सी घटनाएं हो सकती हैं इसलिए मान्यवर, इसे बहुत ही गम्भीरता से ले करके सरकार को निर्देश दें और जो मृतक परिवार हैं उनको आर्थिक मदद दी जाए जो मैने कहा 10 लाख और 5-5 लाख रुपये, इसे बहुत ही गम्भीरता से लेने का कष्ट करें यह हमारा आपसे अनुरोध है।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, यह घटना दुःखद है, हम भी इस पर दुःखी हैं लेकिन उस घटना के बाद जो घटना हुई। एक सामान्य ढंग से एक ट्रक जा रहा था, 29-07-2009 को 12.30 बजे प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली को सूचना मिली कि एक ट्रक यू0पी0 65-एआर 9116 मुंशीपुर तिराहे पर टक्कर मार कर ओवर ब्रिज होते हुए मिर्जा हाजीपुर भाग रहा है। उस ट्रक ने बिजली के पोल पर टक्कर मार दी और तार टूट गये। जनता के लोगों ने अपनी-अपनी मोटर साइकिलों से उस ट्रक का पीछा किया और यह सूचना पाकर पिकेट के लोग भी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे और नो-इण्ट्री जोन पर पकड़ने का प्रयास किया लेकिन ट्रक तेजी से नो इण्ट्री जोन में घुस गया और 4 लोग उस एक्सीडेंट में मर गये, 3 गधे भी दुर्घटनाग्रस्त हो गये, उनकी भी मृत्यु हो गयी। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा पीछा किया जाता रहा और पुलिस द्वारा ट्रक चालक गोकुल को पकड़ लिया गया, उसके बाद पता चला कि वह ट्रक चालक नहीं बल्कि क्लीनर था और नशे की हालत में ट्रक चला रहा था। मिर्जा हाजीपुरा से 300 मीटर आगे सीमेण्ट उतार रहा था उस ट्रक का ड्राइवर खाना खाने के लिये गया हुआ था और उस ट्रक का क्लीनर गोकुल गांजे आदि के नशे में ट्रक चलाने लगा जिसके कारण यह हादशा हुआ उक्त घटना की प्रतिक्रिया में हजारों की संख्या मे बलवाई पुलिस विरोधी नारे लगाते हुए कोतवाली की तरफ चढ़ आये और ट्रक चालक को पुलिस अभिरक्षा से छीन लेने का प्रयास करने लगे और उसको जान से मारने के लिये उतारू हो आक्रोशित होकर नारेबाजी करते हुए पथराव शुरू कर दिया थाने पर उपलब्ध पुलिस बल ने भीड़

को थाना गेट से दूर हटाया व अतिरिक्त पुलिस बल की जिला नियंत्रण कक्ष से मांग की गई इस बीच मौका पाकर उपद्रवियों ने उक्त ट्रक में आग लगा दी। मान्यवर, एक सामान्य सी बात है प्रचलित सी बात है इस तरह के आक्रोश के कारण ऐसी स्थिति भी आए जिसके कारण काफी भीड़ थाने का घेराव करने लगे। इसमें पुलिस ने काफी निपुणता का परिचय देते हुए चालक को उन लोगों के हाथ में जाने से रोकने का काम किया।

श्री अब्दुल कलाम-

यह अल्पसंख्यकों का मामला है इसलिए संसदीय कार्य मंत्री जी इस तरह से जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

इस तरह से बंटवारा मत कीजिए। यह घटना दर्दनाक है।

श्री लालजी वर्मा-

हमने पहले ही कहा कि यह घटना दुखद और गम्भीर है। इस घटना में हम भी दुखी है।

श्री अब्दुल कलाम-

इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि सामान्य सी घटना है।

श्री लालजी वर्मा-

यह गम्भीर और दुखद घटना है। इससे हम भी दुखी हैं इसमें एक्सीडेंट के लिए कोई पहले से प्रयास नहीं है ड्राइवर नहीं बल्कि क्लीनर ट्रक लेकर गया जिसके कारण यह घटना घटित हुई इसमें पुलिस ने भी पीछा करके ट्रक ड्राइवर को पकड़ने का प्रयास किया जो क्लीनर चला रहा था चूंकि चार लोग मर गये थे इसलिए काफी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गयी प्रयास किया गया उस ड्राइवर को छुड़ाने का लेकिन प्रशासन और पुलिस ने काफी संयम का परिचय देते हुए काम किया। यह किसी जाति और किसी धर्म का मामला नहीं है जो मृतक थे वह चार थे इसमें पुलिस ने काफी प्रयास किया लेकिन पुलिस फोर्स कम थी भीड़ काफी इकट्ठा हो गयी थी जिसके कारण पुलिस को मजबूर होकर बाद में फायरिंग भी करनी पड़ी लेकिन फायरिंग दोनों तरफ से पुलिस और जनता के बीच में से भी ईंट पत्थर और फायरिंग की सूचना है। इसमें उसके अनुसार कार्यवाही हुई जिसमें चार व्यक्ति मरे इस तरह से चार व्यक्ति फायरिंग से मरे।

डा0 वकार अहमद शाह-

मामूली घटनाओं पर पुलिस के बड़े अधिकारी और मंत्रीगण जाते हैं यह इतनी गम्भीर घटना है।

श्री अध्यक्ष-

बीच में टोका टाकी से स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। बाद में बोल लीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

इसमें कुछ लोगों की ओर से प्रयास जरूर किया गया कि इस घटना को साम्प्रदायिक रूप दे दिया जाय लेकिन मैं उस क्षेत्र की मऊ की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रयास को कामयाब नहीं होने दिया इसकी मैं सराहना करता हूं।

डा0 वकार अहमद शाह-

आपको जो दरोगा और एस0पी0 ने रिपोर्ट दी है वही पढ़ रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मैं वहां की जनता और पुलिस की सराहना करूंगा कि उनके प्रयासों से इस घटना को साम्प्रदायिक रूप नहीं दिया जा सका। कुछ लोग चाहते हैं कि हर घटना में कोई न कोई राजनीति हो। ऐसे लोगों ने इस तरह का प्रयास किया लेकिन वहां की जनता ने अधिकारियों की सूझबूझ से और जो कार्यवाही सरकार के स्तर से हुई उसके कारण से इस तरह की बात नहीं हुई। इस घटना में फायरिंग में चार लोग मरे और चार लोग कुचलकर मरे भीड़ द्वारा थाना दक्षिण टोला की सरकारी जीप, दरवाजे एवं विद्युत बाइन्डिंग, मेज कुर्सी चार अदद मोटर साइकिल, सरकारी अभिरक्षा का टैम्पो जो पुलिस द्वारा सीज किया गया था यह सब नष्ट कर दिया गया इस तरह से काफी सम्पत्ति एवं काफी गाड़ियों को जलाने का काम किया गया लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने हवाई फायरिंग के बाद आंसू गैस छोड़ने और साधारण बल प्रयोग करने का काम किया। मान्यवर, जो मृतक लोग हैं उनके आश्रितों को दो-दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जा चुका है। 20 व्यक्तियों को 50 हजार की दर से कुल 10 लाख व कम चोट से घायल 18 व्यक्तियों को 25 हजार रुपये की दर से कुल साढ़े चार लाख रुपये इस तरह से मुआवजा प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जा चुका है। वहां पर पी0ए0सी0 और आर0पी0एफ0 के जवान मुस्तैदी से डटे हुए हैं जिससे किसी तरह की दुर्घटना वहां पर न होने पाए और किसी दूसरे रूप में उसको जोड़ने में कोई कामयाब न हो सके। इसके लिए पूरी तरह से वहां पर फोर्स जिलाधिकारी से लेकर एस0पी0 तक सभी लोग लगे हुए हैं। मान्यवर, मेरा पूरे सदन से एक निवेदन है कि आप लोग हम लोग सामान्य पब्लिक के बीच से आते हैं। हम लोगों के आक्रोश के कारण ऐसी स्थिति होती है जहां भी दुर्घटना होती है हम लोग रोक नहीं पा रहे हैं और जनता एकजुट होकर बहुत सी सम्पत्तियों को कहीं-कहीं बसों को जलाने का काम शुरू कर देती है कहीं जीपें जलाना शुरू हो जाता है इस तरह से मृतकों को भी सही सहानुभूति नहीं मिल सकती है। यह पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। यहां पर जिस तरह से कम फोर्स होने के बावजूद भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया और जिस तरह से बहादुरी का परिचय दिया गया उसकी आप लोगों को तारीफ करनी चाहिए। इस घटना के मजिस्ट्रेरियल जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

(इसी मध्य समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य वेल में आ गए)

श्री लालजी वर्मा-

मजिस्ट्रेरियल जांच के आधार पर जो तथ्य आएगा जो भी दोषी होगा उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी और जो दोषी होगा उसको बक्शने का काम नहीं किया जाएगा लेकिन हम सब लोगों को मिलकर इस तरह से जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है जिससे एक एक्सीडेन्ट की घटना के बाद इस तरह की स्थिति न बन पाए जिसके कारण और भी जानों की हानि हो। हमारी चाहत है आपसे मेरा आग्रह है कि हम सब लोग मिलकर इस तरह का वातावरण बनाएं जिससे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाए।

श्री अम्बिका चौधरी-

अध्यक्ष जी मेरा सिर्फ एक अनुरोध है आपने इसको दुखद माना है मैं आभारी हूं बहुत कृपा। श्रीमन एक जान चली जाती है तो वहां तत्काल डी0जी0पी0 के साथ-साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि और मंत्रीगण भी जाते हैं। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जहां 8 लोगों की जान चली गई जिसमें 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मारे गये हों वहां पर शासन की ओर से सरकार की ओर से लोगों के आंसू पोछने के लिए कौन-कौन मंत्री वहां पर मौके पर गया। अगर हां हो, तो वह बता दें।

श्री लालजी वर्मा-

जहां इस तरह की घटनाएं होती हैं वहां पर पुलिस को उसके नियंत्रण की आवश्यकता है। ऐसे समय में जाकर राजनीति की बात नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

गये कि नहीं गये भाई ? नहीं गये ना।

(सदस्यों के सदन के फ्लोर पर खड़े होकर बोलने पर शोर)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इस घटना में 34 पुलिसकर्मी घायल हुए और 28 पब्लिक के लोग घायल हुए। मान्यवर, पुलिस की सूझ-बूझ इसी से परिलक्षित होती है कि 34 जहां पुलिस के लोग घायल हों वहां पर उन्होंने इस तरह से कम फोर्स का प्रयोग आत्मरक्षार्थ जितना आवश्यक था, उतना ही किया।

(समाजवादी पार्टी के श्री रफी अहमद उस्मानी, श्री अब्दुल कलाम, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, डा0 वकार अहमद शाह, श्री मदन चौहान तथा श्री जोखू लाल यादव आदि अधिकांश सदस्य सदन के फ्लोर पर नारे लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष-

मैंने अम्बिका चौधरी जी को सुना, इमरान साहब को नेता प्रतिपक्ष को सुना, जावेद अंसारी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती इसलिये इसको मैं अग्राह्य करता हूं। तीसरी सूचना इमरान मसूद, डा0 वकार अहमद शाह, श्री जावेद अंसारी, श्री जमीर खां, श्री अब्दुल समद अंसारी, श्री शाहिद मंजूर, श्री आरिफ अनवर हाशमी, श्री रियाज अहमद, श्री महबूब अली, श्री अनूप सण्डा, श्री शैलेन्द्र यादव ललई की माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा कक्षा 10 की सामिजिक विज्ञान की पुस्तक में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के सम्बन्ध में छपे लेख से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इस सूचना के बारे में कोई कहना चाहता है। (किसी सदस्य के कुछ न कहने पर) इस सूचना को मैंने अग्राह्य कर दिया है।

(सदस्यगण सदन के फ्लोर पर लाठी गोली की यह सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी के नारे लगाते रहे)

आपने स्पष्टीकरण कर लिया, माननीय मंत्री जी से पूछ लिया, माननीय मंत्री जी ने बता दिया। अब क्या रह गया चौधरी साहब ?

(सदस्यों के नारे लगाते रहने पर शोर)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, एक एक्सीडेंट है और इसके लिये इतनी कार्यवाही पुलिस ने किया, शासन ने किया, पुलिस अधीक्षक को भी वहां से हटाया गया और उसके बाद भी जहां पर मैजेस्टीरियल जांच चल रही है। उस एक्सीडेंट को भी यहां पर राजनीति का बिन्दु बना रहे हैं। इसी तरह से लोगों ने वहां पर माहौल बिगाड़ने का काम किया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी साहब, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने संवेदना व्यक्त करने के साथ-साथ उसकी मजिस्ट्रेट जांच शुरू कर दी है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी आप मैजिस्टीरियल जांच करा लें। हम इसकी जांच की बात नहीं करते। हम यह बात कहते हैं कि आठ लोगों की मृत्यु पर इस सरकार के एक मंत्री को वहां पर जाने की फुर्सत नहीं है, उन लोगों का दर्द जानने की फुर्सत नहीं है, मैं यह बात कह रहा हूं। मान्यवर, मैं मजिस्टीरियल जांच की बात नहीं कर रहा हूं। मैं किसी मंत्री जी की जांच की बात नहीं करा रहा हूं कि मजिस्ट्रेट जांच करके बताये कि मंत्री का अपराध कितना बड़ा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने इस पर क्या किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां मामला एक जाति का आता है तो वहां मंत्री भी जाते हैं, मुख्य मंत्री भी जाती है, डी0जी0पी0 भी जाते हैं। सवेरे जाते हैं शाम जाते हैं। 6 मुसलमान मारे जाते हैं तो फुर्सत नहीं है। 6 मुसलमान मारे जायेंगे तो हम पूछेंगे कि मंत्री को फुर्सत नहीं है तो हम साम्प्रदायिक हो जायेंगे। मान्यवर, यह आक्षेप है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अभी वहां पर शांति बनाये रखने की आवश्यकता है और शांति बनाये रखने के लिये जो भी कार्यवाही की जरूरत है वह की जा रही है। साथ ही साथ जो मृतक या घायल हैं उनको भी मुआवजा दिया जा चुका है। यह इस बात को साबित करता है कि सरकार उसके प्रति संवेदनशील है और उस घटना को दुःखद मानते हुए कार्यवाही कर चुकी है।

श्री अध्यक्ष-

बैठ जाइये, आप लोग बैठ जाइये। उन्होंने कहा कि मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहता तो उस पर कौन सी बड़ी बात कह दी है। (माननीय नेता प्रतिपक्ष के बोलने पर) माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, सदन को व्यवस्थित कर लें, तब बोलिये आप। ऐसा तो कभी हुआ नहीं।

श्री अम्बिका चौधरी-

आप सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

आप ही के निर्देश पर आप ही के व्यवहार पर सदन चलेगा, आप सदन व्यवस्थित करा लीजिये और तब कहिये। सदन व्यवस्थित हो, सदस्य वेल में न रहें। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी,

आपका आचरण करेंगे हम लोग। मैं आपकी बात सुनने जा रहा हूं। सदन को व्यवस्थित करके जो कहना चाहते हैं कहें मैं आपकी बात सुन रहा हूं। यह आपको पूर्ण अधिकार प्राप्त है लेकिन सदन को व्यवस्थित करा लें।

(शोर)

एक सदस्य-

मेरे क्षेत्र बांसी में ...

श्री अध्यक्ष-

यह मऊ की बात हो रही है बांसी बलिया की बात नहीं हो रही है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

यह सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन हो गई है जहां पर मुस्लिमों का मामला आता है .... (शोर)

श्री लालजी वर्मा-

हर घटना को जाति और धर्म से जोड़ते हैं, यह राजनीति नहीं है तो क्या है ? हर घटना को राजनीतिक बिन्दु बनायेंगे उनके प्रति संवेदना की जगह पर कितना राजनीतिक फायदा लिया जाए यह पूरे प्रदेश को आइना दिखाना चाहते हैं। मान्यवर, उनके प्रति हमदर्दी दिखाने की जगह पर उसका राजनीतिक बिन्दु बना रहे हैं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

यह सरकार मुस्लिम विरोधी है इसलिए मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करते हैं।

(नेता विरोधी दल ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया। माननीय सदस्य नारे लगाते हुए जा रहे थे)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, एक निवेदन था पौने चार बजने जा रहे हैं दो सूचनाओं पर आपने पूरी तरह से सुन लिया और समय काफी बीत गया पांच विधेयक भी हैं, सरकारी कार्य भी है, अनुपूरक अनुदान की मांगें हैं, कई वर्षों की जो अधिक व्यय की मांगें हैं उसके सम्बन्ध में भी है, तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आज जो आपने सुनने के लिए सूचनाओं का चयन किया है उनको सुनने के लिये अगले दिन के लिए टाल दें और दूसरे कार्य ले लें। बाकी आपका जैसा निर्णय हो।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना जी, आपकी सूचना को हमने मिस कर दिया था लेकिन ओम प्रकाश जी और हुकुम सिंह से कहा था मैं इसको सुनूंगा अगर इसको आज न सुनें और बहुत से आइटम हैं विधेयक है, अनुदान हैं तो इसको सात तारीख को ले लें। आपकी सूचना तब ले लें। माइक में आवाज ठीक से नहीं सुनाई दे रही है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जो सुबह से शान्ति से बैठे हैं क्या सारी सजा उन्हीं को मिलेगी। जो लोग मजबूती के साथ फ्लोर पर आयेंगे, नारेबाजी करेंगे उनको अधिकार दिया जाएगा। हम लोग शान्ति से बैठे हैं प्रतीक्षा कर रहे हैं और हमारे बारे में ही संसदीय कार्य मंत्री जी आप ही जब बात को इतना बढ़ायेंगे तो मजबूर होकर हमें भी यहीं आना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष-

नहीं सम्मान है आपका। ऐसा न सोचें आप वरिष्ठ सदस्य हैं इस तरह के आचरण का तो हम लोग खुद ही स्वागत करते हैं। आपकी शालीनता का और जो संसदीय परम्परायें हैं उसका स्वागत करते हैं और लोग जो कर रहे हैं करें उन्हें करने दें। रात तक बैठना ही है तो कहें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, 311 की सूचना जो नियम-56 में परिवर्तित की गई उसकी ग्राह्यता पर बोलने का मुझे मौका दिया। मान्यवर, प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के बारे में कार्य-स्थगन के माध्यम से जो सूचना दी गई मैं इस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, हिन्दुस्तान में कुछ प्रान्त इसलिए प्रसिद्ध हैं कि वहां पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है। कोई प्रान्त इसलिए चर्चित है कि वहां पर एवरेज शिक्षा का स्तर ऊंचा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हिन्दुस्तान में कुछ प्रांत इसलिए प्रसिद्ध हैं कि वहां पर परकैपिटा इन्कम बहुत अच्छी है। कोई प्रांत इसलिए चर्चित है कि वहां पर एवरेज शिक्षा का प्रतिशत ऊंचा है और कोई प्रांत इसलिए प्रसिद्ध है कि वहां पर इन्डस्ट्रियलाइजेशन अधिक है लेकिन बहुत दुख और खेद के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश का जब नाम आता है तो हमारी स्थिति कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में बिहार से भी गयी गुजरी है। वर्ष 2007 में जब हम अपराध के आंकड़ों की तरफ देखते हैं तो 5000 हत्यायें उ0प्र0 में हुयी हैं। मान्यवर, पहली जनवरी से 15 जुलाई तक का जो रिपोर्टेड केसेज हैं उनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हत्या 2380, लूट 1219, गृहभेदन 2223, डकैती 78 दहेज हत्या 1170, दंगा 2216, अपहरण 26 मान्यवर 1 जनवरी से अब तक जो वाहन चोरी की घटनाएं हैं उनको जिलेवार आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कानपुर में 210, मेरठ में 103, गाजियाबाद में 870, नोयडा में 275, बरेली में 275, आगरा में 228। इसके अलावा चोरी की घटनाएं कानपुर में 320, मेरठ में 215, गाजियाबाद में 1200, आगरा में 330 घटनायें चोरी की हुयी हैं। इसके साथ मान्यवर, जोन के हिसाब से अगर देखें तो लखनऊ जो राजधानी है, लखनऊ जोन में पहली जनवरी से लेकर (15 जुलाई) अब तक 13064 अपराध हुये हैं। मेरठ जोन में इस अवधि में 12700 अपराध रिपोर्टेड हुये हैं। स्थिति यह है कि साधारण आदमी आज अगर थाने में जाता है रिपोर्ट लिखाने तो वह कॉगनेजिबिल/संज्ञेय अपराध में अपनी रिपोर्ट दर्ज करा नहीं सकता है जब तक कि पुलिस अधीक्षक को 3-4 बार पत्र देकर गिड़गिडा कर अपनी बात न कहे या फिर बहुजन समाज पार्टी का कोई नेता उस पर मोहर

न लगा दे। आज कल संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती है। मैं आशा करता हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कि कुछ बातें राजनीति से ऊपर उठकर करनी चाहिए। प्रदेश का जब जिक्र आता है तो क्या मैसेज जाता है पूरे हिन्दुस्तान में क्या कानून व्यवस्था की प्राथमिकता सरकार की नहीं है ? अगर सरकार की पहली प्राथमिकता कानून व्यवस्था होती तो इस बात पर चिंतन और मंथन जरूर होता कि पुलिस को अपने निजी स्वार्थों में इस्तेमाल करने के बजाय कानून-व्यवस्था के लिए इस्तेमाल किया जाए। मऊ की घटना जो सामने आयी तो पूरे उ0प्र0 में सड़क के किनारे जो थाने हैं और चौकियां हैं वहां पर धन वसूली के कारण जाम लगते हैं और जाम के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। मैंने समाचार-पत्र में पढ़ा था कि नो इण्ट्री जोन में एक सिपाही ने 20 रुपये लेकर उसमें यह कहा गया कि एक ने 20 रुपये लेकर और एक ने 100 रुपये लेकर उसको नो इन्ट्री जोन में जाने दिया जिसमें 8 हत्याएं हुईं, उसी घटना के कारण ही आज विधान सभा का इतना समय जाया हुआ। आज पूरे प्रदेश की यह पीड़ा है कि जो पुलिस की चौकियां और थाने हैं, जो रोड-साइड के ऊपर है, कोई भी मिल जाए, कोई लकड़ी का ट्रक मिल जाए, कहीं ऐसी चीज (माल) का ट्रक मिल जाए, उसका तो समझ लीजिए कि उसकी वसूली की तो कोई गिनती ही नहीं है और बाकायदा हमारे प्रदेश की मुखिया, इस सदन की नेता भी स्वीकार कर चुकी हैं कि थाने बिकते हैं। मान्यवर, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, केवल एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मैंने अभी 29 जुलाई को समाचार-पत्र में पढ़ा कि एक मीटिंग हुई, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को यह अधिकार दे दिया गया कि वह अपना थानाध्यक्ष अपनी मर्जी से नियुक्त करवा सकते हैं। मान्यवर, एक अधिकार इनको और दिलवा दें कि हर थाने के ऊपर एक नीला झण्डा हाथी वाला और लगवा दें। कम से कम जब थानाध्यक्ष इनकी मर्जी से हटाये और रखे जायेंगे तो थानाध्यक्ष ईमानदारी करेंगे ? थानाध्यक्ष न्याय करेंगे ? एक बहुत गलत मैसेज राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस्तेमाल करने के लिए किया जा रहा है। मान्यवर, 4-5 घटनाओं की ओर विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पीलीभीत में जून के पहले हफ्ते में एक करोड़ रुपये की डकैती हुई, आज तक उसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई, लोग पकड़े नहीं गए। पुलिस भी उस मामले में गम्भीर नहीं है। मान्यवर, इसी जुलाई के आखिरी हफ्ते में 28 तारीख को ग्रेटर नोयडा क्षेत्र में थाना बन्तौर क्षेत्र में एक निवासी मवासो ने अपनी जमीन बेची थी, रजिस्ट्री कराने जा रहे थे, एक करोड़ रुपये की लूट हुई, आज तक एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपकी नाक के नीचे गाजियाबाद है, गाजियाबाद में एक सरस्वती देवी, 16-02-2008 को जिसकी शादी हुई और जून 24 तारीख को उसके पति ने तीन लोगों की सहायता से इसी इन्दिरापुरम् में जो ई0डी0 माल है ई0डी0 माल की चौथी मंजिल से धक्का देकर मार डाला, पहले उसकी हड्डी टूटी उसके बाद उसकी मौत हो गयी। उसमें एक गिरफ्तार हुआ लेकिन 3 अभी भी बाकी हैं, तीनों फरार हैं, पुलिस इस मामले में मौन है। इस घटना में चारों अपराधी नामजद हैं लेकिन उनकी गिरफ्तारी की कोई कार्यवाही नहीं हुई। मान्यवर, हरदोई हमारे पड़ोस का जिला है, अभी वहां पर चार अल्पसंख्यकों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गयी। अगर सरकार संवेदनशील है तो अपराधियों को भय क्यों नहीं है ? अपराधियों पर नियन्त्रण क्यों नहीं है ? अपराध हर सरकार में होते हैं, लेकिन जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को चिन्ता करनी चाहिए। इस घटना में जो लोग दोषी हैं,

उनमें से आधे-अधूरे लोगों के खिलाफ कार्यवाही हुई और उसके बाद कोई ऐसी कार्यवाही नहीं की गयी जिससे अपराधियों पर नियन्त्रण होता। मैं पूछना चाहता हूं, चार-चार लोग हैं, हरदोई एक थाना है सुरसा, ग्राम है, बलीपुर, पीड़ित है, रामचन्दर, 4-4 लोग घर में घुसते हैं, पहले इनको मारते हैं, उसके बाद जीने से नीचे उसकी पत्नी को घसीटते हैं, और फिर उसके मुंह में पेशाब कर देते हैं और उसके बाद होता क्या है ? थाने में दरोगा जी कहते हैं कि तुम उससे नहीं निपट पाओगे, उन लोगों से समझौता कर लो। मान्यवर, इस प्रकार की जो लोमहर्षक घटनाएं हैं, आखिरकार कहां तक कहा जाए, मुनौव्वर राणा ने एक सेर कहा था कि "एक-दो जख्म नहीं, देह है सारी छलनी, दर्द बेचारा परेशान है, कहां से गुजरें।" मान्यवर, कोई भी वर्ग और व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। अगर कचेहरी, मजिस्ट्रेट, जज के सामने हाथरस की कचेहरी में जब विधान सभा खत्म हो गयी, उसके बाद फरवरी के आखिरी हफ्ते में हाथरस की कचहरी में दो बन्दियों को छुड़ाने के बाद तीन बदमाशों ने उनको ढेर किया, न्यायालय में, न्यायालय के सामने न्यायालय परिसर के अन्दर हाथरस की कचहरी में घटना होती है। मैं आपसे केवल एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं आखिरकार यह जो आप कह देंगे कि हत्या हुई उसमें एक को जेल भेज दिया गया, दो को भेज दिया गया अभी हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े होकर जवाब दे देंगे। वाहन चोरी के मामले में गृह भेदन के मामले में कितनी जगह पर कितनी चोरियां मान्यवर वर्कआउट हुईं, ज्यादा नहीं, 01 जनवरी से अब तक की माननीय मंत्री जी बता दें, अभी नहीं, हमारे घर पर भिजवा दें, हाऊस में दो दिन, तीन दिन, चार दिन, सात तारीख को बता दें कि कितनी चोरियां खोली गईं, कितनी चोरियों में सामान बरामद हुआ और कितनी चोरियों में लोग जेल भेजे गये। वाहन चोरी में मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब हो गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, ऐसा है हमने कल से नोटिस को तैयार किया और आज सुबह से इस बात पर लड़ाई हुई कि मेरा नोटिस पहले लगे या कांग्रेस पार्टी का पहले लगे।

श्री अध्यक्ष-

चलिये आप 07 तारीख को कह लीजियेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, 09 बजने में 05 मिनट पर हमारा नोटिस पहले आ गया उसके बाद आपकी पीठ से हमने गुजारिश की।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं, उन्हें सुन लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, ग्राह्यता पर सुन रहे हैं, अब इनकी काफी बातें आ गईं, मान्यवर, विस्तार से चर्चा तो आपने स्वीकार नहीं किया। क्यों ग्राह्य है, इस पर आप सुन रहे हैं। तो काफी बातें आ गईं, विस्तार से आ गई, अब इसका उत्तर दिला दें मुझसे यह मेरा आग्रह है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, दो मिनट मेरी भी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आपको तो हम 07 तारीख को लेने वाले थे। आपकी कोई नोटिस अलग से है ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इसी में है।

श्री अध्यक्ष-

हैं तो बहुत से लोग, अगर इतना सुना जायेगा तो बहुत समय लग जायेगा। महाना साहब, अभी खन्ना जी बोल रहे हैं, उनको सुन लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, विशेष रूप से मैं जो गृह भेदन है जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है, रोज भरी बाजार में चेनें खींची जा रही हैं, कुण्डल खींचे जा रहे हैं, आम आदमी को निकलना बैठना मुश्किल है। लोगों ने अच्छी ज्वैलरी निकाल कर घर में रख दी है और जब बाहर जाते हैं तो नकली ज्वैलरी पहनना शुरू कर दी है। यह स्थिति है आज के जमाने में और बची खुची कसर हमारे शिक्षा मंत्री जी ने पूरी कर रखी है। आज उत्तर प्रदेश में अनरेस्ट की बहुत बड़ी वजह है, मान्यवर, एडमीशन हो गये, पीलीभीत के विद्यालय में पूरा उपद्रव तोड़-फोड़ आगजनी खुलेआम छात्रों ने की क्योंकि एडमीशन होते नहीं इण्टरमीडिएट पास करने के बाद जायें कहां। यहां से फरमान जारी होता है कि 15 परसेण्ट, 20 परसेण्ट सीटें बढ़ेंगी, यूनिवर्सिटी की तरफ से यह कहा गया कि 40 परसेण्ट जिन लोगों के हैं इण्टरमीडिएट में उनको बी0ए0 पार्ट-1 में पढ़ने का अधिकार है, लेकिन शिक्षा मंत्री जी की कृपा नहीं हुई, इसलिए वह आदेश गया नहीं, 31 जुलाई को एडमीशन क्लोज हो गये, वहां तोड़-फोड़ हो रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई और आज तक वह एडमीशन मान्यवर, जिनके 55 परसेण्ट नम्बर आये लेकिन 55 परसेण्ट नम्बर वाले का एडमीशन नहीं हो रहा है। मान्यवर, दो बातें चाहता हूं कि कम से कम कानून-व्यवस्था के साथ-साथ यह चीजें कौन सुधारेगा। आधी समस्या हमारे माननीय उपाध्यक्ष जी की वजह से है। बिजली ट्रान्सफार्मर मान्यवर, बदले नहीं जाते, ट्रान्सफार्मर न बदलने की वजह से चक्का जाम होता है। 25 के0बी0ए0 के ट्रान्सफार्मर पर आज लोड बढ़ गया, आबादी बढ़ गई, कनेक्शन बढ़ गये मान्यवर, 63 का चाहिए चक्का जाम, बिजली की वजह से चक्का जाम, कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई है। मान्यवर, 500 का नोट हम बैंक से निकाल कर ले जाते हैं।

कृषि मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)-

मान्यवर, खन्ना साहब ने सबका उल्लेख कर दिया केवल एक परिवार कल्याण रह गया है, उस पर भी वह प्रकाश डाल दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब बहुत समय हो गया है, अभी बहुत मद हैं और सदस्यों की भी सूचनायें हैं उनको हम 07 को ले लेंगे। इमरान साहब, चन्देल साहब और दुर्गा प्रसाद यादव जी, इन तीन लोगों की सूचनायें हम 07 को सुन लेंगे।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

मान्यवर, वहां लोग आंदोलन कर रहे हैं आप यह सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अभी बहुत ज्यादा बिजनेश बाकी है हम 7 तारीख को सबकी सूचना ले लेंगे।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

मान्यवर, पूरे प्रदेश में एक जाति विशेष के लोगों की सूचना के आधार पर झूठी रिपोर्ट लिखी जा रही है। अगर मुख्य मंत्री जी की बिरादरी का व्यक्ति है तो उसे इस प्रदेश में रहने का हक है क्या बाकी बिरादरी के लोग इस प्रदेश को छोड़कर चले जाएं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह विषय बीच में कहां से आ गया। मान्यवर, सदन की एक नियमावली है उसके अनुसार सदन को चलना है। क्या जिस तरह से कोई चाहे बीच में बोल लेगा। मान्यवर, आपकी शालीनता का नाजायज फायदा यह उठा रहे हैं।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

मान्यवर, मेरी महत्वपूर्ण सूचना है उस पर आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

इनकी बात को कार्यवाही में दर्ज न किया जाय। यह सदन नियमों से चलेगा। आपकी तेज आवाज से सदन नहीं चलेगा। आप बैठें।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

[xxx]

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह आपकी व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं।

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। वह यह है कि क्या यह सदन एक सरकारी आफिस की तरह एक निश्चित समय पर ही उठ जाएगा। मान्यवर, यह छोटा सा सत्र है और देखा जा रहा है कि 4 बजते ही संसदीय कार्य मंत्री जी का दबाव इस तरह का होने लगता है कि 5 बजे तक एजेण्डा खत्म हो जाए। मान्यवर, जब सत्र छोटा होगा तो हर सदस्य को अपनी बात रखने का उतावलापन रहेगा। इसलिये निश्चित है कि सदन को कुछ लम्बे समय तक चलाना पड़ेगा। मान्यवर, जब मैं सिंचाई मंत्री था तो हमारे सिंचाई विभाग का बजट दो बार रात को साढ़े ग्यारह बजे जाकर पास हुआ था। आप 5 बजे सदन खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। आप कहें तो हम लोग चले जाएं और फिर आप रि-असेम्बिल होकर एक स्वर में सब पास करा लें।

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

नहीं कोई दबाव नहीं है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, आप उदारतापूर्वक कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर सदस्यों को सुन रहे हैं। आपने मऊ की घटना पर एक पार्टी के चार सदस्यों को सुना। जब हमारी बारी आई तो आपने कह दिया कि एक सदस्य बोल ले।

मान्यवर, हमारा यह स्वभाव नहीं है और न संस्कार में है कि हम हंगामा खड़ा करें। हमारा संसदीय प्रक्रिया में विश्वास है। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे सदस्यों को भी सुनें। 7 तारीख को सूचनाएं लेने की बात कही गई है और दूसरी तरफ माननीय संसदीय कार्य मंत्री 5 बजे के बाद बैठना नहीं चाहते। मान्यवर, सत्तारूढ़ दल विपक्ष के समय की कटौती करके सब पास कराना चाहते हैं। आप अपने एजेण्डे को चाहें तो 5 बजे तक पास करा लें फिर सदस्यों की सूचनाओं को ले लें। मान्यवर, 7 तारीख के बाद हाउस चलेगा कि नहीं यह भी विश्वास नहीं है। आप कोई तो विश्वास बनाएं। आप 15 तारीख तक हाउस चलाएं फिर चाहें तो इन सूचनाओं को 7 तारीख के बजाय 8 तारीख को ले लें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप विश्वास खो चुके हैं। अगर हम लोगों की बात नहीं जाएगी तो हम लोगों का सदन में आने का क्या मतलब है। आज हम कोई औपचारिकता पूरी करने के लिए यहां नहीं आ रहे हैं। इससे तो मान्यवर, अव्यवस्था होगी अगर आप बोलने का समय नहीं देंगे। मान्यवर, थोड़े दिनों का सदन है, इन लोगों से बैठने को कहिये, धैर्य रखें। 6-7 बजे, 8.00 बजे भी हम लोग अपनी नोटिस पर बोलने के लिए बैठेंगे। सदन की कोई सीमा नहीं है, यह कोई गवर्न्मेन्ट आफिस नहीं है। अध्यक्ष जी इसको एडजस्ट करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

अभी खन्ना साहब बोल रहे थे, उन्हें मैंने रोका भी नहीं। कुछ मा0 सदस्यों को यह कहा था कि अगर कम समय में खत्म कर दें तो ठीक है। जहां तक चन्देल साहब अपनी नोटिस पर इधर-उधर की तमाम बातें बोलने लगे। इस तरह की बातें बोलने से कहीं न कहीं माहौल बिगड़ जाता है। समय बचाना भी चाहता हूं देना भी चाहता हूं। हम तो चाहते हैं कि कोई सदस्य न बचने पाये, सभी अपनी बात रख लें। आप अपनी बात के साथ हमारी बात सुनिये। आपने पूरा बोल दिया तो फिर आगे क्या बोलेंगे। अभी खन्ना साहब से निवेदन कर रहा था कि अपना समय समाप्त कीजिए।

मैंने खुद ही सोचा था कि 4-5 माननीय सदस्यों को 2-2 मिनट का अवसर दे दूंगा। हमने स्वयं ही एड्जस्ट करने की कोशिश की है कि सम्मानित सदस्य अपनी-अपनी बात रख लें। मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूं कि सभी सदस्य अपनी बात को रखें। आपको कहां से शंका हो गयी।

श्री ओम प्रकाश शर्मा-

मान्यवर, हम सब आपके आभारी हैं, आप उदार हैं और आपने सुना भी है। लेकिन उधर से दबाव पड़ता है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इधर से दबाव नहीं आग्रह करता हूं। माननीय ओम प्रकाश सिंह जी से भी आग्रह किया हूं।

श्री अध्यक्ष-

चन्देल साहब कोई बात शालीनता से कहिये क्योंकि यह बहुत ही प्यार और मुहब्बत का सदन है, यह कोई चौराहा नहीं है कि जोर-जोर से बोलेंगे तो ही सुना जायेगा। यह मुहब्बत और प्यार का मण्डप है। मिल जुलकर चलने का सदन है। बहुत ही अच्छे माहौल का सदन है। जितना प्यार और मुहब्बत से बोलेंगे तो उसे सरकार भी सुनेगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, वर्तमान में जो पुलिस की कार्य प्रणाली है उसमें न तो स्वतत्रता संग्राम सेनानी बचे न तो उनके परिवार बचे, यहां तक कि मिलिट्री के आफिसर भी नहीं बचे, इसी हजरतगंज में उनके साथ अभद्रता हुई। महानगर थाने में उनके परिवार वालों के साथ पुलिस वालों ने सब-इंस्पेक्टर लड़के और उसके साथियों ने बदसलूकी की और अभद्रता की और दुराचार करने का प्रयास किया गया। आखिरकार पुलिस की कार्य प्रणाली पर कोई रोक लगेगी या नहीं लगेगी ? सबसे ज्यादा अफसोस उस निर्णय से हुआ जब से यह अधिकार बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को दे दिया गया है कि उनकी मर्जी से थानेदारों की नियुक्ति होगी। आवश्यकता इस बात की है कि आखिरकार न्यायिक प्रक्रिया कब डेवलेप होगी। वह कौन सा वक्त आएगा ? वह कौन सा दिन आयेगा जिस दिन इस प्रदेश की पुलिस के ऊपर जनता का विश्वास मान्यवर, बनेगा। जब तक सरकार की इच्छाशक्ति इस सम्बन्ध में नहीं होगी, तब तक यह होने वाला नहीं है। मान्यवर, मैं दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

यह तो पहले भी कहा था कि दो बातें कह कर समाप्त करिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह तो इसलिये कि बीच में व्यवधान आ गया था तो वह कान्टीन्यूटी ब्रेक हो जाती है। मान्यवर, हमारे यहां शाहजहांपुर में एक साल में आधा दर्जन एस0पी0 बदले गये। 14 महीने में 6 एस0पी0 बदल गये। अब पता नहीं कौन सी व्यवस्था या कैसी व्यवस्था होना चाहिए कि 14 महीने में 6 एस0पी0 बदल गये। आखिरकार कैसे कानून व्यवस्था ठीक हो। जो आदमी कुछ प्लान बनायेगा कुछ आगे चलेगा या साल भर के लिये 6 महीने के लिये कोई मजबूरी हो। हम यह बार-बार इस बात पर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि सरकार की प्रायोरिटी पर कानून व्यवस्था कौन से नम्बर पर आती है। यह इस सरकार की प्रायोरिटी में है नहीं। अपने निजी स्वार्थों के लिये पुलिस का इस्तेमाल करें। जहां तक सुरक्षा का सवाल है, सत्ता पक्ष के लोगों की सुरक्षा। हालांकि सुरक्षा बिल्कुल नितान्त व्यक्तिगत मामला है। हमेशा व्यक्तिगत आधार पर सुरक्षा दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को सुरक्षा की आवश्यकता है तो उसको दी जाती है। लेकिन आप सत्ता पक्ष के विधायकों की सुरक्षा देख लीजिये और विपक्ष के विधायकों की सुरक्षा देख लीजिये। मांग-मांग के

अगर थक जायं, मर जायं उस पर 10 प्रतिशत, 25 प्रतिशत जितना मांगें उतना देने के लिये तैयार हैं लेकिन मान्यवर, विपक्ष के विधायकों को सुरक्षा नहीं। जिन लोगों के वहां पिकेड लगी है मान्यवर, इस सरकार के आते ही उनकी पिकेड हटा ली गई, उनकी सुरक्षा मान्यवर, समाप्त कर दी गई। मान्यवर, इस सरकार से डिस्क्रीमिनेशन होगा और ऊपर से यह कहा जायेगा कि इस प्रकार का डिस्क्रीमिनेशन नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें और सदस्य भी हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अंतिम बात कह कर अपनी बात समाप्त कर देंगे। मान्यवर, हमने कई बार हाईकोर्ट की बेंच का मामला उठाया। डिलेड डिफीट द जस्टिस। हाईकोर्ट की बेंच का मामला पिछले कई सालों से लटका हुआ है। इस सरकार का दृष्टिकोण क्या है ? उस सम्बन्ध में सरकार कोई रिकमेन्डेशन भारत सरकार को करेगी कि हाईकोर्ट की बेंच बना दी जाय या हाईकोर्ट की बेंच न बने तब तक बरेली मण्डल, रुहेलखण्ड मण्डल मान्यवर, लखनऊ से अटैच कर दें। यह तो मान्यवर, प्रशासनिक आधार से हो सकता है। एक प्रशासनिक आदेश से हो सकता है। लेकिन मान्यवर, सरकार की इच्छा शक्ति यह होनी चाहिए कि हम अगर सस्ता न्याय देने की बात करें। कानून व्यवस्था सुधारने की बात करें तो उसके लिये हर स्टैप पर सोचना चाहिए, हर स्टैप पर रिव्यू करना चाहिए कि आखिरकार कहां-कहां पर इसको देखने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष-

आप कहां से रिव्यू करा रहे हैं। चलिये अब महाना साहब आ गये हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जिन बातों के लिये हमने दिया है खास तौर से उस पर हम बल देते हैं। मान्यवर, प्रदेश में जो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, रिपोर्ट लिखी जायं और चोरी वाहन चोरी, गृह भेदन, लूट इन लोगों की समीक्षा जरूर की जाय कि इसमें कितने लोग पकड़े गये और कितना माल बरामद हुआ। मान्यवर, आपने कानून-व्यवस्था पर बोलने का मौका दिया। इसके लिये मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे कानून व्यवस्था पर बोलने का समय दिया।

श्री अध्यक्ष-

केवल दो मिनट।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, तीन चार बार आपने दो-दो मिनट कहा है। मैं उतना ही लूंगा। आप बहुत अच्छे हैं मान्यवर।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

नहीं अगर इतना गणित लगायेंगे तो घर के लोगों को भूल जायेंगे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं जितनी भी बातें माननीय खन्ना साहब ने कही हैं उसके साथ अपने को सम्बद्ध करता हुआ कम समय में अपनी बात कहूंगा कि जिस प्रकार के लॉ एण्ड आर्डर की व्यवस्था पूरे प्रदेश में है, वह किसी से छिपी नहीं है। कानपुर महानगर का आप किसी भी दिन का अखबार उठा कर देख लीजिये। जैसे रेन्डम चेकिंग कहते हैं कि 100 में से किसी एक दिन का अखबार उठाकर आप देख लीजिये। आपको चेन पुलिंग और महिलाओं के साथ किस तरह से रोज चेन खींची जाती है, एक आम बात हो गई है, हत्या एक आम बात हो गयी है। सड़क के ऊपर चलना दूभर हो गया है। मान्यवर [xxx] एक्ट का जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है उससे मैं इस बात को बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं। मान्यवर, मैं क्षमा चाहता हूं [xxx] एक्ट कहा मैंने।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, उसको मैं निकाल देता हूं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, एस0सी0, एस0टी0 एक्ट का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। इससे उनके साथ भी ज्यादती हो रही है कि अगर समाज के अंदर कहीं लगता है कि इस आदमी को अनावश्यक परिश्रम दिया जा रहा है तो समाज के अन्य वर्ग के लोगों में भी उसके खिलाफ रिएक्शन होता है। मैं मान्यवर, सिर्फ एक घटना का उल्लेख करके अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मान्यवर, कानपुर महानगर में नौबस्ता थाना क्षेत्र के अन्तर्गत हंसपुर चौकी है वहां पर सड़क बन रही थी। सड़क बनाने के समय कुछ लोग ईंटा उठाकर ले जा रहे थे एक व्यक्ति ने उसको मना किया कि तुम ईंटा उठाकर मत ले जाओ। उसने अपनी बात कहने के लिये वहां पर चौकी में वह लड़की गई और कहा कि हमारे को वहां पर परेशान कर रहे हैं और एस0सी0, एस0टी0 एक्ट में कोई मुकदमा भी उसने नहीं लिखाया। उसने कहा कि मैं अनुसूचित जाति की हूं मेरी बात सुनें। मान्यवर, पुलिस वाले गये और जिन दो लड़को को जिन्होंने मना किया उनके पिता जिसका नाम जंग बहादुर सिंह है। मान्यवर, उसको उन्होंने पकड़ लिया। मोटर साइकिल के बीच में बिठा लिया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सुनिये। बहुत महत्वपूर्ण और गम्भीर घटना है। उसको मोटरसाइकिल के बीच में बिठा लिया आगे चौकी इंचार्ज चला रहा था, बीच में वो व्यक्ति बैठा था और पीछे सिपाही बैठा था उसको पकड़ने के लिये मान्यवर, उन्होंने यह जो अंगोछा होता है यह उसके गले में डाल दिया और चौकी तक पहुंचते-पहुंचते तक इतनी जोर से खींचा कि उसकी हड्डी टूट गई और उसकी मोटर साइकिल के ऊपर मृत्यु हो गई। जिस समय चौकी पर उतारा वह उतरा नहीं मरा हुआ पाया गया तो उन्होंने कहा कि साला नाटक कर

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

रहा है, इसको और भागे। मान्यवर, जिस समय उसको मृत घोषित कर दिया गया उन्होंने कहा कि यह पिटाई से या हड्डी टूटने से मृत्यु नहीं हुई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई और उसमें यह सिद्ध हो गया कि यह गला दबाकर हत्या की गई। मान्यवर, पुलिस वाले अपनी मोटर साइकिल पर बैठाकर किसी की हत्या कर देंगे। इससे ज्यादा गम्भीर बात और प्रकरण क्या हो सकता है। इसके आगे मान्यवर, और सुनिये जिस समय यह घटना हुई वहां पर एस0एस0पी0, एस0पी0 और डी0एम0 पहुंचे। उन्होंने पूरी घटना की जानकारी की और सारे समाचार पत्रों में यह छप गया। अरे वाह री सरकार और सरकार के पुलिस वाले उसे मारने के बाद उसके खिलाफ और उसके बच्चों के खिलाफ एस0सी0एस0टी0 का मुकदमा दर्ज हो। मरने के बाद मुकदमा दर्ज हो, इससे ज्यादा गम्भीर बात और क्या हो सकती है। मान्यवर, आज जिसके पिता की डेथ हुई है कल्लू और बल्लू जिसकी पुलिस वालों ने हत्या कर दी, उनके खिलाफ सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि वो पुलिस के लोग हैं। आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि सरकारें जनता की संरक्षण के लिये होती हैं। सरकारें पुलिस वालों या सरकारी कर्मचारियों के एजेन्ट के रूप में यहां पर काम नहीं करती कि जो उन्होंने लिखकर भेज दिया वह आपने मान लिया। मैं यहां पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस घटना को जिसको पुलिस वालों ने हत्या कर दी हो उसके परिवार को उसकी मृत्यु के पश्चात् उन पर एस0सी0एस0टी0 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया हो। अपने पिता की मृत्यु पर रोने के साथ-साथ वह घर से भागे फिर रहे हैं, छिपे फिर रहे हैं कि वो किसके पास गुहार लगायें। किससे अपनी बात कहें। अगर सरकार यहां पर भी नहीं सुनना चाहती है तो मान्यवर, आपका संरक्षण चाहते हैं। आप बहुत अच्छे हैं, यह बात तो मैं बार-बार कहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

जिसको जल्दी जाना है, उसके लिये हम क्या हैं ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपको जल्दी नहीं जाना है।

श्री अध्यक्ष-

हमको नहीं, जो जाना चाहते हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, जो जाना चाहते हैं, जायं। कोई रोक नहीं पायेगा वो तो ऊपर वाले ने समय तय किया हुआ है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस प्रकरण की मैं माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि एक विशेष एजेन्सी से जांच करा लें।

श्री अध्यक्ष-

वकार साहब अभी एक सूचना चल ही रही है।

श्री सतीश महाना-

दोषी पुलिस वालो के खिलाफ कार्यवाही हो। मृतक को कम से कम 10 लाख का मुआवजा हो और उनके खिलाफ मरने के बाद जो रिपोर्ट लिखाई गई है वह वापस हो। इस बात के लिये आपसे निवेदन करना चाहता हूं। विषय बहुत हैं, प्रकरण बहुत हैं, पर इस परटीकुलर

घटना के बारे में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। बाकी जो चेन पुलिंग हो रही है और अपराध हो रहे हैं उसके ऊपर प्रभावी नियंत्रण लगे, यही बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने माननीय नेता जी द्वारा लाये ग्राह्यता के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। परसों तीन तारीख को यह सदन शुरू हुआ है। दो तारीख को गोरखपुर में सिंचाई विभाग के एक अभियन्ता की खुले आम दिनदहाड़े हत्या हो गयी। नाम उनका मनोज सिंह है। यह पहली और अंतिम हत्या नहीं है। पुलिस लाइन के अन्दर अपने कमरे में सो रहे होमगार्ड के कमरे में घुसकर उस होम गार्ड की हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम हुआ और सर पर चोट के निशान आये और पुलिस ने आत्महत्या का मुकदमा बनाकर इसको टाल दिया। नार्मल स्कूल के मैदान में गोरखपुर में पोस्टेड एक सिपाही की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई उसका सर कूच दिया गया और उसके हाथ की अंगुलियां तोड़ दी गईं। मैंने तीन केस बताये और तीनों अधिकारियों के। एक सिपाही, एक होमगार्ड और एक सिंचाई विभाग का अभियन्ता और सबके ऊपर पुलिस आज तक कार्यवाही नहीं कर पाई। कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया। होटल के अंदर एक विधि के छात्र की दिन दहाड़े हत्या की गई। पोस्टमार्टम में सर की चोट के निशान आये और पुलिस ने उसको आत्महत्या का मुकदमा बनाकर खत्म कर दिया। गोरखपुर शहर के बीचो बीच में लाल डिग्गी मोहल्ला है डकैत पूरी संख्या लेकर घुसे, गोली चलाते हुए घुसे दो गोदामों पर सुरक्षा गार्ड लगे हुए थे उन्हें बंधक बना लिया। ट्रक बुलवाया ट्रक पर गोदामों से सारा सामान लाद लिया। ढाई घण्टे तक लूट करते रहे। वहां से थाना मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर नहीं होगा कोई नहीं पहुंचा सारा माल लादकर गोली चलाते हुए निकल गये और आज तक कोई अभियुक्त गिरफ्तार नहीं। बहुजन समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं व्यापारी नेता माननीय बनवारी लाल कंछल उनके प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद टेकरीवाल, पुलिस-12 बजे रात तक गश्त करती रही। उनका गश्त समाप्त हुआ और 1 बजे प्रमोद टेकरीवाल के घर डकैती पड़ गई। लाखों का सामान लूट लिया और आश्चर्य की बात अध्यक्ष महोदय कि डी0आई0जी0, एस0एस0पी0 पोस्ट इसलिये होते हैं कि जहां इतनी बड़ी घटनाएं होती हैं वो जायेंगे, निरीक्षण करेंगे अपने अनुभवों का अपने अधीनस्थ अधिकारियों को लाभ देंगे, अपराधियों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। गोरखपुर में कार्यरत डी0आई0जी0/एस0एस0पी0 आज तक 21 तारीख की घटना है। मैं आप लोगों के संज्ञान में दे रहा हूं आज 4 तारीख है। डी0आई0जी0 घटना स्थल का निरीक्षण करने का समय ही नहीं निकाल पाया। जब समाचार-पत्रों में रिपोर्ट छपने लगी तो स्वाभाविक रूप से उनका मीडिया पर आक्रोश आ गया और उन्होंने एक आदेश कर दिया कि मीडिया और प्रिन्ट मीडिया घटना स्थल का कोई भी फोटो बिना उनको दिखाये हुए नहीं छापेगी।

यह पहला गोरखपुर में दृष्टान्त होगा जब मीडिया के लोगों ने जुलूस निकाला। आई0जी0 के पास गए उन्हें ज्ञापन दिया और अपने डी0आई0जी0 के सूरते हाल पर नियंत्रण लगाने की बात

कही और जो इतिहास रखा वह कष्टकारी था। मुख्य मंत्री का बयान है कि एस0सी0एस0टी0 एक्ट के मुकदमें दर्ज हों तो डी0जी0पी0 जांच करने जाएगा। गोरखपुर में एक ऐसा डी0आई0जी0 पोस्टेड है जिसके ऊपर स्वयं एस0सी0एस0टी0 का मुकदमा दर्ज है यानि जिनके अपराधों की जांच करने के लिए डी0आई0जी0 जाएगा ऐसे आरोपित व्यक्ति को गोरखपुर में डी0आई0जी0 बनाकर रखा गया है। पुलिस लाइन के अन्दर उन्होंने कैम्प करवाया और 45 साल के सिपाही को इतना दौड़ाया कि दौड़ाते हुए उसकी मौत हो गई। उसकी पत्नी ने पत्रकार वार्ता करते हुए डी0आई0जी0 पर आरोप लगाया कि मेरे पति की हत्या करा दी गई। यह सब पुलिस लाइन की घटना है। मैं इन सारी बातों को इसलिए ला रहा हूं कि हम कानून व्यवस्था के नाम पर अनावश्यक कुछ नहीं क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन जो सत्य है अगर अपराध हो रहे हैं तो अपराध पर नियंत्रण होने चाहिए। अपराध हो रहे हैं तो अपराध की जगह पर डी0आई0जी0 को पहुंचना चाहिए। अपराध की रिपोर्टिंग हो रही है तो संवेदनशीलता के साथ उसे देखना चाहिए। अपराध को बेनकाब करके अपराधियों को पकड़ना चाहिए। साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिनके ऊपर इस तरह के मुकदमें दर्ज हों उनको कहीं का प्रभारी बनाकर न बैठाया जाए। इसी के साथ मैं अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगा कि ग्राह्यता के इस प्रश्न पर आप विचार करेंगे हमें चर्चा करने की अनुमति देंगे।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर)

एक सदस्य-

सुबह से बैठे इंतजार कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठें। आप अब मंत्री जी की बात को सुन लें। करवरिया साहब आपका बाद में आयेगा। दल के तीन माननीय सदस्य बोल दिये। अब एक-एक लोग बोलेंगे तो चर्चा होगी क्या ?

(शोर)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से शोर)

आप लोग बैठिये। महाना जी को सुना गया।

डा0 राधामोहन जी को सुना गया इस पर चर्चा नहीं होगी। सब लोग खड़े होंगे तो कैसे चलेगा। खन्ना साहब ने कानून व्यवस्था से लेकर सब बातें कह दीं। आपकी व्यक्तिगत कोई सूचना हो तो नोटिस लगायें मैं ले लूंगा। मैं 7 तारीख को ले लूंगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, सरकार की प्राथमिकता प्रदेश में कानून व्यवस्था को लागू करना है। माननीय अध्यक्ष जी हम उनकी बातें सुन लेते हैं। लेकिन वो हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं। इस तरह से दोहरा मापदण्ड होगा तो सदन चलना बहुत मुश्किल हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जाइये। आपके जनपद या विधान सभा क्षेत्र का कोई मसला हो तो कहिये उसे ले लिया जायेगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हमारी सरकार की माननीया मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी की सर्वोच्च प्राथमिकता कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का है। अपराध मुक्त, भयमुक्त, अन्याय मुक्त प्रदेश बनाने का संकल्प है। मान्यवर, किसी भी सरकार का किसी भी कानून व्यवस्था की जो सामान्य समीक्षा है। मुख्य रूप से 3-4 तरह की घटनायें हैं। डकैती, लूट, हत्या, रोड होल्ड अप या फिरौती ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कानून व्यवस्था का आकलन किया जाता है। मान्यवर, हमारे माननीय खन्ना जी चर्चा कर रहे थे मैं भी उसी परिप्रेक्ष्य में निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस सरकार की प्राथमिकता है वह सत्य है कि कानून का राज्य हो। कानून से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता है। उसी के कारण जब हमने कार्यवाहियां कीं अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक हैसियत रखने वाला क्यों न हो, सत्तापक्ष का हो या विपक्ष का हो बिना भेदभाव के अगर उसने कानून का उल्लंघन किया है, अपराध को अपने हाथ में लेने का काम किया तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्यवाही करके माननीया मुख्य मंत्री जी ने यह साबित किया कि कानून सबसे ऊपर है। कानून से बड़ा कोई नहीं है और उसी का परिणाम है कि डकैती जहां 2005 में 222 थी, 2006 में 135 थीं, 2007 में 137 थी, 2008 में केवल 100 हुई। लूट की घटनायें 2007 में 1662, 2006 में 1782, 2005 में 1847 और 2008 में 1401 हुई। हत्या मान्यवर, जिसको किसी तरह से छिपाया नहीं जा सकता, मान्यवर, 2005 में 5713, 2006 में 5390, 2007 में 4831, 2008 में 4219, यानि इसमें भी घटोत्तरी होने का काम हुआ। बलवा मान्यवर, 2007 में 4149, वर्ष 2008 में 3681, इसी प्रकार से गृह भेदन 2007 में 4383, 2008 में 4123 और वर्तमान में 15-7-2009 तक 2203, मान्यवर, रोड होल्डअप 2005 में 7, 2006 में 5, 2008 में 4, फिरौती के लिये अपहरण 2006 में 118, 2007 में 85, 2008 में 57, इसी तरह से दहेज हत्या 2007 में 2101, 2008 में 2066, बलात्कार 2007 में 1637, 2008 में घटकर 1532, महिला उत्पीड़न 2007 में 7800, 2008 में 7644, मान्यवर, इसी तरह से अनुसूचित जाति की जो हत्यायें हैं, उसमें भी लगातार कमी हुई, 2006 में 328, 2007 में 313, 2008 में 229, गम्भीर चोटें जो अनुसूचित जाति की थीं उसमें 2007 मे 436, 2006 में 423, 2008 में 403 । बलात्कार की जो घटनायें थीं 2007 में 339, 2008 में 333 । आगजनी की 2007 में 66, 2008 में 44। अनुसूचित जाति अधिनियम का मान्यवर, 2007 में 2410, 2008 में 2390 और वर्तमान में केवल 1598 । मान्यवर, इस तरह से जो कानून व्यवस्था के प्रति मा0 मुख्य मंत्री जी की जो सख्त चाहत है कि इस प्रदेश में अपराध नाम की कोई चीज न बचे, किसी भी तरह से अपराधी का मनोबल न बढ़ने पाये। उनके द्वारा जो कार्यवाही की गई, उन कार्यवाहियों में जिससे अपराधों पर अंकुश लगे, उसके लिये भी शस्त्र अधिनियम, 51673, जुआ अधिनियम में 2008 में 12118, एनडीपी अधिनियम में 2008 में 14042, आवश्यक वस्तु अधिनियम में 2008 में 2101, आबकारी अधिनियम में 63925, गुण्डा अधिनियम में 31528, गैंगस्टर अधिनियम में 5968 । इस प्रकार से मान्यवर, कार्यवाही की गई है। जिससे प्रदेश में किसी तरह से अपराध बढ़ने न पाये, अपराध को पूरी तरह से नियंत्रित किया जाए, अधिकारियों को सख्त हिदायत देने का काम किया गया, पुलिस कर्मचारियों को सख्त हिदायत देने का काम किया गया कि अपराध को नियंत्रित करने में किसी भी

तरह से अगर बीच में आपके ऊपर प्रेशर है तो उसे मानने का काम न करें। मा0 खन्ना जी निराधार एक तथ्य को उठाने का काम किया है हमने कोई निर्देश दिया है कि थानाध्यक्ष किसी विधायक या किसी जनप्रतिनिधि के कहने से होगा, कदापि ऐसा कोई निर्देश देने का काम नहीं किया गया है। मान्यवर, इस सरकार की सर्वोच्च चाहत है कि इस प्रदेश को अपराध शून्य प्रदेश बनाने का उसके लिये हम प्रयासरत हैं और उसके लिये जो सख्त से सख्त कार्यवाही की जा सकती है, बिना किसी भेदभाव के कार्यवाही की जा सकती है। उसको करने का काम वर्तमान सरकार माननीया मुख्य मंत्री जी द्वारा रोज समीक्षा करके अपराधों पर नियंत्रण करने की कार्यवाही की जा रही है। और उसी का परिणाम है कि आज लोगों में भय था, जो लोगों में एक डर समाया हुआ था कि हम कहीं जायेंगे, हमारे साथ घटना होगी, उस डर को लोगों के बीच में निकालने की कार्यवाही की जा चुकी है। काफी हद तक लोग अब बड़े स्वतंत्र होकर आने-जाने का काम कर पा रहे हैं। यह प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं के कारण ही यह सम्भव हो सका है। जहां तक मान्यवर, इस कार्य-स्थगन का सवाल है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैंने जो दो स्पेशिफिक इश्यू उठाये हैं, उनके बारे में भी उत्तर दे दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कार्य-स्थगन की जो सीमायें हैं इसमें स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है,

श्री सतीश महाना-

मैंने जिन बातों को उठाया वह काफी पहले की है।

श्री लालजी वर्मा-

अगर आपने कोई स्पेशिफिक बात आज उठाई है तो हम उसको दिखवा लेंगे। क्योंकि जो सूचना आपने उठाई, जो विषय आपने उठाया उस नोटिस में उस स्पेशिफिक बात का जिक्र नहीं था, मैं उसको व्यक्तिगत तौर पर दिखवा लूंगा और उसके अनुसार बात आयेगी। मान्यवर, मैं एक बात का आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी उदारता का परिचायक है कि यह विषय उठा है मान्यवर, एक ही प्रस्ताव द्वारा एक ही विषय पर एक से अधिक चर्चा नहीं होगी। प्रस्ताव हाल में ही घटित किसी निर्दिष्ट विषय तक निर्बद्ध रहेगा। यह कार्य-स्थगन की जो नियमावली है उसमें इस बात का समावेश किया गया है और इसलिये मान्यवर, मैं चाहूंगा कि यह कार्य-स्थगन का विषय नहीं है, इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

यह खन्ना साहब भी जानते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब कोई स्पष्टीकरण नहीं है। मैंने आदरणीय खन्ना साहब को सुना, मा0 डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी को सुना, मा0 महाना जी को सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है, मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री इमरान मसूद-

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के शैक्षिक सत्र 2008-2009 की उपलब्ध सामाजिक विज्ञान की कक्षा-10 की पुस्तक में डा0 अलका गौतम, डा0 सोनल रस्तोगी द्वारा, ...

श्री अध्यक्ष-

एक मिनट रुकिये, इतना स्पीड अगर पकड़ेंगे तो बात सही नहीं आ पायेगी। बीच में जब डिस्टर्बेन्स रहा करे तो मत बोला करिये, केवल बोलने के लिये ही नहीं, बल्कि स्पष्ट स्थिति रखने के लिये भी खड़े होते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

हां बतायें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमने तीन बातों की तरफ इशारा किया स्पेशफिक रूप से तीन-चार घटनाओं का उल्लेख किया जो घटनायें जून में, जुलाई में घटित हुई थीं एक सरस्वती जो ग्रेटर नोयडा की है, गाजियाबाद में इन्दिरापुरम् थाना क्षेत्र में चौथी मंजिल से धक्का देकर मार दी गई। उसके तीन मुल्जिम बाहर हैं एक पकड़ा गया और एक-एक करोड़ रुपये की ग्रेटर नोयडा में, पीलीभीत में मान्यवर, डकैती हुई उसको स्पेशफिक रूप से जो जून और जुलाई की घटना है, सीधे-सीधे कानून व्यवस्था से सम्बन्धित है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आप नोटिस देख लीजिये। सदन में अचानक उठेगा कोई मामला तो उसके ऊपर उत्तर देना कहां सम्भव होगा।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना साहब, आप उस घटना का जिक्र सदन के अन्दर तात्कालिक तौर पर ला दिये, माननीय मंत्री जी को सूचना तो है नहीं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक बार यह तो कह देते कि चोरी की, गृह भेदन की और वाहन चोरी की घटनायें उनको हम दिखवा लेंगे। इतनी तो अपेक्षा हम करते हैं। जब 20 मिनट मान्यवर, आपकी कृपा से आपकी सहमति से हमने अपनी बात सदन में रखी तो उस पर वाहन चोरी पर एक बात नहीं, गृह भेदन पर एक बात नहीं, चोरी की घटनाओं पर एक बात नहीं, हम चोरी की घटनाओं की बात कर रहे हैं मान्यवर,

श्री अध्यक्ष-

उन सभी घटनाओं का आंकड़ा प्रस्तुत किया है मा0 मंत्री जी ने। ऐसा है अभी इस मसले पर माननीय मंत्री जी ने एक विस्तृत आंकड़ा रख दिया है, सब आ गया है। सूचना अग्राह्य हो गई है। वहां पर जो वातावरण है उसके बारे में आपने बता दिया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, समुचित जवाब नहीं आया है।

*श्री इमरान मसूद-

मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा शैक्षिक सत्र 2008-09 की उपलब्ध सामाजिक विज्ञान की कक्षा-10 की पुस्तक का मैं जिक्र करना चाहता हूं, जिसके लेखक डा0 अलका गौतम एवं डा0 सोनल रस्तोगी है। मान्यवर, इस पुस्तक के प्रश्न संख्या 165 पर मुस्लिम सुधार आन्दोलन नामक अध्याय में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी : अहमदिया आन्दोलन को मुसलमानों के साथ जोड़ने का काम किया गया है। मान्यवर, इस तरह से मुसलमान समुदाय की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आप क्या चाहते हैं ? वह बतायें।

श्री इमरान मसूद-

मान्यवर, कादियानी सम्प्रदाय को पूरे विश्व के अन्दर मुसलमान समुदाय के साथ नहीं जोड़ा जाता है। मान्यवर, यह सर्वविदित है कि 1857 की विफल क्रान्ति जिसका इतिहास गवाह है, जिसमें हिन्दु व मुसलमानों ने देश को स्वतंत्र कराने का प्रयास किया, परन्तु अंग्रेजों की कुत्सित मानसिकता जो देश के हिन्दु व मुसलमानों को बांटकर राज करना चाहते थे, के कारण मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का उदय हुआ था। मान्यवर, उन्होंने हिन्दू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाई थी और अंग्रेजों का गुलाम बनकर अंग्रेजों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की थी। मान्यवर, इस तरीके से इस पुस्तक में उनको महिमामंडित करने का काम किया गया है। मान्यवर, हम चाहते हैं कि इस अध्याय को इस पुस्तक से निकालने का काम सरकार द्वारा किया जाय। मान्यवर, हम यह भी बताना चाहते हैं गुलाम अहमद कादियानी ने न केवल मुस्लिम अपितु ईसाई एवं हिन्दुओं की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने का काम किया। इन्होंने अपनी पुस्तक बराहीन-ए-अहमदिया में अपने आप को ईसाईयों का मसीहा, हिन्दुओं का अवतार व मुसलमान का नबी बताने का कार्य किया। ऐसे विवादास्पद व्यक्ति के इतिहास को महिमामंडित कर पाठ्यपुस्तकों में पढ़ाये जाने का कोई औचित्य नहीं है जिससे सभी सम्प्रदायों के करोड़ों लोगों की भावनायें आहत होती हैं। मान्यवर, हमारी मांग है कि सरकार द्वारा पुस्तक में वर्णित इस अध्याय को निकाला जाय और लेखक के विरुद्ध कार्यवाही करने का काम किया जाय।

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्र)-

मान्यवर, कक्षा-10 में सामाजिक विज्ञान के पाठ में डा0 अलका गौतम एवं डा0 सोनल रस्तोगी द्वारा यह लिखा गया है। इसमें लेखक ने तथ्यों के आधार पर यह बात लिखी है। इसमें अगर कहीं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है तो इसको दिखवा लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस सूचना पर श्री इमरान मसूद जी को और माननीय शिक्षा मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है इसे अग्राह्य करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुल्तान बेग-

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अलावा पूरे जनपद बरेली में नील गाय और जंगली गाय लाखों की संख्या में हो गई हैं वह सारी फसल नष्ट कर देती है जिससे किसानों को भारी आर्थिक हानि होती है।

मान्यवर, इसमें एन0जी0ओ0 के माध्यम से इन नीलगायों को पकड़कर दूसरी जगह भिजवाया जाए या जंगलों में भिजवाया जाए ताकि किसानों की फसल को नुकसान न हो।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस सूचना पर श्री सुल्तान बेग जी को सुना। यह नियम-56 में नहीं आती इसलिये मैं अग्राह्य करता हूं। फिर भी मैं शासन का इस ओर ध्यान आकृष्ट करता हूं कि इस मामले को दिखवा लिया जाय।

*श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, इस लोक महत्व के गम्भीर विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं एक गम्भीर विषय का बताना चाहता हूं 1989 में मऊ जनपद आजमगढ़ जनपद से अलग हुआ था। परन्तु सिविल जज जूनियर डिवीजन मोहम्मदाबाद की अदालत आजमगढ़ में ही है लेकिन मऊ जनपद का एक भी मुकदमा मोहम्मदाबाद में नहीं है। सिविल जज जु0डी0 की अदालत में करीब 6 हजार मुकदमें इस समय भी लम्बित है जो सभी आजमगढ़ से सम्बन्धित है इसलिये मेरी मांग है कि मोहम्मदाबाद का नाम बदलकर सगड़ी नाम रख दिया जाय। सिविल जज जूनियर डिवीजन मोहम्मदाबाद के नाम को बदलते हुए सगड़ी नाम का प्रस्ताव शासन को भेजा जाय। इसी तरह से लालगंज तहसील में भी कुछ ऐसे गांव है जिसके वादकारियों को लालगंज तहसील जाने की अपेक्षा आजमगढ़ हेडक्वार्टर पहुंचना आसान है। इसलिये लालगंज की अदालत को आजमगढ़ मुख्यालय पर ही बनाये रखा जाय। आजमगढ़ में करीब 90 हजार मुकदमें आज भी लम्बित है।

श्री अध्यक्ष-

इसको कौन हटा रहा है ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर, शासन से नोटिस हुई होगी।

श्री अध्यक्ष-

शासन से कैसे हुआ होगा ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर, मोहम्मदाबाद अदालत में एक भी मुकदमा मऊ जिले का नहीं है। मेरी मांग है कि मोहम्मदाबाद का नाम हटाकर सगड़ी नाम रख दिया जाय और इसे आजमगढ़ जिले में रख

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिया जाय ताकि लम्बित मुकदमों का निस्तारण हो सके। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस लोकमहत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

इसको प्रारम्भ में ही मैंने ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत कर लिया है। मैंने शासन का इस पर ध्यान आकर्षित कर दिया है।

श्री आरिफ अनवर हाशिमी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे इस नोटिस पर आपने मुझे ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं बहुत-बहुत आपका आभारी हूं। मान्यवर, हमारे जनपद गोण्डा के तहसील मनकापुर के ग्राम अलाउद्दीनपुर की घटना है यहां कब्रिस्तान और शमशान की जमीन पर कुछ माफिया लोगों को एक पत्रावली गठित करके एल0एम0सी0 के मेम्बरों के फर्जी हस्ताक्षर करके पट्टा दे दिया गया। कब्रिस्तान और शमशान का पट्टा हो जाने के बाद वहां के ग्रामवासियों ने इसको निरस्त कराने के लिये सी0आर0ओ0 महोदय के न्यायालय में वाद दायर किया लेकिन इसके बाद भी दिनांक 25-7-2009 को तहसीलदार साहब मय थानाध्यक्ष समेत गांव में गये और कब्रों को जुतवाकर पट्टा पर कब्जा दे दिया। इसके बाद 26-7-2009 पर गांव के करीब 20-25 लोगों पर धारा 198 के तहत मुकदमा दर्ज करवादिया। इसके बाद भी यह लोग संतुष्ट नहीं हुए। दिनांक 27-7-2009 को एस0डी0एम0 साहब मनकापुर, सी0ओ साहब और थानाध्यक्ष खोडारे जनपद गोण्डा गांव में पहुंच करके जो बचीखुची कब्र और शमशान के चिन्ह थे उनको भी इन लोगों ने जुतवा करके कब्जा करा दिया साथ ही साथ पुलिस और पी0ए0सी0 के जवानों ने गांव में घुसकर बूढ़े लोगों को, बूढ़ी माताओं को और महिलाओं को पीटने का काम किया। उसके बाद एक शाकिर नाम के व्यक्ति की पत्नी को जो गर्भवती थी उसको भी पुलिस के डन्डो से मारा गया। इसके बाद भी जब उनकी भूख खत्म नहीं हुई तो रामि प्रसाद मौर्य और मोहर नाम के व्यक्ति का दरवाजा भी उन लोगों ने तोड़ डाला। जानवरों को गांव से खोल करके भगा दिया। यह ताण्डव दो तीन घण्टे तक चलता रहा और बहुत ही स्थिति विस्फोटक हो गई है। गांव के लोग पलायन कर चले गये हैं। अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं और उस पट्टे को निरस्त करके शमशान और कब्रिस्तान को बहाल कराने की मांग करता हूं और जो लोग दोषी हैं उनको दण्डित करने की मांग करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर श्री आरिफ अनवर हाशिमी साहब को सुना। नियम 56 में यह सूचना ग्राह्य नहीं है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु पहले से निर्णय लिया जा चुका है इसलिये मैं इस सूचना के सन्दर्भ में शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं।

*श्री अमरमणि त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र से नेपाल की सीमा लगी हुई है वहां पर तस्करों का एक जाल है जो शासन की मदद से सारा का सारा रसायनिक उर्वरक जिस पर हमारे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देश में सब्सिडी मिलती है, उस पर नेपाल में सब्सिडी नहीं होती है, दुगुने दाम पर बिक जाती है। हमारे यहां का सारा का सारा रसायनिक उर्वरक नौतनवां के नाम पर नेपाल जाता है। नेपाल की सीमा से सटे हुए क्षेत्र में कृषि विभाग ने लाइसेंस दे दिये हैं इसलिये वहां तक रसायनिक उर्वरक ले जाने में कोई असुविधा नहीं होती है। वहां रसायनिक उर्वरक तहसील नौतनवां में बांटने के लिये आता है लेकिन वह सीधे ही उस पार चला जाता है और हमारे यहां के कृषकों को रसायनिक उर्वरक नहीं मिल पाता है और उर्वरकों का बहुत अभाव है। नेपाल में तस्करी करके खाद पहुंचाया जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करा दें। सीमा पर लगा हुआ नौतनवां और निचलौल तहसील है इन दोनों क्षेत्रों में रसायनिक उर्वरक के लाइसेंस दिये गये हैं। मेरा आपके माध्यम से शासन से अनुरोध है कि उन लाइसेंसों को निरस्त कर दें जिससे इन दोनों तहसील के कृषकों को प्रचुर मात्रा में रसायनिक उर्वरक प्राप्त हो सके और जो किसान है उनकी खेती बाड़ी हो सके।

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है, मैं इसे अग्राह्य कर रहा हूं फिर भी इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

*श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद जालौन में स्थिति बहुत खराब हो गई है। थानों में 25-25 प्रार्थना-पत्र अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अधिनियम के जाते हैं और वे सारे के सारे फर्जी होते हैं। उस पर पुलिस तुरन्त सक्रिय होती है और संबंधित आदमियों को पकड़ लेती है। फिर 80 प्रतिशत मामलों में समझौता कराने का प्रयास किया जाता है फिर 10-20 हजार रुपये का आर्थिक दण्ड लेते हैं। उसके बाद फिर धमकाया जाता है कि मुकदमा कायम हो जायेगा, कोर्ट से स्टे लो और मुझे भी 20 हजार रुपया दो, फिर दोबारा समझौता कराने का प्रयास किया जाता है। फिर उनका आर्थिक उत्पीड़न और मानसिक उत्पीड़न होता है। इसी क्रम में मैं दो-तीन घटनायें उजागर करना चाहता हूं। ऊरार गांव, सरसैला के पास छोटे मिश्रा नाम के एक आदमी को ग्राम प्रधान ने पूरे दिन मारा पीटा और पूरे गांव में घुमाया और सरे आम पब्लिक के बीच में पेशाब पीने को मजबूर कर दिया। लेकिन उस प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मान्यवर, सरसैला के ही लायक सिंह को उसी प्रधान ने जिस पर दर्जनों मुकदमें पंजीकृत हैं, उसने लायक सिंह को पकड़कर उसके बाल घुंटवा दिये, भौहें घुटवा दी और मारते हुए गांव में घुमाया गया। लेकिन प्रधान के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई उलटे उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया और उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर जनता कब तक यह वेदना बर्दाश्त करेगी। जनता उठकर खड़ी हो गई है और आन्दोलन व धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मा0 मंत्री जयवीर सिंह प्रथम व द्वितीय दोनों ने अपना आश्वासन दिया और यह कहा कि वायदा करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि झूठा है तो मुकदमा वापस हो जायेगा और दोषी के विरुद्ध कार्रवाई होगी। लेकिन न तो दोषी के खिलाफ कोई कार्यवाही हुई न ही मुकदमा वापस लिया गया। मेरा आपके माध्यम से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुरोध है कि जो एस0सी0एस0टी0 ऐक्ट के मामले में फर्जीवाड़ा हो रहा है, जनता परेशान है, लोगों में भय व्याप्त है। उसे रोकने का काम किया जाए और ऊसर तथा सरसैला के गांव के लोगों को न्याय दिलाने के लिये आपकी पीठ से निर्देश हो।

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है, मैंने इसे अग्राह्य कर दिया है फिर भी इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर देता हूं।

विशेष उल्लेख के अन्तर्गत दो सूचनायें हैं। एक सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी की है।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, शासन के दो-दो मंत्री मौके पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही गम्भीर मामला है, आन्दोलन चल रहा है। कभी भी स्थिति विस्फोटक हो सकती है और जो मऊ में हुआ यह उसे भी फेल कर देगी। इसलिये सरकार की तरफ से बयान दिलाने के लिये मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को निर्देशित करें कि इस सम्बन्ध में बयान दें।

श्री अध्यक्ष-

ध्यान आकर्षित करने का मतलब होता है कि शासन इसको टेकअप करेगा। इस घटना को देखेगा। हमने विषय की गम्भीरता को देखते हुए ही शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

अगर वहां पर हमला होगा तो दर्जनों लोग मारे जायेंगे। जब लोग जनसभा या धरना प्रदर्शन करेंगे तो पुलिस गोली चलाएगी बल प्रयोग करेगी जिससे 10-15 लोग और मरेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना पर सरकार को निर्देश हो गया है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, मेरी सूचना पेयजल के सम्बन्ध में है लखनऊ के लोग एक-एक बूंद के लिये तरस रहे हैं पेयजल का बहुत बड़ा संकट है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना चयनित नहीं हुई। 7 तारीख को दे दीजिये।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूं। मुझे दो मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

यहां पर चयनित सूचनाओं के सदस्यों को सुना जाता है। सदन में सूचनाएं नहीं चयनित होती हैं।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

आपको अधिकार प्राप्त है।

श्री अध्यक्ष-

जिन सदस्यों की सूचना चयनित है उन्हीं को सुना जायेगा। आप 7 तारीख को दे दीजिये आपको सुन लेंगे।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, पानी से ज्यादा ज्वलंत विषय और क्या हो सकता है। मैं दो मिनट लूंगा।

श्री अध्यक्ष-

पेयजल महत्वपूर्ण विषय है इसलिये 7 तारीख को इसको ले लूंगा। करवरिया जी आपकी भी सूचना चयनित नहीं है। कहां से ले लूं।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

अध्यक्ष जी, हमारे अपने जनपद सिद्धार्थनगर, महराजगंज, कुशीनगर यह सारे जनपद नेपाल की सीमा से मिलते हैं। यह सुनकर आपको आश्चर्य लगेगा कि इन जिलों में भीषण बाढ़ आ गई है। नेपाल में जब काफी पानी भर जाता है तो नेपाल के अधिकारी उस पानी को छोड़ देते हैं इसका परिणाम होता है कि हम लोगों के यहां जब पानी आता है तो विकराल रूप से आता है और बांध तोड़ते हुए घरों में घुस जाता है। गांव के लोगों के घरों में बरतन, अनाज, चारपाइयां आदि बह जाती हैं। उसको रोकने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो भी सम्भव नहीं है। अपने तरीके से एक बार भारत सरकार और नेपाल के बीच में जब तक संधि नहीं होगी। हमारी कई परियोजनाएं नेपाल और भारत सरकार के बीच में विचाराधीन है। बालू बांध और जलदुधी बांध परियोजना इस पर भारत सरकार पर दबाव डालें कि इन परियोजनाओं पर बात करके समझौते के तहत जो हमारे और नेपाल सरकार के बीच हुए। समझौता यह था कि बांध बनेंगे, बिजली पैदा करेंगे, सिंचाई का पानी इकट्ठा करेंगे उन्हें पानी भी देंगे बिजली भी देंगे लेकिन नेपाल सरकार में मतभेद हो गया और आज ज्यों का त्यों पड़े हैं। हमारे बार्डर पर एक बांध बनना था वह बांध जब बनने लगा तो फिर नेपाल सरकार की तरफ से अवरोध हो गया और वह बांध नहीं बन सका। वह बांध बन जाता तो सिद्धार्थनगर जनपद में बाढ़ नहीं आती लेकिन उस बांध के बनने में जब अवरोध हुआ तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हाथ खींच लिये उनकी आपत्ति थी कि इस बांध के बनने से पानी हमारे यहां रुक जायेगा। इसमें नेपाल सरकार से भी कोई लड़ाई नहीं होगी। तो कम से कम प्रति वर्ष जो हजारों हेक्टेयर जमीन पानी में डूब जाती है, बाढ़ से डूब जाती है लोगों की फसल बरबाद होती है। घर बरबाद होतो हैं उसे बचाया जा सकता है। मैं अभी जो बाढ़ आई तमाम गांव में बाढ़ आई नबेद गांव में खुद गया तीन दिन से छतों पर लोग बैठे थे। एकाएक पानी आया बंधा टूटा, बंधे कुछ बनने थे सिंचाई विभाग ने प्रोजेक्ट कारपोरेशन को पैसा दे दिया प्रोजेक्ट कारपोरेशन ने पैसा रख लिया और बंधा बनाया ही नहीं और बंधा न बनने के नाते जो गैप रहा उससे वह पानी बड़ी मात्रा में आया। अध्यक्ष जी पानी इतना तेजी से आता है कि उसमें पेड़ बहते आते हैं। लेकिन दो घण्टे के बाद तीन घण्टे के बाद जब पानी नेपाल बार्डर से हमारे यहां आ जाता है तो नेपाल में पानी नहीं रह जाता हमारे यहां भरा रह जाता है इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा हमारे जो गांव डूबे एक तो उसमें राजस्व विभाग ने पूरा ध्यान नहीं दिया तहसील इटवा के गांव, तहसील शोहरतगढ़ के गांव, तहसील नौगढ़ के गांव,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तहसील बांसी के गांव मैने उनको नोटिस में लिख दिया है। अगर मैं इसको बताऊंगा तो काफी समय लगेगा आपके माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन है मैं खुद व्यक्तिगत रूप से नेपाल के प्रधानमंत्री कोइराला जी से मिला था और उनका उस समय बड़ा झुकाव था क्योंकि तत्कालीन सरकार बनी थी भारत सरकार के सहयोग से, वह चाहते थे लेकिन जितना प्रयास होना चाहिये था वह स्थिर सरकार न होने के कारण नहीं हो पाया। अब उप प्रधान मंत्री जी नेपाल के भारत आ रहे हैं मैं उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह करूंगा कि भारत सरकार को एक पत्र लिखकर आग्रह किया जाए कि इन परियोजनाओं पर जब प्रधानमंत्री आवें तो इस पर विचार विमर्श किया जाए और जब विचार-विमर्श हो जायेगा तो हमारा देवरिया, महराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और खीरी लखीमपुर से लेकर सारे जिले बाढ़ से बच जायेंगे यह मेरा आपसे आग्रह है। एक आग्रह राजस्व विभाग से है मोटर वोट एक हम लोगों ने खरीदवा दिया था। मा0 वीर बहादुर सिंह जी के समय में, वह मोटर वोट आज तक चली ही नहीं। इस बाढ़ में लोग पेड़ों पर बैठे थे। हम बार-बार कहते रहे कि उसी से जाकर उतारो। लेकिन कोई निकला नहीं। इसको आप दिखवा लें। जो लोग डूबे हैं हैजे से मरे हैं, उनको जो आप अनुदान दे सकें वह दे दें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी को सुना नियम-56 में सूचना थी इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

जो राहत का कार्य है उसके लिये मैं आज ही बात करके जो राहत के लिये आवश्यकता होगी वह कार्यवाही करेंगे।

*डा0 पी0के0 राय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके प्रति आभारी हूं कि आपकी कृपा हुई और मुझे दो मिनट बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं एक निश्चित विषय की ओर सरकार ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जो अविलम्बनीय भी है और लोक महत्व का भी है, मान्यवर, विपक्ष का काम सरकार को आइना दिखाने का होता है और निश्चित तौर यहां पर जो चर्चायें हो रही हैं एस0सी0एस0टी0 ऐक्ट का दुरुपयोग इस तरह से हो रहा है उसको प्रश्रय जिस तरह से अधिकारियों के द्वारा मिल रहा है। कुशीनगर जनपद के सिखुई छपरा गांव में थाना नेबुआ नौदनिया में 13.6 से 10.7 तक झगड़ा केवल इस बात पर हुआ कि वहां भूमिदारों की जमीन में से काश्तकारी जमीन जो अपनी जमीन है उस जमीन में से वहां के दलित अपने लिये रास्ता निकलना चाहते थे। 13 तारीख को उन्होंने रास्ता निकालने की कोशिश किया। मोहर पुत्र प्रधान जी को जब रोका गया तो उसकी वजह से केवल कहासुनी हुई विवाद तो विशेष नहीं हुआ। 14 तारीख को थानाध्यक्ष वहां आते हैं और उनसे कहते हैं कि इनको रास्ता दे दो नहीं तो तुम्हारे खिलाफ एस0सी0एस0टी0 का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। श्रीमन् 16 तारीख को उन्होंने चार लोगों के खिलाफ एस0सी0एस0टी0 का मुकदमा दर्ज कर दिया और उनकी गिरफ्तारी हो गई उसके बाद 22 तारीख को उसी गांव में उसी दलित प्रधान के यहां बहुजन समाज पार्टी के लोगों की दावत होती है। उसको बरगलाया जाता है और इस बीच में 4-7-2009 को एस0डी0एम0 पडरौना आ जाते हैं। भूमिदारों के जमीन में खाद

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का गड्ढ़ा था कहते हैं उस गड्ढ़े का आप भर दीजिये, सामने एक झोपड़ी पड़ रही थी, वह दलित की थी वह हट जाएगी रास्ता निकल जायेगा और प्रशासन् ने अपने समक्ष ही जो इनकी काश्तकारी जमीन में गड्ढ़ा था उसको भरवाने का काम किया लेकिन वह झोपड़ी हटवाने का काम नहीं किया। वह लोग अधिकारियों के पास दौड़ते रहे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अन्त में दलितों ने फिर गोलबन्द होकर जबरन उसमें से रास्ते को निकालने का प्रयास किया गया जिसकी वजह से कुछ विवाद हुआ और 09-07 को 25 भूमिहारों के ऊपर मुकदमें दर्ज हुए। 17 लोगों के विरुद्ध मुकदमें पुनः दर्ज हुए। उसके उपरान्त 10 तारीख को भूमिहार लोगों की फरियाद सुनी गई और मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें कि कुछ लोग मुल्जिम हुए और जो सबसे दुःखद पार्ट है उसमें एक नीतू राय करके लड़की थी, आठ वर्ष जिसकी उमर थी, उसके पिता का नाम यदुनन्दन राय है उस लड़की की हत्या हो गई। हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ और हत्या के अपराधी जो हैं दोनों में खुद उस गांव गया था वह अपराधी आराम से घूम रहा है। गम्भीर धाराओं में दोनों तरफ मुकदमें दर्ज हुए, जिसमें 307 भी है, 395, 397 भी है, 452 भी है, लेकिन वहां का मंजर यह है कि भूमिहार बिरादरी के लोग जो बुजुर्ग हैं जिनकी उमर 75-80 साल है कोई नौजवान लड़का उनके घर में नहीं है और कोई आदमी उनके यहां जाकर कोई काम नहीं कर सकता इस तरह का आतंक का माहौल है जबकि दूसरा पक्ष जिसके खिलाफ उन्हीं धाराओं में मुकदमें दर्ज हैं वह लोग आराम से घूम रहे हैं। हत्या के मुल्जिम आराम से घूम रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है और मांग है कि ऐसी घटनाएं केवल प्रशासनिक उदासीनता की वजह से होती है इसके लिये जो जिम्मेदार अधिकारी हैं अगर उन लोगों ने प्रारम्भ में ही इसको गम्भीरता से लिया होता तो शायद यह बड़ी घटना वहां पर न हुई होती और उस लड़की की जान न गई होती। इसकी न्यायिक जांच करा करके जो इसके लिये जिम्मेदार अधिकारी है उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और वह लड़की जिसकी हत्या हुई है, उस हत्या के मुल्जिमों के खिलाफ कार्यवाही की जाय। उसके घर वालों को कुछ मुआवजा दिया जाय। इस आशय के साथ नियम-56 में इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सभी नियमों को निलम्बित करके सदन में चर्चा की मांग करता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसको दिखवा लिया जायेगा और जांच करा कर जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

मैंने डा0 पी0के0 राय को सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसको मैं अग्राह्य करता हूं।

वित्तीय वर्ष 2009-2010 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान

अनुदान संख्या-02, आवास विभाग, अनुदान संख्या-03, उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन), अनुदान संख्या-07, उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या-10, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास), अनुदान संख्या-11, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि), अनुदान संख्या-12, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग, (भूमि विकास एवं जल संसाधन) अनुदान संख्या-13, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास), अनुदान संख्या-14,

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज), अनुदान संख्या-15, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन), अनुदान संख्या-18, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता), अनुदान संख्या-20, कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग), अनुदान संख्या-21, खाद्य तथा रसद विभाग, अनुदान संख्या-22, खेल विभाग, अनुदान संख्या-23, गन्ना विकास विभाग (गन्ना), अनुदान संख्या-24, गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग), अनुदान संख्या-25, गृह विभाग (कारागार), अनुदान संख्या-26, गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या-31, चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) अनुदान संख्या-33, चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा), अनुदान संख्या-34, चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या-36, चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य), अनुदान संख्या-38, नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या-40, नियोजन विभाग, अनुदान संख्या-41, निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या-42, न्याय विभाग, अनुदान संख्या-44, पर्यटन विभाग, अनुदान संख्या-45, पर्यावरण विभाग,

अनुदान संख्या-46, प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या-47, प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या-48, मुस्लिम वक्फ विभाग, अनुदान संख्या-49, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, अनुदान संख्या-51, राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत), अनुदान संख्या-52, राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या-55, लोक निर्माण विभाग (भवन), अनुदान संख्या-56, लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम), अनुदान संख्या-58, लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें), अनुदान संख्या-59, लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय), अनुदान संख्या-60, वन विभाग, अनुदान संख्या-61, वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या-67, विधान परिषद् सचिवालय, अनुदान संख्या-68, विधान सभा सचिवालय, अनुदान संख्या-70, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अनुदान संख्या-71, शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) , अनुदान संख्या-72, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), अनुदान संख्या-73, शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा), अनुदान संख्या-75, शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्), अनुदान संख्या-76, श्रम विभाग (श्रम कल्याण), अनुदान संख्या-78, सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या-79, समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण), अनुदान संख्या-80, समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण), अनुदान संख्या-81, समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण), अनुदान संख्या-82, सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या-83, समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना), अनुदान संख्या-86, सूचना विभाग, अनुदान संख्या-89, संस्थागत वित्त विभाग (वाणिजय कर), अनुदान संख्या-92, संस्कृति विभाग।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-02 लगायत 03, 07, 10 लगायत 15, 18, 20 लगायत 26, 31, 33 लगायत 34, 36, 38, 40 लगायत 42, 44 लगायत 49, 51 लगायत 52, 55 लगायत 56, 58 लगायत 61, 67 लगायत 68, 70 लगायत 73, 75 लगायत 76, 78 लगायत 83, 86, 89 तथा 92 के अन्तर्गत कुल रुपये सात हजार पांच सौ इक्यावन करोड़ निन्यानवे लाख इकहत्तर हजार (रुपये 7551,99,71,000) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदानों के विवरण निम्नवत् हैं :-

(1) अनुदान संख्या-02-आवास विभाग के अन्तर्गत 5,27,20,33,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(2) अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 30,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(3) अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 1,05,08,83,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(4) अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(5) अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 11,61,55,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(6) अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत 5,17,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(7) अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 1,65,72,41,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(8) अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 7,56,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(9) अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(10) अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 12,54,97,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(11) अनुदान संख्या-20-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत 59,42,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(12) अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 48,14,78,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(13) अनुदान संख्या-22-खेल विभाग के अन्तर्गत 85,23,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(14) अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 3,82,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(15) अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 2,00,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(16) अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 32,91,63,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(17) अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 56,43,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(18) अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 91,91,00,.000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(19) अनुदान संख्या-33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 9,43,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(20) अनुदान संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 1,95,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(21) अनुदान संख्या-36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(22) अनुदान संख्या-38-नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 80,31,54,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(23) अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग के अन्तर्गत 33,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(24) अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 2,43,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(25) अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग के अन्तर्गत 9,71,38,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(26) अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 8,52,42,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(27) अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत 7,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(28) अनुदान संख्या-46-प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत 8,82,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(29) अनुदान संख्या-47 प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 20,34,48,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(30) अनुदान संख्या-48-मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 48,81,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(31) अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 2,55,34,13,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(32) अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत 2,50,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(33) अनुदान संख्या-52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 24,59,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(34) अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत 3,79,63,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(35) अनुदान संख्या-56-लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) के अन्तर्गत 6,50,12,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(36) अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) के अन्तर्गत 1,73,25,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(37) अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 11,95,18,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(38) अनुदान संख्या-60-वन विभाग के अन्तर्गत 3,82,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(39) अनुदान संख्या-61-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(40) अनुदान संख्या-67-विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत 10,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(41) अनुदान संख्या-68-विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 81,35,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(42) अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत 16,74,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(43) अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 11,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(44) अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 13,56,82,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(45) अनुदान संख्या-73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 1,05,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(46) अनुदान संख्या-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत 25,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(47) अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 2,07,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(48) अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 61,82,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(49) अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत 23,35,66,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(50) अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत 3,61,18,77,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(51) अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(52) अनुदान संख्या-82-सतर्कता विभाग के अन्तर्गत 1,65,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(53) अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत 82,73,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए ।

(54) अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग के अन्तर्गत 7,58,03,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(55) अनुदान संख्या-89-संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) के अन्तर्गत 60,14,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

(56) अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग के अन्तर्गत 27,14,66,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए।

श्री हुकुम सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, एक तो यह लगायत कहां से आया, पता नहीं चला इसका, लेकिन यह सम बचत के लिये लगायत आया। लगायत को धन्यवाद। केवल कुछ सुझाव देना चाहूंगा। मान्यवर, कल भी सूखे के बारे में चर्चा हुई थी और उम्मीद कर रहे थे कि जब अनुपूरक आयेगा तो सूखे के बारे में विशेष ध्यान दिया जायेगा। मान्यवर, मुझे इस बात का कष्ट है, एक आपात स्थिति है, भयानक स्थिति है और सूखाग्रस्त जनपद भी घोषित किये गये, परन्तु उसके लिये क्या प्राविधान आप लाये हैं ? केवल इतना कि 250 करोड़ रुपये का आपने प्राविधान किया, वह भी प्रतिपूर्ति के लिये किया है। जो 250 करोड़ रुपये लायेंगे, उस पैसे को कहां लगायेंगे, किस रूप में किसानों को दिलवायेंगे, इस बारे में कहीं भी कोई प्राविधान इस अनुपूरक बजट में नहीं है। दूसरा मान्यवर, जितने भी विभाग सरकार के पास हैं, लगभग हर विभाग ने अनुपूरक मांगा है, कम से कम एक बार इस बात की समीक्षा कर लेते, कुछ ही महीने पहले ही मूल बजट आया है और मूल बजट आने के बाद विभागों की स्थिति क्या रही ? मान्यवर, मैं उच्च शिक्षा से शुरू करना चाहूंगा, आज छात्रों के प्रवेश की क्या स्थिति है, कहां जायें वह छात्र ? अगर उत्तर प्रदेश में शिक्षा की यह स्थिति है कि प्रवेश भी नहीं मिल सकता, नौकरी तो मिलेगी या नहीं मिलेगी, वह अलग बात है लेकिन यदि उन्हें प्रवेश भी नहीं मिल सकता है तो वह कहां जायेंगे ? और दूसरा स्थिति यह है मैं मेरठ विश्वविद्यालय की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अभी तक परिणाम आ रहे हैं, 2009 का रिजल्ट अब आया है जिन बच्चों को एल0एल0एम0 में प्रवेश लेना है या बाहर कहीं जाना है कहां जायें वह, सब जगह प्रवेश हो चुके हैं। इसके बाद जब वह मार्कशीट लेने जाते हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

आज हालत यह है, भ्रष्टाचार की बात होती रहे, कहां रिश्वत चल रही, कहां रिश्वत नहीं चल रही, कम से कम उन छात्रों के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि मार्कशीट लेने के लिये 800-1000 रुपये की रिश्वत देनी पड़े। क्या प्रभाव पड़ेगा, वह कैसे नागरिक बनेंगे आगे जा करके ? मैंने इसके लिये टेलीफोन करके वाइस चांसलर से भी बात किया कि अगर थोड़ी बहुत भी शर्म बची है तो इस पर तो नियंत्रण कर लो। इस आगे आने वाली पीढ़ी को तो बचा लो। मैं जानता हूं कि विभागों में भ्रष्टाचार है, वह एक अलग चीज है। यह विषय अलग है, मैं इसको छेड़ना नहीं चाहता था लेकिन चिन्ता की बात यह है कि कम से कम वह बच्चे जो विकसित हो रहे हैं, जिनका मानसिक विकास हो रहा है, उनको तो प्रदूषित न करें ? क्या आप इसकी जांच करायेंगे कि रिजल्ट आने के 15 दिन बाद भी उनकी मार्कशीट क्यों नहीं मिल पा रही है और अगर नहीं मिल पा रही है तो उसके पीछे षड़यंत्र है या नहीं है ? दूसरी बात प्राथमिकता की बात, सूखे की बात हुई, जितने विभाग हैं, उनकी उपलब्धता की स्थिति तो सामने है, लेकिन केवल एक विभाग है जिसकी विशेष उपलब्धता की स्थिति हमारे सामने है, नाम तो उसका नहीं दिया है, नाम है मूर्ति और पार्क स्थापना विभाग। मान्यवर, अनुपूरक भी बड़ा दयालु है, इस विभाग ने जरूर कीर्तिमान स्थान किया है, उसके लिये 550 करोड़ का अनुपूरक में प्राविधान है। प्रदेश में किसान तबाह होता रहे, आम नागरिक तबाह होता रहे, जरूरत की चीजें चिले नहीं, मंहगाई आसमान को छूती रहे और हमारी सारी शक्ति मान्यवर, पार्क को बनवाने में, मूर्तियों को बनवाने में लगी रहे। मुझको नहीं लगता मान्यवर, इस लखनऊ में कोई स्थान ऐसा बच जायेगा जहां खुला होगा तो पार्क बन जायेगा नहीं खुला होगा तो बिल्डिंग ध्वस्त करके पार्क बना दिया जायेगा। मान्यवर, पिकप भवन कभी आप भी वहां गये होंगे और मंत्री रहते हुए मैं भी उसमें गया हूं। मा0 नारायण दत्त तिवारी मुख्य मंत्री होते थे मैं साथ में मंत्री होता था वहां जा करके सड़कों के निर्माण के लिये नई-नई योजनायें बनती थी, रिसर्च होती थी, एक चीफ इंजीनियर वहां पर जाकर के बैठते हैं और हमने सोचा इसको ध्वस्त करके पार्क बना दी जाय करके पुराने रिकार्ड, इसमें अमूल्य हमारी धरोहर थी, वह सारे के सारे रिकार्ड वहां पर समाप्त कर दिये गये। मान्यवर, किस मानसिकता के द्योतक हैं बुरा मानने की बात नहीं, लेकिन आप भी इस प्रदेश के नागरिक हैं, जिम्मेदारी आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, क्या आपके मन में जरा भी दर्द नहीं होता है इन बातों को देखते हुए। कुछ बीतती नहीं हमारे ऊपर मान्यवर, और अगर हम बात कहें, हम किसी के अपमान के लिये बात नहीं कह रहे हैं, अगर बात कह रहे हैं तो प्रदेश की पीड़ा को हम आपके सामने रख रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान जाना चाहिये।

मान्यवर, माल एवेन्यू का क्या हाल है, बिल्डिंग ध्वस्त कर दी गई, एक के बाद एक नेता प्रतिपक्ष का भवन, मंत्रियों के भवन, मान्यवर, मैं इसलिये चाहता हूं कि इस अनुपूरक का इस्तेमाल इन भवनों को ध्वस्त करने में, उनमें पार्क बनवाने में या मूर्तियां लगवाने में न होकर के आज आवश्यकता इसबात की है, सूखे राहत के कार्य पर खर्च होना चाहिये, अच्छा लगता कि हम आपको बधाई देते आपको कि हां सूखे की स्थिति से निपटने के लिये आप बजट में अनुपूरक बजट लाये हैं, पैसे की कमी पड़ गई थी, इस पैसे को बढ़ाने के लिये आप बजट लाये हैं, लेकिन है नहीं। मान्यवर, ऐसी स्थिति में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा चूंकि लगायत इन्होंने भी लगा दी है

और मैं भी लगायत लगा देता हूं, लेकिन यह चाहता हूं कि मंत्रिमण्डल या हमारे मा0 सदस्यगण इस प्रदेश के हित में निश्चितरूप से विचार जरूर करें। पद तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, यह परमानेन्ट नहीं होते, परमानेन्ट एक ही बात होती है, इस प्रदेश के लिये कितनी प्रतिबद्धता के साथ हमने सेवा की, हमने आम जनता के लिये क्या काम किया। मान्यवर, चारों तरफ माफिया राज होता जा रहा है और उपलब्धि के नाम पर जीरो। आज कृषि मंत्री यहां पर नहीं हैं और उद्यान मंत्री जी शायद बैठे हों नहीं जानते मैं समझ नहीं पा रहा हूं लेकिन हां एक बात पूरा वर्ष गया, अभी आज पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग शून्य के बराबर उद्यान का प्रोडक्शन आ गया, आम की हालत आपने देख ही ली और भी फल बरबाद होते जा रहे हैं देखने वाला कोई है ही नहीं इस बात की तरफ आप का ध्यान गया, इस बात का प्राविधान किया इस अनुपूरक बजट में कि आखिर इस वर्ष में 2009 में इस उत्तर प्रदेश में उद्यान विभाग के माध्यम से कितने फलों का उत्पादन यहां हुआ। दक्षिण का फल यहां पर आ रहा है, बाहर का फल यहां पर आ रहा है और उत्तर प्रदेश तमाम हिन्दुस्तान में अपना एक स्थान रखता था वह प्रायः समाप्त हो गया है। खेती की हालत भी यही हो रही है, उद्यान की हालत भी यही हो रही है, शिक्षा की हालत भी यही हो रही है और लोक निर्माण मंत्री जी साईज अपना तो घटाया थोड़ा सा उन्होंने अच्छा लगा मुझे, लेकिन सड़कों की हालत क्या है।

आज पूरे प्रदेश के मार्गों की हालत जीर्ण-शीर्ण हो गई है, कहीं मरम्मत का काम चल ही नहीं रहा और इंजीनियर जो कहते हैं, एक आध जो हिम्मत कर देता है हमसे कहने उसको हम यहां कहना नहीं चाहते, इसके ऊपर इनको चिन्ता होनी चाहिये। सिंचाई बिल्कुल समाप्त है, प्रदेश की, पानी नहरों में नहीं है, पानी रजबहा में नहीं है, पानी माइनरों में नहीं है, बारिश है नहीं, बिजली मंत्री की कृपा जरूर है कि कहीं अगर बिजली पहुंच जाय और लोग ट्यूबवेल को चला दें तो शायद उस गांव में तो समारोह होता होगा कि हां आज बिजली आई है। काहे के लिये बैठे हैं ? क्या है उपलब्धि आप लोगों की, आप लोगों की उपलब्धि यह नहीं होनी चाहिये कि कम से कम मद दें 10 घण्टे बिजली या चार घण्टे दें लेकिन चार घण्टे लगातार दे दें कि कम से कम ट्यूबवेल तो चल जायें लोगों के लेकिन नहीं। माननीय लालजी वर्मा जी सारा वजन आपके कन्धों पर है यहां पर जवाब देने का। इन कन्धों को और मजबूती देते हुए कम से कम जो मौलिक समस्या इस प्रदेश की है, उसकी तरफ आपका ध्यान चला जाय हम लोग विधायक हैं, लेकिन विधायक रहते हुए भी जब जाते हैं जिलों में और हालत वहां देखते हैं कि तीन दिन से बिजली नहीं आई, चार दिन से बिजली नहीं आई, पानी कहां से लगायें, सारी फसल बरबाद हुई है, उसके ऊपर आपको चिन्ता होनी चाहिये।

मान्यवर, ट्रान्सफार्मर को लेकर किसान तीन-तीन महीने तक चक्कर लगाते हैं। अगर वहां के अधिशासी अभियन्ता से वे उस सिलसिले में मिलते हैं तो वह कहते हैं कि हमारी पोजीशन ऑकवर्ड मत कीजिये। मान्यवर, उनकी बात में एक संदेश छिपा होता है कि कुछ न कुछ बात जरूर है। मान्यवर, कभी ट्रान्सफार्मरों के मरम्मत करने वालों की स्ट्राइक हो जाती है और वह भी सूखे की स्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। मेरी इस बात के पीछे प्रदेश की आम जनता की वेदना भी छिपी हुई है। इस अनुपूरक बजट में जो आज 550 करोड़ रुपये मूर्तियों और स्मारकों के कार्य के लिये लाये हैं उसको समाप्त करने का काम करें और आज यह घोषणा हो जाए कि इस पैसे को सूखे में

लगायेंगे और किसानों के हित में लगायेंगे तब आप देखें हम आपके इस पूरक बजट का कितना स्वागत करते हैं। आप मूर्तियों के लिये बाद में पैसा ले लीजियेगा। इस साल आप किसानों के हित में कुछ कर दीजिये। धन्यवाद।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 202, 203 और 204 विनियोग विधेयक और वित्तीय विवरण तैयार करने का प्राविधान करता है और राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वह पूरे वर्ष के खर्चों का विवरण तैयार करके सदन के पटल पर रखकर उसे पास कराये। लेकिन कभी-कभी उसमें कोई दिक्कत हो जाए तो अनुच्छेद 205 सरकार को यह अधिकार देता है कि वह अनुपूरक बजट ले आएं। मान्यवर, अनुपूरक बजट की मांगें कभी विकास का आधार हो सकती है तो कभी वित्तीय अनुशासनहीनता की प्रतिपूर्ति का भी आधार हो सकती हैं। मान्यवर, वित्त मंत्री की यह दूरदर्शिता होनी चाहिये कि जिस प्रकार के इन खर्चों के लिये आप अनुपूरक बजट लाते हैं उसको अपने वार्षिक बजट में ही शामिल करना चाहिये। लेकिन आप अपने वार्षिक बजट में होशियारी इसलिये दिखाते हैं कि आपके खर्चे और आमदनी कम होती है तो राजस्व घाटे को कम दिखाने के लिये आप उस समय यह होशियारी करते हैं ताकि घाटा ज्यादा न दिखाना पड़े और फिर आप इस तरह से पूरक बजट ले आते हैं। आप अपने वार्षिक बजट में जब आप पूरा विवरण तैयार नहीं कराते हैं तो फिर आपको अनुपूरक मांगे लानी पड़ती है। मैं श्रीमन् देख रहा हूं कि एक मद के लिये पिछले वर्ष भी अनुपूरक में व्यवस्था थी इसके पहले भी थी और अबकी बार भी है तो इसका क्या मतलब है। मान्यवर, जो संविधान की व्यवस्था है और जो सदन को अधिकार दिया गया है बजट पास करने का और आपका जो दायित्व है पूरा वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार कराने का तो उसमें यह स्थिति उत्पन्न हो रही है और सरकार अनुपूरक बजट ले आती है। आप फिर आगे अनुपूरक बजट लायेंगे। आपको तो यह आंकलन बना लेना चाहिये कि वर्ष भर में कितना काम करेंगे और उसके लिये कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी। जब आप वित्त मंत्री जी सजगता से काम नहीं करते हैं तो अनुपूरक लाना पड़ता है।

मान्यवर, आप इसमें देखें आप राजभवन के पास कोई बैडमिंटन हाल को वातानुकूलित करने के लिये 5 करोड़ रुपये मांग रहे हैं। अब यह बैडमिंटन का खेल तो खुले मैदान में होता है अब कौन महानुभाव उस ए0सी0 हाल में उसे खेलेंगे। इसी तरीके से मरी हुई मिलों के लिये आप 2 अरब रुपये की मांग कर रहे हैं और यह भी आप कह रहे हैं कि हम इसे बेचने जा रहे हैं। आप कोआपरेटिव सेन्ट्रल बैंक का जो कर्जा है उसके लिये आप यह व्यवस्था कर रहे हैं। हमारा कहना है कि आप उन मिलों को बेचकर यह कर्जा उतारें। सरकारी खजाने से उसके घाटे को पूरा करने के लिये आप पैसा क्यों दे रहे हैं। आप इसी पैसे को सूखे की तरफ लगा दें या गांव के विकास की तरफ लगा दें तो अच्छी व्यवस्था हो जाए। इन मरी हुई मिलों को कोई खरीदने वाला भी नहीं मिलेगा। आप अपने सरकारी खजाने से क्यों दे रहे हैं। आपने यह कारपोरेशन इसलिये बनाये थे कि इनसे वित्तीय संस्थायें चलेंगी और लाभ होगा लेकिन आज इनकी स्थिति क्या है। और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे खजाने में पैसा आयेगा तो विकास में हमें गति प्रदान करने में सुविधा होगी लेकिन यह सारे के सारे कार्पोरेशन हम आपकी सरकार का नहीं सभी सरकारों की तरफ से, यह सारे कारपोरेशन ज्यों के त्यों बैठ गये और जो जनता के टैक्स का पैसा है उसी को दे करके हम इसकी भरपाई करते हैं तो इस पर आपको सोचना चाहिये। अब एक आइटम पर हम आपका जरूर ध्यान दिलायेंगे आपने दिया है 11 करोड़ 70 लाख 97 हजार किसको, रसायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण योजना के अन्तर्गत एनपीके के उर्वरक के मूल्यों में हुई कमी के कारण पीसीएफ एवं सहकारी समितियों को हुई हानि की प्रतिपूर्ति। इन सहकारी समितियों में आप चले जाइये तो गांव में मारे डर के कोई इनसे कर्जा नहीं लेता। हम लोगों की तरफ अगर ये जायें तो लोग कह देंगे कि अंगूठा नहीं लगायेंगे क्योंकि हम 2 बोरा लेंगे तो 25 बोरा चढ़ा देंगे। इसलिये इन्हीं समितियों को जो मरी हुई हैं, हमारे यहां का कोआपरेटिव बैंक जिले का बैठ गया। वहां 38 करोड़ रुपया किसानों का जमा है। हमारी विधायक निधि भी उसी में जमा कर दी थी सरकार ने, सरकार के आदमियों ने, कार्यदायी संस्था ने वह भी उसी में पड़ा हुआ है 4 साल से एक पैसा नहीं दिया जा रहा है। बैद्यनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उस पैसे को वापस होना चाहिये।

आज ही मैंने सवाल लगाया है वैद्यनाथन कमेटी की तरफ से है कि साढ़े 5 करोड़ रुपया दिया गया। वह साढ़े 5 करोड़ रुपया को-आपरेटिव बैंक के कर्मचारियों को घर बनाने के लिये 10 प्रतिशत कमीशन लेकर दे दिया गया वह किसानों को जिनका पैसा जमा है को-आपरेटिव बैंक में उसको नहीं दिया गया। इनका घाटा हुआ कि नहीं कैसे आपको पता ? पहले आपकी खाद थी कि नहीं थी। यह पीसीएफ जो यहीं दफ्तर है, जरा मंत्री जी जाकर एक दिन देख लें यह घोटाले के घर हैं। को-आपरेटिव। आप गांवों में जाइयेगा जो शहर के लोग हैं भले न समझें लेकिन गांव में चले जाइये तो उनका नाम लीजिये तो उतनी दूर चले जाते हैं। यह तो ऋण माफी के तहत उसका लाभ कुछ लोगों ने उठाया सामान्य जनता को नहीं उसका लाभ मिला और जो ऋण माफी योजना चली उसका लाभ भी उन्हीं को मिला गरीबों को कुछ नहीं मिला उनके नाम पर सब फर्जी चढ़ा हुआ था और बड़े लोग निकाल लिये थे। उनके खिलाफ कार्यवाही भी नहीं हुई। तो इसको आप क्यों दे रहे हैं। इस रुपये को आपको इसके लिये वापस करना चाहिये। इसी तरह से और भी बहुत से मद हैं। मेरा आपसे आग्रह है, अनुरोध है कि भविष्य में इसमें हम आंकड़े बतायेंगे तो बहुत ऐसे हैं जो अनुत्पादक मदों में खर्च हो रहे हैं। अनुत्पादक मद में पैसा खर्च करने का क्या फायदा ? जो उत्पादक हों, आप पूंजीगत परिव्यय इसमें लगा रहे हैं अनुपूरक में। पूंजीगत परिव्यय तो अगले बजट में भी आप ला सकते थे। आप इसमें देखें सिर्फ पूंजीगत है, पूंजीगत परिव्यय में आप ज्यादा रुपया इस समय खर्च कर रहे हैं। इस समय आपको सूखे के समय में विकास को कैसे गति दिया जाय उस पर आपको पैसा खर्च करना चाहिये। अब आप सड़क पर पैसा दिये हैं हमें लगता है गंगा एक्सप्रेस वे का ही है क्योंकि अरबों में वह रुपया। आपने उनको एलाट कर दिया और आप रिजर्व बैंक से कहते रहेंगे कि हम तो बैंक में है ही नहीं, हमारा तो है ही नहीं हम तो आगे हैं, रिजर्व बैंक का हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। आप बजट पास कर देते हैं कितने बजट हैं आपको आप पी0एल0ए0 में जमा कर देते हैं। मैं बड़ी लड़ाई लड़ा था पी0एल0ए0 में और माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने मुझे व्यक्तिगत रूप से समझाया था और मैंने

पी0एल0ए0 को खत्म करा दिया था लेकिन फिर पीएलए की प्रथा चल गई अब यहां से रुपया जाता है खर्च नहीं होता, पीएलए मायने ट्रेजरी में डाल देते हैं। वित्त सचिव को बड़ा आनन्द रहता है क्योंकि रिजर्व बैंक को भेज देते हैं कि हमारा जो है ट्रेजरी बहुत आगे है, ट्रेजरी बहुत हाई है हम पीछे नहीं है रिजर्व बैंक से पैसा मिलता रहता है। जिस दिन ट्रेजरी आपकी डाउन हो जायेगी रिजर्व बैंक आपको पैसा देने से मना कर देगा, आपको भुगतान रोक देगा। इसलिये सारी चालाकियां होशियारियां करके इस बजट को चलाने से कोई फायदा नहीं है जो कुछ करना है विकास के लिये करिये जनता को फायदा मिले यहीं मेरा आपसे अनुरोध है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा चौधरी साहब बैठे हैं, इन्हीं के भाई का एमपी क्षेत्र है, भला बस्ती वाली सड़क तो ठीक करा दो बाबू। हम आते हैं रोज हमारी गाड़ी टूट जाती है और एक हजार रुपया लगता है। रिपेयर क्यों नहीं होता है, तीन-तीन साल से सड़कें टूटी पड़ी हैं, बोलें गलत कर रहा हूं इन्हीं का क्षेत्र है पूछिये, यह नहीं बना पाये। हम लोग दौड़ धूप कर गड्ढा होता है तो पटवा लेते हैं जे0ई0 से। आप ध्यान दीजिये जो बजट आपका है और आप अनुपूरक लाने को छोड़िये जो यह बढ़ा हुआ लाये हैं यह क्यों लाये हैं क्यों व्ययाधिक्य हो गया, कैसे हो गया, किन अधिकारियों की जिम्मेवारी थी, जो व्यय आपने निश्चित किया कैसे उससे ज्यादा खर्च हो गया, किसी के खिलाफ कार्यवाही होती नहीं क्योंकि पी0ए0सी0 में भेजकर आप उसको रेगुलराइज करा लेते हैं और ला करके सदन के पटल पर रखकर पास करके रेगुलर करा लेते हैं। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं बहुत सी गड़बड़ियां हो रही हैं।

आने वाले दिन में बिहार के रास्ते पर चला जायेगा आपका बजट और आपकी जवाबदेही बनेगी जो स्थिति बिहार की हुई है वह यहां के अधिकारियों की होगी जिस तरह से बजट का दुरुपयोग हो रहा है। आप बजट आज पास करते हैं और काम होता है 3 साल बाद आपका प्रोजेक्ट का कास्ट बढ़ जाता है, जब कास्ट बढ़ जाता है तो उतना आपको फिर बजट का इंतजाम करना पड़ता है तो जो विकास की गति है इस बैकलाग के नाते वह रुक जाती है। इसलिये मेरा आग्रह है कि जो बजट का नियम पास हुआ है हर वित्तीय वर्ष में उसकी समीक्षा करके इसे देखना चाहिये, सीएजी पर नहीं छोड़ना चाहिये, विभागवार देखना चाहिये कि कितना बजट मिला, कितना हमें धन मिला। अब देखिये, आप बजट पास कर लेंगे हमारे जिले में जिला योजना थी तमाम बजट पास कर लेते हैं आप उसकी वित्तीय स्वीकृति नहीं जारी करते हैं। अगर वित्त विभाग वित्तीय स्वीकृति जारी कर देता है तो आपका विभाग नहीं वित्तीय स्वीकृति जारी करता। परिणाम क्या होता है कि यह पैसा जहां जाना है नीचे वहां जा ही नहीं पाता है और सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाता है और जब बाद में जाता है तो इसकी उपादेयता खत्म हो जाती है। इसलिये इस पर माननीय वित्त मंत्री जी आप तो पढ़े लिखे वित्त मंत्री काफी तेज लगते हैं, तो थोड़ा इस सबको हम लोगों ने देखा भी है इन सारी परिस्थितियों को देखिये, अनुपूरक की बातें छोड़िये, अनुपूरक अनुशासनहीनता पैदा करते हैं। मिनिस्टर गये, किसी ने कह दिया कि साहब हमको चाहिये तो वहीं कह दिया, चलो काम हो गया, आये अनुपूरक के लिये बैठ गये यह सारी बातें बजट में हो जानी चाहिये। अनुपूरक विकास के लिये कहीं जरूरी है लेकिन यह वित्तीय

अनुशासनहीनता पैदा करता है। इसलिये मेरा आपसे आग्रह है अगर 204 आपको मिला है, 205 आपको मिला है तो इसका सही उपयोग करें।

*श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको धन्यवाद। माननीय वित्त मंत्री जी ने अनुपूरक रखा है इसके लिये भी उनको धन्यवाद। जिस महिमामय सदन के सदस्य चुन करके आये हैं, साल में अनुपूरक के बहाने दो-तीन बार दर्शन कर लेते हैं वरना सालभर के बाद इस सदन में आने का नम्बर आता। यह जो अनुपूरक अनुदान रखा गया यह काफी लम्बा-चौड़ा है। तमाम बातें आ गई हैं मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। कल सूखे पर चर्चा चल रही थी, काफी लम्बी चर्चा चली लेकिन उस सूखे के लिये अनुपूरक में कोई प्राविधान नहीं था। यह 75 अरब का बजट है, आपने 5 अरब बताया, करीब-करीब 10 अरब रुपया मूर्तियों और पार्कों पर खर्च किया गया। यह अच्छी बात है उसे खर्च किया जाए। आपदा के लिये केन्द्रीय आपदा कोष की तरफ देखा है। आप अपने स्तर से भी खर्च कर सकते थे। बार-बार बात कही गई कि सूखा दैवी आपदा है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं कि सूखा दैवी आपदा है, जब मनुष्य ने चांद पर पहुंचने में सफलता प्राप्त कर ली तो क्या वह दैवी आपदा से निपटने के लिये अपने को लाचार पाता है। उत्तर प्रदेश पिछली बार बाढ़ की विभीषिका से जूझा, इस बार सूखा झेलने को मजबूर है। मान्यवर, पूरे प्रदेश को एक साथ सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया। जबकि मानक वही थे। 60 प्रतिशत से ज्यादा जमीनें बिना बोये रह गई इसके बावजूद 3 किश्तों में प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। अभी भी काफी जिले बाकी हैं। मैंने आपसे कहा था कि समस्या का समाधान हो सकता था। नहरों में सिंचाई के लिये पानी मौजूद नहीं है। मेरे जनपद गाजीपुर में देवकली नहर में पानी नहीं है। बिरनो माइनर में एक बूंद पानी नहीं है। नहरों में पानी इसलिये नहीं है कि चाहे गंगा हो, यमुना हो यह सदा बहने वाली सतत् सलिला, जीवन दायिनी, अमृत दायिनी नदियां कहीं न कहीं ड्रेन बनकर रह गई हैं। पिछली बार बाढ़ की विभीषिका झेली, इस बार बारिस ज्यादा हो गई थी। पानी इतना भी नहीं था कि ये नदियां इसको वहन कर सकती थीं। नदियां इसका वहन कर सकती थी लेकिन इन नदियों की जल वहन की क्षमता लगातार कम होती चली गई। मान्यवर, आज वाटर लेबिल डाउन होने की बात हो रही है। जल स्तर गिरा है। जब सूखा आता है तो इसका असर हमें परिलक्षित होता है जलस्तर क्यों गिरा है यह इसलिये गिरा है क्योंकि नदियों के जल संचयन की क्षमता लगातार कम होती जा रही है। मुझे खुशी होती कि इतने लम्बे चौड़े बजट में नदियों के जल संचयन की क्षमता बढ़ाने के लिये प्रयास किया जाता। यह कोई बड़ा कार्य नहीं था इतनी बड़ी सरकार की मशीनरी है तमाम बड़े-बड़े मंत्रालय हैं इतना बड़ा सिंचाई विभाग है अगर इसका बजट बढ़ जाता अगर नदियों की गहराई 3 मीटर बढ़ जाती 3 मीटर सिल्ट साफ करा दी जाती तो चाहे गंगा, गोमती, यमुना हों या राप्ती घाघरा यह तमाम बहने वाली नदियां हैं इन नदियों को मात्र तीन मीटर गहरा करा दिया गया होता तो पिछली बरसात का जो जल बह गया है वह बरबाद नहीं होता अगर वह जल भरा रहता तो आज वह सिंचाई के काम आता उन नदियों का पानी नहरों व माइनरों में जा रहा होता।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

जहां तक लोक निर्माण विभाग की बात है हमारे यहां की सड़कें मरम्मत के अभाव में टूटी फूटी हैं जब मैंने अधिशासी अभियन्ता से कहा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास मरम्मत के लिये पैसा नहीं है। जिला योजना में मान्यवर, हम लोगों से लगातार तीन-तीन बार प्रस्ताव लिये गये लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आधा कि0मी0 सड़क हम लोगों के प्रस्ताव पर स्वीकृत नहीं हुई। आधा किलोमीटर तो दूर 100 मीटर सड़क नहीं स्वीकृत हुई। मंत्री जी मौजूद हैं मैं उनके संज्ञान में लाना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

हमारे यहां वाराणसी मण्डल में हाईस्कूल की मान्यता देने के लिये डेढ़-डेढ़ लाख रुपये दिये जा रहे हैं। हमसे एक ने स्वयं बताया कि मैंने डेढ़ लाख रुपये देकर मान्यता ली है। मैं नाम नहीं लूंगी नहीं तो उसकी मान्यता भी निरस्त हो जायेगी। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि इस पर आप ध्यान दीजिये । वनों की कटाई हो चाहे पेड़ों की कटाई हो उसको रुकवाइये। प्रकृति में असंतुलन हो रहा है। वन काटा जाता है।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, मैं आधा मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगी क्योंकि जब बात सूखे की हो रही है तो हमें इसके कारण पर जाना पड़ेगा इसके लिये कोई तत्काल हल नहीं हो सकता है। हमारे पूरब में एक कहावत है उसको पूरा तो नहीं कहूंगी क्योंकि वह असंसदीय है कि जब दरवाजे पर आई बारात तो समधी जी .... जब सूखा पड़ जाता है तो लोग नाली साफ करने क्यों चले जाते हैं सूखा दूर करने के लिये दीर्घकालीन उपाय करने चाहिये। पेड़ों की कटाई रुकनी चाहिये अगर प्राकृतिक असंतुलन नहीं रुकेगा तो अलनीनो का प्रभाव नहीं रुकेगा। कभी सूखा कभी बाढ़ की समस्या बनी रहेगी। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री लालजी वर्मा-

पहली बात यह हुई कि यह सामान्य बजट नहीं है यह अनुपूरक बजट है। मान्यवर, इस अनुपूरक बजट में मुझे खुशी होती यदि माननीय हुकुम सिंह इसकी तारीफ भी किये होते। अनुपूरक मांगों का कुल आकार 7559.52 करोड़ है जिसमें 4801.41 करोड़ रुपये की प्राप्तियां हैं। मान्यवर, इस वर्ष गेहूं की रिकार्ड खरीद की गई 34.13 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई। हमारे मूल

बजट में क्रय के लिये 6,303 करोड़ खाद्यान्न क्रय होता था जिसमें 4,962 करोड़ खर्च हो चुका। 1341 करोड़ बचा है धान का और लेवी चावल की खरीद के लिये सम्भावित ध्यान में रखते हुए इसमें किसानों के हित को संरक्षित करने की दृष्टि से अकेले खाद्यान्न क्रय में 4108 करोड़ रुपये रखा गया है। इसके बाद जो दूसरा इसमें संगठित है केन्द्र पोषित योजनायें, जिसमें केन्द्रांश तथा राज्यांश का जो हमको भागीदारी करनी है उसके लिये 935.47 करोड़ रुपया। इन दोनों का जो योग है वह 5736.88 करोड़ रुपया और इसके बाद जो सम्पूर्ण अनुपूरक है वह 1822.64 करोड़ रुपया है, जो मूल बजट का 1.36 प्रतिशत होता है। मान्यवर, उसमें भी जिस बात का सबसे ज्यादा जिक्र किया सूखे के बारे में मूल बजट में ही आपदा राहत निधि के लिये 332.75 करोड़ रुपये और इस अनुपूरक प्रावधान के माध्यम से हम 250 करोड़ रुपया और ले रहे हैं। इस तरह से सूखे के दौरान राहत कार्यों के लिये किसी तरह से उसमें कमी नहीं आने पायेगी। अन्य जो तमाम योजनायें हैं जैसे कृषि की योजना के द्वारा जो राष्ट्रीय कृषि विकास निधि है आर0के0वी0वाई0 इसके अलावा मान्यवर, नरेगा है, जिसके अन्दर अन्य कार्य कराये जायेंगे जो राहत कार्य और आवश्यकता पड़ी तो आकस्मिकता निधि से भी इसके लिये व्यवस्था की जा सकती है। इसलिये सूखे के बारे में कि उसके लिये जो योजनायें चलाई जायेंगी सूखे से प्रभावित लोगों को राहत के लिये उसमें धन की कोई कमी नहीं होने पायेगी। दूसरी तरह मान्यवर, जो 1822 करोड़ रुपया है उसमे 359.19 करोड़ रुपया वृद्धावस्था पेंशन और छात्रवृत्ति का अतिरिक्त व्यवस्था के लिये हम कर रहे हैं। एक जो जिक्र किया 200 करोड़ रुपया चीनी मिलों के ब्रिजिंग लोन के लिये जो है इस सम्बन्ध में, मान्यवर, वो इनके लोन के कारण से वो रेहन में रखी गई है। रेहन है उसके ऊपर और उसको चुकता करके ही वह बेचा जा सकता है और जैसे ही बिक्री होगी वह 200 करोड़ रुपया वापस प्राप्त हो जायेगा। इसलिये जरूरी है कि उसकी व्यवस्था की जाय।

मान्यवर, दूसरा माता प्रसाद पाण्डेय जी ने जिक्र किया 173 करोड़ रुपये, उनका ध्यान चला गया गंगा एक्सप्रेस वे में। ऐसा नहीं है। यह भूमि अध्याप्ति के लिये है। हरियाणा, दिल्ली और यू0पी0 के बीच में 'स्टर्न फ्रिल एक्सप्रेस वे' बन रही है जिसमें 500 करोड़ रुपया हमारी देनदारी बनती है उसकी भूमि अध्याप्ति के लिये । उसके अवशेष में 173 करोड़ रुपया इसके लिये व्यवस्था किया गया है और इसके बाद सम्पूर्ण बजट को आप देखें पर्यावरण की चिन्ता माननीय बहिन फातिमा जी ने किया, उसके लिये इको पार्क के लिये जिससे पर्यावरण संतुलन हो। पर्यावरण की दृष्टि से उसके लिये 199 करोड़ रुपया, लखनऊ नगर के समग्र विकास के लिये 100 करोड़ रुपया, पूंजी निवेश योजनाओं के अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों को लम्बित दावों का भुगतान 100 करोड़ रुपया, राजकीय मेडिकल कालेज बांदा, जालौन और कन्नौज के लिये अतिरिक्त व्यवस्था 102 करोड़ रुपया। एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ, ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ और छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के लिये 71.91 करोड़ रुपया। मान्यवर, इसके साथ ही साथ सचिवालय की सुरक्षा के लिये, कारागारों में भोजन तथा अधिष्ठान के लिये 32 करोड़ रुपये। इस तरह से मान्यवर, विभिन्न जो हमारी आवश्यकतायें हैं, जो हमारी और आवश्यकतायें पड़ी हैं, गृह विभाग के लम्बित दावों के लिये 48 करोड़ रुपया। जहां तक हमारे माननीय सदस्य ने और जो भी माननीय सदस्य खड़े होते हैं

और विशेष रूप से बड़ा पार्क और मूर्ति की बात आती है, मान्यवर, निश्चित रूप से हमारे महापुरुष के सम्मान के लिये कार्य किया गया है। लेकिन उसमें जिस तरह से साढ़े पांच सौ करोड़ की बात कही गई, साढ़े 500 करोड़ नहीं 254.06 करोड़ मात्र उस कार्य के लिये है वह भी मान्यवर, इसलिये हुआ कि जो हमने बजट लिया पहले यह निर्णय लिया गया था कि राजकीय निर्माण निगम को हम सेन्टेज चार्जेज नहीं देंगे। बाद में निर्णय हुआ चूंकि निर्माण निगम का खर्च सेन्टेज चार्ज से चलता है तो यह फैसला लिया गया और सेन्टेज चार्ज दिये जाने का निर्णय लिया गया। जो प्रचलित योजनायें थीं उनके कार्य को पूरा करने के लिये यह अतिरिक्त पैसे की आवश्यकता पड़ी उसको लेने का काम किया है। इस तरह से मान्यवर, पूरी तरह से वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए पी0एल0ए0 की बात मा0 पाण्डेय जी ने कहा, पिछले जो 2008-09 का बजट था उसमें हमने निर्णय लिया था कि जो केन्द्र की योजनायें थीं उनको छोड़कर बाकी पैसा पी0एल0ए0 में नहीं डाला जायेगा और उसको हमने पूरा करने का काम किया हम भी उसके पक्षधर हैं। और हमारी सरकार माननीय मुख्य मंत्री जी के दिशा-निर्देशन में कार्य कर रही है। हमारा यह प्रयास है कि पी0एल0ए0 की जो परम्परा रही है जिनकी आवश्यकता है जो केन्द्र से सवोर्टेड योजनायें हैं उनको छोड़कर पी0एल0ए0 में डालने का काम न हो इस बात के लिये हम सजग हैं इस बात के लिये प्रयास किया जा रहा है। पिछली बार आपको जानकारी मिली होगी उस दिशा में काफी प्रयास किया गया है इस तरह से इसमें ज्यादा अनुपूरक की आवश्यकता पड़ी और इसमें ज्यादातर मान्यवर, किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कमजोर वर्ग की जो योजनायें हैं उनको संचालित करने के लिये इन योजनाओं को लाने की आवश्यकता पड़ी है। मैं चाहूंगा सभी लोग सर्वसम्मति से इसको पास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-02 लगायत 03, 07, 10 लगायत 15, 18, 20 लगायत 26, 31, 33 लगायत 34, 36, 38, 40 लगायत 42, 44, लगायत 49, 51 लगायत 52, 55 लगायत 56, 58 लगायत 61, 67 लगायत 68, 70 लगायत 73, 75 लगायत 76, 78 लगायत, 83, 86, 89 तथा 92 के अन्तर्गत कुल रुपये सात हजार पांच सौ इक्यावन करोड़ निन्यानवे लाख इकहत्तर हजार (रुपये 7551,99,71,000) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग (2009-2010 का अनुपूरक) विधेयक, 2009

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (2009-2010 का अनुपूरक) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2009-2010 का अनुपूरक) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (2009-2010 का अनुपूरक) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूं।

(प्रतियां वितरित की गईं)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2009-2010 का अनुपूरक) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2009-2010 का अनुपूरक) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची खण्ड-1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (2009-2010 का अनुपूरक) विधेयक, 2009

31 मार्च, 2010 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (2009-2010 का अनुपूरक) विधेयक, 2009 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से वर्ष 2009-2010 के लिए 7559,52,06,000 रुपये का दिया जाना

2-ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2010 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लाई जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 7559,52,06,000 रुपये (सात हजार पांच सौ उनसठ करोड़ बावन लाख छः हजार मात्र) होता है, से अधिक न हो।

विनियोग

3-इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का प्राधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं।

अनुसूची

(धारा-2 और 3 देखें)

अनुदान क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
02	आवास विभाग	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	5272033	...	5272033
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	3001	...	3001
		पूंजी :	...	...	0
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	1050883	...	1050883
		पूंजी :	...	...	0
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व :	1	...	1
		पूंजी :	...	...	0
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	2001	...	2001
		पूंजी :	114154	...	114154
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्व :	51770	...	51770
		पूंजी :	...	...	0
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व :	1027241	...	1027241
		पूंजी :	630000	...	630000
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व :	756	...	756
		पूंजी :	...	...	0
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	1	...	1
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व :	117097	...	117097
		पूंजी :	8400	...	8400
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व :	5942	*15000*	20942
		पूंजी :	...	...	0
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	500	...	500
		पूंजी :	48147399	...	48147399
22	खेल विभाग	राजस्व :	1500	...	1500
		पूंजी :	7023	...	7023

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व :	38200	...	38200
		पूंजी :	...	...	0
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	2000000	...	2000000
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व :	329163	...	329163
		पूंजी :	...	...	0
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	438141	...	438141
		पूंजी :	126160	...	126160
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व :	115400	...	115400
		पूंजी :	803700	...	803700
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	94302	...	94302
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	19500	...	19500
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व :	1	...	1
		पूंजी :	...	...	0
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व :	86341	...	86341
		पूंजी :	716813	...	716813
40	नियोजन विभाग	राजस्व :	3300	...	3300
		पूंजी :	...	...	0
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व :	24300	...	24300
		पूंजी :	...	...	0
42	न्याय विभाग	राजस्व :	12138	*40455*	52593
		पूंजी :	85000	...	85000
44	पर्यटन विभाग	राजस्व :	4000	...	4000
		पूंजी :	81242	...	81242
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व :	770	...	770
		पूंजी :	...	...	0
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व :	882	...	882
		पूंजी :	...	...	0
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	46548	...	46548
		पूंजी :	156900	...	156900

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व :	488100	...	488100
		पूंजी :	...	...	0
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व :	2553413	...	2553413
		पूंजी :	...	...	0
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व :	2500000	...	2500000
		पूंजी :	...	...	0
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	242161	...	242161
		पूंजी :	3815	...	3815
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	37963	*15765*	53,728
56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	65012	...	65012
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	1732500	...	1732500
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व :	1518	...	1518
		पूंजी :	118000	...	118000
60	वन विभाग	राजस्व :	31114	...	31114
		पूंजी :	7136	...	7136
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	1	...	1
		पूंजी :	...	...	0
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	1000	...	1000
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व :	4135	...	4135
		पूंजी :	4000	...	4000
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व :	166405	...	166405
		पूंजी :	1000	...	1000
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व :	100000	...	100000
		पूंजी :	10000	...	10000
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	130682	...	130682
		पूंजी :	5000	...	5000
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	501	...	501
		पूंजी :	10000	...	10000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व :	2500	...	2500
		पूंजी :	...	...	0
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व :	20740	...	20740
		पूंजी :	...	...	0
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	618245	...	618245
79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व :	189692	...	189692
		पूंजी :	43874	...	43874
80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व :	3611877	...	3611877
		पूंजी :	...	...	0
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	1	...	1
82	सतर्कता विभाग	राजस्व :	16500	*4013*	20513
		पूंजी :	...	...	0
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	827300	...	827300
86	सूचना विभाग	राजस्व :	75803	...	75803
		पूंजी :	...	...	0
89	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व :	6014	*2*	6016
		पूंजी :	...	...	0
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	220	...	220
		पूंजी :	271246	...	271246
	योग	राजस्व :	13501252	59470	13560722
		पूंजी :	62018719	15765	62034484
	महायोग :		75519971	75235	75595206

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2009-2010 का अनुपूरक) विधेयक, 2009 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2009-2010 का अनुपूरक) विधेयक, 2009 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अधिक अनुदानों की मांगों को वर्षवार समेकित रूप से रखे जाने का सुझाव

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसमें भी मैं चाहूंगा कि अगर आप अनुमति दें तो वर्षवार एक साथ में रख दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

वित्तीय वर्ष 1990-1991 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों की मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या-01 आबकारी विभाग, अनुदान संख्या-04, उद्योग विभाग (खानें और खनिज), अनुदान संख्या-10, ऊर्जा विभाग, अनुदान संख्या-11, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास), अनुदान संख्या-14, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज), अनुदान संख्या-15, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन),अनुदान संख्या-16, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास), अनुदान संख्या-22, खाद्य तथा रसद विभाग, अनुदान संख्या-24, गन्ना विकास विभाग (गन्ना), अनुदान संख्या-26, गृह विभाग (कारागार), अनुदान संख्या-27, गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या-32, चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या-33, चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा), अनुदान संख्या-34, चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या-35, चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण), अनुदान संख्या-36, चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण), अनुदान संख्या-37, चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य), अनुदान संख्या-42, न्याय विभाग, अनुदान संख्या-43, परिवहन विभाग, अनुदान संख्या-47, पर्वतीय विकास विभाग, अनुदान संख्या-52, राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या-56, वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें), अनुदान संख्या-57, वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन), अनुदान संख्या-59, वित्त विभाग, (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि), अनुदान संख्या-63, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल), अनुदान संख्या-72, सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या-73, सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन), अनुदान संख्या-74, सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन), अनुदान संख्या-75, सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन), अनुदान संख्या-76, सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन), अनुदान संख्या-77, सार्वजनिक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय), अनुदान संख्या-78, सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या-79, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य), अनुदान

संख्या-81, संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर), अनुदान संख्या-82, संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर), अनुदान संख्या-83, संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण), अनुदान संख्या-84, सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या-93, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण)।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-01, 04, 10 लगायत 11, 14 लगायत 16, 22, 24, 26 लगायत 27, 32 लगायत 37, 42 लगायत 43, 47, 52, 56 लगायत 57, 59, 63, 72 लगायत 79, 81 लगायत 84 तथा 93 के अन्तर्गत कुल रुपये सात सौ सत्तावन करोड़ सत्ताइस लाख छः हजार पांच सौ चौदह (रुपये 757,27,06,514) की मांग वित्तीय वर्ष 1990-1991 से सम्बद्ध अधिक अनुदान के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदानों का विवरण निम्नवत् है :-

(1) अनुदान संख्या-01-आबकारी विभाग के अन्तर्गत 14,15,150 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1990-1991 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(2) अनुदान संख्या-04-उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत 13,41,949 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1990-1991 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(3) अनुदान संख्या-10-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 23,93,671 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1990-1991 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(4) अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 3,09,14,031 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1990-1991 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(5) अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 16,70,20,350 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1990-1991 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(6) अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 8,97,95,354 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1990-1991 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(7) अनुदान संख्या-16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 362 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1990-1991 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(8) अनुदान संख्या-22-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 6,46,56,353 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1990-1991 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(9) अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 3,63,58,828 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1990-1991 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(10) अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 67,51,775 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1990-1991 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(11) अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 1,26,36,37,521 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1990-1991 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(12) अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (ऐलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 39,07,26,677 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1990-1991 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(13) अनुदान संख्या-33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 9,14,61,856 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1990-1991 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(14) अनुदान संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 2,08,00,239 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1990-1991 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(15) अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 10,75,97,075 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1990-1991 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(16) अनुदान संख्या-36-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 36,50,14,730 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1990-1991 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(17) अनुदान संख्या-37-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 17,30,22,711 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1990-1991 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(18) अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग के अन्तर्गत 33,52,96,092 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1990-1991 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(19) अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग के अन्तर्गत 1,90,64,632 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1990-1991 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(20) अनुदान संख्या-47-पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत 39,19,02,845 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1990-1991 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(21) अनुदान संख्या-52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 37,25,72,808 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1990-1991 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(22) अनुदान संख्या-56-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत 2,45,20,906 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1990-1991 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(23) अनुदान संख्या-57-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 2,04,53,725 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1990-1991 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(24) अनुदान संख्या-59-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 32,32,178 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1990-1991 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(25) अनुदान संख्या-63-विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) के अन्तर्गत 12,31,099 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1990-1991 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(26) अनुदान संख्या-72-सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 27,99,47,884 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1990-1991 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(27) अनुदान संख्या-73-सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 53,25,70,916 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1990-1991 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(28) अनुदान संख्या-74-सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 52,98,921 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1990-1991 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(29) अनुदान संख्या-75-सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 6,11,718 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1990-1991 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(30) अनुदान संख्या-76-सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 44,94,12,286 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1990-1991 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(31) अनुदान संख्या-77-सार्वजनिक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 3,62,663 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1990-1991 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(32) अनुदान संख्या-78-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 76,74,19,233 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1990-1991 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(33) अनुदान संख्या-79-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 1,32,67,89,951 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1990-1991 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(34) अनुदान संख्या-81-संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) के अन्तर्गत 4,79,02,739 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1990-1991 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(35) अनुदान संख्या-82-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 13,15,36,301 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1990-1991 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(36) अनुदान संख्या-83-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 1,49,67,177 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1990-1991 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(37) अनुदान संख्या-84-सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 23,71,825 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1990-1991 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(38) अनुदान संख्या-93-हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) के अन्तर्गत 3,23,31,983 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1990-1991 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-01, 04, 10 लगायत 11, 14 लगायत 16, 22, 24, 26 लगायत 27, 32 लगायत 37, 42 लगायत 43, 47, 52, 56 लगायत 57, 59, 63, 72 लगायत 79, 81 लगायत 84 तथा 93 के अन्तर्गत कुल रुपये सात सौ सत्तावन करोड़ सत्ताइस लाख छः हजार पांच सौ चौदह (रुपये 757,27,06,514) की मांग वित्तीय वर्ष 1990-1991 से सम्बद्ध अधिक अनुदान के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों की मांगों पर मतदान,

अनुदान संख्या-01 आबकारी विभाग, अनुदान संख्या-08, उद्योग विभाग (लेखन सामग्री एवं मुद्रण), अनुदान संख्या-10, ऊर्जा विभाग, अनुदान संख्या-13, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास), अनुदान संख्या-22, खाद्य तथा रसद विभाग, अनुदान संख्या-23, खेल विभाग,

अनुदान संख्या-27, गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या-29, गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा), अनुदान संख्या-32, चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या-33, चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा), अनुदान संख्या-34, चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या-35, चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण), अनुदान संख्या-36, चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण), अनुदान संख्या-37, चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य), अनुदान संख्या-41, निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या-42, न्याय विभाग, अनुदान संख्या-44, पर्यटन विभाग, अनुदान संख्या-47, पर्वतीय विकास विभाग, अनुदान संख्या-52, राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या-56, वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें), अनुदान संख्या-63, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल), अनुदान संख्या-66, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), अनुदान संख्या-71, श्रम विभाग (सेवायोजन), अनुदान संख्या-72, सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या-73, सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन), अनुदान संख्या-74, सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन), अनुदान संख्या-75, सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन), अनुदान संख्या-76, लोक निर्माण विभाग (संचार साधन), अनुदान संख्या-78, सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या-79, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य), अनुदान संख्या-81, संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर), अनुदान संख्या-82, संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर), अनुदान संख्या-83, संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण), अनुदान संख्या-84, सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या-85, सतर्कता विभाग अनुदान संख्या-86, सहायता एवं पुर्नवासन विभाग, अनुदान संख्या-88, सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या-90, सूचना विभाग, अनुदान संख्या-92, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण), अनुदान संख्या-93, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण), अनुदान संख्या-94, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 01, 08, 10, 13, 22 लगायत 23, 27, 29, 32, लगायत 37, 41, लगायत 42, 44, 47, 52, 56, 63, 66, 71 लगायत 76, 78, लगायत 79, 81, लगायत 86, 88, 90 तथा 92 लगायत 94 के अन्तर्गत कुल रुपये पांच सौ चौहत्तर करोड़ इक्कीस लाख छब्बीस हजार दो सौ सत्तर (रुपये 574,21,26,270) की मांग वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदान के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदानों का विवरण निम्नवत् है :-

(1) अनुदान संख्या-01-आबकारी विभाग के अन्तर्गत 1,10,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(2) अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री एवं मुद्रण) के अन्तर्गत 7,24,53,671 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(3) अनुदान संख्या-10-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 91,88,81,523 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(4) अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 1,06,68,858 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(5) अनुदान संख्या-22-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 2,09,98,324 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(6) अनुदान संख्या-23-खेल विभाग के अन्तर्गत 5,19,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(7) अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 58,19,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(8) अनुदान संख्या-29-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 85,77,997 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(9) अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 1,32,63,843 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(10) अनुदान संख्या-33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 2,62,99,362 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(11) अनुदान संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 1,59,09,630 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(12) अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 90,30,074 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(13) अनुदान संख्या-36-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 2,82,39,269 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(14) अनुदान संख्या-37-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 10,56,76,678 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(15) अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 1,16,36,570 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(16) अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग के अन्तर्गत 5,14,74,211 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(17) अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 22,83,466 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(18) अनुदान संख्या-47-पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत 11,33,46,748 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(19) अनुदान संख्या-52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 13,27,27,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(20) अनुदान संख्या-56-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत 61,62,24,899 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(21) अनुदान संख्या-63-विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) के अन्तर्गत 71,45,131 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(22) अनुदान संख्या-66-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 13,33,93,996 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(23) अनुदान संख्या-71-श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 49,39,979 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(24) अनुदान संख्या-72-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 17,73,05,666 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(25) अनुदान संख्या-73-लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 65,58,39,127 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(26) अनुदान संख्या-74-लोक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 25,21,247 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(27) अनुदान संख्या-75-लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 4,00,589 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(28) अनुदान संख्या-76-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 36,85,84,540 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(29) अनुदान संख्या-78-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 66,23,30,203 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(30) अनुदान संख्या-79-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 98,47,66,845 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(31) अनुदान संख्या-81-संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री कर) के अन्तर्गत 1,87,53,246 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(32) अनुदान संख्या-82-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 11,78,96,096 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(33) अनुदान संख्या-83-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 17,49,13,980 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(34) अनुदान संख्या-84-सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 86,81,045 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(35) अनुदान संख्या-85-सतर्कता विभाग के अन्तर्गत 25,33,500 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(36) अनुदान संख्या-86-सहायता एवं पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत 71,10,943 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(37) अनुदान संख्या-88-सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 30,64,676 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(38) अनुदान संख्या-90-सूचना विभाग के अन्तर्गत 1,11,86,142 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(39) अनुदान संख्या-92-हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण) के अन्तर्गत 70,19,340 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(40) अनुदान संख्या-93-हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण) के अन्तर्गत 8,48,81,052 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(41) अनुदान संख्या-94-हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 13,38,28,804 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-01, 08, 10, 13, 22 लगायत 23, 27, 29, 32 लगायत 37, 41 लगायत 42, 44, 47, 52, 56, 63, 66, 71 लगायत 76, 78 लगायत 79, 81 लगायत 86, 88, 90 तथा 92 लगायत 94 के अन्तर्गत कुल रुपये पांच सौ चौहत्तर करोड़ इक्कीस लाख छब्बीस हजार दो सौ सत्तर (रुपये 574, 21, 26, 270) की मांग वित्तीय वर्ष 1991-1992 से सम्बद्ध अधिक अनुदान के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों की मांगों पर मतदान,

अनुदान संख्या-01 आबकारी विभाग, अनुदान संख्या-03 उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन), अनुदान संख्या-08, उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण), अनुदान संख्या-09, ऊर्जा विभाग, अनुदान संख्या-10, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास), अनुदान संख्या-11, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि), अनुदान संख्या-12, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास), अनुदान संख्या-13, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) अनुदान संख्या-15, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन), अनुदान संख्या-16, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास), अनुदान संख्या-18, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता), अनुदान संख्या-19, कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) अनुदान संख्या-21, खाद्य तथा रसद विभाग, अनुदान संख्या-23, गन्ना विकास विभाग (गन्ना), अनुदान संख्या-24, गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग), अनुदान संख्या-25, गृह विभाग (कारागार), अनुदान संख्या-27, गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा), अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण), अनुदान संख्या-36, चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य), अनुदान संख्या-37, नगर विकास विभाग, अनुदान संख्या-38, नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या-39, नियुक्ति विभाग, अनुदान संख्या-41, निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या-42 न्याय विभाग, अनुदान संख्या-43, परिवहन विभाग, अनुदान संख्या-44, पर्यटन विभाग, अनुदान संख्या-47, प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या-48, मुस्लिम वक्फ विभाग, अनुदान संख्या-49, महिला एवं बाल कल्याण विभाग,

अनुदान संख्या-50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या-51, राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत), अनुदान संख्या-52, राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या-55, लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन), अनुदान संख्या-56, लोक निर्माण विभाग (आवास भवन), अनुदान संख्या-57, लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन), अनुदान संख्या-58, लोक निर्माण विभाग (संचार साधन), अनुदान संख्या-62, वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें), अनुदान संख्या-63, वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन), अनुदान संख्या-64, वित्त विभाग (राज्य लाटरी), अनुदान संख्या-67, विधान परिषद् सचिवालय, अनुदान संख्या-72, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), अनुदान संख्या-73, शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा), अनुदान संख्या-77, श्रम विभाग (सेवायोजन), अनुदान संख्या-80, समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जाति), अनुदान संख्या-81, समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण), अनुदान संख्या-83, सहायता एवं पुनर्वासन विभाग, अनुदान संख्या-85, सार्वजनिक उद्यम विभाग, अनुदान संख्या-87, सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या-89, संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर), अनुदान संख्या-91, संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण), अनुदान संख्या-93, सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या-94, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) अनुदान संख्या-95, उत्तरांचल विकास विभाग।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न यह है कि अनुदान सं0-01, 03, 08 लगायत 13, 15 लगायत 16, 18 लगायत 19, 21, 23 लगायत 25, 27, 35 लगायत 39, 41 लगायत 44, 47 लगायत 52, 55 लगायत 58, 62 लगायत 64, 67, 72 लगायत 73, 77, 80 लगायत 81, 83, 85, 87, 89, 91 तथा 93 लगायत 95 के अन्तर्गत कुल रुपये एक हजार छः सौ बानवे करोड़ उनचास लाख तेईस हजार दो सौ सड़सठ (रुपये 1692, 49, 23, 267) की मांग वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदान के लिए स्वीकार की जाए।

अनुदानों का विवरण निम्नवत् है :-

(1) अनुदान संख्या-01-आबकारी विभाग के अन्तर्गत 2,66,10,548 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(2) अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 9,12,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(3) अनुदान संख्या-08-उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत 5,29,36,104 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(4) अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 10,90,656 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(5) अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 28,85,48,865 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(6) अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 9,61,65,690 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(7) अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत 8,83,44,425 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(8) अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 1,58,60,56,325 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(9) अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 1,14,36,721 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(10) अनुदान संख्या-16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 1,26,86,500 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(11) अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 15,87,21,450 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(12) अनुदान संख्या-19-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 74,09,422 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(13) अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 1,66,07,71,162 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(14) अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 81,10,500 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(15) अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 14,06,92,593 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(16) अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 7,51,09,574 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(17) अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 60,96,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(18) अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 2,23,26,724 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(19) अनुदान संख्या-36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 18,86,10,893 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(20) अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 6,19,94,803 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(21) अनुदान संख्या-38-नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 1,38,33,870 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(22) अनुदान संख्या-39-नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत 33,25,61,577 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(23) अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 5,22,28,035 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(24) अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग के अन्तर्गत 48,27,207 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(25) अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग के अन्तर्गत 36,15,048 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(26) अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 11,14,043 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(27) अनुदान संख्या-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 14,65,91,290 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(28) अनुदान संख्या-48-मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 10,96,061 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(29) अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 3,62,55,859 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(30) अनुदान संख्या-50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 7,08,16,457 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(31) अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत 40,63,75,096 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(32) अनुदान संख्या-52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 33,24,95,107 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(33) अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 65,01,73,378 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(34) अनुदान संख्या-56-लोक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 73,09,418 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(35) अनुदान संख्या-57-लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 5,43,464 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(36) अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 53,26,24,299 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(37) अनुदान संख्या-62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत 2,39,79,99,816 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(38) अनुदान संख्या-63-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 5,45,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(39) अनुदान संख्या-64-वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत 3,40,62,881 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(40) अनुदान संख्या-67-विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत 5,93,797 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(41) अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 3,15,12,58,757 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(42) अनुदान संख्या-73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 10,62,55,826 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(43) अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 11,57,62,702 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(44) अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जाति) के अन्तर्गत 3,77,10,746 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(45) अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 8,54,94,925 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(46) अनुदान संख्या-83-सहायता एवं पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत 1,06,420 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(47) अनुदान संख्या-85-सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत 45,89,817 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(48) अनुदान संख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 1,50,04,973 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(49) अनुदान संख्या-89-संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर) के अन्तर्गत 59,34,170 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(50) अनुदान संख्या-91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 1,61,43,614 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(51) अनुदान संख्या-93-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 1,36,90,80,617 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(52) अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 1,76,02,60,612 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(53) अनुदान संख्या-95-उत्तरांचल विकास विभाग के अन्तर्गत 73,70,27,430 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान सं0-01, 03, 08 लगायत 13, 15 लगायत 16, 18 लगायत 19, 21, 23 लगायत 25, 27, 35 लगायत 39, 41 लगायत 44, 47 लगायत 52, 55 लगायत 58, 62 लगायत 64, 67, 72 लगायत 73, 77, 80 लगायत 81, 83, 85, 87, 89, 91 तथा 93 लगायत 95 के अन्तर्गत कुल रुपये एक हजार छः सौ बानवे करोड़ उनचास लाख तेईस हजार

दो सौ सड़सठ (रुपये 1692, 49, 23, 267) की मांग वित्तीय वर्ष 1992-1993 से सम्बद्ध अधिक अनुदान के लिए स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों की मांगों पर मतदान,

अनुदान संख्या-04, उद्योग विभाग (खानें और खनिज), अनुदान संख्या-10, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास), अनुदान संख्या-12, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास), अनुदान संख्या-15, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन), अनुदान संख्या-16, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला), अनुदान संख्या-17, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य), अनुदान संख्या-18, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग, अनुदान संख्या-21, खाद्य तथा रसद विभाग, अनुदान संख्या-22, खेल विभाग, अनुदान संख्या-23, गन्ना विकास विभाग (गन्ना), अनुदान संख्या-25, गृह विभाग (कारागार), अनुदान संख्या-26, गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या-27, गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा), अनुदान संख्या-28, गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या-29, गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय), अनुदान संख्या-32, चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या-33, चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा), अनुदान संख्या-34, चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या-35, चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण), अनुदान संख्या-36, चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक विभाग), अनुदान संख्या-37, नगर विकास विभाग, अनुदान संख्या-38, नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या-40, नियोजन विभाग, अनुदान संख्या-43, परिवहन विभाग, अनुदान संख्या-50, राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या-52, राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या-53, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, अनुदान संख्या-54, लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या-55, लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन), अनुदान संख्या-56, लोक निर्माण विभाग (आवास भवन), अनुदान संख्या-57, लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन), अनुदान संख्या-58, लोक निर्माण विभाग (संचार साधन), अनुदान संख्या-69, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल), अनुदान संख्या-70, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अनुदान संख्या-73, शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा), अनुदान संख्या-80, समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण), अनुदान संख्या-81, समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण), अनुदान संख्या-83, सहायता एवं पुनर्वासन विभाग, अनुदान संख्या-85, सार्वजनिक उद्यम विभाग, अनुदान संख्या-89, संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर), अनुदान संख्या-91, संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण), अनुदान संख्या-93, सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या-94, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-4, 10, 12 15 लगायत 18, 21 लगायत 23, 25 लगायत 29, 32 लगायत 38, 40, 43, 50, 52 लगायत 58, 69 लगायत 70, 73, 80 लगायत 81, 83, 85, 89, 91 तथा

93 लगायत 94 के अन्तर्गत कुल रुपये सात सौ चौंतीस करोड़ सैंतालिस लाख तैंतालीस हजार नौ सौ पन्चान्नवे (रुपये 734,47,43,995) की मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 से सम्बद्ध अधिक अनुदान के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदानों का विवरण निम्नवत् है :-

(1) अनुदान संख्या-04-उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत 5,85,90,100 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(2) अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 1,35,46,883 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(3) अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत 9,53,02,167 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(4) अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 8,14,95,642 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(5) अनुदान संख्या-16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 7,49,12,453 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(6) अनुदान संख्या-17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 1,61,81,774 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(7) अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 31,5[illegible],99,468 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(8) अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 16,78,23,507 रुपये की [illegible], वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(9) अनुदान संख्या-22-खेल विभाग के अन्तर्गत 1,75,52,670 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(10) अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 22,85,49,211 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(11) अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 3,09,78,874 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(12) अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 5,12,07,511 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(13) अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 5,25,957 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(14) अनुदान संख्या-28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 11,20,50,791 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(15) अनुदान संख्या-29-गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय) के अन्तर्गत 10,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(16) अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (ऐलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 3,48,05,586 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(17) अनुदान संख्या-33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 5,46,01,805 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(18) अनुदान संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 4,76,61,787 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(19) अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 64,33,37,032 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(20) अनुदान संख्या-36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक विभाग) के अन्तर्गत 16,78,54,289 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(21) अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 67,70,53,733 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(22) अनुदान संख्या-38-नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 1,20,72,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(23) अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग के अन्तर्गत 1,40,75,018 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(24) अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग के अन्तर्गत 5,05,63,350 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(25) अनुदान संख्या-50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 20,10,12,985 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(26) अनुदान संख्या-52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 16,62,75,015 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(27) अनुदान संख्या-53-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 28,63,711 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(28) अनुदान संख्या-54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 70,28,021 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(29) अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 57,52,94,880 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(30) अनुदान संख्या-56-लोक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत 70,79,822 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(31) अनुदान संख्या-57-लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 51,399 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(32) अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 64,15,96,466 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(33) अनुदान संख्या-69-विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) के अन्तर्गत 16,74,259 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(34) अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत 68,16,69,541 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(35) अनुदान संख्या-73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 43,93,99,930 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(36) अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण) के अन्तर्गत 1,12,16,145 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(37) अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 12,68,01,552 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(38) अनुदान संख्या-83-सहायता एवं पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत 32,15,789 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(39) अनुदान संख्या-85-सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत 12,37,766 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(40) अनुदान संख्या-89-संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री कर) के अन्तर्गत 1,55,39,610 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(41) अनुदान संख्या-91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 13,81,83,461 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(42) अनुदान संख्या-93-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 1,30,11,48,585 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(43) अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 25,72,03,450 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1993-1994 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-4, 10, 12 15 लगायत 18, 21 लगायत 23, 25 लगायत 29, 32 लगायत 38, 40, 43, 50, 52 लगायत 58, 69 लगायत 70, 73, 80 लगायत 81, 83, 85, 89, 91 तथा 93 लगायत 94 के अन्तर्गत कुल रुपये सात सौ चौंतीस करोड़

सैंतालिस लाख तैंतालीस हजार नौ सौ पन्चान्नवे (रुपये 734,47,43,995) की मांग वित्तीय वर्ष 1993-94 से सम्बद्ध अधिक अनुदान के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों की मांगों पर मतदान,

अनुदान संख्या-01, आबकारी विभाग, अनुदान संख्या-03, उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन), अनुदान संख्या-05, उद्योग विभाग (ग्राम्य एवं लघु उद्योग), अनुदान संख्या-09, ऊर्जा विभाग, अनुदान संख्या-10, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास), अनुदान संख्या-12, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास), अनुदान संख्या-13, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास), अनुदान संख्या-15, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन), अनुदान संख्या-20, कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग), अनुदान संख्या-22, खेल विभाग, अनुदान संख्या-23, गन्ना विकास विभाग (गन्ना), अनुदान संख्या-25, गृह विभाग (कारागार), अनुदान संख्या-26, गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या-35, चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण), अनुदान संख्या-41, निर्वाचन विभाग अनुदान संख्या-42, न्याय विभाग, अनुदान संख्या-44, पर्यटन विभाग, अनुदान संख्या-48, मुस्लिम वक्फ विभाग, अनुदान संख्या-50, राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या-51, राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं से सम्बन्धित राहत), अनुदान संख्या-52, राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या-55, लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन), अनुदान संख्या-56, लोक निर्माण विभाग (आवासीय भवन), अनुदान संख्या-57, लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन), अनुदान संख्या-58, लोक निर्माण विभाग (संचार साधन), अनुदान संख्या-59, लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय), अनुदान संख्या-60, वन विभाग, अनुदान संख्या-62, वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें), अनुदान संख्या-64, वित्त विभाग (राज्य लाटरी), अनुदान संख्या-67, विधान परिषद् सचिवालय, अनुदान संख्या-69, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल), अनुदान संख्या-70, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अनुदान संख्या-72, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), अनुदान संख्या-73, शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा), अनुदान संख्या-77, श्रम विभाग (सेवायोजन), अनुदान संख्या-78, सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या-80, समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण), अनुदान संख्या-81, समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण), अनुदान संख्या-83, सहायता एवं पुनर्वासन विभाग, अनुदान संख्या-85, सार्वजनिक उद्यम विभाग, अनुदान संख्या-90, संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर), अनुदान संख्या-91, संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण), अनुदान संख्या-93, सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या-94, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य), अनुदान संख्या-95, (उत्तराखण्ड विकास विभाग)।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-01, 03, 05, 09 लगायत 10, 12 लगायत 13, 15, 20, 22 लगायत 23, 25 लगायत 26, 35, 41 लगायत 42, 44, 48, 50 लगायत 52, 55 लगायत 60, 62, 64, 67, 69

लगायत 70, 72 लगायत 73, 77 लगायत 78, 80 लगायत 81, 83, 85, 90 लगायत 91 तथा 93 लगायत 95 के अन्तर्गत कुल रुपये एक हजार आठ सौ दस करोड़ इकसठ लाख इकत्तीस हजार सात सौ पचासी (रुपये 1810,61,31,785) की मांग वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदान के लिए स्वीकार की जाए।

अनुदानों का विवरण निम्नवत् है :-

(1) अनुदान संख्या-01-आबकारी विभाग के अन्तर्गत 9,43,667 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(2) अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 2,90,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(3) अनुदान संख्या-05-उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 1,12,07,827 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(4) अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 11,35,91,54,677 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(5) अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 2,37,71,585 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(6) अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत 1,26,07,664 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(7) अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 60,17,45,384 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(8) अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 64,10,499 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(9) अनुदान संख्या-20-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत 23,58,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(10) अनुदान संख्या-22-खेल विभाग के अन्तर्गत 24,00,600 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(11) अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 2,77,87,819 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(12) अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 6,85,90,588 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(13) अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 12,00,52,572 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(14) अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 51,54,59,653 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(15) अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 36,52,40,242 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(16) अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग के अन्तर्गत 37,75,118 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(17) अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 18,23,613 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(18) अनुदान संख्या-48-मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 27,96,581 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(19) अनुदान संख्या-50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 10,90,48,599 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(20) अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं से सम्बन्धित राहत) के अन्तर्गत 24,94,45,481 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(21) अनुदान संख्या-52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 8,86,90,205 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(22) अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 86,34,25,091 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(23) अनुदान संख्या-56-लोक निर्माण विभाग (आवासीय भवन) के अन्तर्गत 92,84,257 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(24) अनुदान संख्या-57-लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत 76,77,592 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(25) अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 85,03,50,036 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(26) अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 782 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(27) अनुदान संख्या-60-वन विभाग के अन्तर्गत 10,58,150 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(28) अनुदान संख्या-62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत 8,21,91,636 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(29) अनुदान संख्या-64-वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत 34,64,708 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(30) अनुदान संख्या-67-विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत 17,29,091 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(31) अनुदान संख्या-69-विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल) के अन्तर्गत 4,62,170 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(32) अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत 20,34,33,736 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(33) अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 31,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(34) अनुदान संख्या-73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 40,00,15,738 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(35) अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 33,43,901 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(36) अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 7,85,65,105 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(37) अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण) के अन्तर्गत 1,98,28,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(38) अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 34,00,70,425 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(39) अनुदान संख्या-83-सहायता एवं पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत 62,68,157 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(40) अनुदान संख्या-85-सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत 57,828 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(41) अनुदान संख्या-90-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 4,65,32,567 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(42) अनुदान संख्या-91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 1,51,73,544 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(43) अनुदान संख्या-93-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 1,05,61,86,604 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(44) अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 29,39,30,409 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(45) अनुदान संख्या-95-उत्तराखण्ड विकास विभाग के अन्तर्गत 21,76,71,884 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-01, 03, 05, 09 लगायत 10, 12 लगायत 13, 15, 20, 22 लगायत 23, 25 लगायत 26, 35, 41 लगायत 42, 44, 48, 50 लगायत 52, 55

लगायत 60, 62, 64, 67, 69 लगायत 70, 72 लगायत 73, 77 लगायत 78, 80 लगायत 81, 83, 85, 90 लगायत 91 तथा 93 लगायत 95 के अन्तर्गत कुल रुपये एक हजार आठ सौ दस करोड़ इकसठ लाख इकत्तीस हजार सात सौ पचासी (रुपये 1810,61,31,785) की मांग वित्तीय वर्ष 1994-1995 से सम्बद्ध अधिक अनुदान के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1995-1996 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों की मांगों पर मतदान,

अनुदान संख्या-02, आवास विभाग, अनुदान संख्या-05, उद्योग विभाग (ग्राम्य एवं लघु उद्योग), अनुदान संख्या-07, उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या-09, ऊर्जा विभाग, अनुदान संख्या-13, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास), अनुदान संख्या-14, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज), अनुदान संख्या-16, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास), अनुदान संख्या-33, चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा), अनुदान संख्या-36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य), अनुदान संख्या-43, परिवहन विभाग, अनुदान संख्या-47 प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या-48, मुस्लिम वक्फ विभाग, अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग, अनुदान संख्या-50, राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या-53, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग अनुदान संख्या-55, लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन), अनुदान संख्या-58, लोक निर्माण विभाग (संचार साधन), अनुदान संख्या-59, लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय), अनुदान संख्या-62, वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें), अनुदान संख्या-66, वित्त विभाग (सामूहिक बीमा), अनुदान संख्या-70, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अनुदान संख्या-72, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), अनुदान संख्या-75, शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्), अनुदान संख्या-81, समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण), अनुदान संख्या-83, सहायता एवं पुनर्वासन विभाग, अनुदान संख्या-84, सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या-93, सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या-94, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-02, 05, 07, 09, 13 लगायत 14, 16, 33, 36, 43, 47 लगायत 50, 53, 55, 58 लगायत 59, 62, 66, 70, 72, 75, 81, 83 लगायत 84 तथा 93 लगायत 94 के अन्तर्गत कुल रुपये पांच सौ उनहत्तर करोड़ उन्तीस लाख छः हजार चार सौ सैंतीस (रुपये 569,29,06,437) की मांग वित्तीय वर्ष 1995-1996 से सम्बद्ध अधिक अनुदान के लिए स्वीकार की जाए।

अनुदानों का विवरण निम्नवत् है :-

(1) अनुदान संख्या-02-आवास विभाग के अन्तर्गत 2,52,13,683 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1995-1996 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(2) अनुदान संख्या-05-उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 7,39,095 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1995-1996 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(3) अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 15,22,29,891 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1995-1996 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(4) अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 3,94,004 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1995-1996 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(5) अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 20,94,75,148 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1995-1996 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(6) अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 18,88,54,133 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1995-1996 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(7) अनुदान संख्या-16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 4,34,593 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1995-1996 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(8) अनुदान संख्या-33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 1,48,73,500 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1995-1996 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(9) अनुदान संख्या-36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 1,00,26,984 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1995-1996 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(10) अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग के अन्तर्गत 73,79,023 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1995-1996 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(11) अनुदान संख्या-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 3,09,73,783 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1995-1996 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(12) अनुदान संख्या-48-मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 10,72,985 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1995-1996 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(13) अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 39,78,730 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1995-1996 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(14) अनुदान संख्या-50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 22,08,68,840 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1995-1996 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(15) अनुदान संख्या-53-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 17,750 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1995-1996 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(16) अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 86,82,61,928 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1995-1996 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(17) अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 77,30,55,117 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1995-1996 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(18) अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 81,48,371 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1995-1996 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(19) अनुदान संख्या-62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत 28,76,46,268 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1995-1996 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(20) अनुदान संख्या-66-वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 1,40,04,201 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1995-1996 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(21) अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत 34,79,63,477 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1995-1996 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(22) अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 97,52,600 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1995-1996 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(23) अनुदान संख्या-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत 86,08,967 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1995-1996 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(24) अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 9,48,17,215 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1995-1996 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(25) अनुदान संख्या-83-सहायता एवं पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत 1,18,75,154 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1995-1996 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(26) अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 6,31,906 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1995-1996 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(27) अनुदान संख्या-93-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 1,04,09,42,817 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1995-1996 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(28) अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 1,36,06,66,274 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1995-1996 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कि अनुदान संख्या-02, 05, 07, 09, 13 लगायत 14, 16, 33, 36, 43, 47 लगायत 50, 53, 55, 58 लगायत 59, 62, 66, 70, 72, 75, 81, 83 लगायत 84 तथा 93 लगायत 94 के अन्तर्गत कुल रुपये पांच सौ उनहत्तर करोड़ उन्तीस लाख छः हजार चार सौ सैंतीस (रुपये 569,29,06,437) की मांग वित्तीय वर्ष 1995-1996 से सम्बद्ध अधिक अनुदान के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1996-1997 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों की मांगों पर मतदान,

अनुदान संख्या-02, आवास विभाग, अनुदान संख्या-32, चिकित्सा विभाग (एलापैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या-35, चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण), अनुदान संख्या-39, भाषा विभाग, अनुदान संख्या-40, नियोजन विभाग, अनुदान संख्या-51, राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत), अनुदान संख्या-55, लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन), अनुदान संख्या-56, लोक निर्माण विभाग (आवासीय भवन), अनुदान संख्या-58, लोक निर्माण विभाग (संचार साधन), अनुदान संख्या-59, लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय), अनुदान

संख्या-60, वन विभाग, अनुदान संख्या-62, वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें), अनुदान संख्या-64, वित्त विभाग (राज्य लाटरी), अनुदान संख्या-65, वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि), अनुदान संख्या-70, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अनुदान संख्या-81, समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण), अनुदान संख्या-83, सहायता एवं पुनर्वासन विभाग, अनुदान संख्या-93, सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या-94, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) अनुदान संख्या-95, उत्तराखण्ड विकास विभाग।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0-02, 32, 35, 39 लगायत 40, 51, 55 लगायत 56,58 लगायत 60, 62, 64 लगायत 65, 70, 81, 83 तथा 93 लगायत 95 के अन्तर्गत कुल रुपये सात सौ दस करोड़ सत्तानबे लाख अट्ठारह हजार छियान्नबे (रुपये 710,97,18,096) की मांग वित्तीय वर्ष 1996-1997 से सम्बद्ध अधिक अनुदान के लिए स्वीकार की जाए।

अनुदानों का विवरण निम्नवत् है :-

(1) अनुदान संख्या-02-आवास विभाग के अन्तर्गत 7,06,95,427 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1996-1997 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(2) अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 4,24,408 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1996-1997 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(3) अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 24,06,46,458 रुपये की माग, वित्तीय वर्ष 1996-1997 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(4) अनुदान संख्या-39-भाषा विभाग के अन्तर्गत 3,39,67,135 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1996-1997 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(5) अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग के अन्तर्गत 14,09,85,181 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1996-1997 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(6) अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत 23,83,01,809 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1996-1997 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(7) अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 1,18,58,99,323 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1996-1997 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(8) अनुदान संख्या-56-लोक निर्माण विभाग (आवासीय भवन) के अन्तर्गत 80,89,271 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1996-1997 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(9) अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 1,43,45,52,892 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1996-1997 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(10) अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 1,94,38,039 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1996-1997 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(11) अनुदान संख्या-60-वन विभाग के अन्तर्गत 6,24,365 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1996-1997 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(12) अनुदान संख्या-62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत 38,15,79,329 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1996-1997 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(13) अनुदान संख्या-64-वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत 72,45,913 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1996-1997 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(14) अनुदान संख्या-65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 50,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1996-1997 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(15) अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत 35,37,12,289 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1996-1997 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(16) अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 50,91,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1996-1997 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(17) अनुदान संख्या-83-सहायता एवं पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत 53,49,854 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1996-1997 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(18) अनुदान संख्या-93-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 13,93,60,702 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1996-1997 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(19) अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 2,68,67,72,582 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1996-1997 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(20) अनुदान संख्या-95-उत्तराखण्ड विकास विभाग के अन्तर्गत 15,19,82,119 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1996-1997 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान सं0-02, 32, 35, 39 लगायत 40, 51, 55 लगायत 56,58 लगायत 60, 62, 64 लगायत 65, 70, 81, 83 तथा 93 लगायत 95 के अन्तर्गत कुल रुपये सात सौ दस करोड़ सत्तानबे लाख अट्ठारह हजार छियान्नबे (रुपये 710,97,18,096) की मांग वित्तीय वर्ष 1996-1997 से सम्बद्ध अधिक अनुदान के लिए स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1997-1998 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों की मांगों पर मतदान,

अनुदान संख्या-11, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि), अनुदान संख्या-28, गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या-34, चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या-35, चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण), अनुदान संख्या-42, न्याय विभाग, अनुदान संख्या-55, लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन), अनुदान संख्या-56, लोक निर्माण विभाग (आवासीय भवन), अनुदान संख्या-58, लोक निर्माण विभाग (संचार साधन), अनुदान संख्या-64, वित्त विभाग (राज्य लाटरी), अनुदान संख्या-66, वित्त विभाग (सामूहिक बीमा), अनुदान

संख्या-78, सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या-81, समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण), अनुदान संख्या-90, संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन बाजीकर)।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0-11, 28, 34 लगायत 35, 42, 55 लगायत 56, 58 64, 66, 78, 81 तथा 90 के अन्तर्गत कुल रुपये एक सौ उन्यासी करोड़ अट्ठाइस लाख पचपन हजार छः सौ उन्तालिस (रुपये 179,28,55,639) की मांग वित्तीय वर्ष 1997-1998 से सम्बद्ध अधिक अनुदान के लिए स्वीकार की जाए।

अनुदानों का विवरण निम्नवत् है :-

(1) अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 1,41,97,069 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1997-1998 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(2) अनुदान संख्या-28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 11,65,69,956 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1997-1998 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(3) अनुदान संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 6,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1997-1998 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(4) अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 4,29,02,391 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1997-1998 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(5) अनुदान संख्या 42-न्याय विभाग के अन्तर्गत 18,31,05,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 997-1998 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(6) अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (अनावसिक भवन) के अन्तर्गत 1,15,85,05,808 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1997-1998 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(7) अनुदान संख्या-56-लोक निर्माण विभाग (आवासीय भवन) के अन्तर्गत 81,98,241 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1997-1998 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(8) अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 13,27,38,675 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1997-1998 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(9) अनुदान संख्या-64-वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत 5,36,789 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1997-1998 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(10) अनुदान संख्या-66-वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 3,55,552 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1997-1998 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(11) अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 3,25,89,590 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1997-1998 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(12) अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 8,87,11,047 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1997-1998 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(13) अनुदान संख्या-90-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 1,44,39,521 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1997-1998 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान सं0-11, 28, 34 लगायत 35, 42, 55 लगायत 56, 58 64, 66, 78, 81 तथा 90 के अन्तर्गत कुल रुपये एक सौ उन्यासी करोड़ अट्ठाइस लाख पचपन हजार छः सौ उन्तालिस (रुपये 179,28,55,639) की मांग वित्तीय वर्ष 1997-1998 से सम्बद्ध अधिक अनुदान के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1998-1999 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों की मांगों पर मतदान,

अनुदान संख्या-4, उद्योग विभाग (खानें और खनिज), अनुदान संख्या-10, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास), अनुदान संख्या-12, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन), अनुदान संख्या-14, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज), अनुदान संख्या-21, खाद्य तथा रसद विभाग, अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग, (गन्ना), अनुदान संख्या-36, चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य), अनुदान संख्या-51, राजस्व विभाग, (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत), अनुदान संख्या-55, लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन), अनुदान संख्या-63, वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन), अनुदान संख्या-66, वित्त विभाग (सामूहिक बीमा), अनुदान संख्या-78, सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या-81, समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण), अनुदान संख्या-90, संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन बाजीकर), अनुदान संख्या-92, संस्कृति विभाग।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-01, 04, 09 लगायत 10, 21, 27, 38, 45, 50 लगायत 51, 55, 58, 65 लगायत 66, 78, 80 लगायत 81, 87, 89 लगायत 90 तथा 95 के अन्तर्गत कुल रुपये पांच सौ इकत्तीस करोड़ उन्तीस लाख तेरह हजार नौ सौ पैंसठ (रुपये531,29,13,965) की मांग वित्तीय वर्ष 1998-1999 से सम्बद्ध अधिक अनुदान के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदानों का विवरण निम्नवत् है :-

(1) अनुदान संख्या-01-आबकारी विभाग के अन्तर्गत 3,07,584 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1998-1999 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(2) अनुदान संख्या-04-उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत 7,33,175 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1998-1999 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(3) अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 32,85,906 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1998-1999 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(4) अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 2,55,08,742 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1998-1999 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(5) अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 76,45,70,751 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1998-1999 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(6) अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 89,73,500 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1998-1999 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(7) अनुदान संख्या-38-नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 46,62,621 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1998-1999 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(8) अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत 9,98,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1998-1999 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(9) अनुदान संख्या-50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 2,62,97,229 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1998-1999 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(10) अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत 1,70,42,93,199 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1998-1999 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(11) अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 1,40,88,01,170 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1998-1999 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(12) अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 1,15,38,08,215 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1998-1999 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(13) अनुदान संख्या-65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 6,96,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1998-1999 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(14) अनुदान संख्या-66-वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 2,32,550 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1998-1999 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(15) अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 48,29,716 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1998-1999 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(16) अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत 9,58,19,663 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1998-1999 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(17) अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 6,02,99,032 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1998-1999 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(18) अनुदान संख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 4,65,113 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1998-1999 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(19) अनुदान संख्या-89-संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) के अन्तर्गत 50,32,876 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1998-1999 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(20) अनुदान संख्या-90-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 1,08,08,176 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1998-1999 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(21) अनुदान संख्या-95-उत्तरांचल विकास विभाग के अन्तर्गत 3,24,99,744 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1998-1999 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-01, 04, 09 लगायत 10, 21, 27, 38, 45, 50 लगायत 51, 55, 58, 65 लगायत 66, 78, 80 लगायत 81, 87, 89 लगायत 90 तथा 95 के अन्तर्गत कुल रुपये पांच सौ इकत्तीस करोड़ उन्तीस लाख तेरह हजार नौ सौ पैंसठ (रुपये 531,29,13,965) की मांग वित्तीय वर्ष 1998-1999 से सम्बद्ध अधिक अनुदान के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1999-2000 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों की मांगों पर मतदान,

अनुदान संख्या-4, उद्योग विभाग (खानें और खनिज), अनुदान संख्या-10, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास), अनुदान संख्या-12, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन), अनुदान संख्या-14, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज), अनुदान संख्या-21, खाद्य तथा रसद विभाग, अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग, (गन्ना), अनुदान संख्या-36, चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य), अनुदान संख्या-51, राजस्व विभाग, (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत), अनुदान संख्या-55, लोक निर्माण विभाग (भवन), अनुदान संख्या-63, वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन), अनुदान संख्या-66, वित्त विभाग (सामूहिक बीमा), अनुदान संख्या-78, सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या-81, समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण), अनुदान संख्या-90, संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर), अनुदान संख्या-92, संस्कृति विभाग।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-04, 10, 12, 14, 21, 23, 36, 51, 55, 63, 66, 78, 81, 90 तथा 92 के अन्तर्गत कुल रुपये पांच सौ इसकठ करोड़ ग्यारह लाख सत्ताइस हजार छः सौ चौरानवे (रुपये 561,11,27,694) की मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 से सम्बद्ध अधिक अनुदान के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदानों का विवरण निम्नवत् है :-

(1) अनुदान संख्या-04-उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत 22,12,384 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1999-2000 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(2) अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 17,06,898 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1999-2000 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(3) अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत 5,84,16,474 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1999-2000 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(4) अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 40,94,36,359 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1999-2000 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(5) अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 3,18,63,83,533 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1999-2000 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(6) अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 4,20,67,310 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1999-2000 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(7) अनुदान संख्या-36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 28,50,298 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1999-2000 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(8) अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत 26,49,13,535 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1999-2000 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(9) अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत 1,51,46,85,633 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1999-2000 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(10) अनुदान संख्या-63-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 0[illegible],40,335 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1999-2000 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(11) अनुदान संख्या-66-वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 70,201 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1999-2000 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(12) अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 2,12,90,960 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1999-2000 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(13) अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 8,00,94,528 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1999-2000 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(14) अनुदान संख्या-90-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 1,52,59,282 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1999-2000 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(15) अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग के अन्तर्गत 52,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 1999-2000 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कि अनुदान संख्या-04, 10, 12, 14, 21, 23, 36, 51, 55, 63, 66, 78, 81, 90 तथा 92 के अन्तर्गत कुल रुपये पांच सौ इसकठ करोड़ ग्यारह लाख सत्ताइस

हजार छः चौरानवे (रुपये 561,11,27,694) की मांग वित्तीय वर्ष 1999-2000 से सम्बद्ध अधिक अनुदान के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों की मांगों पर मतदान,

अनुदान संख्या-12, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन), अनुदान संख्या-32, चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या-36, चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य), अनुदान संख्या-55, लोक निर्माण विभाग (भवन), अनुदान संख्या-59, लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय), अनुदान संख्या-62, वित्त विभाग, (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें), अनुदान संख्या-81, समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण), अनुदान संख्या-90, संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन बाजीकर), अनुदान संख्या-93, सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या-94, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-12, 32, 36, 55, 59, 62, 81, 90 तथा 93 लगायत 94 के अन्तर्गत कुल रुपये सात सौ बयालिस करोड़ तिरपन लाख तीस हजार पांच सौ इकत्तीस (रुपये 742,53,30,531) की मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 से सम्बद्ध अधिक अनुदान के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदानों का विवरण निम्नवत् है :-

(1) अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत 2,84,62,674 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2000-2001 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(2) अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 71,56,105 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2000-2001 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(3) अनुदान संख्या-36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 63,00,877 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2000-2001 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(4) अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत 1,65,53,10,914 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2000-2001 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(5) अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 7,63,74,522 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2000-2001 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(6) अनुदान संख्या-62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत 36,90,89,641 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2000-2001 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(7) अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 77,41,071 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2000-2001 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(8) अनुदान संख्या-90-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 1,85,12,831 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2000-2001 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(9) अनुदान संख्या-93-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 45,08,04,024 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2000-2001 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(10) अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 4,80,55,77,872 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2000-2001 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-12, 32, 36, 55, 59, 62, 81, 90 तथा 93 लगायत 94 के अन्तर्गत कुल रुपये सात सौ बयालिस करोड़ तिरपन लाख तीस हजार पांच सौ इकत्तीस (रुपये 742,53,30,531) की मांग वित्तीय वर्ष 2000-2001 से सम्बद्ध अधिक अनुदान के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों की मांगों पर मतदान,

अनुदान संख्या-10, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास), अनुदान संख्या-20, कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग एवं लोक सेवा अधिकरण), अनुदान संख्या-21, खाद्य तथा रसद विभाग, अनुदान संख्या-42, न्याय विभाग, अनुदान संख्या-55, लोक निर्माण विभाग (भवन), अनुदान संख्या-72, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), अनुदान संख्या-90, संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर), अनुदान संख्या-94, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-10, 20 लगायत 21, 42, 55, 72, 90 तथा 94 के अन्तर्गत कुल रुपये छः सौ छप्पन करोड़ चालीस लाख चार हजार छः सौ छब्बीस (रुपये 656,40,04,626) की मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 से सम्बद्ध अधिक अनुदान के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदानों का विवरण निम्नवत् है :-

(1) अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत 17,93,646 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2001-2002 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(2) अनुदान संख्या-20-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग एवं लोक सेवा अधिकरण) के अन्तर्गत 9,65,09,210 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2001-2002 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(3) अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 14,28,50,276 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2001-2002 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(4) अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग के अन्तर्गत 18,03,24,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2001-2002 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(5) अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत 1,01,36,98,637 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2001-2002 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(6) अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 29,34,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2001-2002 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(7) अनुदान संख्या-90-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 1,81,26,165 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2001-2002 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(8) अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 5,10,77,68,692 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2001-2002 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-10, 20 लगायत 21, 42, 55, 72, 90 तथा 94 के अन्तर्गत कुल रुपये छः सौ छप्पन करोड़ चालीस लाख चार हजार छः सौ छब्बीस (रुपये 656,40,04,626) की मांग वित्तीय वर्ष 2001-2002 से सम्बद्ध अधिक अनुदान के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों की मांगों पर मतदान,

अनुदान संख्या-05, उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग), अनुदान संख्या-10, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम उद्योग), अनुदान संख्या-21, खाद्य तथा रसद विभाग, अनुदान संख्या-27, गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा), अनुदान संख्या-39, भाषा विभाग, अनुदान संख्या-40, नियोजन विभाग, अनुदान संख्या-46, प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या-51, राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत), अनुदान संख्या-55, लोक निर्माण विभाग (भवन), अनुदान संख्या-58, लोक निर्माण विभाग (संचार साधन), अनुदान संख्या-62, वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें), अनुदान संख्या-72, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), अनुदान संख्या-77, श्रम विभाग (सेवायोजन), अनुदान संख्या-92, संस्कृति विभाग, अनुदान संख्या-94, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-05, 10, 21, 27, 39 लगायत 40, 46, 51, 55, 58, 62, 72, 77, 92 तथा

94 के अन्तर्गत कुल रुपये दो हजार एक सौ उन्नीस करोड़ पंचानवे लाख (2119,95,00,000) की मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 से सम्बद्ध अधिक अनुदान के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदानों का विवरण निम्नवत् है :-

(1) अनुदान संख्या-05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत 1,56,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2002-2003 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(2) अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम उद्योग) के अन्तर्गत 44,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2002-2003 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(3) अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 7,34,08,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2002-2003 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(4) अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 1,61,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2002-2003 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(5) अनुदान संख्या-39-भाषा विभाग के अन्तर्गत 6,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2002-2003 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(6) अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग के अन्तर्गत 1,85,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2002-2003 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(7) अनुदान संख्या-46-प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत 48,00,000 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(8) अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत 3,35,48,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2002-2003 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(9) अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत 1,38,71,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2002-2003 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(10) अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 2,32,79,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2002-2003 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(11) अनुदान संख्या-62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत 1,02,07,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2002-2003 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(12) अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 2,35,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2002-2003 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(13) अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 29,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2002-2003 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(14) अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग के अन्तर्गत 6,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2002-2003 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(15) अनुदान संख्या-[illegible] विभाग (निर्माण [illegible]) के अन्तर्गत 5,68,12,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2002-2003 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-05, 10, 21, 27, 39 लगायत 40, 46, 51, 55, 58, 62, 72, 77, 92 तथा 94 के अन्तर्गत कुल रुपये दो हजार एक सौ उन्नीस करोड़ पंचानवें लाख (2119,95,00,000) की मांग वित्तीय वर्ष 2002-2003 से सम्बद्ध अधिक अनुदान के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2003-2004 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों की मांगों पर मतदान,

अनुदान संख्या-03, उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन), अनुदान संख्या-10, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक तथा रेशम उद्योग), अनुदान संख्या-12, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन), अनुदान संख्या-21, खाद्य तथा रसद विभाग, अनुदान संख्या-23, गन्ना विकास विभाग (गन्ना), अनुदान संख्या-32, चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या-34, चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या-35, चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण), अनुदान संख्या-39, भाषा विभाग, अनुदान संख्या-55, लोक निर्माण विभाग (भवन), अनुदान संख्या-91, संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण), अनुदान संख्या-94, सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-03, 10, 12, 21, 23, 32, 34 लगायत 35, 39, 55, 91 तथा 94 के अन्तर्गत कुल रुपये एक हजार छः सौ दस करोड़ अड़सठ लाख (रुपये 1610,68,00,000) की मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 से सम्बद्ध अधिक अनुदान के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदानों का विवरण निम्नवत् है :-

(1) अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 80,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2003-2004 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(2) अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत 8,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2003-2004 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(3) अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत 25,21,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2003-2004 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(4) अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 8,94,50,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2003-2004 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(5) अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 1,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2003-2004 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(6) अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 40,09,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2003-2004 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(7) अनुदान संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 4,07,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2003-2004 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(8) अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 5,26,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2003-2004 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(9) अनुदान संख्या-39-भाषा विभाग के अन्तर्गत 30,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2003-2004 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(10) अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत 1,44,38,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2003-2004 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(11) अनुदान संख्या-91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 8,59,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2003-2004 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(12) अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 4,87,39,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2003-2004 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-03, 10, 12, 21, 23, 32, 34 लगायत 35, 39, 55, 91 तथा 94 के अन्तर्गत कुल रुपये एक हजार छः सौ दस करोड़ अड़सठ लाख (रुपये 1610,68,00,000) की मांग वित्तीय वर्ष 2003-2004 से सम्बद्ध अधिक अनुदान के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2004-2005 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों की मांगों पर मतदान,

अनुदान संख्या-02, आवास विभाग, अनुदान संख्या-03, उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन), अनुदान संख्या-04, उद्योग विभाग (खानें और खनिज), अनुदान संख्या-09, ऊर्जा विभाग, अनुदान संख्या-15, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन), अनुदान संख्या-16, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास), अनुदान संख्या-21, खाद्य तथा रसद विभाग, अनुदान संख्या-22, खेल विभाग, अनुदान संख्या-25, गृह विभाग (कारागार), अनुदान संख्या-32, चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या-34, चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या-55, लोक निर्माण विभाग (भवन), अनुदान संख्या-59, लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय), अनुदान संख्या-79, समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण), अनुदान संख्या-85, सार्वजनिक उद्यम विभाग।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-02 लगायत 04, 09, 15 लगायत 16, 21 लगायत 22, 25, 32, 34, 55, 58 लगायत 59, 79 तथा 85 के अन्तर्गत कुल रुपये छः सौ छप्पन करोड़ नवासी लाख (रुपये 656,89,00,000) की मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 से सम्बद्ध अधिक अनुदान के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदानों का विवरण निम्नवत् है :-

(1) अनुदान संख्या-02-आवास विभाग के अन्तर्गत 4,73,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2004-2005 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(2) अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 10,93,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2004-2005 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(3) अनुदान संख्या-04-उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत 63,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2004-2005 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(4) अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 24,98,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2004-2005 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(5) अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 13,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2004-2005 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(6) अनुदान संख्या-16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 29,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2004-2005 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(7) अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 4,35,23,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2004-2005 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(8) अनुदान संख्या-22-खेल विभाग के अन्तर्गत 4,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2004-2005 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(9) अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 57,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2004-2005 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(10) अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 31,16,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2004-2005 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(11) अनुदान संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 90,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2004-2005 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(12) अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत 1,32,70,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2004-2005 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(13) अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) के अन्तर्गत 11,18,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष 2004-2005 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(14) अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 1,19,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2004-2005 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(15) अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत 2,14,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2004-2005 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

(16) अनुदान संख्या-85-सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत 9,00,000 रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष 2004-2005 से सम्बद्ध अधिक अनुदानों के लिए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-02 लगायत 04, 09, 15 लगायत 16, 21 लगायत 22, 25, 32, 34, 55, 58 लगायत 59, 79 तथा 85 के अन्तर्गत कुल रुपये छः सौ छप्पन करोड़

नवासी लाख (रुपये 656,89,00,000) की मांग वित्तीय वर्ष 2004-2005 से सम्बद्ध अधिक अनुदान के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1990-1991, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005 के बढ़ती व्यय का विनियमन विधेयक, 2009

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (1990-1991, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1990-1991, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (1990-1991, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रतियां बांट दी जाएं।

(प्रतियां वितरित की गई)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1990-1991, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1990-1991, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–17 तक, अनुसूची–1 से अनुसूची–15 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1990–91, 1991–92, 1992–93, 1993–94, 1994–95, 1995–96, 1996–97, 1997–98, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2001–02, 2002–03, 2003–04 और 2004–05) के बढ़ती व्यय का विनियमन)

विधेयक, 2009

दिनांक 31 मार्च, 1991, दिनांक 31 मार्च, 1992, दिनांक 31 मार्च, 1993, दिनांक 31 मार्च, 1994, दिनांक 31 मार्च, 1995, दिनांक 31 मार्च, 1996, दिनांक 31 मार्च, 1997, दिनांक 31 मार्च, 1998, दिनांक 31 मार्च, 1999, दिनांक 31 मार्च, 2000, दिनांक 31 मार्च, 2001, दिनांक 31 मार्च, 2002, दिनांक 31 मार्च, 2003, दिनांक 31 मार्च, 2004, तथा 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में कतिपय सेवाओं पर उनके निमित्त और उस वर्ष के लिये स्वीकृत धनराशियों से बढ़ती व्यय हुई धनराशियों की पूर्ति के लिये राज्य की समेकित निधि में से धन के विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त शीर्षनाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1990–91, 1991–92, 1992–93, 1993–94, 1994–95, 1995–96, 1996–97, 1997–98, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2001–02, 2002–03, 2003–04 और 2004–05 के बढ़ती व्यय का विनियमन) अधिनियम, 2009 कहलायेगा।

1990–91 कतिपय बढ़ती व्यय को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से 2450,89,49,742 रुपये का दिया जाना।

2–उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से प्रथम अनुसूची के स्तम्भ 3 व 4 में उल्लिखित धनराशियों के, जिनका कुल योग 2450,89,49,742 रूपये (रूपये दो हजार चार सौ पचास करोड़ नवासी लाख उनचास हजार सात सौ बयालिस मात्र) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिये जो दिनांक 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित सेवाओं से सम्बन्धित परिव्ययों पर, उन सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिये स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दिये और काम में लाये जाने के लिये प्राधिकृत किया गया समझा जायगा।

1991–92 कतिपय बढ़ती व्यय को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से 1158,05,74,547 रुपये का दिया जाना।

3–उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से द्वितीय अनुसूची के स्तम्भ 3 व 4 में उल्लिखित धनराशियों के, जिनका कुल योग 1158,05,74,547 रुपये (रुपये एक हजार एक सौ अट्ठावन करोड़ पांच लाख चौहत्तर हजार पांच सौ सैंतालीस मात्र) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिये जो दिनांक 31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित सेवाओं से सम्बन्धित परिव्ययों पर, उन सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिये स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दिये और काम में लाये जाने के लिये प्राधिकृत किया गया समझा जायगा।

1992–93 कतिपय बढ़ती व्यय को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से 1797,15,88,491 रुपये का दिया जाना।

4–उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से तृतीय अनुसूची के स्तम्भ 3 व 4 में उल्लिखित धनराशियों के, जिनका कुल योग 1797,15,88,491 रुपये (रुपये एक हजार सात सौ सत्तानवे करोड़ पन्द्रह लाख अट्ठासी हजार चार सौ इक्यानवे मात्र) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिये जो दिनांक 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित सेवाओं से सम्बन्धित परिव्ययों पर, उन सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिये स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दिये और काम में लाये जाने के लिये प्राधिकृत किया गया समझा जायगा।

1993–94 कतिपय बढ़ती व्यय को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से 923,96,799 रुपये का दिया जाना।

5–उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से चतुर्थ अनुसूची के स्तम्भ 3 व 4 में उल्लिखित धनराशियों के, जिनका कुल योग 923,96,799 रुपये (रुपये नौ सौ तेईस करोड़ छियानवे लाख सैंतालीस हजार सात सौ निन्यानवे मात्र) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिये जो दिनांक 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित सेवाओं से सम्बन्धित परिव्ययों पर, उन सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिये स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दिये और काम में लाये जाने के लिये प्राधिकृत किया गया समझा जायगा।

1994–95 कतिपय बढ़ती व्यय को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से 2010,86,26,543 रुपये का दिया जाना।

6–उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से पाँचवीं अनुसूची के स्तम्भ 3 व 4 में उल्लिखित धनराशियों के, जिनका कुल योग 2010,86,26,543 रुपये (रुपये दो हजार दस करोड़ छियासी लाख छब्बीस हजार पांच सौ तैंतालीस मात्र) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिये जो दिनांक 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित सेवाओं से सम्बन्धित परिव्ययों पर, उन सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिये स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दिये और काम में लाये जाने के लिये प्राधिकृत किया गया समझा जायगा।

1995–96 कतिपय बढ़ती व्यय को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से 621,42,88,898 रुपये का दिया जाना।

7–उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से छठवीं अनुसूची के स्तम्भ 3 व 4 में उल्लिखित धनराशियों के, जिनका कुल योग 621,42,,88,898 रुपये (रुपये छः सौ इक्कीस करोड़ बयालीस लाख अट्ठासी हजार आठ सौ अट्ठानवे मात्र) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिये जो दिनांक 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित सेवाओं से सम्बन्धित परिव्ययों पर, उन सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिये स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दिये और काम में लाये जाने के लिये प्राधिकृत किया गया समझा जायगा।

1996–97 के कतिपय बढ़ती व्यय को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से 711,81,86,962 रुपये का दिया जाना।

8–उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से सातवी अनुसूची के स्तम्भ 3 व 4 में उल्लिखित धनराशियों के, जिनका कुल योग 711,81,86,962 रुपये (रुपये सात सौ ग्यारह करोड़ इक्यासी लाख छियासी हजार नौ सौ बासठ मात्र) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिये जो दिनांक 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित सेवाओं से सम्बन्धित परिव्ययों पर, उन सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिये स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दिये और काम में लाये जाने के लिये प्राधिकृत किया गया समझा जायगा।

9–उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से आठवीं अनुसूची के स्तम्भ 3 व 4 में उल्लिखित धनराशियों के, जिनका कुल योग 590,21,40,309 रुपये (रुपये पाँच सौ नब्बे करोड़ इक्कीस लाख चालीस हजार तीन सौ नौ मात्र) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिये जो दिनांक 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित सेवाओं से सम्बन्धित परिव्ययों पर, उन सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिये स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दिये और काम में लाये जाने के लिये प्राधिकृत किया गया समझा जायगा।

1997–98 के कतिपय बढ़ती व्यय को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से 590,21,40,309 रुपये का दिया जाना।

10–उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से नवीं अनुसूची के स्तम्भ 3 व 4 में उल्लिखित धनराशियों के, जिनका कुल योग 730,56,32,325 रुपये (रुपये सात सौ तीस करोड़ छप्पन लाख बत्तीस हजार तीन सौ पच्चीस मात्र) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिये जो दिनांक 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित सेवाओं से सम्बन्धित परिव्ययों पर, उन सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिये स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दिये और काम में लाये जाने के लिये प्राधिकृत किया गया समझा जायगा।

1998–99 के कतिपय बढ़ती व्यय को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से 730,56,32,325 रुपये का दिया जाना।

11–उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से दसवीं अनुसूची के स्तम्भ 3 व 4 में उल्लिखित धनराशियों के, जिनका कुल योग 8785,94,77,261 रुपये (रुपये आठ हजार सात सौ पचासी करोड़ चौरानवे लाख सतहत्तर हजार दो सौ इकसठ मात्र) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिये जो दिनांक 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित सेवाओं से सम्बन्धित परिव्ययों पर, उन सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिये स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दिये और काम में लाये जाने के लिये प्राधिकृत किया गया समझा जायगा।

1999–2000 के कतिपय बढ़ती व्यय को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से 8785,94,77,261 रुपये का दिया जाना।

12–उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से ग्यारहवीं अनुसूची के स्तम्भ 3 व 4 में उल्लिखित धनराशियों के, जिनका कुल योग 843,86,74,693 रुपये (रुपये आठ सौ तैंतालीस करोड़ छियासी लाख चौहत्तर हजार छः सौ तिरानवे मात्र) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिये जो दिनांक 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित सेवाओं से सम्बन्धित परिव्ययों पर, उन सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिये स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दिये और काम में लाये जाने के लिये प्राधिकृत किया गया समझा जायगा।

2000–01 के कतिपय बढ़ती व्यय को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से 843,86,74,693 रुपये का दिया जाना।

13–उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से बारहवीं अनुसूची के स्तम्भ 3 व 4 में उल्लिखित धनराशियों के, जिनका कुल योग 668,62,12,912 रुपये (रुपये छः सौ अड़सठ करोड़ बासठ लाख बारह हजार नौ सौ बारह मात्र) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिये जो दिनांक 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित सेवाओं से सम्बन्धित परिव्ययों पर, उन सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिये स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दिये और काम में लाये जाने के लिये प्राधिकृत किया गया समझा जायगा।

2001–02 के कतिपय बढ़ती व्यय को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से 668,62,12,912 रुपये का दिया जाना।

2002–03 के कतिपय बढ़ती व्यय को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से 5532,40,00,000 रुपये का दिया जाना।

14–उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से तेरहवीं अनुसूची के स्तम्भ 3 व 4 में उल्लिखित धनराशियों के, जिनका कुल योग 5532,40,00,000 रुपये (रुपये पाँच हजार पाँच सौ बत्तीस करोड़ चालीस लाख मात्र) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिये जो दिनांक 31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित सेवाओं से सम्बन्धित परिव्ययों पर, उन सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिये स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दिये और काम में लाये जाने के लिये प्राधिकृत किया गया समझा जायगा।

2003–04 के कतिपय बढ़ती व्यय को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से 3644,99,00,000 रुपये का दिया जाना।

15–उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से चौदहवीं अनुसूची के स्तम्भ 3 व 4 में उल्लिखित धनराशियों के, जिनका कुल योग 3644,99,00,000 रुपये (रुपये तीन हजार छः सौ चौवालीस करोड़ निन्यानवे लाख मात्र) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिये जो दिनांक 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित सेवाओं से सम्बन्धित परिव्ययों पर, उन सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिये स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दिये और काम में लाये जाने के लिये प्राधिकृत किया गया समझा जायगा।

2004–05 के कतिपय बढ़ती व्यय को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से 1899,33,,00,000 रुपये का दिया जाना।

16–उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से पन्द्रहवीं अनुसूची के स्तम्भ 3 व 4 में उल्लिखित धनराशियों के, जिनका कुल योग 1899,33,00,000 रुपये (रुपये एक हजार आठ सौ नियान्नवे करोड़ तैंतीस लाख मात्र) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिये जो दिनांक 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित सेवाओं से सम्बन्धित परिव्ययों पर, उन सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिये स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दिये और काम में लाये जाने के लिये प्राधिकृत किया गया समझा जायगा।

विनियोग

17–इस अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों के दिये और काम में लाये जाने प्राधिकार दिया गया समझा गया है, उन धनराशियों का विनियोग

(क) दिनांक 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में के सम्बन्ध में प्रथम अनुसूची में;

(ख) दिनांक 31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में के सम्बन्ध में द्वितीय अनुसूची में;

(ग) दिनांक 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में के सम्बन्ध में तृतीय अनुसूची में;

(घ) दिनांक 31 मार्च, 1994 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में के सम्बन्ध में चतुर्थ अनुसूची में;

(च) दिनांक 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में के सम्बन्ध में पांचवीं अनुसूची में;

(छ:) दिनांक 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में के सम्बन्ध में छठी अनुसूची में

(ज) दिनांक 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में के सम्बन्ध में सातवीं अनुसूची में;

(झ) दिनांक 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में के सम्बन्ध में आठवीं अनुसूची में;

(ट) दिनांक 31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में के सम्बन्ध में नवीं अनुसूची में;

(ठ) दिनांक 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में के सम्बन्ध में दसवीं अनुसूची में;

(ड) दिनांक 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में के सम्बन्ध में ग्यारहवीं अनुसूची में;

(ढ) दिनांक 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में के सम्बन्ध में बारहवीं अनुसूची में;

(त) दिनांक 31 मार्च, 2003 समाप्त हुए वित्तीय वर्ष मे के सम्बन्ध में तेरहवीं अनुसूची में;

(थ) दिनांक 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में के सम्बन्ध में चौदहवीं अनुसूची में;

(द) दिनांक 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में के सम्बन्ध में पन्द्रहवीं अनुसूची में:

उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायेगा और किया गया समझा जायेगा।

प्रथम अनुसूची

(धारायें 2 और 17 देखें)

(रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवा तथा प्रयोजन		बढती		
			स्वीकृत मांग	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3 + 4)
1	2		3	4	5
01	आबकारी विभाग	राजस्व :	1415150	...	1415150
		पूंजी :	...	...	...
02	आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास)	राजस्व :	...	*2096839*	2096839
		पूंजी :	...	...	...
04	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व :	1341949	...	1341949
		पूंजी :	...	...	...
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व :	...	*69897540*	69897540
		पूंजी :	...	...	...

(रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवा तथा प्रयोजन		बढ़ती		
			स्वीकृत मांग	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3 + 4)
1	2		3	4	5
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	...	*125*	125
		पूंजी :	...	*455165*	455165
10	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	2393671	...	2393671
		पूंजी :	...	...	...
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)	राजस्व :	30914031	...	30914031
		पूंजी :	...	...	...
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व :	167020350	...	167020350
		पूंजी :	...	...	...
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व :	89795354	...	89795354
		पूंजी :	...	...	...
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्ध शाला विकास)	राजस्व :	...	–	...
		पूंजी :	362	...	362
21	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व :	–	*6039327*	6039327
		पूंजी :	...	...	...
22	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	64656353	...	64656353
		पूंजी :	...	...	...
24	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व :	36358828	...	36358828
		पूंजी :	...	...	...
26	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व :	6751775	...	6751775
		पूंजी :	...	...	...
27	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	1263637521	...	1263637521
		पूंजी :	...	...	...
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	390726677	...	390726677
		पूंजी :	...	...	...
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व :	91461856	...	91461856
		पूंजी :	...	...	...
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	20800239	...	20800239
		पूंजी :	...	...	...
35	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण	राजस्व :	107597075	...	107597075
		पूंजी :	...	...	...
36	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	365014730	...	365014730
		पूंजी :	...	...	...

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवा तथा प्रयोजन		बढ़ती		
			स्वीकृत मांग	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3 + 4)
1	2		3	4	5
37	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व :	173022711	...	173022711
		पूंजी :	...	...	...
42	न्याय विभाग	राजस्व :	244602335	*20275335*	264877670
		पूंजी :	90693757	...	90693757
43	परिवहन विभाग	राजस्व :	10783932	...	10783932
		पूंजी :	8280700	...	8280700
47	पर्वतीय विकास विभाग	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	391902845	...	391902845
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	372572808	...	372572808
		पूंजी :	...	*812570*	812570
55	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	...	*16681853053*	16681853053
56	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशने)	राजस्व :	24520906	...	24520906
		पूंजी :	...	...	...
57	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व :	20453725	...	20453725
		पूंजी :	...	...	...
59	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	3232178	...	3232178
60	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व :	...	*54645465*	54645465
		पूंजी :	...	...	...
62	विधान सभा सचिवालय	राजस्व :	...	*211277*	211277
		पूंजी :	...	...	...
63	विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)	राजस्व :	1231099	...	1231009
		पूंजी :	...	...	...
65	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व :	...	*85041532*	85041532
		पूंजी :	...	...	...
67	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	...	*14915000*	14915000
		पूंजी :	...	...	...
72	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	279947884	...	279947884
		पूंजी :	...	...	...

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवा तथा प्रयोजन		बढ़ती		
			स्वीकृत मांग	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3 + 4)
1	2		3	4	5
73	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व :	10979585	...	10979585
		पूंजी :	521591331	...	521591331
74	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)	राजस्व :	5298921	...	5298921
		पूंजी :	...	...	...
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	राजस्व :	611718	...	611718
		पूंजी :	...	...	...
76	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व :	295216910	...	295216910
		पूंजी :	154195376	...	154195376
77	सार्वजनिक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व :	362663	...	362663
		पूंजी :	...	...	...
78	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	767419233	...	767419233
		पूंजी :	...	...	...
79	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	1326789951	...	1326789951
81	संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)	राजस्व :	47902739	...	47902739
		पूंजी :	...	...	...
82	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व :	131536301	...	131536301
		पूंजी :	...	...	...
83	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व :	14967177	...	14967177
		पूंजी :	...	...	...
84	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	2371825	...	2371825
		पूंजी :	...	...	...
93	हरिजन एवं समाज एवं कल्याण विभाग (समाज कल्याण)	राजस्व :	32331983	...	32331983
		पूंजी :	...	...	...
	योग	राजस्व :	5076020014	*253122440*	5329142454
		पूंजी :	2496686500	*16683120788*	19179807288
	महायोग :		7572706514	*16936243228*	24508949742

उत्तर प्रदेश विधान सभा

द्वितीय अनुसूची

(धारा 3 और 17 देखिये)

(रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवा तथा प्रयोजन		बढ़ती		
			स्वीकृत मांग	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3 + 4)
1	2		3	4	5
01	आबकारी विभाग	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	11000000	...	11000000
02	आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास)	राजस्व :	...	*22081297*	22081297
		पूंजी :	...	...	...
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	...	*1241656*	1241656
		पूंजी :	...	...	...
08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन-सामग्री)	राजस्व :	60143271	...	60143271
		पूंजी :	12310400	...	12310400
10	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	918881523	...	918881523
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं विकास)	राजस्व :	...	*25521*	25521
		पूंजी :	...	...	...
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	10668858	...	10668858
22	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	20998324	...	20998324
		पूंजी	...	...	...
23	खेल विभाग	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	519000	...	519000
27	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	5819000	...	5819000
29	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व :	8577997	...	8577997
		पूंजी :	...	...	...
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	13263843	...	13263843
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व :	26299362	...	26299362
		पूंजी :	...	...	...
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	15909630	...	15909630...
		पूंजी :	...	...	
35	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	9030074	...	9030074

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवा तथा प्रयोजन		बढ़ती		
			स्वीकृत मांग	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3 + 4)
1	2		3	4	5
36	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	28239269	...	28239269
		पूंजी :	...	...	...
37	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व :	105676678	...	105676678
		पूंजी :	...	...	...
40	नियोजन विभाग	राजस्व :	...	62034376	62034376
		पूंजी :	...	...	...
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व :	11636570	...	11636570
		पूंजी :	...	..	...
42	न्याय विभाग	राजस्व :	51474211	...	51474211
		पूंजी :	...	...	...
44	पर्यटन विभाग	राजस्व :	2283466	...	2283466
		पूंजी :	...	...	...
47	पर्वतीय विकास विभाग	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	113346748	...	113346748
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	...	..	...
		पूंजी :	132727000	9324103	142051103
55	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	...	53287153	53287153
		पूंजी :	...	5586760993	5586760993
56	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व :	616224899	...	616224899
		पूंजी :	...	...	...
59	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	...	6699696	6699696
		पूंजी :	...	...	...
63	विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	7145131	...	7145131
65	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व :	...	24529908	24529908
		पूंजी :	...	...	...
66	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	133393996	...	133393996
		पूंजी :	...	...	...
67	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	...	69064000	69064000
		पूंजी :	...	...	...
71	श्रम विभाग (सेवा योजन)	राजस्व :	4939979	..	4939979
		पूंजी :	...	...	...

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवा तथा प्रयोजन		बढ़ती		
			स्वीकृत मांग	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3 + 4)
1	2		3	4	5
72	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	177305666	...	177305666
		पूंजी :	...	...	...
73	लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व :	60311077	...	60311077
		पूंजी :	595528050	...	595528050
74	लोक निर्माण विभाग (आवास भवन)	राजस्व :	2521247	*331778*	2853025
		पूंजी :	...	...	...
75	लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	राजस्व :	400589	...	400589
		पूंजी :	...	...	...
76	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व :	1609333435	...	1609333435
		पूंजी :	207651105	...	207651105
78	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	662330203	...	662330203
		पूंजी :	...	...	...
79	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	984766845	...	984766845
81	संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)	राजस्व :	18753246	...	18753246
		पूंजी :	...	...	...
82	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व :	117896096	...	117896096
		पूंजी :	...	...	...
83	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व :	174913980	...	174913980
		पूंजी :	...	...	...
84	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	8681045	...	8681045
		पूंजी :	...	...	...
85	सतर्कता विभाग	राजस्व :	2533500	...	2533500
		पूंजी :	...	...	...
86	सहायता एवं पुनर्वासन विभाग	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	7110943	...	7110943
88	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व :	3064676	...	3064676
		पूंजी :	...	...	...
89	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व :	...	*3067796*	3067796
		पूंजी :	...	...	...
90	सूचना विभाग	राजस्व :	11186142	...	11186142
		पूंजी :	...	...	...

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवा तथा प्रयोजन		बढ़ती		
			स्वीकृत मांग	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3 + 4)
1	2		3	4	5
92	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (हरिजन कल्याण)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	7019340	...	7019340
93	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण)	राजस्व :	84881052	...	84881052
		पूंजी :	...	...	...
94	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	133828804	...	133828804
		पूंजी :	...	...	...
	योग	राजस्व :	2705338410	*242363181*	2947701591
		पूंजी :	3036787860	*5596085096*	8632872956
	महायोग :		5742126270	*5838448277*	11580574547

उत्तर प्रदेश विधान सभा

तृतीय अनुसूची

(धारा 4 और 17 देखिये)

(रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवा तथा प्रयोजन		बढ़ती		
			स्वीकृत मांग	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3 + 4)
1	2		3	4	5
01	आबकारी विभाग	राजस्व :	26610548	...	26610548
		पूंजी :	...	...	...
02	आवास विभाग	राजस्व :	...	9744043	9744043
		पूंजी :	...	...	...
03	उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	912000	...	912000
08	उद्योग विभाग (लेखन-सामग्री और मुद्रण)	राजस्व	52936104	...	52936104
		पूंजी :	...	...	...
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व	1090656	...	1090656
		पूंजी :	...	...	...
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)	राजस्व	288548865	...	288548865
		पूंजी :	...	...	...
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	96165690	...	96165690
		पूंजी :	...	...	...
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास)	राजस्व :	75586543	...	75586543
		पूंजी :	12757882	...	12757882
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व :	1384376714	...	1384376714
		पूंजी :	201679611	...	201679611
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	11436721	...	11436721
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्ध शाला विकास)	राजस्व :	...	...	5978804
		पूंजी :	12686500	...	12686500
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	158721450	...	158721450
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	7409422	...	7409422
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	130603271	...	130603271
		पूंजी	1530167891	...	1530167891
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व :	8110500	...	8110500
		पूंजी :	....	...	....
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व :	140692593	3907671	144600264
		पूंजी :	....	200	200

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवा तथा प्रयोजन		बढ़ती		
			स्वीकृत मांग	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3 + 4)
1	2		3	4	5
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व :	75109574		75109574
		पूंजी :	...		...
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	...	*5818034*	*5818034*
		पूंजी :	...	...	...
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	6096000	...	6096000
28	गृह विभाग (राजनीतिक पेंशन तथा अन्य व्यय	राजस्व :	...	*5538219*	5538219
		पूंजी :	...	...	
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	12326724	...	12326724
		पूंजी :	10000000	...	10000000
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व :	188610893	...	188610893
		पूंजी :	...	...	...
37	नगर विकास विभाग	राजस्व :	61994803	*4162074*	66156877
		पूंजी :	...	...	...
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व :	13259024	...	13259024
		पूंजी :	574846		574846
39	भाषा विभाग	राजस्व :	332561577	...	332561577
		पूंजी :	...		...
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व :	52228035	...	52228035
		पूंजी :	...		...
42	न्याय विभाग	राजस्व :	4827207	*15256193*	20083400
		पूंजी :	...		...
43	परिवहन विभाग	राजस्व :	3615048	...	3615048
		पूंजी :			
44	पर्यटन विभाग	राजस्व :	1114043	...	1114043
		पूंजी :	...	...	...
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	...	*3761008*	3761008
		पूंजी :	...	...	...
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	146591290	...	146591290
		पूंजी :		...	...
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व :	1096061	...	1096061
		पूंजी :	...	...	
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व :	18161307	...	18161307
		पूंजी :	18094552	...	18094552

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवा तथा प्रयोजन		बढ़ती		
			स्वीकृत मांग	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3 + 4)
1	2		3	4	5
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व :	70816457	...	70816451
		पूंजी :	....	...	
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व :	406375096	...	406375096
		पूंजी :	...	23	23
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	332495107	*79204471*	411699578
		पूंजी :	...	*32782878*	32782878
55	लोक निर्माण विभाग (आनावासिक भवन)	राजस्व :	....	*2402601*	2402601
		पूंजी :	650173378	650173378	650173378
56	लोक निर्माण विभाग (आवास भवन)	राजस्व .	7309418	...	7309418
		पूंजी :	....	...	....
57	लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	राजस्व :	543464	...	543464
		पूंजी :	...	...	...
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	532624299	...	532624299
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व :	2397999816	...	2397999816
		पूंजी :	...	...	...
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	545000	...	545000
64	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व :	34062881	...	34062881
		पूंजी :	...	...	...
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	राजस्व :	...	*74052588*	*74052588*
		पूंजी :	...	..	...
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व :	...	*40749907*	*40749907*
		पूंजी :	...	...	...
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व :	593797	*409070*	1002867
		पूंजी :	...	...	....
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	3151258757	*240419150*	3391677907...
		पूंजी :	...	...	
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	1062255826	...	1062255826
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व :	93120065	...	93120065
		पूंजी :	22642637	...	22642637
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	...	*507264093*	*507264093*
		पूंजी :	...		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवा तथा प्रयोजन		बढ़ती		
			स्वीकृत मांग	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3 + 4)
1	2		3	4	5
80	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जाति)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	37710746	...	37710746
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	85494925	...	85494925
		पूंजी :	...	...	...
83	सहायता एवं पुनर्वासन विभाग	राजस्व :	106420	...	106420
		पूंजी :	...	...	...
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व :	4589817	...	4589817
		पूंजी :	...	...	...
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व :	15004973	...	15004973
		पूंजी :	...	...	...
88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व :	...	*4682309*	*4682309*
		पूंजी	....	...	...
89	संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री कर)	राजस्व :	5934170	...	5934170
		पूंजी :	...	...	...
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व :	16143614	...	16143614
		पूंजी :	...	...	...
93	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	1369080617	...	1369080617
		पूंजी :	..		...
94	सिंचाई विभाग, निर्माण कार्य	राजस्व :	...	*10531888*	*10531888*
		पूंजी	1760260612	..	1760260612
95	उत्तरांचल विकास विभाग	राजस्व :	106472	...	1064724
		पूंजी :	735962706	...	735962706
	योग	राजस्व :	11108211188	*1013882123*	12122093311
		पूंजी :	5816712079	*32783101*	5849495180
	महायोग :		16924923267	*1046665224*	17971588491

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चतुर्थ अनुसूची

(धारा 5 और 17 देखिये)

(रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवा तथा प्रयोजन		बढ़ती		
			स्वीकृत मांग	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3 + 4)
1	2		3	4	5
04	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	58590100	...	58590100
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	...	*69908903*	69908903
		पूंजी :	...	...	...
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)	राजस्व :	13546883	...	13546883
		पूंजी :	...	...	...
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	95302167	...	95302167
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व :	39251601	...	39251601
		पूंजी :	42244041	...	42244041
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्ध शाला विकास)	राजस्व :	52709578	...	52709578
		पूंजी :	22202875	...	22202875
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मतस्य)	राजस्व :	16158082	...	16158082
		पूंजी :	23692	...	23692
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व :	24540227	...	24540227
		पूंजी :	290959241	*57230110*	348189351
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व :	...	*8786495*	8786495
		पूंजी :	...	...	...
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	167823507	...	167823507
22	खेल विभाग	राजस्व :	17552670	...	17552670
		पूंजी	...	...	...
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व :	28549211	...	28549211
		पूंजी :	...	*200*	200
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व :	30978874	...	30978874
		पूंजी :	...	...	...
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	51207511	*1*	51207512
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व :	525957	...	525957
		पूंजी :	...	...	...
28	गृह विभाग (राजनीतिक पेंशन तथा अन्य व्यय	राजस्व :	1120500791	*2444547*	122945338
		पूंजी :	...	...	...

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवा तथा प्रयोजन		बढ़ती		
			स्वीकृत मांग	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3 + 4)
1	2		3	4	5
29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व :	10000	*496909*	506909
		पूंजी :	...	...	...
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	34805586	...	34805586
		पूंजी :	...	...	...
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व :	54028805	...	54028805
		पूंजी :	573000	...	573000
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	47661787	...	47661787
		पूंजी :	...	...	...
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	643337032	...	643337032
		पूंजी :	...	...	...
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व :	167854289	...	167854289
		पूंजी :	...	...	...
37	नगर विकास विभाग	राजस्व :	677053733	*4389080.*	681442813
		पूंजी :	...	...	...
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	12072000	...	12072000
40	नियोजन विभाग	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	14075018	...	14075018
42	न्याय विभाग	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	...	*2473458*	2473458
43	परिवहन विभाग	राजस्व :	564350	...	564350
		पूंजी :	49999000	...	49999000
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व :	...	*4181827*	4181827
		पूंजी :	...	...	...
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	...	*12028050*	12028050
		पूंजी :	...	...	...
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व :	103616462	...	103616462
		पूंजी :	97396523	...	97396523
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	166275015	*4476462*	170751477
		पूंजी :	...	*46350316*	46350316
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व :	2863711	...	2863711
		पूंजी :	...	...	...
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	7028021	..	7028021
		पूंजी :	...	...	...

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवा तथा प्रयोजन		बढ़ती		
			स्वीकृत मांग	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3 + 4)
1	2		3	4	5
55	लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व :	25315828	...	25315828
		पूंजी :	549979052	...	549979052
56	लोक निर्माण विभाग (आवास भवन)	राजस्व :	7079822	...	7079822
		पूंजी :	...	...	...
57	लोक निर्माण विभाग (कार्यात्क भवन)	राजस्व :	51399	...	51399
		पूंजी :	...	...	...
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व :	72060918	434897	72495815
		पूंजी :	569535548	...	569535548
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	...	*1397208109*	1397208109
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	राजस्व :	...	*5174462*	5174462
		पूंजी :	...	...	...
69	विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	1674259	...	1674259
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व :	681669541	...	681669541
		पूंजी :	...	...	...
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	424879715	...	424879715
		पूंजी :	14520215	...	14520215
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	...	*272205207*	272205207
		पूंजी :	...	...	...
80	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं और पिछड़े वर्गों का कल्याण)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	11216145	...	11216145
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	126801552	...	126801552
		पूंजी :	...	...	...
83	सहायता एवं पुनर्वासन विभाग	राजस्व :	3215789	...	3215789
		पूंजी :	...	...	...
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व :	1237766	...	1237766
		पूंजी :	...	...	...
88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व :	...	*5088371*	5088371
		पूंजी	...	...	...
89	संस्थागत वित्त विभाग (बिक्री कर)	राजस्व :	15539610	...	15539610
		पूंजी	...	...	...
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं	राजस्व :	138183461	...	138183461

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवा तथा प्रयोजन		बढ़ती		
			स्वीकृत मांग	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3 + 4)
1	2		3	4	5
	पंजीकरण)	पूंजी :	...	...	...
93	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	1301148585	...	1301148585
		पूंजी :	...	...	...
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	257203450	...	257203450
95	उत्तरांचल विकास विभाग	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी	...	*1626400*	1626400
	योग	राजस्व :	5038146651	*390015210*	5428161861
		पूंजी :	2306597344	*1504888594*	3811485938
	महायोग :		7344743995	*1894903804*	9239647799

**भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम संख्या।*

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पांचवी अनुसूची

(धारा 6 और 17 देखिये)

(रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवा तथा प्रयोजन		बढ़ती		
			स्वीकृत मांग	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3 + 4)
1	2		3	4	5
01	आबकारी विभाग	राजस्व :	943667	*20000*	963667
		पूंजी :	...	...	...
03	उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	29000000	...	29000000
05	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	राजस्व :	11207827	...	11207827
		पूंजी :	...	...	...
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	166627	...	166627
		पूंजी :	11358988050	...	11358988050
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)	राजस्व :	23771585	...	23771585
		पूंजी :	...	...	...
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	12607664	...	12607664
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	601745384	...	601745384
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	6410499	...	6410499
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	2358000	...	2358000
22	खेल विभाग	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी	2400600	...	2400600
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व :	27787819	...	27787819
		पूंजी :	...	...	...
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व :	...	*33073964*	33073964
		पूंजी :	...	...	...
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व :	22127588	...	22127588
		पूंजी :	4646300	...	4646300
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	120052572	*1*	120052573
*29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व :	...	*92917*	92917
		पूंजी :	...	...	...
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	515459653	...	515459653
		पूंजी :	...	...	...

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवा तथा प्रयोजन		बढ़ती		
			स्वीकृत मांग	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3 + 4)
1	2		3	4	5
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व :	365240242	...	365240242
		पूंजी :	...	...	...
42	न्याय विभाग	राजस्व :	...	*11962087*	11962087
		पूंजी :	3775118	...	3775118
44	पर्यटन विभाग	राजस्व :	1823613	...	1823613
		पूंजी :	...	...	...
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व :	2796581	...	2796581
		पूंजी :	...	...	...
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व :	109048599	...	109048599
		पूंजी :	...	...	...
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व :	249445481	...	249445481
		पूंजी :	...	...	...
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	88690205	...	88690205
		पूंजी :	....	*6842388*	6842388
55	लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	863425091	...	863425091
56	लोक निर्माण विभाग (आवास भवन)	राजस्व :	9284257	...	9284257
		पूंजी :	...	...	...
57	लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	राजस्व :	1239825	...	1239825
		पूंजी :	6437767	...	6437767
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व :	143895856	...	143895856
		पूंजी :	706454180	*72*	706454252
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व :	782	...	782
		पूंजी :	...	...	...
60	वन विभाग	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	1058150	...	1058150
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	...	*1950503329*	19505003329
		पूंजी :	...	...	...
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व :	82191636	...	82191636
		पूंजी :	...	...	...
64	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व :	3464708	...	3464708
		पूंजी :	...	...	...
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व :	1729091	...	1729091
		पूंजी :	...	...	...

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवा तथा प्रयोजन		बढ़ती		
			स्वीकृत मांग	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3 + 4)
1	2		3	4	5
69	विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	462170	...	462170
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व :	203433736	...	203433736
		पूंजी :	...	...	...
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	3100000	...	3100000
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	400015738	...	400015738
		पूंजी :	...	...	...
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	3343901	...	3343901
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	78565105	...	78565105
		पूंजी :	...	...	...
80	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	19828000	...	19828000
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	340070425	...	340070425
		पूंजी :	...	...	...
83	सहायता एवं पुनर्वासन विभाग	राजस्व :	6268157	...	6268157
		पूंजी :	...	...	...
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व :	57828	...	57828
		पूंजी :	...	...	...
90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व :	46532567	...	46532567
		पूंजी :	...	...	...
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व :	15173544	...	15173544
		पूंजी :	...	...	...
93	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	1056186604	...	1056186604
		पूंजी :	...	...	...
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	293930409	...	293930409
95	उत्तराखण्ड विकास विभाग	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी	21761884	...	21761884
	योग	राजस्व :	3806619346	*1995652297*	5802271643
		पूंजी :	14299512439	*6842461*	14306354900
	महायोग :		18106131785	*2002494758*	20108626543

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम संख्या।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

छठी अनुसूची

(धारा 7 और 17 देखिये)

(रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवा तथा प्रयोजन		बढ़ती		
			स्वीकृत मांग	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3 + 4)
1	2		3	4	5
02	आवास विभाग	राजस्व :	25213683	...	25213683
		पूंजी :	...	*4394720*	4394720
05	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	राजस्व :	...	...	....
		पूंजी :	739095	370	739465
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	...	...	....
		पूंजी :	152229891	...	152229891
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	394004	...	394004
		पूंजी :	...	...	...
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	209475148	...	209475148
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व :	188854133	...	188854133
		पूंजी :	...	...	...
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व :	434593	...	434593
		पूंजी :	....	...	....
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व :	....	...	....
		पूंजी :	....	16130900	16130900
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	....	*196000*	196000
		पूंजी :	....	*1.*	1
*29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व :	...	*1284533*	1284533
		पूंजी :	...	...	....
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व :	....	...	....
		पूंजी :	14873500	...	14873500
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व :	10026984	...	10026984
		पूंजी :	...	...	...
42	न्याय विभाग	राजस्व :	....	*57553781*	57553781
		पूंजी :	....	...	....
43	परिवहन विभाग	राजस्व :	7379023	...	7379023
		पूंजी :	...	...	....
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	30973783	...	30973783
		पूंजी :	....	...	....
48	मुस्लिम कल्याण विभाग	राजस्व :	1072985	...	1072985
		पूंजी :	....	...	....

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवा तथा प्रयोजन		बढ़ती		
			स्वीकृत मांग	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3 + 4)
1	2		3	4	5
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व :	....	...	....
		पूंजी :	3978730	...	3978730
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	220868840	...	220868840
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	...	...	....
		पूंजी :	...	*15987372*	15987372
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व :	....	...	....
		पूंजी :	17750	...	17750
55	लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व :	31301214	...	31301214
		पूंजी :	836960714	...	836960714
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व :	184633597	...	184633597
		पूंजी :	588421520	...	588421520
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व :	....	...	....
		पूंजी :	8148371	...	8148371
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व :	287646268	...	287646268
		पूंजी :	....	...	....
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व :	14004201	...	14004201
		पूंजी :	...	...	...
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व :	347963477	...	347963477
		पूंजी :	...	...	...
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व :	...	*54910416.*	54910416
		पूंजी :	...	...	....
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	....	*343666919*	343666919
		पूंजी :	9752600	...	9752600
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	....	*25370514*	25370514
		पूंजी :	....	...	....
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व :	8608967	...	8608967
		पूंजी :	....	...	....
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	94817215	...	94817215
		पूंजी :	....	...	....
83	सहायता एवं पुनर्वासन विभाग	राजस्व :	11875154	...	11875154
		पूंजी :	....	...	....
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व :	631906	...	631906
		पूंजी :	...	...	...

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवा तथा प्रयोजन		बढ़ती		
			स्वीकृत मांग	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3 + 4)
1	2		3	4	5
93	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	1040942817	....	1040942817
		पूंजी :	....	....	....
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व :	276067813	....	276067813
		पूंजी :	1084598461	....	1084598461
95	उत्तराखण्ड विकास विभाग	राजस्व :	....	*1886935*	*1886935*
		पूंजी :	....	....	....
		योग राजस्व :	2562841817	*484869098*	3047710915
		पूंजी :	3130064620	*36513363*	3166577983
		महायोग :	5692906437	*521382461*	6214288898

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सातवीं अनुसूची

(धारायें 8 और 17 देखें)

(रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवा तथा प्रयोजन		बढ़ती		
			स्वीकृत मांग	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3 + 4)
1	2		3	4	5
02	आवास विभाग	राजस्व :	70695427	...	70695427
		पूंजी :	...	...	...
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	...	1.	1.
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	424408	...	424408
		पूंजी :	...	...	...
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	240646458	...	240646458
		पूंजी :	...	...	...
39	भाषा विभाग	राजस्व :	33967135	...	33967135
		पूंजी :	...	...	...
40	नियोजन विभाग	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	140985181	...	140985181
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व :	238301809	...	238301809
		पूंजी :	...	101359	101359
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	...	7740491	7740491
55	लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	1185899323	...	1185899323
56	लोक निर्माण विभाग (आवासीय भवन)	राजस्व :	8089271	...	8089271
		पूंजी :	...	...	...
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	राजस्व :	123172622	...	123172622
		पूंजी :	1311380270	...	1311380270
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व :	19438039	...	19438039
		पूंजी :	...	...	...
60	वन विभाग	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	624365	...	624365
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व :	381579329	...	381579329
		पूंजी :	...	...	...
64	राज्य लाटरी	राजस्व :	7245913	...	7245913
		पूंजी :	...	...	...
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	5000000	...	5000000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व :	353712289	...	353712289
		पूंजी :	...	...	...
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	5091000	...	5091000
83	सहायता एवं पुनर्वासन विभाग	राजस्व :	5349854	...	5349854
		पूंजी :	...	...	...
93	सिंचाई विभाग अधिष्ठान	राजस्व :	139360702	...	139360702
		पूंजी :	...	...	...
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व :	2260830597	...	2260830597
		पूंजी :	425941985	...	425941985
95	उत्तराखण्ड विकास विभाग	राजस्व :	...	*627015*	...
		पूंजी :	151982119	...	151982119
		योग राजस्व :	3882389445	*627015*	3883016460
		पूंजी :	3227328651	*7841851*	3235170502
		महायोग :	7109718096	*8468866*	7118186962

उत्तर प्रदेश विधान सभा

आठवीं अनुसूची

(धारायें 9 और 17 देखें)

(रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवा तथा प्रयोजन		बढ़ती		
			स्वीकृत मांग	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3 + 4)
1	2		3	4	5
02	आवास विभाग	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	...	*248*	248
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	14197069	...	14197069
28	गृह विभाग (राजनीतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	116569956	...	116569956
		पूंजी :	...	...	...
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	6000	...	6000
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	42902391	...	42902391
		पूंजी :	...	...	...
42	न्याय विभाग	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	183105000	...	183105000
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	...	*75105971*	*75105971*
55	लोक निर्माण विभाग अनावासिक (भवन)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	1158505808	...	1158505808
56	लोक निर्माण विभाग (आवासीय भवन)	राजस्व :	8198241	...	8198241
		पूंजी :	...	...	...
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	राजस्व :	132738675	...	132738675
		पूंजी :	...	...	...
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	...	*4034178451*	4034178451
64	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व :	536789	...	*536789*
		पूंजी :	...	...	...
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व :	355552	...	*355552*
		पूंजी :	...	...	...
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	32589590	...	32589590
		पूंजी :	...	...	...
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	88711047	...	88711047
		पूंजी :	...	...	...

उत्तर प्रदेश विधान सभा

90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व :	14439521	...	14439521
		पूंजी :	...	...	...
	योग	राजस्व :	437041762	...	437041762
		पूंजी :	1355813877	*4109284670*	5465098547
	महायोग :		1792855639	*4109284670*	5902140309

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नवीं अनुसूची

(धारा 10 और 17 देखिये)

(रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवा तथा प्रयोजन		बढ़ती		
			स्वीकृत मांग	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3 + 4)
1	2		3	4	5
1	आबकारी विभाग	राजस्व :	307584	...	307584
		पूंजी :	...	...	...
4	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व :	733175	...	733175
		पूंजी :	...	...	...
9	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	3285906	...	3285906
		पूंजी :	...	...	...
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)	राजस्व :	25508742	...	25508742
		पूंजी :	...	...	...
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	764570751	...	764570751
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व :	8973500	...	8973500
		पूंजी :	...	...	...
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	4662621	...	4662621
42	न्याय विभाग	राजस्व :	...	*10183983*	10183983
		पूंजी :	...	...	...
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	998000	...	998000
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व :	26297229	...	26297229
		पूंजी :	...	...	...
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)	राजस्व :	1704293199	...	1704293199
		पूंजी :	...	...	...
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	...	*91764081*	91764081
55	लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	1408801170	...	1408801170
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व :	489785909	...	489785909
		पूंजी :	664022306	...	664022306
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	...	*1852978106*	1852978106
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	696000	...	696000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवा तथा प्रयोजन		बढ़ती		
			स्वीकृत मांग	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3 + 4)
1	2		3	4	5
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व :	232550	*37734190*	37966740
		पूंजी :	...	...	...
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	4829716	...	4829716
		पूंजी :	...	...	...
80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	95819663	...	95819663
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	60299032	...	60299032
		पूंजी :	...	...	...
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व :	456113	...	456113
		पूंजी	...	...	...
89	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)	राजस्व :	5032876	*58000*	5090876
		पूंजी :	...	...	...
90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व :	10808179	...	10808179
		पूंजी :	...	...	...
95	उत्तरांचल विकास विभाग	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	32499744	...	32499744
	योग	राजस्व :	2340843710	*47976173*	2388819883
		पूंजी :	2972070255	*1944742187*	4916812442
	महायोग :		5312913965	*1992718360*	7305632325

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दसवीं अनुसूची

(धारा 11 और 17 देखिये)

(रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवा तथा प्रयोजन		बढ़ती		
			स्वीकृत मांग	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3 + 4)
1	2		3	4	5
4	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व :	2212348	...	2212348
		पूंजी :	...	...	...
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	1706898	...	1706898
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्व :	58416474	...	58416474
		पूंजी :	...	...	...
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व :	409436359	...	409436359
		पूंजी :	...	...	...
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	3186383533	...	3186383533
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व :	42067310	...	42067310
		पूंजी :	...	...	...
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	2850298	...	2850298
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	...	*7839164*	7839164
		पूंजी :	...	...	...
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)	राजस्व :	264913535	...	264913535
		पूंजी :	...	...	...
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	...	*8021913*	8021913
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	1514685633	...	1514685633
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	...	*82224840011*	82224840011
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	6540335	...	6540335
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व :	70201	...	70201
		पूंजी :	...	...	...
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	...	*7316247*	7316247
		पूंजी :	...	...	...
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	...	*232*	232

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवा तथा प्रयोजन		बढ़ती		
			स्वीकृत मांग	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3 + 4)
1	2		3	4	5
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	21290960	...	21290960
		पूंजी :	...	...	...
81	समाज कल्याण विभाग	राजस्व :	8009428	...	8009428
	(जनजाति कल्याण)	पूंजी :	...	...	...
89	संस्थागत वित्त विभाग	राजस्व :	...	*332000*	332000
	(व्यापार कर)	पूंजी :	...	...	...
90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन	राजस्व :	15259282	...	15259282
	तथा बाजीकर)	पूंजी :	...	...	...
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	5200000	...	5200000
	योग	राजस्व :	893760997	*15487411*	909248408
		पूंजी :	4717366697	*82232862156*	86950228853
	महायोग :		5611127694	*82248349567*	87859477261

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ग्यारहवीं अनुसूची

(धारा 12 और 17 देखिये)

(रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवा तथा प्रयोजन		बढ़ती		
			स्वीकृत मांग	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3 + 4)
1	2		3	4	5
3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	...	*573838*	573838
		पूंजी :	...	...	...
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व :	28462674	...	28462674
	(भूमि विकास एवं जल संसाधन)	पूंजी :	...	...	...
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	7156105	...	7156105
		पूंजी :	...	...	...
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	6300877	...	6300877
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व :	...	*50000*	50000
		पूंजी :	...	...	...
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	...	*161204993*	161204993
		पूंजी :	...	...	...
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	1655310914	...	1655310914
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व :	9874522	..	9874522
		पूंजी :	66500000	...	66500000
61	वित्त विभाग	राजस्व :	...	...	...
	(ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	पूंजी :	...	*839667814*	839667814
62	वित्त विभाग	राजस्व :	369089641	...	369089641
	(अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	पूंजी :	...	...	...
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	...	*11847517*	11847517
		पूंजी :	...	...	...
81	समाज कल्याण विभाग	राजस्व :	7741071	...	7741071
	(जनजाति कल्याण)	पूंजी :	...	...	...
90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व :	18512831	...	18512831
		पूंजी :	...	...	...
93	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	281978327	...	281978327
		पूंजी :	168825697	...	168825697

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवा तथा प्रयोजन		बढ़ती		
			स्वीकृत मांग	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3 + 4)
1	2		3	4	5
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व :	4805577872	...	4805577872
		पूंजी :	...	...	...
	योग	राजस्व :	5528393043	*173676348*	5702069391
		पूंजी :	1896937488	*839667814*	2736605302
	महायोग :		7425330531	*1013344162*	8438674693

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बारहवीं अनुसूची
(धारा 13 और 17 देखिये)

(रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवा तथा प्रयोजन		बढ़ती		
			स्वीकृत मांग	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3 + 4)
1	2		3	4	5
3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	...	*39257*	39257
		पूंजी :	...	...	...
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	1793646	...	1793646
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्व :	...	*80026*	80026
		पूंजी :	...	...	...
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व :	...	*3781443*	3781443
		पूंजी :	...	...	...
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व :	...	*772547*	772547
		पूंजी :	...	...	...
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग एवं लोक सेवा अधिकरण)	राजस्व :	96509210	...	96509210
		पूंजी :	...	...	...
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	142850276	*10650*	142860926
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	...	*19194182*	19194182
		पूंजी :	...	...	...
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व :	...	*68908*	68908
		पूंजी :	...	...	...
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	...	*183439*	183439
		पूंजी :	...	...	...
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	...	*19160399*	19160399
		पूंजी :	...	...	...
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व :	...	*4057117*	4057117
		पूंजी :	...	...	...
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	...	*463483*	463483
		पूंजी :	...	...	...
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व :	...	*2211543*	2211543
		पूंजी :	...	...	...
42	न्याय विभाग	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	180324000	...	*180324000*
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	...	*35705687*	35705687
		पूंजी :	...	*21342111*	21342111

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवा तथा प्रयोजन		बढ़ती		
			स्वीकृत मांग	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3 + 4)
1	2		3	4	5
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व :	...	*1337704*	1337704
		पूंजी :	1013698637	...	1013698637
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	राजस्व :	...	*306847*	*306847*
		पूंजी :	...	...	...
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	...	*12701429*	12701429
		पूंजी :	2934000	...	...
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान)	राजस्व :	...	*124706*	124706
		पूंजी :	...	...	...
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व :	...	*360476*	360476
		पूंजी :	...	...	...
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व :	...	*65432*	65432
		पूंजी :	...	...	...
80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व :	...	*4000*	4000
		पूंजी :	...	...	...
90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व :	18126165	...	18126165
		पूंजी :	...	...	...
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व :	...	*236900*	236900
		पूंजी :	...	...	...
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व :	5107768692	...	5107768692
		पूंजी :	...	...	...
	योग	राजस्व :	5222404067	*1008555525*	5323259592
		पूंजी :	1341600559	*21352761*	1362953320
	महायोग :		6564004626	*122208286*	6686212912

उत्तर प्रदेश विधान सभा

तेरहवीं अनुसूची

(धारा 14 और 17 देखिये)

(रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवा तथा प्रयोजन		बढ़ती		
			स्वीकृत मांग	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3 + 4)
1	2		3	4	5
2	आवास विभाग	राजस्व :	...	*22900000*	22900000
		पूंजी :	...	*17100000*	*17100000*
5	उद्योग विभाग (हथकरघा एवं ग्रामीण उद्योग)	राजस्व :	15600000	...	15600000
		पूंजी :	...	...	...
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (उद्यान एवं रेशम विकास)	राजस्व :	...	*200000*	200000
		पूंजी :	...	...	*4400000*
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	7340800000	...	7340800000
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व :	16100000	...	16100000
		पूंजी :	...	...	...
39	भाषा विभाग	राजस्व :	600000	...	600000
		पूंजी :	...	...	...
40	नियोजन विभाग	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	18500000	...	18500000
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व :	4800000	...	4800000
		पूंजी :	...	...	...
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	...	*3400000*	3400000
		पूंजी :	...	...	...
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व :	...	*200000*	200000
		पूंजी :	...	...	...
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व :	...	*100000*	100000
		पूंजी :	...	...	...
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)	राजस्व :	3354800000	...	3354800000
		पूंजी :	...	...	...
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	...	46000000	*46000000*
		पूंजी :	...	*3600000*	3600000
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व :	5500000	...	*5500000*
		पूंजी :	1381600000	...	1381600000
58	लोक निर्माण विभाग (संचार)	राजस्व :	108500000	...	108500000
		पूंजी :	2219400000	...	2219400000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवा तथा प्रयोजन		बढ़ती		
			स्वीकृत मांग	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3 + 4)
1	2		3	4	5
61	वित्त विभाग	राजस्व :	...	...	...
	(ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	पूंजी :	...	*34030700000*	34030700000
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व :	1020700000	...	1020700000
		पूंजी :	...	...	...
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	*23500000*	...	23500000
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	2900000	...	2900000
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	...	*300000*	300000
		पूंजी :	...	...	...
92	सांस्कृतिक विभाग	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	*600000*	...	600000
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व :	5681200000	...	5681200000
		पूंजी :	...	...	...
	योग	राजस्व :	10207800000	*73100000*	10280900000
		पूंजी :	10991700000	*34051400000*	45043100000
	महायोग :		21199500000	*34124500000*	55324000000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चौदहवीं अनुसूची

(धारा 15 और 17 देखिये)

(रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवा तथा प्रयोजन		बढ़ती		
			स्वीकृत मांग	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3 + 4)
1	2		3	4	5
3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	8000000	...	*8000000*
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	800000	...	*800000*
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्व :	252100000	...	252100000
		पूंजी :	...	...	...
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	8945000000	...	8945000000
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	100000	...	100000
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	400900000	...	400900000
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	400700000	...	400700000
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	52600000	...	52600000
39	भाषा विभाग	राजस्व :	3000000	...	3000000
		पूंजी :	...	...	...
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	...	70300000	*70300000*
		पूंजी :	...	*300000*	300000
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व :	...	*400000*	*400000*
		पूंजी :	1443800000	...	1443800000
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	...	*20272100000*	20272100000
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व :	85900000	...	85900000
		पूंजी ::	...	...	600000
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व :	4873900000	...	4873900000
		पूंजी :	...	...	...
	योग	राजस्व :	5214900000	*70700000*	5285600000
		पूंजी :	10891900000	*20272400000*	31164300000
	महायोग :		16106800000	*20343100000*	36449900000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं अनुसूची

(धारा 16 और 17 देखिये)

(रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवा तथा प्रयोजन		बढ़ती		
			स्वीकृत मांग	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3 + 4)
1	2		3	4	5
2	आवास विभाग	राजस्व :	47300000	...	47300000.
		पूंजी :	...	...	...
3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	109300000	...	109300000.
		पूंजी :	...	...	...
4	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व :	...	...	....
		पूंजी :	6300000	...	6300000
9	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	249800000	...	249800000.
		पूंजी :	...	...	...
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	1300000	...	1300000
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	2900000	...	2900000
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	4352300000	...	4352300000
	[illegible] विभाग	राजस्व :	400000	...	400000
		पूंजी :	...	...	...
	[illegible] (कारागार)	राजस्व :	5700000	...	5700000
		पूंजी :	...	...	...
	[illegible] विभाग (एलोपैथी [illegible])	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	311600000	...	311600000
	[illegible] विभाग (होम्योपैथी [illegible])	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	9000000	...	9000000
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	...	32700000	32700000
		पूंजी :	...	...	...
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व :	5300000	*400000*	5700000
		पूंजी :	1321700000	...	1321700000
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	राजस्व :	95500000	...	95500000
		पूंजी :	16300000	...	16300000
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व :	...	...	...
		पूंजी :	11900000	...	11900000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(रुपयों में)

अनुदान संख्या	सेवा तथा प्रयोजन		बढ़ती		
			स्वीकृत मांग	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग (3 + 4)
1	2		3	4	5
61	वित्त विभाग	राजस्व :	...	*5234700000*	5234700000
	(ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	पूंजी :	...	*7156600000*	7156600000
79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग	राजस्व :	...	...	...
	एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	पूंजी ::	21400000	...	21400000
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व :	900000	...	900000
		पूंजी :	...	...	...
	योग	राजस्व :	514200000	*5267800000*	5782000000
		पूंजी :	6054700000	*7156600000*	13211300000
	महायोग :		6568900000	*12424400000*	18993300000

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–17 तक अनुसूची–1 से अनुसूची 15 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1990–91, 1991–92, 1992–93, 1993–94, 1994–95, 1995–96, 1996–97, 1997–98, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2001–02, 2002–03, 2003–04 तथा 2004–05 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1990–91, 1991–92, 1992–93, 1993–94, 1994–95, 1995–96, 1996–97, 1997–98, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2001–02, 2002–03, 2003–04 तथा 2004–05 के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2009

(मद संख्या-49 पुकारे जाने किन्तु किसी सदस्य द्वारा संकल्प प्रस्तुत करने के लिए खड़े न होने पर)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, संकल्प तो लगता है प्रस्तुत नहीं होगा, मद संख्या-50 ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मद संख्या-50 ले लेते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

डॉ0 राजेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूं।

यह सदन डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2009 का अननुमोदन करता है।

श्री लालजी वर्मा-

यह तो हो गया इसको तो आपने प्रस्तुत नहीं किया, अब संशोधन रखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

यह मद तो निकल गयी, अब संशोधन रखिये।

डॉ0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2009 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, पिछले सत्र में हम लोग आये थे तो यह विश्वविद्यालय का विधेयक पारित हुआ था। एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि जब इस विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष आ गये जब इस विश्वविद्यालय की सामान्य परिषद् आ गयी, जब इस विश्वविद्यालय की वित्त परिषद् आ गयी तो कार्य परिषद् क्यों नहीं बनाई गयी और फिर कार्य परिषद् के लिए एक अलग से गजट लाने की क्या जरूरत महसूस हुई ? जब सामान्य परिषद् के पास पूरे के पूरे अधिकार हैं वह कार्य परिषद् को बना सकती है। इसमें यह दिया गया है कि कार्य परिषद् को न बनाने का मुख्य कारण था कि अध्यापकों की कमी थी, अध्यापक नहीं थे लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अपना पूरा नियंत्रण रखने के लिए अध्यापकों की नियुक्ति या उसके कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए एक अलग से गजट लाना चाहती है और वह कार्य परिषद् जो बाद में बनाई भी जायेगी उसके ऊपर इतने ज्यादा अपने अधिकार को रखना चाहती है कि वह कार्य परिषद् आगे जा करके भी कोई कार्य न कर सके। इसके लिए मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि इसमें एक धारा है 32 की उपधारा 3 इसके अन्दर इन्होंने साफ-साफ कहा कि :-

'कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्ति या उसके गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम के प्रारूप का प्रस्ताव तब तक नहीं करेगी जब तक ऐसे प्राधिकरण को उक्त प्रस्ताव पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया जाय और इस प्रकार व्यक्त कोई राय लिखित रूप में होगी और उसे सामान्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।'

मेरा पूरा-पूरा यह सोचना है कि सरकार अपने आदमियों को बैठाने का कोई इंतजाम कर रही है अपने लोगों को लाना चाहती है अपने अध्यापकों को लाना चाहती है इसलिए यह विधेयक लाया गया है एक दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय का विधेयक पारित हो गया उसके बाद में क्या यह सिर्फ जमीन पर ही यह विश्वविद्यालय बना दिया गया या वहां पर पूरी की पूरी बिल्डिंग नहीं बनी या विश्वविद्यालय चालू नहीं हुआ क्योंकि कार्य परिषद्, सामान्य परिषद्, कुलाध्यक्ष या वित्त अधिकारी का अभी तक वहां पर प्रारूप तैयार नहीं किया गया है इसलिए मैं इस पूरे विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपने की मांग करता हूं जो अपना प्रतिवेदन एक माह में दे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, सामान्य रूप से नियम बनाने का अधिकार कार्य परिषद् को होता है, उसका गठन नहीं किया, जब आपको गठन नहीं करना था तो विश्वविद्यालय की स्थापना आपने क्यों की ? विश्वविद्यालय की स्थापना करने से पहले आपको विचार कर लेना चाहिए कि उसमें हमको क्या-क्या करना है ? अब सही कहा माननीय सदस्य ने कि अधिकार अपने हाथ में लेना, नियम बनाने का अधिकार उनको है। कार्य परिषद् का गठन नहीं किया गया इस विधेयक के माध्यम से सरकार नियम बनाने का अधिकार अपने हाथ में ले रही है ताकि नियम भी बना ले। यह बात सही है कि आपने प्राविधान कर दिया है कि गठन के बाद में इन नियमों में संशोधन करने का/निरस्त करने का अधिकार उनको होगा। यह तब होगा जब गठन आप करेंगे और गठन करने का मन आपका रहा होता तो इस विधेयक के लाने की आवश्यकता यहां पर न पड़ती। चिंता की बात यही है कि लम्बा-चौड़ा कार्यक्रम आप बनाकर आये कि विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं डिसेबिल्ड लोगों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं। विधेयक आपने पास कर दिया अब उसको जकड़ना चाहते हैं कि सारे अध्यापकों की नियुक्ति का अधिकार शासन को हो जाए, कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार शासन को ही जाए, फिर विश्वविद्यालय क्यों बना रहे हैं ? आप तो अपना एक विभाग बना रहे हैं, नाम उसका विश्वविद्यालय दे रहे हैं। इसीलिए जो प्रस्ताव हम लाये हैं, इसी कारण से लाये हैं कि सरकार की मंशा में पूर्णतया खोट है और वह खोट उजागर हो रहा है। इसलिए अनुरोध है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए और वहां इस पर विचार हो जाए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, छोटा सा संशोधन है और इसमें जो उद्देश्य और कारण में स्पष्ट किया गया है कि विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली बनाये जाने के लिए सशक्त किया जाए। नवसृजित विश्वविद्यालय होने के कारण एवं विश्वविद्यालय में शिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण भी कार्य परिषद् का गठन संभव नहीं था इसलिए परिनियमावली बनाने की जो शक्ति है वह सरकार को दी जा रही है। मान्यवर, राज्य सरकार केवल इसी एक विश्वविद्यालय में नहीं, तमाम विश्वविद्यालय हैं जिनकी प्रथम परिनियमावली राज्य सरकार ही बनाती है। कार्य परिषद् को उसके बार समय-समय पर संशोधन का

अधिकार रहता है। इसलिए मान्यवर, यह कोई ऐसी बात नहीं है। छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय है, पी0जी0आई0 है, जहां पर प्रथम परिनियमावली बनाने का अधिकार राज्य सरकार में निहित है और इसलिए इसमें इस बात का उल्लेख नहीं रहा।

श्री हुकुम सिंह-

सरकार नियमावली बना दी है तो फिर संशोधन लाने की क्या आवश्यकता है ?

श्री लालजी वर्मा-

इसलिए यह लाया गया कि यह अधिकार राज्य सरकार को दिया जाए। जो मूल अधिनियम था उसमें इस बात की व्यवस्था नहीं थी इसलिए यह लाया गया है। इस आधार पर इसमें कोई शंका करने की कोई गुंजाइश नहीं है, विकलांग विश्वविद्यालय है, विकलांगों के हितों के लिए है। इसलिए मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इसको सर्वसम्मति से पास करने की कृपा करें।

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, जो सरकार की मंशा थी, विकलांग लोगों के लिए पुनर्वास की योजना थी।

श्री अध्यक्ष-

जोखू लाल जी संकल्प प्रस्तुत नहीं हुआ, इसलिए हम प्रस्ताव पर आ गये।

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न बनता है। हम बैठे रहे और आप सीधे मद संख्या-51 पर आ गये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने मा0 हुकुम सिंह और अन्य सभी सदस्यों से सिफारिश की उसके बाद हम 50 पर गये हैं। तो इसमें कौन सी व्यवस्था है, आप बैठे रह गये और बोले भी नहीं।

श्री अध्यक्ष-

जोखू लाल जी विधेयक पर जो संकल्प है उसे न लीजिए। मैं अब आगे बढ़ चुका हूं। मैं प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2009 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2009

डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम, डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जायेगा।

(2) यह 3 जुलाई, 2009 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2009 की धारा 32 का संशोधन

2-डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 32 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"32-(1) विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा बनायी जाएगी।

(2) कार्य परिषद् नई या अतिरिक्त परिनियमावली बना सकती है या उप धारा (1) निर्दिष्ट परिनियमावली को संशोधित या निरसित कर सकती है।

(3) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्ति या उसके गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम के प्रारूप का प्रस्ताव तब तक नहीं करेगी जब तक ऐसे प्राधिकरण को उक्त प्रस्ताव पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया जाय और इस प्रकार व्यक्त कोई राय लिखित रूप में होगी और उसे सामान्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) प्रत्येक नया परिनियम या परिनियमावली में परिवर्धन या किसी परिनियमावली में कोई संशोधन या निरसन अनुमोदन हेतु सामान्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(5) कार्य परिषद् द्वारा पारित परिनियमावली कार्य परिषद् द्वारा उसको अनुमोदित किये जाने के दिनांक से या ऐसे पश्चातवर्ती दिनांक से जैसा सामान्य परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रभावी होगी।

(6) विद्या परिषद् को किसी शैक्षणिक मामले पर परिनियम प्रस्तावित करने की शक्ति होगी।

(7) जहां कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी परिनियम के प्रारूप को अस्वीकार कर दिया हो, वहां विद्या परिषद् कुलाध्यक्ष को अपील कर सकती है जो आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि प्रस्तावित परिनियम को सामान्य परिषद् के अगले अधिवेशन के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखा जाये और यह कि सामान्य परिषद् के ऐसे अनुमोदन के लम्बित रहने तक यह ऐसे दिनांक से प्रभावी होगा जैसा कि उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये :

परन्तु यदि परिनियम का अनुमोदन सामान्य परिषद् द्वारा ऐसे अधिवेशन में नहीं किया जाता है तो यह प्रभावी नहीं रह जायेगा।

(8) कार्य परिषद् द्वारा बनाये गये समस्त परिनियम सामान्य परिषद् के समक्ष उसके अगले अधिवेशन में रखे जायेंगे और सामान्य परिषद् को कार्य परिषद् द्वारा बनाये गये किसी परिनियम को संशोधित करने या उसे रद्द करने की शक्ति होगी।"

निरसन और अपवाद

3-(1) डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2009 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-2 सन् 2009

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 2009 का अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2009

*डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 2009 का अननुमोदन करता है।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2009 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं यह सुपर टाइम स्केल है इसके अन्दर लिख रखा है। सुपर टाइम स्केल जिला न्यायाधीश होंगे वही इस अधिकरण के उपाध्यक्ष होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 70 जिले हैं वहां पर जिला न्यायाधीश 70 ही होंगे। सुपर टाइम स्केल है तो सब ए0डी0जे0 को मिले हुए हैं। इसके अन्दर यह प्राविधान था इसका उपाध्यक्ष होगा सीधे ट्रिब्यूनल का वह उपाध्यक्ष जिला जज हो सकता है लेकिन आप लेकर आए हैं सुपर टाइम स्केल पाये हुए तो एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज इस अधिकरण के उपाध्यक्ष होने लायक हो सकेगा। मुझे लगता है एडीशनल सीनियर डिस्ट्रिक्ट जज वेट कर रहे हैं कि वह ट्रिब्यूनल के उपाध्यक्ष बन जायं बनाते हैं, उपाध्यक्ष बनाने के लिए तो बिल लाना पड़ेगा डी0जे0 के बाद वहां पर ए0डी0जे0 को पोस्ट करेंगे तो टाइम लग सकता है। मुझे सीधे-सीधे ऐसा लगता है कि एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज को सीधे-सीधे उपाध्यक्ष बनाने के लिए यह विधेयक के अन्दर संशोधन लाया गया है। जिसका मैं विरोध करता हूं। ट्रिब्यूनल में ज्यादा से ज्यादा 10-12 सदस्य होंगे वेट भी कर सकते थे। 70 जज हैं एक में ट्रिब्यूनल का उपाध्यक्ष बना दीजिए वहां से सीनियर एडीशनल जज को लाकर जिला न्यायाधीश बना दीजिए। इस धारा को लाने के पीछे मुझे लगता है कि कोई न्यायाधीश लगे हुए हैं। इसलिए निवेदन करता हूं कि इसे प्रवर समिति को भेज दिया जाए।

एक आदमी के लिये एक विधेयक लाना मेरी निगाह में अनुचित है। इसलिय मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इसमें कौन सा ऐसा मुद्दा आपने उठा दिया। इसको सर्वसम्मति से करना चाहिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुम सिंह-

इसमें पांच साल के अनुभव का अधिकारी आ सकता था उसको हटा दिया आपने। केवल सुपर टाइम का आपने रख दिया। आशंका यह है कि जो एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज है उसमें किसी आदमी को आप एडजेस्ट करना चाहते हैं। उनके लिये आपने संशोधन किया है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2009 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2009 को इस सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन को प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्डशः विचार-

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2009

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 में अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जायेगा।

(2) यह 16 जून, 2009 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1976 की धारा 3 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"(4) कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष (न्यायिक) के रूप में नियुक्ति के लिये अर्ह नहीं होगा जब तक कि-

(क) उसने सुपर टाइम स्केल के जिला न्यायाधीश का पद या उसके समकक्ष कोई अन्य पद धारण न किया हो ; या

(ख) उसने कम से कम दो वर्ष तक न्यायिक सदस्य का पद धारण न किया हो।"

निरसन और अपवाद

3-(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 2009 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-6 सन् 2009

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2009 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2009

*डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2009 का अननुमोदन करता है।

श्री अध्यक्ष-

आप संशोधन भी रख दीजिये।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

पहले मद संख्या-56 रखा जाय फिर संशोधन रखें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप पहले रख दीजिये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

राजेन्द्र सिंह जी, आप संशोधन का प्रस्ताव भी रख दें।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2009 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, बहुत अच्छी बात है कि आप विभेद नहीं कर रहे हैं लड़का लड़की में। पुत्र और पुत्री में। आपने कहा कि पुत्री अविवाहित भी हो सकती है और विवाहित भी। हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन विभेद आपने आगे जाकर कर दिया। पुत्र के जो पुत्र या पुत्री होगी उसके लिये तो आपने आरक्षण की व्यवस्था कर दी लेकिन जो लड़की के पुत्र या पुत्री होंगे उसके लिये इसके अन्दर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। यहां पर जाकर विभेद कर दिया। यही मेरा संशोधन है जिसको कि मैं चाहता हूं कि जो लड़की है उसके जो पुत्र या पुत्री हो उसको भी आरक्षण में वही सुविधा मिले जो लड़के के पुत्र या पुत्री को मिलती है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसमें तो स्वागत योग्य कदम है। पुत्र और पुत्री विवाहित अथवा अविवाहित पौत्र और अविवाहित पुत्री था।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

पुत्री के पुत्र या पुत्री के बारे में।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह तो स्वागत योग्य कदम है। पुत्र और पुत्री विवाहित अथवा अविवाहित पौत्र और अविवाहित पुत्री था ...

डा0 राजेन्द्र सिंह-

पुत्री नहीं पुत्री के पुत्र के बारे में ...

श्री लालजी वर्मा-

अविवाहित है, पुत्री थी, पौत्री थी, पौत्र और अविवाहित पुत्री को रखा गया था जो विवेकपूर्ण था क्योंकि जब पुत्री के सम्बन्ध में विवाहित और अविवाहित का भेद नहीं किया गया था तो पौत्री के

सम्बन्ध में भी भेद नहीं होना चाहिए था और पौत्र और पौत्री करके इसको सुदृढ़ किया गया है इसको समता के आधार पर किया गया है।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मैं पुत्र-पुत्री की नहीं मैं पुत्री और उसके पुत्र और पुत्री की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

क्या आप वापस ले रहे हैं ?

ठीक है आप वापस नहीं ले रहे हैं तो मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2009 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2009 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन)

विधेयक, 2009

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जायेगा।

(2) यह 16 जून, 2009 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1993 की धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (ख) में, उप खण्ड (दो) में शब्द "अविवाहित पौत्री (पुत्र की पुत्री)" के स्थान पर शब्द "पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित)" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-7 सन् 2009

3-(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2009 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2009 का अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2009

*डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2009 का अननुमोदन करता है। (शोर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2009 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी बात समझ में आई है सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है अभी हमने सारे के सारे जितने विधेयक देखे कहीं मनोरंजन कर लगाया जा रहा है कहीं वैट पर सैट लगाया जा रहा है अब यह मोटरयान कराधान विधेयक लेकर आए हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने एक पेपर में देखा था 2007 में सरकार के ऊपर एक लाख 27 हजार करोड़ का ऋण था आज वह बढ़कर एक लाख 75 हजार का ऋण हो गया है। हमें लगता है कि यह जो कराधान लाने की बात रखी है मंत्री महोदय ने, इसमें भी कर बढ़ाने का काम किया जा रहा है क्योंकि आज की हालत में सूखा इतना है बिजली के दाम इतने बढ़े हैं इस समय कर बढ़ाने का मतलब है मंहगाई का बढ़ाना। यह बजट द्वारा त्रैमासिक कर, वार्षिक कर या एक बार जो कर लिया जाता है उसको यह अपनी सुविधा के अनुसार बढ़ायेंगे या घटायेंगे। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि यह सरकार कर को बढ़ा तो सकती है लेकिन आज तक इन्होंने किसी कर को कम नहीं किया है। मैं इस बात को मानता हूं कि आगे जाकर यह मोटरयान पर कर की बढ़ोत्तरी के लिए यह प्राविधान करने जा रहे हैं क्योंकि इसके अन्दर जो पहले बजट था उसके अन्दर धारा 4 की उपधारा 4 है। उसमें इतनी छूट सिर्फ इनको थी कि किसी भी कर को यह पचास प्रतिशत बढ़ा सकते हैं लेकिन अब यह असीमित छूट अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। एक बात और मैं खासतौर से कहना चाहता हूं कि इसमें धारा है 3 और उपधारा है (1) में शब्द किसी शैक्षिक, चिकित्सक, परोपकारी या अन्य लोग प्रयोजन को अग्रसर करने में चलने वाले किसी मोटरयान या यानों के स्थान पर शब्द मोटरयानों रख दिये जायेंगे। मान्यवर, इस धारा को निकाल दिया गया और आपने सीधा-सीधा लिख दिया मोटरयानों लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि कर में सुविधा के अनुसार अपने लोगों को छूट देंगे इसलिए मैं इस पूरे विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग करता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2009 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2009 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-19 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2009

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जायेगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997 की धारा 2 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में-

(1) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :-

(क) "अतिरिक्त कर" का तात्पर्य धारा 6 के अधीन आरोपित कर से है;

(2) खण्ड (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

(ञ) "तिमाही" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर मास के प्रथम दिवस को प्रारम्भ होने वाले तीन कैलेण्डर मास की अवधि से है;

(3) खण्ड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

(ट-1) "विशेष कर" का तात्पर्य धारा-4-क के अधीन अधिरोपित कर से है;

धारा-3 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 3 में-

(क) उपधारा (1) में, शब्द "किसी शैक्षिक, चैकित्सक, परोपकारी या अन्य लोक प्रयोजन का अग्रसर करने में चलने वाले किसी मोटर यान या मोटर यानों" के स्थान पर शब्द "मोटर यानों" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) निकाल दी जायेगी।

धारा-4 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 4 में-

(क) उपधारा (1) में -

(एक) शब्द "जैसा कि प्रथम अनुसूची के भाग "ख" में विनिर्दिष्ट है" के स्थान पर शब्द "जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये" रख दिये जायेंगे।

(दो) विद्यमान परन्तुकों के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

"परन्तु किसी पुराने मोटर यान के सम्बन्ध में, एक बाद देय कर का भुगतान करने के बजाय ऐसे मोटर यान पर लागू वार्षिक कर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, भुगतान किया जा सकता है।"

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"(1-क) इस अधिनियम या तद्धीन बनाई गई नियमावली में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय किसी तीन पहिया मोटर टैक्सी और 3000 किलोग्राम से अनधिक भार वाले माल वाहन का उपयोग उत्तर प्रदेश" में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे मोटर यान के सम्बन्ध में ऐसी दर पर, जैसी राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, वार्षिक कर का भुगतान न कर दिया गया हो;

परन्तु इस धारा के अधीन किसी मोटर यान के सम्बन्ध में वार्षिक कर के एवज में एक बार देय कर की ऐसी धनराशि जैसी राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, का भुगतान किया जा सकेगा।"

(ग) उपधारा (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

(2) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय उपधारा (1-क) में निर्दिष्ट वाहनों से भिन्न किसी माल वाहन, निर्माण उपस्कर यानों, विशेष रूप से डिजायन किये गये यान, मोटर टैक्सी (तीन पहिया मोटर टैक्सी से भिन्न), बड़ी टैक्सी और राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सार्वजनिक सेवा वाले वाहनों का उपयोग उत्तर प्रदेश में किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे यान के सम्बन्ध में लागू दर पर जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, उस वाहन के सम्बन्ध में तिमाही कर का भुगतान न कर दिया गया हो :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन किसी मोटर यान के सम्बन्ध में तिमाही कर के बजाय ऐसी दर पर वार्षिक कर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, देय हो सकता है;

(घ) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

"(2-क) इस अधिनियम या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, उपधारा (1-क) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट यानों से भिन्न कोई किसी सार्वजनिक यान का उपयोग उत्तर प्रदेश में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जायेगा, जब तक कि ऐसी दर पर मासिक कर का, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा

उसके सम्बन्ध में अधिसूचित किया जाये, भुगतान न कर दिया गया हो :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन किसी मोटर यान के सम्बन्ध में मासिक कर के बजाय तिमाही या वार्षिक कर, ऐसी दर पर जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये, देय हो सकता है।

(2-ख) जहां सड़क द्वारा ले जाने वाले माल के कराधार से सम्बन्धित कोई पारस्परिक करार उत्तर प्रदेश सरकार और किसी अन्य राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के मध्य किया जाय, वहां उपधारा (1-ख) या धारा-2 के अधीन कर का उद्ग्रहण उक्त उपधारा में किसी बात के होते हुए भी ऐसे करार के सम्बन्ध में निबन्धनों और शर्तों के अनुसार होगा :

परन्तु इस प्रकार उद्ग्रहीत कर उस कर से अधिक नहीं होगा जो इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उद्ग्रहीत होता।

(3) जहां किसी परिवहन यान से भिन्न कोई मोटर यान परिवहन यान के रूप में चलता हुआ पाया जाये, उसके लिये ऐसा कर जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, देय होगा।"

(ङ) उपधारा (4) को निकाल दिया जायेगा।

धारा 4-क का बढ़ाया जाना

5-धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

कतिपय यानों के सम्बन्ध में विशेष कर का उद्ग्रहण

"4-क-इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय विशेष अवसरों यथा मेला और धार्मिक समागमों पर यात्रियों की सवारी के लिये या बारातों, पर्यटक समूहों या ऐसे अन्य आरक्षित समूहों जिन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये, को ले जाने के लिये जारी अस्थाई परमिट द्वारा आच्छादित किसी सार्वजनिक सेवा यान का उत्तर प्रदेश से प्रचालन धारा-4 के अधीन कर के साथ-साथ तब तक नहीं किया जायेगा जब तक राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित दर पर तत्सम्बन्ध में विशेष कर का भुगतान नहीं कर दिया जाता है।"

धारा 5 का निकाला जाना

6-मूल अधिनियम की धारा 5 निकाल दी जायेगी।

धारा 6 का संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"6-इस अधिनियम या तद्धीन बनाई गई नियमावली में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा स्वामित्व प्राप्त या नियंत्रित उत्तर प्रदेश में किसी सार्वजनिक सेवा यान का प्रचालन तब तक नहीं किया जायेगा जब तक धारा-4 के अधीन संदेय कर के साथ-साथ तत्सम्बन्ध में अतिरिक्त कर का भुगतान नहीं कर दिया जाता है।"

धारा 7 का निकाला जाना

8-मूल अधिनियम की धारा 7 निकाल दी जायेगी।

धारा 8 का निकाला जाना

9-मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी अर्थात् :-

(1) किसी सार्वजनिक सेवा यान के किसी दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त होने से पीड़ित यात्रियों या अन्य व्यक्तियों को या ऐसे यात्रियों या अन्य व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को राहत देने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार एक निधि स्थापित करेगी जो "उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि" कही जायेगी। धारा 4 के अधीन उद्ग्रहीत कर के दो प्रतिशत और धारा 6 के अधीन उद्ग्रहीत अतिरिक्त कर के दो प्रतिशत के समतुल्य धनराशि, उक्त निधि में जमा की जायेगी।"

धारा 9 का संशोधन

10-मूल अधिनियम की धारा 9 में;

(क) उपधारा (1) में,-

(एक) खण्ड (दो) और (तीन) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-

"(दो) धारा-4 की उपधारा (1-क) के अधीन संदेय कर, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण के समय एक वर्ष के लिये अग्रिम में और तत्पश्चात् अगले अनुवर्ती प्रत्येक वर्ष के प्रथम कैलेण्डर माह के पन्द्रह तारीख को या उसके पूर्व संदेय होगा।

(तीन) धारा-4 की उपधारा (2) के अधीन संदेय कर मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण के समय एक त्रैमास के लिये अग्रिम में और तत्पश्चात् अगले अनुवर्ती प्रत्येक त्रैमास के प्रथम कैलेण्डर माह के पन्द्रह तारीख को या उसके पूर्व संदेय होगा।"

(दो) खण्ड (चार) में,-

क-उप खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उप खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(क) धारा-4 की उपधारा (2-क) के अधीन संदेय कर मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण के समय एक कैलेण्डर माह के लिये अग्रिम में और तत्पश्चात् अगले अनुवर्ती प्रत्येक कैलेण्डर माह के पन्द्रह तारीख को या उसके पूर्व संदेय होगा।"

ख-उप खण्ड (ख) में शब्द और अंक "धारा 6 के अधीन संदेय अतिरिक्त कर" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा-4-क के अधीन देय विशेष कर" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (3) में शब्द "देय धनराशि से पच्चीस प्रतिशत से अनधिक" के स्थान पर शब्द "देय धनराशि से अनधिक" रख दिये जायेंगे।

धारा 10 का संशोधन

11-मूल अधिनियम की धारा 10 में,

(क) उपधारा (1) में,

(एक) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(क) किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसकी अधिकारिता उत्तर प्रदेश के बाहर हो, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन दिये गये अस्थायी परमिट के अधीन कोई परिवहन यान उत्तर प्रदेश में नहीं चलाया जायेगा, जब तक कि उसके सम्बन्ध में धारा 4 के अधीन उत्तर प्रदेश में इसके उपयोग और ठहरने के लिये कर का भुगतान न कर दिया गया हो।"

(दो) खण्ड (ख) में शब्द "धारा 5 के अधीन अतिरिक्त कर" के स्थान पर शब्द "धारा 4 के अधीन कर" रख दिये जायेंगे और शब्द "तृतीय अनुसूची के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट दर" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट दर पर" रख दिये जायेंगे।

(तीन) खण्ड (ग) में शब्द "धारा 6 के अधीन अतिरिक्त कर" के स्थान पर शब्द "धारा 4 के अधीन कर" रख दिये जायेंगे और शब्द "चतुर्थ अनुसूची के अनुच्छेद पांच उपखण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट" रख दिये जायेंगे।

(चार) खण्ड (ग) में परन्तुक निकाल दिया जायेगा।

(ख) उपधारा (2) निकाल दी जायेगी।

(ग) उपधारा (3) में शब्द "देयकर या अतिरिक्तकर के दस गुने के बराबर के स्थान पर "देय कर के पांच गुने के बराबर" रख दिये जायेंगे।

(घ) उपधारा (3) में परन्तुक में शब्द "इस धारा के अधीन कर और अतिरिक्त कर" के स्थान पर शब्द "इस धारा के अधीन कर" रख दिये जायेंगे।

(ङ) विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात :-

"परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन उत्तर प्रदेश हरियाण, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकारों के साथ या उनके मध्य हुये करार के अनुसार दिये गये परमिट के अधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सीमाओं के भीतर अनन्य रूप से चलाये जाने वाले मोटर टैक्सी (सी0एन0जी0 संचालित) के सम्बन्ध में कर संदेय नहीं होगा।"

धारा 11 का संशोधन

12-मूल अधिनियम की धारा 11 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

प्रथम बार के दायित्व पर देय धनराशि

"इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपबन्धित के सिवाय किसी परिवहन यान के सम्बन्ध में जब किसी कैलेण्डर माह के प्रारम्भ के पश्चात् प्रथम बार कोई कर देय होता है तो धारा 4 के अधीन देय कर प्रत्येक कैलेण्डर माह या उसके भाग, जिसके

सम्बन्ध में कर देय है, के लिये समुचित तिमाही कर का एक तिहाई या समुचित वार्षिक कर का बारहवां भाग होगा।"

धारा 12 का संशोधन

13-मूल अधिनियम की धारा 12 में,-

(क) उपधारा (1) में,-

(एक) शब्द "तिमाही कर की दर के एक तिहाई" के स्थान पर शब्द "यथास्थिति, तिमाही कर के एक तिहाही या वार्षिक कर के बारहवें भाग" रख दिये जायेंगे।

(दो) विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

"परन्तुक अग्रतर यह कि जहां धारा 4 की उपधारा (1-क) के अधीन किसी मोटरयान के लिये एक बार देय कर भुगतान कर दिया गया है वहां ऐसे यान के सम्बन्ध में प्रत्येक माह के लिये 1/120 के समतुल्य धनराशि वापस की जायेगी।"

(ख) उपधारा (2) में परन्तुक में शब्द और अंक "कर का देनदार होगा मानों उक्त दस्तावेज अभ्यर्तित नहीं किये गये थे और धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन देय शास्ति का भी देनदार होगा" के स्थान पर शब्द "कर और अतिरिक्त कर का देनदार होगा मानों उक्त दस्तावेज अभ्यर्पित नहीं किये गये थे और कर और अतिरिक्त कर के पांच गुना देय शास्ति का भी देनदार होगा"रख दिये जायेंगे।

(ग) उपधारा (3) में शब्द "परिवहन यान से भिन्न ऐसे मोटरयान" के स्थान पर शब्द "मोटरयान" रख दिये जायेंगे और शब्द "द्वितीय अनुसूची के भाग 'क' में विनिर्दिष्ट दरों पर ऐसे की वापसी का हकदार होगा" के स्थान पर शब्द "ऐसे कर की वापसी का हकदार होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये" रख दिये जायेंगे।

(घ) उपधारा (5) में शब्द "द्वितीय अनुसूची के 'भाग-ख' में विनिर्दिष्ट" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट" रख दिये जायेंगे।

(ङ) उपधारा (7) में शब्द और अंक "यथास्थिति धारा 5 या 6 के अधीन" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 6 के अधीन" रख दिये जायेंगे।

धारा 15 का संशोधन

14-मूल अधिनियम की धारा 15 में,-

(क) पार्श्वांकित शीर्षक में शब्द "टोकन" के स्थान पर शब्द "प्रमाण-पत्र" रख दिया जायेगा।

(ख) उपधारा (1) में, शब्द "टोकन" के स्थान पर शब्द "प्रमाण-पत्र" रख दिया जायेगा।

(ग) उपधारा (2) में शब्द और अंक "धारा 5 या 6 के स्थान पर" शब्द और अंक "धारा 6" रख दिये जायेंगे।

धारा 18 का संशोधन

15-मूल अधिनियम की धारा 18 में, उपधारा (1) में शब्द और अंक "धारा 12 के अधीन" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 4, धारा 6 एवं धारा 12 के अधीन" रख दिये जायेंगे।

धारा 20 का संशोधन

16-मूल अधिनियम की धारा 20 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

"(3) कराधान अधिकारी प्रत्येक वर्ष के कर और अतिरिक्त कर और शास्ति के बकायों के लिये यथास्थिति स्वामी या प्रचालक से यथाविहित प्रपत्र में मांग करेगा, जिसमें पूर्ववर्ती वर्षों के कर, अतिरिक्त कर या शास्ति, यदि कोई हो, सम्मिलित होंगे।"

धारा 22 का संशोधन

17-मूल अधिनियम की धारा 22 में शब्द "परिवहन यान" जहां कहीं आये हों, के स्थान पर शब्द "मोटरयान" रख दिये जायेंगे।

अनुसूचियों का निकाला जाना

18-मूल अधिनियम की सभी अनुसूचियां निकाल दी जायेंगी।

निरसन और अपवाद

19-(1) उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2009 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-19 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान सैफई (संशोधन) विधेयक, 2009 का पुनः पारण

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान सैफई (संशोधन) विधेयक, 2009, जो इस सदन द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2009 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ पारेषित किया गया था और जो दिनांक 18 फरवरी, 2009 को सदन की मेज पर रखा गया था, विधान परिषद् द्वारा बिना उसके पारित हुए तीन माह से अधिक का समय व्यतीत हो गया है जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान सैफई (संशोधन) विधेयक, 2009, जो इस सदन द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2009 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ पारेषित किया गया था और जो दिनांक 18 फरवरी, 2009 को सदन की मेज पर रखा गया था, विधान परिषद् द्वारा बिना उसके पारित हुए तीन माह से अधिक का समय व्यतीत हो गया है जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 4-8-2009 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 54 सूचनायें प्राप्त हुईं, स्वीकृत सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

1-श्री प्रमोद तिवारी की मेसर्स रिलायंस एनर्जी जेनेरेशन लिमिटेड को दी गई हजारों एकड़ भूमि वापस लेने व सरकार द्वारा गैस आधारित पावर प्लाण्ट स्वयं लगाये जाने के सम्बन्ध में है। 2-डा0 पी0के0 राय की जनपद कुशीनगर की सेवरही क्षेत्र में नहरों में पानी न आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। 3-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह की प्रदेश की जेलों में निरुद्ध बन्दियों द्वारा जेल के भीतर की गई मजदूरी का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में है। 4-श्री प्रदीप माथुर की प्रदेश के किसानों को कृषि विभाग व हार्टीकल्चर विभाग द्वारा सुविधा की जानकारी न दिये जाने के सम्बन्ध में है। 5-श्री शम्भू चौधरी की खरवार जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र व सुविधाओं से वंचित रखने के सम्बन्ध में है तथा 6-श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जिला महिला अस्पताल आजमगढ़ में बने चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के आवासों को स्टाफ नर्सों को आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में है इन प्राप्त सूचनाओं को वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। 7-श्री मदन चौहान की गौतम बुद्ध नगर व गाजियाबाद में निजी स्कूलों द्वारा की गई फीस में वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तथा 8-श्री अमेरिका प्रधान की जनपद गाजीपुर स्थित शारदा सहायक खण्ड-23 में टेल तक पानी न पहुंचने के सम्बन्ध में है प्राप्त सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। 9-श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर अन्तर्गत कैमरी में मण्डी समिति का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। 10-डा0 आर0ए0 उस्मानी की उत्तर प्रदेश के व्यापारियों पर लगाया गया अतिरिक्त कर (सैट) वापस कराये जाने के सम्बन्ध में

है। 11-श्री माधव पासवान की गोरखपुर मण्डल के कृषि विभाग में कार्यरत संयुक्त कृषि निदेशक एवं उप कृषि निदेशक (कृषि रक्षा) द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। 12-श्री सुन्दर लाल लोधी की जनपद उन्नाव के संयुक्त जिला चिकित्सालय में डाक्टरों द्वारा समय से उपस्थित न रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। 13-श्री अमरमणि त्रिपाठी की जनपद महराजगंज की तहसील नौतनवां में अराजक तत्वों द्वारा अधिवक्ताओं से की गई मारपीट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। प्राप्त सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :-

1-श्री आरिफ अनवर हाशमी

2-श्री विद्या सागर गुप्ता

3-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल

4-श्रीमती कृष्णा राज

5-श्री जगन प्रसाद गर्ग

6-श्री भागवत शरण गंगवार

7-श्री उदयभान करवरिया

8-श्री अनूप कुमार गुप्ता

9-श्री लालजी यादव

10-श्री लल्लू सिंह

11-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी

12-श्री चौधरी रवीन्द्र प्रताप

13-श्री महेश चन्द्र गुप्ता

14-श्री माता प्रसाद पाण्डेय

15-डा0 राजेन्द्र सिंह

16-श्री यशपाल सिंह चौहान

17-श्री श्याम लाल

18-श्री श्रीपति आजाद

19-श्री उदय राज यादव

20-श्री अशोक कंसल

21-श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह

22-श्री चन्द्र प्रकाश मिश्र

23-श्री भोला पासवान

24-श्री चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी

25-डा0 अनिल चौधरी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

26-श्री पूरन प्रकाश

27-श्री इमरान मसूद

28-श्री बैजनाथ दूबे

29-चौ0 सत्यपाल सिंह

30-डा0 कौशल किशोर

31-श्री संजीव दरियाबादी

32-श्री जोखू लाल यादव

33-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही

34-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव

35-श्री सुरेश कुमार खन्ना

36-श्री विजय बहादुर यादव

37-श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल

38-श्री काशीराम

39-श्री दीप नारायण सिंह

40-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल

41-श्री सलिल विश्नोई

अब हम उठते हैं, 07 तारीख को पुनः 11.00 बजे बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 06 बजकर 40 मिनट पर शुक्रवार दिनांक 7 अगस्त, 2009 को दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 4 अगस्त, 2009

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 137 विधान सभा (276)-25-11-09-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।